खण्ड-474, अंक-6
शुक्रवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1932
(13 अगस्त, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2010)

(खण्ड 474 में 6 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	7
प्रश्नोत्तर	7-17
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लालकृष्ण गांधी के भाई के साथ घटित घटना का प्रकरण (जारी)	118
दिनांक 3 फरवरी, 2010 को पूर्वांचल राज्य के गठन से सम्बन्धित 103 के प्रस्ताव पर स्थगित चर्चा को इस बार की कार्य-सूची में सम्मिलित न किये जाने विषयक प्रकरण (जारी)	118-119
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लालकृष्ण गांधी के भाई के साथ घटित घटना का प्रकरण	119
दिनांक 3 फरवरी, 2010 को पूर्वांचल राज्य के गठन से सम्बन्धित 103 के प्रस्ताव पर स्थगित चर्चा को इस बार की कार्य-सूची में सम्मिलित न किये जाने विषयक प्रकरण	119
अतारांकित प्रश्न संख्या-15 को विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	119-120
अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों से मिलने एवं वार्ता न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	120
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	120-122
जनपद आगरा में मदिया कटरा चौराहे के पास स्थित मस्जिद से लाउडस्पीकर व शरारती तत्वों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122
सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर में मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	122-123
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर ब्लाक को विभाजित करके माधोटांडा व गडवाखेड़ा को दो नये ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय प्रमुख मार्गों को ठीक कराने/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	123-124
जनपद लखनऊ में राजा टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में शासन की नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125

जनपद आगरा के सैयां शमसाबाद-फतेहाबाद रोड पर शमसाबाद नगर के लिए बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 125
राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर धानी खड़खड़िया पुल के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 125-126
जनपद बहराइच में महसी विधान सभा क्षेत्र में नाव के डूबने से हुई दर्जनों मौतों तथा बौण्डी घाट पर पीपे का पुल/पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 126-127
जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1974-75 में स्वीकृत सरयू नहर परियोजना के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 127
जनपद सीतापुर में कृषकों को दी जाने वाली निःशुल्क बोरिंग मानक के अनुसार न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... 127
जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अन्तर्गत मड़ियांव वार्ड जानकीपुरम् के खसरा संख्या-1262 पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 128
वैश्य समुदाय की दो उप जातियां कसौधन एवं रौनियार को विभिन्न जनपदों में पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 128
छठे वेतन आयोग पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 129
जनपद सीतापुर में नैफेड व वर्मी कम्पोस्ट योजना में चयनित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 129
श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित बाल श्रम विद्यालय बन्द होने की कगार पर पहुंचने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 130
जनपद महामायानगर की विधान सभा क्षेत्र सासनी में विद्यापीठ स्कूल के सामने गन्दे नाले की टूटी हुई पुलिया को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 130
वर्ष 2009-10 में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सामान्य वर्ग/निर्बल वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 130-131
नगर पालिका परिषद् सिद्धार्थनगर में जल जमाव एवं गन्दे पानी की निकासी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 131
जनपद गोण्डा में विकास खण्ड कटरा बाजार के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 131-133

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत फूल बेहड़ निघासन रोड के मध्य मील पुरवा के निकट पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 133

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 133-134

जनपद बांदा के समगरा (औगासी पम्प कैनाल) के रुके हुए कार्य को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 134

जनपद बांदा के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने हेतु वर्ष 2010-2011 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 134-135

राजकीय महाविद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं को अनुमन्य वेतनमान में नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 135-136

जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न एवं असंवैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 136

लखनऊ में सरोजनीनगर हज हाउस के सामने स्थित मोहल्ला शान्तीनगर में नाले का स्वरूप बदलकर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 137

विधान सभा क्षेत्र जौनपुर के अन्तर्गत खलसहा वि0 खं0 धर्मापुर में खलसहा तालाब में मुसहर प्रेमापुर तक जाने वाली जर्जर सड़क को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 137

जनपद उन्नाव में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बनायी जा रही नालियों की अच्छी गुणवत्ता न होने तथा धन का बन्दरबांट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 138

राजकीय आयुर्वेद कालेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 138-139

उत्तराखण्ड सरकार की तर्ज पर लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए मोबाइल ट्रेनिंग देकर राजस्व निरीक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 139

जनपद देवरिया के सलेमपुर रेलवे क्रासिंग पर बनने वाला ओवर ब्रिज में घटिया सामग्री लगाने एवं अभियन्ताओं द्वारा सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... 139-140

जनपद हरदोई मल्लावां में गोसगंज मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग पर 400 मी0 मार्ग का डामरीकरण एवं कल्याणी नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 140

कथित जाति कमकर के मार्ग दर्शन तथा कमकर से सम्बन्धित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वाद सं0-4/94, दिनांक 15-7-98 के निर्णय के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 140-141

श्री छेदीलाल गुप्ता, अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर द्वारा अभिलेखों में हेरा-फेरी करके प्रोन्नति प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 141

जनपद मुरादाबाद में पासी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 142

श्री आनन्द कुमार सिंह, सहायक लेखाकार दीन दयाल उपाध्याय रा0 ग्रा0 वि0 संस्थान, बी0के0टी0 लखनऊ को नियमित किये जाने एवं वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 142-143

जनपद उन्नाव बांगरमऊ से सण्डीला तक मार्ग को पुनःनिर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 143

जनपद सीतापुर अन्तर्गत महोली कस्बे में राजकीय परिवहन निगम का बस अड्डा शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 143-144

बुन्देलखण्ड के विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों पर लिफ्ट कैनाल न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 144

बलिया जनपद के समस्त शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन मार्च, 2010 से अब तक न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... 144-145

शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान को अपग्रेड करके कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने तथा कृषि उपज सम्बन्धी शोध कार्यों के लिये अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 145

लखनऊ में मानक नगर स्टेशन के सामने बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 145-146

जनपद हरदोई बिलग्राम तहसील में ध्वस्त विद्युत सप्लाई व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 146

उत्तर प्रदेश में जन औषधि आऊटलेट्स लागू योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 147

जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के कतिपय सम्पर्क मार्गों को लेपन कार्य तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 147-148

जनपद बागपत परगना-बरनावा तहसील बड़ौत में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 148

उपनगर आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किये गये कनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने एवं ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 148-149

विधान सभा क्षेत्र एटा शिकोहाबाद रोड पर ग्राम वाकलपुर (वाकराबाद) व ग्राम मन्सुखपुर विकास खण्ड सकीट में खारा पानी होने से वहां के निवासियों की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 149

श्री राम दास त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थनगर (जनपद) की हत्या करके लाश पोखरें में फेंके जाने की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा किसी अन्य जिले की पुलिस से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 149-150

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं 150

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने एवं विभागों से उनका नियंत्रण ले लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 150-152

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 में दिनांक 11 फरवरी, 2010 को अभिसूचित एवं ध्यानाकर्षण हेतु शासन को सन्दर्भित गाजियाबाद की गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका तथा जिला पंचायत परिषद् में घोटालों की जांच विषयक सूचना को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 153

उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 153-154

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 154

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 154

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 154

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 154-155

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्रामीणों को आगरा महानगर से सीधे जोड़ने हेतु लगभग 1.7 कि0मी0 ग्राम लोधई (महामायानगर) से जामपुर चौराहा (जनपद आगरा) तक का मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चेतराम शर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 155

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 155-176

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं 176-181

प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य 181-183

मिर्जापुर सहित पूरे प्रदेश में विद्युत लाइनों के ढीला होकर लटकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य... 183-184

जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत बरदहा से मार्टिनगंज अम्बारी रोड को मानक के अनुसार मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... 184

मथुरा शहर में टीलों पर बसे मोहल्लों में पानी की पाइप लाइनों व नालियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... 185

प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... 185-188

यमुना नदी में पानी कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कौकब हमीद खां तथा डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य 188-190

कुशीनगर स्थित बेंदूपार खलवा टोला स्थित पुल का पुनर्निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ... 191

शाहजहांपुर नगर में जर्जर 08 परिषदीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ... 192-193

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य 193

जनपद बलिया स्थित रेवती इण्टर कालेज के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन फरवरी, 2007 से रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य 193-194

कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में धरना-प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लेने एवं सात-सात घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... 194-195

इलाहाबाद अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध नहरों में पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य 196-197

फ्री-सेल किरोसिन आयल विक्रय/विपणन की समानान्तर विपणन व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अनुचित तरीके से लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य 197-199

मद संख्या-15 से सम्बन्धित मथुरा में टीलों पर बसे मोहल्लों में पानी की पाइप लाइन व नालियों के पुनर्निर्माण विषयक वक्तव्य के भ्रामक उत्तर पर आपत्ति 199-200

सदन संचालन में सहयोग हेतु सत्ता पक्ष, विपक्ष सहित श्री अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन 200-213

सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 213-214

राष्ट्र-गान 214

नत्थियां 215-223

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

दिनांक 13 अगस्त, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
12. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
13. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
14. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
20. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
21. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
22. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
23. अमेरिका प्रधान श्री — गाजीपुर
24. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
30. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
32. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
35. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
38. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
39. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
41. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
43. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
44. आर0ए0 उस्मानी, (डा0) श्री — लखीमपुर खीरी
45. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
46. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
47. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
48. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
49. आसिफ, श्री — हरदोई
50. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
52. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
53. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
54. उदयराज, श्री — उन्नाव
55. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
56. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ

57. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
58. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
59. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
60. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
61. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
62. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
63. कुबेर सिंह, श्री एटा
64. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
65. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
66. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
68. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
70. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
71. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
72. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कैलाश साहू, श्री झांसी
75. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
76. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
77. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
78. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
81. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
82. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
84. घूराराम, श्री बलिया
85. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
86. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
87. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
88. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
89. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
90. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
91. छोटे सिंह, श्री जालौन
92. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
93. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
94. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
95. जगपाल, श्री सहारनपुर
96. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
97. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
98. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
99. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
100. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
101. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
102. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
103. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
104. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
105. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
106. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
107. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
110. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
111. दयाराम, श्री कौशाम्बी
112. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
113. दाउद अहमद, श्री हरदोई
114. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
115. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
116. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
117. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झांसी
118. दूधराम, श्री बस्ती
119. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
120. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
121. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
122. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर

123. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
124. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
125. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
126. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
127. धू राम लोधी, (चौधरी) श्री हमीरपुर
128. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
129. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
130. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
131. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
132. नारायण सिंह, श्री आगरा
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
136. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
137. पशुपति, श्री गाजीपुर
138. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
139. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
140. प्रजापालन, श्री एटा
141. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
142. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
143. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
144. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
145. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
146. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
147. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
148. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
149. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
150. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
151. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
152. फागू चौहान, श्री मऊ
153. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
154. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
155. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
156. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
157. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
158. बिरजू राम, श्री जौनपुर
159. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
160. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
161. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
162. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
163. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
164. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
167. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
168. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
169. मंजू, श्रीमती बलिया
170. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
171. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
172. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
173. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
174. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
175. ममतेश शाक्य, श्री एटा
176. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
177. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
178. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
179. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
180. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
181. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
182. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
183. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
184. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
185. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
186. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
187. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
188. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
189. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
190. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
191. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा

192. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
193. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
194. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
195. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
196. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
197. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
198. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
199. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
200. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
201. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
202. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
203. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
204. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
205. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
206. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
207. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
208. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
209. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
210. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
211. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
212. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
213. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
214. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
215. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
216. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
217. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
218. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
219. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
220. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
221. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
222. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
223. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
224. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
225. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
226. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
227. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
228. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
230. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
231. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
232. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
233. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
234. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
235. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
236. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
237. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
238. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
239. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
240. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
241. राम प्रकाश कुशवाहा, (पी0एच0डी0), डा0 कानपुर नगर
242. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
243. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
244. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
245. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
246. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
247. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
248. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
249. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
250. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
251. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
252. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
253. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
254. लखीराम नागर, श्री मेरठ
255. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
256. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर

257. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
258. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
259. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
260. वारिस अली, श्री बहराइच
261. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
262. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
263. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
264. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
265. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
266. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
267. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
268. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
269. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
270. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
271. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
272. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
273. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
274. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
275. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
276. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
277. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
278. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
279. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
280. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
281. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
282. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
283. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
284. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
285. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
286. शिवशंकर, श्री बलिया
287. शीशराम, श्री बिजनौर
288. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी,श्री फिरोजाबाद
289. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
290. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
291. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
292. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
293. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
294. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
295. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
297. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
298. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
299. संजय कपूर, श्री रामपुर
300. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
301. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
302. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
303. संध्या, कुमारी मैनपुरी
304. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
305. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
306. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
307. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
308. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
309. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
310. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
311. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
312. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
313. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
314. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
315. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
316. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
317. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
318. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
319. सुखलाल, श्री पीलीभीत
320. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
321. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
322. सुभाष, श्री बलिया
323. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
324. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर

325.	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	
326.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
327.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
328.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	
329.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	
330.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	
331.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	
332.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	
333.	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा	
334.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	
335.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर	
336.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
337.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी	
338.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
339.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर	
340.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	
341.	हरिओम, श्री	जालौन	
342.	हसरत उल्ला, श्री	एटा	
343.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर	

नोट :–लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास, कृषि तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने-जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और इस भ्रष्टाचार में सरकार भी शामिल हो गई है और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो गये हैं। जिसके कारण पूरे प्रदेश में विकास का काम ठप हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी नोटिस आयी है, मैंने उसे देखा है और उसे सुनने के लिए चयनित भी कर लिया है।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

मान्यवर, मैंने भी नियम-311 में एक नोटिस दी है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इसके लिए दो मिनट का समय देना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रश्नकाल के बाद कह लीजिएगा, मैं पहले आपका ही सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण कराने हेतु भर्ती प्रक्रिया बदलने के सम्बन्ध में जानकारी

**1-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण कराने हेतु मेरिट के आधार पर भर्ती करने की प्रक्रिया (नियम) को बदलकर परीक्षा के आधार पर भर्ती कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरिट के आधार पर वर्तमान में चयन करने की प्रक्रिया को बदले जाने का मामला शासन में विचाराधीन नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो कह दिया कि विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, जब बी0एड0 की परीक्षा होती है बी0एड0 करने के बाद बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग के लिए मार होती है। बी0एड0 के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है और दूसरे जो

समूह 'ग' की भर्ती होती है उसमें भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। मेरे जिले का एक उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसके पिता जी संस्कृत सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय में सुपरिन्टेंडेंट थे। उनकी लड़की अपना नाम नहीं लिख सकती है लेकिन उसने बी0टी0सी0 में टॉप किया है। आज हमारे यहां बी0डी0एस0, बी0फार्मा0 यह सारे लड़के प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए आते हैं और मेरिट के आधार पर चयनित हो जाते हैं। हमारे यू0 पी0 बोर्ड में बच्चे अंक कम पाते हैं। अभी बी0 एड0 की परीक्षा हुई उसमें 45 प्रतिशत अंक वालों का मामला हाईकोर्ट में है। मान्यवर, इससे जो योग्य बच्चे हैं वह सफल नहीं हो पाते हैं और जो नकल करके अच्छे अंक ले आते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं यही जानना चाहता हूं नियम न बदले जाने का क्या कारण है ? और दूसरा यह कि क्या सरकार टेक्निकल एजूकेशन वाले बच्चों को अलग करने पर विचार करेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, वर्ष 2001 तक प्रवेश परीक्षा से ही बी0टी0सी0 में प्रवेश कराते थे। 2001 में इसमें काफी अनियमितता पायी गयी और उसको देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। आज जो चयन आधार सरकार ने तय किया है वह बिल्कुल पारदर्शी है, निष्पक्ष है और आज तक उसको किसी ने चुनौती नहीं दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी चयन प्रक्रिया है जिसमें कहीं भी किसी तरह का आक्षेप नहीं लगा है इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, यानि कि प्रतियोगी परीक्षा गलत थी ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें गलत सही का प्रश्न नहीं है। सरकार से आपने प्रश्न पूछा कि क्या इसे बदल सकेंगे और मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि नहीं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरी चिन्ता दूसरी तरह की है। अभी हमारे यहां पर बी0टी0सी0 में 400 बच्चों का चयन हुआ है। 200 बच्चे डायट में और 50-50 बच्चे प्राईवेट कालेजेज में गये। हमने जब उनसे पूछा परिषदीय विद्यालय में टीचर्स बनने जा रहे हैं उन बच्चों में से जो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट या बी0ए0 किया है, उनमें से कितने बच्चों का चयन इसके अन्दर हुआ। तो पता चला कि ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत बच्चों का चयन यू0पी0 बोर्ड के बच्चों में से हुआ है, ज्यादातर सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 के बच्चों का हुआ है। क्योंकि उनकी मेरिट बहुत हाई जाती है और हमारे यहां यू0पी0 बोर्ड के बच्चे पीछे रह जाते हैं। जो सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड है उनके यहां परीक्षा में ज्यादा नम्बर दिये जाते हैं जबकि हमारे यहां यू0पी0 बोर्ड में अपेक्षाकृत कम नम्बर, मिलते हैं जिसके कारण हमारे यहां के बच्चे हर जगह पिछड़ रहे हैं। यह बात पहले भी उठी थी और आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि मानक बनवायेंगे, हम यह चाहते हैं या तो सारे के सारे बोर्ड में एक सा पाठ्यक्रम हो....

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से हट करके है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह बहुत बड़ा डिसक्रिमिनेटरी है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। इसके लिए अलग से प्रश्न लगा लीजिएगा। यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो मेरिट बनती है वह जनपदवार बनती है इसके नाते कुछ व्यावहारिक समस्यायें आ रही है। हमारे जिले का कोई छात्र किसी दूसरे जनपद में आवेदन करता है वहां उसका सेलेक्शन हो जाता है और उसको पता चलता है कि स्वयं उसके अपने जनपद में उससे कम मेरिट के बच्चों का सेलेक्शन हो गया। क्या मा0 मंत्री जी सेलेक्शन की इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेंगे या जो छात्र किसी और जनपद में आवेदन करते हैं उनको एक से अधिक जनपदों में आवेदन करने की स्वीकृति देंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, इससे पूर्व जब विशिष्ट बी0टीसी0 में चयन प्रारम्भ किया गया था तो एक से अधिक जनपदों में आवेदन करने का अधिकार दिया गया था और एक-एक बच्चे ने 40-40 जनपदों में आवेदन किया था। विशिष्ट बी0टी0सी0 में पहले उन बच्चों ने काफी जिलों में आवेदन किया था और यह प्रतिबन्ध विशिष्ट बी0टी0सी0 में नहीं था। लेकिन मैं चाहूंगा बी0टी0सी0 में कई फायदे होते हैं, छात्र को एक तो उसे अपना जनपद मिलता है, दूसरे जनपद में जा करके प्रशिक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे, अध्यापक का कैडर जिला कैडर है, वह अगर अपने ही जिले में चयनित होगा तो वह वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवा काल पूरी करने का काम करेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार की जो नीति है वह सही है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस साल जो गया सो हो गया लेकिन आगे जो टेक्निकल एजूकेशन के बच्चे हैं जिन्होंने 4 वर्षीय बी0डी0एस0 या बी0टेक0 किया है, वे सारे लोग फिर से बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग करेंगे ? क्या सरकार अगले वर्ष टेक्निकल एजूकेशन के जो बच्चे हैं, उनको अलग करते हुए एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से बी0टी0सी0 की भर्ती करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जब मंत्री जी ने साफ कह दिया कि जी नहीं, और इस तरह का हमारा कोई विचार नहीं है, तो बात खत्म हो गयी। अब भविष्य में क्या करेंगे यह अलग विषय है ?

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बी0टी0सी0 में जो बच्चे चयनित हुये हैं। मुझे मेरठ और बागपत जनपद की जानकारी है उसमें काफी बच्चों ने फर्जी मार्कशीट बनवाकर अपनी मेरिट ऊंची कर एडमिशन लेने का काम कर लिया। जांच में कई जनपदों में काफी लोग पकड़े भी गये हैं। दो जनपदों की जानकारी मुझे है जहां पर यह शिकायत मिली है तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में इस तरह से बच्चों ने खिलवाड़ की होगी। क्या पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराने का काम करेंगे जो उन्होंने प्रमाण-पत्र जमा किये हैं वह सही है या उन्होंने नकली लगा दिये हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 सदस्य के जनपद में ही 13 लोगों के फर्जी प्रमाण-पत्र पाये जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 346 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है जिनके फर्जी प्रमाण-पत्र मिले हैं आवेदन करने के बाद जब फार्म की चेकिंग व जांच होती है उसी में फर्जी प्रमाण-पत्र की जांच होती है और उसके बाद कार्यवाही की जाती है। यह कार्यवाही हो रही यह जानकारी आपको अच्छी तरह से है।

रबी, खरीफ व जायद फसलों की बुआई से पूर्व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

डा0 अजय तोमर-

**2-क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यूरिया, डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों को उनकी मांग के सापेक्ष रबी, खरीफ व जायद फसलों की बुआई से पूर्व ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन ने निरन्तर भारत सरकार से सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है। सामान्य रूप से प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता सन्तोषजनक रहती है। फास्फेटिक उर्वरक डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 की कमी की समस्या मुख्यतः रबी सत्र में बुआई के पूर्व होती है एवं इससे निपटने के लिए प्रदेश शासन द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग की कार्य योजना बना ली गयी है।

प्रदेश शासन द्वारा पी0सी0एफ0 को नोडल एजेन्सी नामित करते हुए 7.00 लाख मी0 टन फास्फेटिक उर्वरकों की रबी 2010-11 हेतु प्रीपोजिशनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं एवं इसके लिए वांछित भण्डारण शुल्क का वहन तथा ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, कृषि प्रधान प्रदेश में पिछले तीन चार वर्षों से अखबारों में देखने को मिलता है कि उर्वरकों की अनुपलब्धता की वजह से किसानों को लम्बी-लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। रात के ग्यारह-ग्यारह व बारह-बारह बजे तक यहां तक थानों के द्वारा उर्वरक के वितरण का कार्य किया जाता है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैंने इस प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में लाने का काम किया था। मैं इसे अनुपूरक के रूप में इसलिए कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल एक जगह मैंने कृषि मंत्री का धान की फसल के लिए उर्वरक मांग के सापेक्ष पूरी उपलब्ध कराने का जो सदन में लिखित में दिया था उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में डी0ए0पी0 ...

श्री अध्यक्ष-

सीधे अनुपूरक प्रश्न करिए।

डा0 अजय तोमर-

मैं अनुपूरक प्रश्न ही करना चाहता हूं। विगत वर्षों में प्रदेश में मांग के सापेक्ष केन्द्र सरकार से डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 की कितनी डिमाण्ड की गई थी और उसके सापेक्ष डिमाण्ड के सापेक्ष इन वर्षों में कितनी उर्वरक यह तीनों प्रदेश को प्राप्त हुई थी। वर्तमान वर्ष में अभी जो हमारी डिमाण्ड है जो हमारा पूर्वानुमान है उसके अनुसार कितनी आवश्यकता होगी और उसको ध्यान में रखते हुए कितनी डिमाण्ड की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं विगत तीन वर्षों की स्थिति माननीय सदस्य को बताए देता हूं। मान्यवर, खरीफ की फसल का पहले बताना चाहता हूं। खरीफ की फसल के बारे में वर्ष 2008 का पहले बता दूं। वर्ष 2008 में खरीफ की फसल में यूरिया का लक्ष्य 25.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था जिसके सापेक्ष 27.94 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता हुई। डी0ए0पी0 का 5 लाख मीट्रिक टन रखा गया था उपलब्धता हमको 7.40 लाख मी0 टन हुई। एन0पी0के0 का लक्ष्य 4 लाख मीट्रिक टन रखा गया था उपलब्धता हमको 4.51 लाख मीट्रिक टन हुई। एम0ओ0पी0 का लक्ष्य एक लाख मीट्रिक टन रखा गया था उपलब्धता 1.28 लाख मीट्रिक टन हुई। वर्ष 2008 का रबी की फसल का बता दूं। रबी में यूरिया 30 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता 33.62 लाख मीट्रिक टन हुई। डी0ए0पी0 10.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हुई 10.33 लाख मीट्रिक टन। एन0पी0के0 6.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हुई 6.17 लाख मीट्रिक टन। एम0ओ0पी0 मान्यवर, 1.5 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हुई 1.60 लाख मीट्रिक टन। यह मैंने वर्ष 2008 की खरीफ और रबी की बताई। अब मैं 2009 की बता दूं। 2009 में पहले मैं खरीफ की बता दूं। यूरिया का जो लक्ष्य रखा गया था वह 25 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हुई 25.73 लाख मीट्रिक टन। डी0ए0पी0 5.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हमको हुई 8.25 लाख मीट्रिक टन। मान्यवर, एन0पी0के0 का लक्ष्य

रखा गया 4 लाख मीट्रिक टन और उपलब्धता हमको हुई 3.6 लाख मीट्रिक टन। एम0ओ0पी0 1.35 लाख मीट्रिक टन रखा गया और उपलब्धता हमको हुई 1.16 लाख मीट्रिक टन। अब मैं रबी का आपको 2009-2010 का बताना चाह रहा हूं। मान्यवर, इसमें लक्ष्य रबी में यूरिया का 30 लाख मीट्रिक टन रखा गया और उपलब्धता हमको हुई 30.90 लाख मीट्रिक टन। डी0ए0पी0 11.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हमको हुई 10.60 लाख मीट्रिक टन। एन0पी0के0 4.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हुई 5.82 लाख मीट्रिक टन। एम0ओ0पी0 1.50 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उपलब्धता हुई 2.45 लाख मीट्रिक टन। अब मान्यवर, मौजूदा वर्ष का जो इन्होंने पूछा है आज तक की स्थिति मैं बता दूं। यह 8-8-2010 तक की मैं सूचना दे रहा हूं। इसमें यूरिया का जो लक्ष्य रखा गया वह 19 लाख मीट्रिक टन रखा गया और उसके सापेक्ष 18.15 लाख मीट्रिक टन हमको मिला है। मान्यवर, डी0ए0पी0 का 3.30 लाख मीट्रिक टन और उपलब्धता हमको हुई 5.58 लाख मीट्रिक टन, एन0पी0के0 का 2.44 लाख मीट्रिक टन रखा गया और उपलब्धता हमको हुई 4.92 लाख मीट्रिक टन। एम0ओ0पी0 में 0.83 लाख मीट्रिक टन रखा गया और उपलब्धता हुई 1.34 लाख मीट्रिक टन। अब इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि पूरे वर्ष के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना मिला। मैं यह भी बता दूं कोई भ्रांति न रहे, कोई संशय न रहे। बिल्कुल स्पष्ट बता दूं जो खरीफ के लिये बता दूं क्योंकि अभी रबी का जोनल प्लान नहीं बना जो भी निश्चित होता है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एवं उर्वरक तथा रसायन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान जोनल कान्फ्रेंस करके, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के भी अधिकारी उसमें रहते हैं तो उसमें तय होता है। अभी हमारे पास खरीफ का आया है, रबी का तय होना बाकी है। मान्यवर, खरीफ 2010 हेतु सम्पन्न जोनल कान्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो मांग की गई थी पहले मैं बता दूं और जो अनुमोदन हुआ वह मैं बाद में बता दूंगा। जो मांग की थी 26 लाख मीट्रिक टन यूरिया की थी, 6.50 लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 की, 4 लाख मीट्रिक टन एन0पी0के0 की, 1.50 लाख मीट्रिक टन एम0ओ0पी0 की थी जिसके सापेक्ष भारत सरकार ने जो अनुमोदित किया है वह मान्यवर, 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.50 लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0, 4 लाख मीट्रिक टन एन0पी0के0 और 1.40 लाख मीट्रिक टन एम0ओ0पी0 का लक्ष्य अनुमोदित किया है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये उससे एक मोटी सी बात हमारी समझ में आई कि जो अनुमोदित है उसके आंकड़े दिये आपने।

श्री अध्यक्ष-

आंकड़े ही तो मांगे हैं आपने।

डा0 अनिल चौधरी-

जी हां, आंकड़े मांगें और आंकड़े दिये इन्होंने। मेरा मानना यह है कि इन आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए एक बात स्पष्ट होती है कि जो हमारी डिमान्ड गई केन्द्र से उतना पूरा उर्वरक हमको मिला। आपने जो यह संख्याएं दी हैं उसी के हिसाब से लग रहा है कहीं-कहीं तो और

ज्यादा मिल गया है। पूरे सदन ने इस बात को सुना है, मैंने अकेले नहीं सुना है अध्यक्ष जी, भी सहमत होंगे आप खुद निगाह डाल लीजिए। लेकिन मेरा अनुपूरक इससे थोड़ा सा अलग है। मैं यह जानना चाहता हूं आप जब भी बजट प्रस्तुत करते हैं, मेरे क्षेत्र में आलू होता है, आप हर वर्ष आंकड़े बढ़ाकर बताते हैं इस वर्ष पैदावार इतनी हुई कल भी आपने सदन में बताया कि 120 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ अगले वर्ष के लिए हमने लक्ष्य रखा है 151 लाख मीट्रिक टन, आप हर वर्ष डिमाण्ड उतनी भेज रहे हैं फर्टिलाइजर की तो यह जो बढ़ाया गया फसल का उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, उसके लिए आप डिमाण्ड अगले वर्ष बढ़ाकर भेजेंगे तो अगर आप खाद ही नहीं बढ़ायेंगे तो उपज कैसे बढ़ेगी मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आगामी वर्ष के लिए और जो रवि सीजन आ रहा है उसके लिए अपनी डिमाण्ड को दस फीसदी या 20 फीसदी जो भी आपका लक्ष्य है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का, क्या उसको उसी अनुपात में खाद को भी बढ़ाकर भेजने का काम करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि जितना डिमाण्ड किया, उतना मिला, मैं फिर से पढ़ देता हूं यहां से जो जोनल कान्फ्रेन्सिंग में भेजा गया जो डिमाण्ड की गई, वह यूरिया की गई, वह 26 लाख मीट्रिक टन की गई और मिला 25 लाख मीट्रिक टन, आप कह रहे हैं उतना ही मिला। ऐसा नहीं है उसको समझिये, रिकार्ड उठाकर देखिए उतना नहीं मिला है। जहां तक आपका सवाल है जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से डिमाण्ड की जाती है और जोनल कान्फ्रेन्सिंग में जो आयोजन होता है जो मैंने बताया कि भारत सरकार के अधीन जो कृषि मंत्रालय है और उर्वरक और रसायन मंत्रालय है संयुक्त रूप से इसमें बैठकर फैसला लेता है तो हमें जो जरूरत है वह तो भेजते ही हैं वह भेज ही चुके हैं। (शोर)

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हम आपके माध्यम से जानना चाहता हैं कि केन्द्र से जो खाद आवंटित होती है प्रदेश में, को-आपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर में कितने प्रतिशत अलग-अलग दी जाती है। दूसरी बात जो प्राइवेट दुकानदार खाद को ब्लैक करते हैं या जमाखोरी करते हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही की है या करेगी ? तीसरी बात हमारी खाद जो नेपाल को तस्करी होकर जाती है ...

श्री अध्यक्ष-

इसका कई बार उत्तर आ चुका है।

श्री नरेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि नेपाल को जो तस्करी होकर खाद जाती है उसको रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही की है या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी यह जो एलाटमेंट पर भारत सरकार का ब्रेकअप आता है कि पी0सी0एफ0 का इतना है इतना को-आपरेटिव का है वह यह मांग रहे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह जो सहकारी संस्थाओं को दिया जाता है यह 35 से 70 परसेन्ट है और 30 से 35 परसेन्ट निजी संस्थाओं को दिया जाता है।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि डिमाण्ड के सापेक्ष कम खाद मिली है और खाद कम मिलने के कारण चाहे सहकारी समितियां हों या कहीं अन्य प्राइवेट दुकानों पर यह मानना पड़ेगा कि पिछले वर्ष यूरिया खाद बड़े पैमाने पर ब्लैक हुई डी0ए0पी0 खाद भी बड़े पैमाने पर ब्लैक हुई और किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वह भी समय से नहीं मिली और किसानों पर लाठियां चलीं मुकदमें लिखे गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद की कमी होने के कारण जो लाठियां पड़ी मुकदमें लिखे गये वह क्या वापस लेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यह खाद की बात कर रहे हैं या मुकदमें वापस लेने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने एक प्रश्न पूछा कि इस तरह से जो विगत वर्ष में हुआ है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

खाद की कमी की वजह से, किसानों को खाद पूरी मिलती तो मुकदमें नहीं लिखे जाते और अधिकांश माफियाओं ने और बिचौलियों ने खाद खरीदी उनको खाद की जरूरत नहीं थी इसकी वजह से भी कमी आई और पिटा बेचारा किसान, लाठी भी पड़ी और मुकदमें भी लिखे गये तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह मुकदमें वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, एक प्रश्न मा0 मंत्री जी के समक्ष आया कि क्या खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे, एक स्पेसिफिक प्रश्न था। आपने कहा कि विगत वर्ष में लाठी चार्ज हुआ, कहां हुआ, कितने मुकदमें हुए कि नहीं हुए, इसकी सूचना मा0 मंत्री जी के पास नहीं है, एथेंटिक कैसे कह सकते हैं कि वापस कर लेंगे।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री उदयराज आदि कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

किसानों का मामला है, सब जान रहे हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, जितना अच्छा नेता प्रतिपक्ष बतायेंगे, उससे अच्छा आप नहीं बता पायेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, खाद की समस्या के कारण ही किसानों पर मुकदमें लिखे गये, मा0 मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं, वह इसका उत्तर दे सकते हैं। यह किसानों से सम्बन्धित मामला है।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने डिमाण्ड का जो आंकड़ा दिया है, वह सारे जिलों से लिया गया होगा। जिलों में खाद की जो मांग है क्या उसके सापेक्ष जिलों में स्टोर का कोई इन्तजाम है ? सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि

जब खाद की मांग होती है, तब मौके पर खाद उपलब्ध नहीं होती, स्टोर की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जब खाद आती भी है तो सहकारी समिति वाले पीछे रह जाते हैं और प्राइवेट वाले पैसा देकर अपनी दुकान में ले जाते हैं जिससे प्रदेश का किसान प्रभावित होता है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टोर की क्या व्यवस्था है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

खाद स्टोर करने के लिए भण्डार बने हुए हैं, उसमें रखी जाती है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाह रही थी कि अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमें हुए, उसे वापस लेने के बारे में। मान्यवर, हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि कहां-कहां कितने लोगों पर मुकदमें दर्ज हुए, एक नीतिगत मामला है कि जो मुकदमें दर्ज हुए हैं क्या मा0 मंत्री जी उन्हें वापस लेंगे, यही मैं पूछ रही थी ? मान्यवर, चूंकि मा0 मंत्री जी ने कहा कि 2009 का डी0ए0पी0 का जो लक्ष्य रखा गया था वह 5.05 लाख मीट्रिक टन था और उपलब्धता लगभग 8 लाख मीट्रिक टन थी तो लक्ष्य से बढ़कर उनको डी0ए0पी0 की उपलब्धता थी उसके बावजूद हमारे जनपद गाजीपुर में किसानों को डी0ए0पी0 नहीं मिल पायी। दिन-दिन भर किसान केन्द्रों पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें डी0ए0पी0 नहीं मिल पायी। आज भी खाद की किल्लत है, यूरिया की किल्लत है तो सवाल यह है कि जब उपलब्धता मांग से ज्यादा थी तो इसका मतलब यह कि कहीं न कहीं बीच में गड़बड़ है तो हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में खाद की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए मा0 मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो कदम उठाये गये हैं, वह मैं बता देना चाहता हूं। मान्यवर, मुख्य सचिव के द्वारा एक शासनादेश 23 मार्च, 2010 को जारी किया है, सभी को खाद मिल जाए इसलिए जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार पहली बार स्टाक बोर्ड बनाये गये हैं जो बिक्री केन्द्र होंगे जहां से सप्लाई होगी वहां पर स्टाक बोर्ड बनाया गया है उसमें यह होगा कि उपलब्धता क्या है और उसमें बिक्री दर भी लिखेंगे, कहीं ऐसा न हो कि कोई ज्यादा पैसा न ले ले। मान्यवर, इसके अलावा जो पहली बार व्यवस्था की गयी है वह यह है कि उर्वरकों के क्रेता, कृषकों की पहचान विवरण कैश मेमो में अंकित किया जाय। यह निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा पहचान-पत्र, राशन कार्ड, जोतबही, निर्वाचन पहचान-पत्र, बैंक पास बुक अथवा इस प्रकार के अन्य अभिलेख जिसके आधार पर कृषक की पहचान सुनिश्चित हो सके कि यह फर्लॉ व्यक्ति ही ले जा रहा है। जब पात्र व्यक्ति ही खाद ले जाएगा तो तस्करी कहां से होगी। वह किसान उस खाद को अपने खेत में ही तो डालेगा, तस्करी करने थोड़ी जाएगा। मान्यवर, सबको खाद मिल सके तो उसके लिए यह व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा अभी मैं बता चुका हूं कि अधिक रेट पर न बेचा जाये इसके लिए एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है। एफ0आई0आर0 दर्ज करने का उसमें पूरा प्राविधान किया गया है। इसके अलावा जो स्मगलिंग की बात की है तो मान्यवर, मैंने उसी दिन बता दिया था कि नेपाल सीमा से 10 कि0मी0 में लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का एरिया

है। वहां निजी क्षेत्रों द्वारा जो खाद बेची जाती थी उस पर रोक लगा दी गयी है, अब वहां पर पी0सी0एफ0 सहकारिता के द्वारा ही खाद बेची जाएगी। तो मान्यवर, इस तरीके की व्यवस्था की गयी है अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मेरे जिले में को-आपरेटिव बैंक भी बन्द हैं और सभी समितियां भी भंग हैं और डी0ए0पी0 केवल को-आपरेटिव के माध्यम से वितरित होती है। परिणाम यह है कि समिति के नाम तो है लेकिन वहां व्यक्ति को लाइसेन्स दे दिया जाता है क्योंकि समितियों के पास न तो बैंक है ताकि वह पैसा दे, परिणाम यह है कि यह व्यक्ति खाद लेते हैं और सीधे इसको ब्लैक करके बाहर भेजते हैं, इस कारण से किसानों को खाद नहीं मिल पाती है। किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए वह समितियां जो किसानों से एडवांस पैसा लेकर खाद लाना चाहती है क्या उनको आप अधिकृत करने का कष्ट करेंगे ? पिछली बार मैंने ट्रायल भी कराया, जिन किसानों को जितनी खाद लेनी थी उन किसानों को उतना पैसा एडवांस जमा करा दिया और सोसायटी वाले खाद लाये और उनको उतना खाद दे दिया। इससे ब्लैक या बाहर सप्लाई करने की बात अपने आप रुक जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें कि व्यक्ति विशेष को न मिलकर के को-आपरेटिव के नाम पर जो दूसरे लोग लेते हैं, तो यह को-आपरेटिव को ही मिले।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, को-आपरेटिव की व्यवस्था है तो को-आपरेटिव को ही दी जाएगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, व्यक्ति के नाम से लाइसेन्स बनता है वह लाता है, बेचता है। को-आपरेटिव को तो पैसा ही नहीं दिया जाता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए गत वर्ष 2009-10 में जो डी0ए0पी0 प्रदेश को प्राप्त हुयी थी क्योंकि उसमें भी अनेक सदस्यों ने शंका जाहिर की थी कि लाइन लगी है या नहीं मिली है तो कृषि उत्पादन बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ऐसी कोई कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजने का काम करेगी कि 20 या 30 प्रतिशत डी0ए0पी0 इस वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष से ज्यादा प्रदेश को प्राप्त हो जाये ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर देख लें। मान्यवर, पहली बार यह व्यवस्था की है कि प्रदेश शासन द्वारा पी0सी0एफ0 को नोडल एजेन्सी नामित करते हुए 7.00 लाख मी0 टन फास्फेटिक उर्वरकों की रबी 2010-2011 हेतु प्रीपोजिशनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं एवं इसके वांछित भण्डारण शुल्क का वहन तथा ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है।

मान्यवर, पहली बार लगभग 75 करोड़ रुपया ब्याज सरकार दे रही है कि पहले से भण्डारण कर लिया जाये। होता यह है कि दूसरे प्रान्त से लोग, पंजाब है जैसे वहां पर हमारे प्रदेश से पहले रबी की बुआई शुरू हो जाती है। वे अक्टूबर में शुरू करते हैं, हमारे यहां नवम्बर-दिसम्बर में शुरू करते हैं तो जब वे पहले बुआई शुरू कर देते हैं, चलिये मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूं, अब ये उठक-बैठक कर रहे हैं तो मैं ही बैठ जाता हूं, इनको कष्ट काहे को हो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो हम मा0 मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि खाद के ब्लैक को रोकने की इच्छा है कि नहीं। अगर ब्लैक रोकने की इच्छा है तो किसानों को एक एकड़ पर कम से कम वैसे तो 5 बोरी देना चाहिए था, एक एकड़ पर पांच बोरी देंगे। इतना ही बता दें, डी0ए0पी0 और यूरिया दोनों और पिछले साल मा0 अध्यक्ष जी, यूरिया आज तक के इतिहास में कभी ब्लैक नहीं हुयी थी, पिछले वर्ष यूरिया खाद भी बड़े पैमाने पर ब्लैक हुयी है और डी0ए0पी0 भी ब्लैक हुयी है और मा0 अध्यक्ष जी एक और बात कहूंगा कि मान्यवर, जैविक खाद के लिये ढेंचा का बीज बहुत जरूरी होता है, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ....

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, ये बीज की बात कर रहे हैं कि खाद की बात कर रहे हैं। ये इटावा से चलते-चलते सिद्धार्थनगर पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब तो मान्यवर, वही है कि मुझे जाना है दिल्ली, मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, दिल्ली का टिकट ले लिया और बैठ गया हावड़ा वाली ट्रेन में और ऊपर वाले से कह रहा हूं कि मुझे दिल्ली पहुंचा दो। आप बताइये। मैं दिल्ली पहुंचूंगा कि हावड़ा पहुंचूंगा। मान्यवर, मैं न दिल्ली पहुंचूंगा न हावड़ा पहुंचूंगा और बिना टिकट पकड़ जाऊंगा। वही इनके साथ हुआ है।

(सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, जैविक खाद के बारे में भी एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको तो पता ही होगा कि ढेंचा कहीं खाने के काम तो आता नहीं है। ढेंचा तो खाद के ही काम आता है। आता है कि नहीं आता है, आप बतायें। इन्हें यही पता नहीं है कि ढेंचा खाद के काम आता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मूल प्रश्न पढ़ लीजिये। मूल प्रश्न के अनुरूप अनुपूरक हो रहा है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या एक एकड़ पर 5 बोरी डी0ए0पी0 दिलवायेंगे। इतना ही बता दें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मुझे तो अब शंका होने लगी है कि सचमुच ये किसान के बेटे हैं या नहीं हैं। अरे भाई, एक एकड़ में पांच बोरी कहां डालेंगे और ये यूरिया की भी बात कर रहे हैं, अगर एक

एकड़ में 5 बोरी यूरिया डाल दी जायेगी तो खेत और भूमि की उर्वरक शक्ति ही खत्म हो जायेगी। इसलिये मान्यवर, ये इनको नहीं तय करना है, यह तो मृदा परीक्षण में तय होता है कि इस भूमि के लिये इस जमीन के लिये, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिये कितनी आवश्यकता है ? अगर ये इसकी बात करेंगे तो ठीक है, हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ये बता रहे हैं कि करायेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम को रोकने हेतु प्रभावी कार्य योजना लागू करने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या से आनुपातिक अन्तर लगातार बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा अवस्थापना विकास, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जी नहीं।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 876 स्त्रियां थीं, जिनकी संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 898 हो गयी है।

इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम पूर्व से ही लागू है।

लिंग परीक्षण रोकथाम हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 व अवैध भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 प्रदेश में लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो कुछ भी प्रयास हो रहा है, वह नाकाफी है और इसीलिए अन्तर बढ़ता जा रहा है, एक आंकड़ा दे दिया गया है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह अन्तर घटा है लेकिन वर्ष 2001 के बाद की जनगणना अगर की जाये तो निश्चित रूप से यह अन्तर बढ़ा हुआ दिखायी देगा, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो कुछ भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम पूर्व से ही लागू है, इसके क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार क्या करती है ? उसकी क्या मॉनीटरिंग करती है, यदि उसका उल्लंघन हो रहा है तो राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की जाती है, अथवा नहीं की जाती है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, यह कानून प्रदेश में लागू है और प्रभावी ढंग से लागू है। इसके अन्तर्गत कार्यवाही भी की गयी है। अब तक 7421 निरीक्षण किये गये हैं जिसमें से 428 केन्द्रों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, इसके अन्तर्गत जो सजा का प्राविधान है वह यह है कि प्रथम बार अपराध की दशा में 3 वर्ष तक की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना तथा अगर वह दोबारा अपराध करते हुए पाया जाता है तो 5 वर्ष तक की सजा और एक लाख तक का जुर्माना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जो उत्तर आया है उससे यह अनुपूरक मुझे यह करना है कि यह जो आपने अन्तर बताया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार यानि अपराध की गम्भीरता बढ़ती जाती है तो क्या दूसरी बार किसी को आपने यह ऑफेन्स करते हुए पाया है, क्या तीसरी बार आपने किसी को यह ऑफेन्स करते हुए पाया और यदि पाया तो आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष-

जब कोई अपराध ही नहीं घटा तो उसकी सूचना कहां से लायेंगे ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आपकी बात समझ में आ गयी है। मंत्री जी ने बताया है कि यदि प्रथम बार कोई अपराध करता है तो इतनी सजा है, दूसरी बार उसी नेचर का अपराध करता है तो इतनी सजा मिलेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी तो क्या यह मान लिया जाए कि दूसरी बार किसी ने ऐसा नहीं किया, यानि वह सुधर गया। ऐसा भी होता है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

सुधरने के लिए सबको मौका मिलता है, आप भी सुधर सकते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इस ऐक्ट के अनुपालन में प्रत्येक राज्य को एक राज्य सलाहकार समिति का गठन करना था, जिसे उन सारी एप्रोप्रियेट अथॉरिटियों को जो अपने दायित्वों को निर्वहन न करें, उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी थी या उस ऐक्ट के अनुपालन में जो-जो कमियां परिलक्षित हो रही हैं, उसके बारे में केन्द्र सरकार को सूचना देना था। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है ? क्या किसी एप्रोप्रियेट अथॉरिटी को उसकी लापरवाही को लेकर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है ? क्या इस ऐक्ट और उसके

अनुपालन में कमियों को पाते हुए केन्द्र सरकार को कोई सूचना दी गयी है अथवा नहीं ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जैसा मैंने पिछली बार सदन में कहा था कि 'हत्या पेट के अन्दर हो या हत्या पेट के बाहर हो, हत्या, हत्या है, और उसके ऊपर हत्या के प्राविधान लगाये जाने चाहिए।' इस ऐक्ट में जो सजा निर्धारित की गयी है, जैसाकि स्वयं मंत्री जी ने कहा कि 3 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना, यह ठीक है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के किसी भी कानून के होने के बावजूद क्या राज्य सरकार अगर चाहती है तो क्या कोई कानून बना सकती है या उस कानून में उत्तर प्रदेश के लिए कोई परिवर्तन कर सकती है ? क्या मा0 मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि इन हत्याओं को, मैं इन्हें हत्याओं की ही संज्ञा दूंगा, इनको रोकने के लिए एन0डी0पी0सी0 ऐक्ट के प्राविधानों को और कड़ा करते हुए दोषी व्यक्तियों को कम से कम 7 साल की सजा दी जाए, इसकी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ? मान्यवर, श्री अग्रवाल साहब ने अभी यह जानना चाहा है कि स्टेट लेविल पर जो एक एडवाइजरी कमेटी का गठन होना था, वह हुआ है या नहीं वह तो हो गया है, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उस कमेटी का गठन हो गया है और 4-5 बैठकें भी हो गई हैं और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उसका गठन कर दिया गया है और मान्यवर, जो कानून है वह पहले से पर्याप्त है और उस पर सख्त कार्यवाही की जा रही है और 7421 छापे मारे गये, 428 जो अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र हैं जहां पर यह काम होता है इनको लेकर जहां से शिकायतें आई थीं तो 428 हैं, उनको सीज किया गया है और काफी मुकदमें न्यायालय में भी हैं अभी हमारे श्यामदेव काका पूछ रहे हैं उनको बता रहा हूं, जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में है और अभी हम महीने की लास्ट में एक अभियान चला रहे हैं, माननीया मुख्य मंत्री जी भी बहुत गम्भीर हैं इस भ्रूण हत्या पर उन्होंने भी इसमें निर्देशित किया है महीने के आखिरी में एक अभियान चला करके एक हफ्ते का, जितने भी ऐसे केन्द्र हैं, उनको रोकेंगे, उनको चेक करेंगे उनकी निगरानी करेंगे जहां से भी ऐसी शिकायतें आयेंगी उन पर कार्यवाही की जायेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अगर यह इतने प्रभावी हैं, 1994 से ऐक्ट लागू है, 1996 में इसका रूल बना, 2002 में इसका संशोधन ऐक्ट बना। माननीय मंत्री जी यही बता दें कि इस ऐक्ट के तहत क्या इस प्रदेश में किसी भी इस प्रकार की जांच करने वाले किसी भी चिकित्सक को या उसकी कम्पनी क्लीनिक के मालिक को किसी को भी क्या जेल भेजा गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस ऐक्ट के तहत आपने अब कितने छापे डाले, कितने मामले न्यायालय में लम्बित हैं, कितने लोगों को सजा हुई है, इसी परिप्रेक्ष्य में तो अभी इन्होंने बताया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि अगर इस प्रकार की प्रभावी कार्यवाहियां हो रही होतीं तो 400 क्लीनिक तो आपको लखनऊ में ही मिल जायेंगी यह काम करते हुए। हजारों-हजार की संख्या में सब जानते हैं कि यह काम हो रहा है चारों ओर, इस ऐक्ट का

प्रभावी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी चिकित्सक को इस अपराध के कारण जेल भेजा गया है, आज तक ?

श्री अध्यक्ष-

अब किसी चिकित्सक को जेल भेजा गया या नहीं भेजा गया यह अलग का विषय है। अब यह सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है तो डा0 साहब यह नहीं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जब तक इस ऐक्ट के तहत इनको जेल नहीं भेजा जायेगा तब तक यह काम रुकेगा कैसे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं मान रहा हूं इस बात को, आपका सुझाव सही है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं और मैं इस बात को कह रहा हूं यह हत्या है, यह रुकनी चाहिए।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक 37 मुकदमें न्यायालय में लम्बित हैं, 01 हरदोई में, मेरठ में 12, गाजियाबाद में 03, बागपत में 02, आगरा में 04, सहारनपुर में 03, वाराणसी में 02, लखनऊ में 05, गौतमबुद्धनगर में 03, मुरादाबाद में 01, सीतापुर में 01 गोरखपुर का भी 01 तो गोरखपुर में हम दिखवा लेंगे।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या इस ऐक्ट के तहत सिर्फ चिकित्सक ही दोषी हैं जो आदमी, पति-पत्नी इस ऐक्ट के तहत लिंग परीक्षण के लिए आते हैं क्या इस ऐक्ट में उनके लिए भी कोई दोष का प्राविधान है क्योंकि यदि हम पूरे समाज के अन्दर इन लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि वह लिंग परीक्षण के लिये जायें ही नहीं तो हम सिर्फ एक पक्ष पर कार्यवाही करके उसको दण्ड दिलाने से इस ऐक्ट के प्राविधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी इस ऐक्ट के तहत जाता है। लिंग परीक्षण कराने के लिए उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होना चाहिए और ऐसा ऐक्ट में प्राविधान होना चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए कोई ऐक्ट बनायेगी, इसमें कोई प्राविधान करेगी, कोई अध्यादेश लायेगी, कुछ इस तरह की कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी। मेरे हिसाब से तो इसमें प्राविधान होना चाहिए क्योंकि इस हत्या की जिम्मेदारी उस माता-पिता के ऊपर भी है जो इस लिंग परीक्षण के लिए किसी क्लीनिक के अन्दर जाते हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है जैसा डा0 राजेन्द्र सिंह जी ने पूछा, उसका प्राविधान है। महिला के प्रति उसमें थोड़ी छूट है यह मानते हुए कि उन्हें इसमें कम्पैल करके लाया जा रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, अभी यह जानकारी दी गयी है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कमेटी में कौन-कौन सदस्य होते हैं और क्या उसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी रखे जाते हैं ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मान्यवर, अभी हमारे विधायक जी पूछ रहे थे कि क्या माता-पिता को भी सजा का प्राविधान है। मान्यवर, जितना डाक्टर को है उतना माता-पिता को है पहले से प्राविधान है इसमें। यह सफिशियेट है इसमें दोनों पर कार्यवाही की जाती है डाक्टर पर भी और माता-पिता पर भी। दूसरे जो माननीय चौधरी साहब पूछ रहे थे कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है उसमें कौन सम्मिलित है। मान्यवर, उसमें जिलाधिकारी होते हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं एन0जी0ओ0 वगैरह तो उनके भी लोग होते हैं। यह प्राविधान है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तीन से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक लगाये जाने की मांग

*1-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत होने वाले चुनावों में ऐसे व्यक्ति जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं, को चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष-

आप जान कहां से गये थे। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आज इस सत्र के बाद हम जब दुबारा यहां बैठेंगे तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो पंचायतों का चुनाव है उसके बाद ही बैठेंगे। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत होने वाले चुनावों में ऐसे व्यक्ति जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं को चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर सरकार विचार करेगी। उत्तर आया है जी नहीं। जबकि कई जगह ऐसा प्राविधान है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। मेरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि इससे चुनावों में एक मानसिक दबाव की बात है।

आप सदन को नियंत्रित करायें।

श्री अध्यक्ष-

सब उस सीमा को पार कर गये हैं इसलिए बोल रहे हैं। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। वैसे तो इसे विधान सभा के चुनावों में भी लागू होना चाहिए परन्तु वह प्राविधान भारत सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में तो इसे हम लागू करा सकते हैं यह सरकार का अधिकार है। मान्यवर, इसका कारण है कि जनसंख्या बढ़ोत्तरी 25 प्रतिशत से अधिक है जो नयी जनगणना रिपोर्ट आने वाली है उसमें पांच प्रतिशत अर्थात् लगभग 5 करोड़ लोग और बढ़ने वाले हैं। मैं इसलिए इसे चाहता हूं कि यह लागू हो ताकि एक मानसिक दबाव पड़े। जिनके तीन से अधिक बच्चे हों उन्हें इसमें चुनाव लड़ने से रोका जाय इससे जनसंख्या वृद्धि पर असर पड़ेगा। मान्यवर, जब जनसंख्या बढ़ रही हो, खाद्यान्न कम हो रहा हो, जमीनें कम हो रही हों, तो ऐसी बातें सोचनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप पूरक प्रश्न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, पूरक प्रश्न तो तब करें जब उत्तर अच्छा आया हो हर जगह लिख दिया है। जी नहीं, जी नहीं। यह गम्भीर बात है इस पर सबको विचार करना चाहिये। आप इस सम्बन्ध में अपनी पीठ से निर्देश देने का काम भी करें और आने वाले चुनावों में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाय जिनके तीन से अधिक बच्चे हों। इससे यहां की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप ही लोग गम्भीर हो जायें बिना कानून बनाये ही तो अच्छा हो जाय। (हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या सरकार इस चुनाव में इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे लोगों के चुनाव पर रोक लगाने के सम्बन्ध में पुनः विचार करेगी ?

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कई प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था लागू भी की गयी जो सिरोही साहब ने कहा लेकिन मुझे इस बात का संशय है कि कई प्रदेशों में इस तरह की मांग आई और कई प्रदेशों ने यह कार्य करने का काम भी किया कि पंचायतों में आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था की कि दो से अधिक बच्चे जिनके होंगे उनको रोक लगाने का काम होगा लेकिन तीन की बात पूरे देश में कहीं नहीं आई है तीन की बात खाली सिरोही साहब लेकर आये हैं इसलिए कहीं कुछ संशय है। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि अगर इस तरह से किसी उस पर विचार करने का काम सरकार करे तो एक बच्चे का प्राविधान करे न कि तीन का। एक पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठ जायें।

शादाब जी आप बतायें आप सही-सही बतायेंगीं। (हंसी)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

शांत हो जाइये, शांत हो जाइये पता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से हंसते हैं और हंसने में जिन्दगी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसलिए कहा कि माननीय सिरोही जी ने बहुत ही गम्भीर समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। हम यह अनुमान लगाते हैं, हम यह उम्मीद करते हैं कि इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वह जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि लगभग हर प्रतिनिधि 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने यहां पर आया है लेकिन ऐसा लगा नहीं, वह गम्भीरता दिखी नहीं बल्कि सदन में मैं विद्रूप शब्द इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हूं यह विद्रूप हास्य है, हंसना बुरा नहीं है लेकिन सवाल यह है माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कह रही हूं कि उस समय ऐसा नहीं लगा कि यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। बल्कि ऐसा लगा कि हम किसी इण्टर कालेज या यूनिवर्सिटी के उसमें बैठे हों जहां पर इस तरह की बात हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हंस तो बहुत लोग रहे हैं, हंसना क्या है, समस्या बहुत गम्भीर है ? माननीय अध्यक्ष जी, समस्या गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

गम्भीर है, हम भी समझ रहे हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सवा अरब पर पहुंच गये तो आखिर सवाल यह है कि संसाधन सीमित हैं कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है और कोई वोट के लालच में चले कोई किसी बात में चले लेकिन कोई सोचता क्यों नहीं कि 50 साल के बाद हम आने वाली नस्लों को क्या दे करके जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, अनुपूरक यह है कि हम लोग समझते हैं कि इसको नियंत्रण में करने के लिए क्योंकि जनसंख्या के कारण प्रदेश के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और स्थिति वह आयेगी भुखमरी की स्थिति आ गयी है, इसलिए उसको रोकने के लिये क्या माननीय मंत्री जी जो यह प्रस्ताव था उसको स्वीकार करेंगे या नहीं ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जवाब तो आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

'जी नहीं' जवाब आ गया है। उत्तर आ गया है 'जी नहीं'।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी मेरा प्रश्न ही नहीं हुआ यह उत्तर कहां से आ गया। अभी मेरा प्रश्न ही नहीं हुआ यह तो उनका उत्तर आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सदन है और यहां बैठे सभी लोग गम्भीर किस्म के लोग हैं लेकिन लोकतंत्र और संसदीय परम्पराओं में हास-परिहास होता ही रहता है तो उस पर इतनी कड़ी आपत्ति नहीं जाहिर होनी चाहिए चलता रहता है, चलता रहता है। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देना तो बहुत आसान है कि पंचायत चुनाव में दो से ऊपर वाले या तीन से ऊपर वाले, इन्होंने जो बात कही है यह सच बात है कि हम दो हमारे दो का नारा तो सुना था लेकिन हम तीन और हमारे तीन का नारा देने वाले सिरोही जी यह कहां से तीसरा निकाला और इसमें कौन-कौन तीसरा है इसकी भी जानकारी कर लें। मेरा एक सुझाव है कि अगर इसको लागू ही करना है तो अध्यक्ष की पीठ को अलग कर दिया जाय, अध्यक्ष को विवाद में नहीं डालना चाहता। मान्यवर, अध्यक्ष को बाहर रखा जाय, अगर इसको करना है तो ऊपर से लागू किया जाये और महामहिम राज्यपाल, मा0 मुख्य मंत्री और मा0 अध्यक्ष, यह तीनों इससे बाहर रहें। मान्यवर, इसे मंत्रि-परिषद् पर सबसे पहले लागू करने का निर्णय लिया जाय कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों वह स्वयंमेव त्याग-पत्र देकर और जिनके नहीं हैं अगर उधर बिल्कुल नहीं वाले हैं तो इधर से भी एक-आध जा सकते हैं। मान्यवर, यह जो सुझाव आया है क्या इसे विधायिका पर भी लागू करने पर मा0 मंत्री जी विचार करेंगे ? इनके दो हैं इसलिए इन्हीं से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

सबका सुझाव सही है, सभी को आबादी की चिन्ता है, इसे रोकने के लिये इन्होंने एक सुझाव दिया है लेकिन प्रश्न का उत्तर स्पष्ट आ गया कि जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण बनता नहीं है।

तारांकित प्रश्न

मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन की मांग

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की क्या नीति है तथा इस पर अमल कब से शुरू हो जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मांग के अनुरूप विद्युत का उत्पादन कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

विद्युत क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ऊर्जा नीति 2009 बनायी गयी है और इस पर अमल प्रारम्भ कर दिया गया है।

विद्युत की मांग के अनुसार वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले आप हमारे प्रश्न का प्रथम पार्ट देख लें और उत्तर देख लें। मैंने प्रश्न किया था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की क्या नीति है हमने यह नहीं पूछा कि नीति कब की है और जवाब आया है कि विद्युत क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ऊर्जा नीति, 2009 बनायी गयी है। मान्यवर, हमने तो नीति पूछी थी और आपने वर्ष बता दिया और नीति सामने नहीं आयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिन जनपदों में थर्मल पावर स्टेशन दिये गये हैं उन जनपदों की मिट्टी, पानी का इस्तेमाल होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। क्या मा0 मंत्री जी नयी ऊर्जा नीति में इस बात पर विचार करेंगे कि जिन जनपदों में थर्मल पावर प्लांट लगें उन जनपदों को वहां की मिट्टी, पानी और प्रदूषण के बदले में मूल्य देकर कुछ अतिरिक्त विद्युत सप्लाई करने पर विचार करेंगे ? मान्यवर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि नयी ऊर्जा नीति में ट्रांसफारमर बदलने की तथा जर्जर तार बदलने की क्या नीति है ? यह दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं , कृपा करके उत्तर दिलवा दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, माननीय खन्ना साहब ने जिन जनपदों में थर्मल पावर प्लांट लगाये जा रहे हैं उन जनपदों को अलग से अतिरिक्त विद्युत देने की बात कही है, मान्यवर, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उनको अलग से कुछ बिजली मिले। मान्यवर, हम तो वर्ष 2014 तक पूरे प्रदेश को 24 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया है कि नयी ऊर्जा नीति में जर्जर तार और ट्रांसफारमर बदलने की क्या नीति है, मान्यवर, हम जर्जर तार भी बदल रहे हैं और ट्रांसफारमर भी बदलने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, 10 हजार मेगावाट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है जबकि 3 हजार मेगावाट भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जबकि हिंडालको का 40 साल पुराना थर्मल जनरेशन पावर स्टेशन है उसमें आज भी शत-प्रतिशत जनरेशन हो रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर 40 साल पुराना प्लांट शत-प्रतिशत जनरेशन कर रहा है और नये प्लांट 40-50 प्रतिशत भी जनरेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या मा0 मंत्री जी उस पर कुछ ऐक्शन लेंगे ? यदि वह थर्मल पावर प्लांट 80 प्रतिशत उत्पादन करें तो ऊर्जा की कमी आज ही पूरी हो जायेगी।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है उत्तर प्रदेश की, वह मात्र 4 हजार मेगावाट है जिससे हमें 2500 से 3000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध हो पाती है। जहां तक हिन्डालको का प्रश्न है वह एन0टी0पी0सी0 का है। लेकिन जो हमारे पावर हाउस हैं जो हमारी माननीय बहन जी ने वर्ष 2002 में पारीछा में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें लगाई थीं, उनसे मान्यवर, 80 से 90 प्रतिशत तक बिजली मिल रही है।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, मंत्री जी 4 हजार मेगावाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी बता रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार आज की तारीख में भी इनकी 10 हजार मेगावाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी है। उसके लिये अगर आप चाहें तो आंकड़े भी दे सकता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जिस प्रकार एन0टी0पी0सी0 किसी स्टेट को जब कोई थर्मल पावर स्टेशन देती है तो निश्चित रूप से उस स्टेट को अतिरिक्त ऊर्जा भी देती है तो उसी तर्ज पर माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिस जनपद का पानी लेंगे, मिट्टी लेंगे और वहां प्रदूषण देंगे। हमारे जनपद को मान्यवर, तपन, जलन, राख और प्रदूषण सब मिल रहा है। लेकिन अतिरिक्त बिजली नहीं मिल रही है। हम तो मूल्य देकर बिजली लेना चाहते हैं, फ्री में नहीं चाहते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उस जनपद को जहां पर थर्मल पावर यूनिट दी जाय तो उसको अतिरिक्त बिजली देने पर विचार कर लें और दूसरी बात ट्रांसफारमर बदलने की नीति में पहले 72 घण्टे में ट्रांसफारमर बदला जाता था, लेकिन इस नियम का, इस शासनादेश का कहीं पालन नहीं होता है। ग्राउन्ड रियलिटी यह है कि 15 दिन, महीने भर, दो महीने तक ट्रांसफारमर फुंका पड़ा रहता है। मान्यवर, आबादी बढ़ रही है और ट्रांसफारमरों की बड़ी क्षमता चाहिये। छोटी क्षमता का ट्रांसफारमर लगाया जाता है और वह फुंक जाता है। तो मान्यवर, बड़ी क्षमता का ट्रांसफारमर समय पर उपलब्ध हो और जर्जर तार बदले जायें तो उसके लिये माननीय मंत्री जी कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे कि इतने घण्टे में ट्रांसफारमर बदल जाय तो जर्जर तार कब तक बदल जायेंगे ? मान्यवर, इन प्रश्नों का समुचित उत्तर दिलवा दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। ट्रांसफारमर की गुणवत्ता पर हमने विशेष ध्यान दिया है और उनको दो साल गारन्टी की भी बात कही है जो ट्रांसफारमर कम्पनियां हैं, अगर दो साल से पहले ट्रांसफारमर जल जाता है तो जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। जहां तक जर्जर तार बदले जाने की बात है तो वह हमारी कार्य योजना है, अगर यह कहीं का चाहते हैं तो लिखकर दे दें, हम बदलवा देंगे।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 72 घण्टे में ट्रांसफारमर बदले जाने की बात कही है, माननीय मंत्री जी ने यह भी आश्वस्त किया है कि जिस कम्पनी से वह बनकर आया है, यदि खराब हो गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि ट्रांसफारमर देर से तो लगता ही है और जितनी देर के लिये भी लगता है, उसके एक-दो घण्टे चलने के बाद ही ट्रांसफारमर उड़ जाते हैं चाहे किसानों के ट्रांसफारमर हों और चाहे सामान्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के हों। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनी के अतिरिक्त विभाग के ऐसे अधिकारी जो भी इन घटिया ट्रांसफारमरों को बनवाने के लिये कमीशनखोरी के लिये, ऐसा काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी जो ऐसे घटिया ट्रांसफारमर बनवाने में सम्मिलित हैं ? मैं अपने रायबरेली जनपद का विशेषकर उदाहरण दे सकता हूं जहां पर कई जगह ट्रांसफारमर लगाये गये और वह एक-दो घण्टे में ही उड़ गये तो ऐसे मामलों में माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

कोई कम्पनी ट्रांसफारमर बना रही है तो उसमें अधिकारियों का इन्वाल्वमेंट कहां रहता है इसके बारे में माननीय मंत्री जी कहां से बतायेंगे ?

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, बहुत सी जगहों पर ट्रांसफारमर स्थानीय स्तर पर बनवाया जाता है यही बता दें कि क्या सारे ट्रांसफारमर कम्पनियों से या एजेन्सियों से ही बनवाये जाते हैं ? मैं जानता हूं कि बहुत से जनपदों में भी बनवाये जाते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, जो कम्पनियां ट्रांसफार्मर सप्लाई करती हैं, यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। यदि माननीय सदस्य कहीं के बारे में विशेष रूप से बतायेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हर सवाल के जवाब में 2014 का सब्जबाग दिखाते हैं, 2014 तक यह हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2012 तक जब तक इस सरकार का कार्यकाल है, ऊर्जा के क्षेत्र में इस प्रदेश की वास्तविक रूप से स्थिति क्या होगी, क्या यह सरकार बताने की स्थिति में है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 अग्रवाल साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। 60 साल में मात्र 4000 मेगावाट का उत्पादन हुआ है और भारत सरकार में जो हमारा साझा है वह 3900 से 4000 मेगावाट का है, वहां से हमें 3500 से 4000 मेगावाट बिजली मिलती है। इस तरह से मात्र 6500 से 7000 मेगावाट बिजली मिल पाती है जबकि डिमाण्ड 10,000 मेगावाट की पहुंच जाती है। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी नेता आदरणीय बहिन कु0 मायावती जी ने उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो जाए, इसके लिये ग्यारहवीं व बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है। जहां तक अग्रवाल साहब ने जो पूछा है 500 मेगावाट बिजली मई, 2011 से पारीक्षा से मिलने लगेगी, हरदुआगंज से 500 मेगावाट दिसम्बर, 2010 तक, अनपरा सी से 1100 मेगावाट बिजली जुलाई, 2011 तक, अनपरा डी से 1000 मेगावाट मार्च, 2012 तक, रोजा से 600 मेगावाट 2010 से शुरू हो गई है। बजाज हिन्दुस्तान से 200 मेगावाट बिजली जनवरी, 2012 तक व श्रीनगर से 330 मेगावाट बिजली मार्च, 2012 तक मिलने लगेगी। फेज वन में हम बिडिंग करने जा रहे हैं इसमें हमको मार्च, 2012 तक 2000 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस तरह से करीब 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मार्च, 2012 तक हमारा बढ़ जायेगा। जो आज की तारीख से 2012 तक लगभग दो गुना हो जायेगा और मैं समझता हूं कम से कम 20 घण्टे बिजली किसानों को 2012 से मिलने लगेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दो बातें कही हैं। पहले कहा कि 10,000 मेगावाट की जरूरत है, कुल मिलाकर करीब-करीब पौने 7000 मेगावाट मिल जाता है, इस नाते कटौती होती है। आप यह भी बता रहे हैं कि 2012 तक आते-आते आपने 7000 मेगावाट कहा और गिनवाया 5700 मेगावाट, मैं उसी को मान लेता हूं। अगर 5700 मेगावाट ही मिल जायेगा तो आपकी सारी कमी दूर हो जायेगी। क्या आप सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि 2012 में यह प्रदेश बिजली कटौती से मुक्त हो जायेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैंने कम से कम 20 घण्टे की बात कही है। इस सदन को बहिन कु0 मायावती जी को धन्यवाद देना चाहिये कि 60 वर्षों में 4000 मेगावाट और 5 साल में 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ने जा रहा है। मैंने तिथिवार और महीना भी बताया कि इस महीने इतना उत्पादन बढ़ जायेगा। मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हरदुआगंज, अलीगढ़, पारीक्षा, अनपारा डी, बारा, करछना, मेजा व बजाज हिन्दुस्तान में आप सब देख सकते हैं, इन सभी जगहों पर काम चल रहा है और युद्धस्तर पर चल रहा है और केवल कागजों पर ही नहीं धरातल पर काम चल रहा है तथा वर्ष 2014 तक 24 घण्टे बिजली पूरे प्रदेश को मिलेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ट्रान्सफार्मर फुंकने की बात आई मंत्री जी ने बताया कि अब जो ट्रान्सफार्मर लगेंगे उसमें दो साल की वारण्टी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि नये के लिये तो दो साल की वारण्टी होगी लेकिन जो पुराने ट्रान्सफार्मर रिपेयर्ड होकर आयेंगे उसके लिये दो साल की वारण्टी होगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जो नये ट्रान्सफार्मर आयेंगे उसकी बात है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का यह व्यक्तिगत अनुभव है कि जो ट्रान्सफार्मर रिपेयर्ड होकर आते हैं लोगों को उम्मीद होती है कि अब लग गया है बिजली की सप्लाई जारी हो जायेगी लेकिन कई बार लगने के एक दो घण्टे बाद ही फुंक जाता है तो उसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे, कोई दण्ड का प्राविधान है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

चौधरी साहब ने जो बात कही है उसके बारे में कहना है जो प्राइवेट कम्पनियां रिपेयर्ड करती हैं उसके बारे में अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। ऐसी कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है और उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई है।

प्रदेश की वर्तमान ऊर्जा नीति

*2-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल तथा श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वर्तमान ऊर्जा नीति क्या है ? क्या प्रदेश में ऊर्जा की मांग में हो रही लगातार वृद्धि व उत्पादन में हो रही कमी को देखते हुए सरकार नयी ऊर्जा नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में वर्तमान में नई ऊर्जा नीति 2009 प्रभावी है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं।

(1) निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिये स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई0पी0पी0) द्वारा 250 मेगावाट तथा उससे अधिक क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनायें पूर्व से उपलब्ध केस 1 एवं केस 2 विधि के अतिरिक्त समझौता ज्ञापन मार्ग के माध्यम से स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को ईंधन के लिये सिफारिश किये जाने पर निजी उत्पादकों द्वारा उत्पादित विद्युत में राज्य का अंश 50 प्रतिशत होगा।

(3) सभी नई परियोजनायें, राज्य की औद्योगिक नीति की शर्तों के अन्तर्गत उद्योग के समान समझी जायेंगी और नई परियोजनाओं के लिये राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार सभी उपलब्ध प्रोत्साहन लागू होंगे।

(4) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की नीति के अनुसार परियोजनाओं के लिये भूमि एकत्र करने जल की उपलब्धता (लिंकेज) और आवश्यक स्वीकृतियों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जायेगी । भूमि की लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

(5) निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं तथा विद्यमान विद्युत गृहों की क्षमता आप्टीमाईज करने पर अतिरिक्त विद्युत का 50 प्रतिशत अंश तृतीय पक्ष को विक्रय करने की अनुमति दी जायेगी।

(6) गन्ने की खोई (बगास)/जैविक पदार्थों (बायो-मास)/गैर परम्परागत ईंधन पर आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देना। मौसम की समाप्ति पर यह परियोजनाएं परम्परागत ईंधन का उपयोग कर सकेंगी एवं खुली पहुंच (ओपेन एक्सेस) प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन का 50 प्रतिशत बेचने की अनुमति दी जायेगी। गन्ने की खोई (बगास)/जैविक पदार्थों (बायो मास) पर आधारित परियोजनाओं को अपने कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत बेचने की अनुमति दी जायेगी।

(7) पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार हेतु पारेषण क्षेत्र में आवश्यक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा एवं राज्य पारेषण कम्पनियों के लिये स्वीकृत किये जाने की शर्तों के समान शर्तों पर ''राइट आफ वे'' प्रदान की जायेगी।

(9) पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के वितरण व्यवसाय में निजी क्षेत्र की भागीदारी।

(10) राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सफल परिवर्तन (टन अराउन्ड) को सुनिश्चित करने के लिये वितरण कम्पनियों को संक्रमण अवधि में सहायता प्रदान करना।

(11) राज्य पारेषण तंत्र में खुली पहुंच (ओपेन एक्सेस) प्रणाली प्रदान करना।

(12) जैविक पदार्थों (बायो मास), सौर ऊर्जा, नगर पालिका सीवेज, ठोस अपव्यय (वेस्ट) एवं औद्योगिक अपव्यय (वेस्ट) पर आधारित पुनर्उपयोगी ऊर्जा परियोजनाओं एवं अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

ऊर्जा नीति 2009 बनाई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया।

श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

मेरा प्रश्न है पहले मुझे अनुपूरक प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

आप आपस में तय कर लें।

श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है पहले मुझे सुन लिया जाय। मेरे दो छोटे-छोटे अनुपूरक हैं। पहला निजी भागीदारी से 250 मेगावाट या अधिक की कोई परियोजना क्या गाजियाबाद या बागपत में है ? दूसरा जैसा कि आपने उत्तर में छठे बिन्दु पर कहा है कि गन्ने की खोई, गैर परम्परागत ईधन पर आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देना तो गन्ने की खोई से बिजली बनाने की आपकी नई परियोजनाएं कहां-कहां पर हैं ? मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी सदस्य ने दो प्रश्न किये क्या बागपत या गाजियाबाद में इस तरह की परियोजना विचाराधीन है दूसरा खोई से बिजली बनाने के संबंध में है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

गाजियाबाद में कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मंत्री जी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-एक से बारह तक विस्तार से जवाब दिया है। मेरा प्रश्न है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कितने प्रकरण सरकार के पास आये हैं, कितने विचाराधीन हैं आपने इतनी लम्बी लिस्ट जारी की है चाहे गन्ने की खोई से बिजली बनाने की बात हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा मैं दो प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं कितने प्रकरण आपके पास लम्बित हैं जिसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत और दूसरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसका गाना बहुत दिनों से गा रहे हैं उसके द्वारा कितनी बिजली उत्पादित हो रही है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस समय लगाने जा रहे हैं मेसर्स लैन्को अनपरा पावर प्रा0लि0 अनपरा सी, मे0 बजाज हिन्दुस्तान ललितपुर परियोजना, मे0 लैन्को इन्फ्रास्ट्रक्चर भोगनीपुर परियोजनायें हैं।

श्री सतीश महाना-

इसमें जो दिया है यह इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है यह जितने आप बता रहे हैं यह इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसमें छोटे विद्युत उत्पादन जो एक मेगावाट, दो मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं उसको आपने कापी करके यहां पर बता दिया लेकिन जो छोटे उत्पादक हैं बिजली के मान्यवर, यह मेरा निवेदन सुन लीजिये। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा यह कर रहे हैं जे0एन0एन0यू0आर0आर0एम0 में यह आपकी योजना नहीं है, उसमें क्या कुछ बिजली उत्पादन हो रहा है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

उसमें काम शुरू हो गया न।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। कल भी ऐसा ही हुआ। कोई व्यवस्था पर बोलता नहीं है, अपनी बात बोलते जाते हैं।

प्रदेश में विद्युत प्लान्ट लगाये जाने हेतु संस्थाओं का विवरण तथा विद्युत उत्पादन

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपेक्षानुसार विद्युत मांग की पूर्ति हेतु एम0ओ0यू0 के आधार पर कुछ उद्यमियों द्वारा विद्युत प्लान्ट लगाये जाने हेतु सरकार से समझौता किया गया है ? यदि हां, तो वह संस्थायें कौन-कौन सी हैं और उनके द्वारा कितने दिनों के अन्दर कितनी मात्रा में बिजली उत्पादन का आश्वासन प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	संस्था का नाम	क्षमता	उत्पादन का सम्भावित समय
1	मेसर्स लैन्को अनपरा पावर प्रा0 लि0 (अनपरा सी विस्तार)	660 मे0वा0	12वीं पंचवर्षीय योजना
2	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान (5 चीनी मिलों के लिये)	450 मे0वा0	11वीं पंचवर्षीय योजना
3	मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान कन्सोर्टियम (ललितपुर परियोजना)	1980 मे0वा0	12वीं पंचवर्षीय योजना
4	मेसर्स लैन्को इन्फ्राटेक (भोगनीपुर परियोजना) (एम0ओ0यू0 की कार्यवाही प्रक्रिया में है)	1320 मे0वा	12वीं पंचवर्षीय योजना

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-2 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी की धनराशि एवं इसके ब्याज को विद्युत बिलों में समायोजन का प्राविधान

*4-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी की कितनी धनराशि पावर कारपोरेशन के पास जमा है ? क्या उपभोक्ताओं की उक्त जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की धनराशि को घटाकर विद्युत बिल जमा कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जमा सिक्योरिटी मनी की धनराशि पर मिलने वाले ब्याज को विद्युत बिल में समायोजित करके बिल जमा करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वित्त वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ में रु0 1238.57 करोड़ उपभोक्ताओं की प्रतिभूति राशि प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में जमा है।

जी हां। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अगले वित्त वर्ष के प्रथम बिल में सिक्योरिटी पर ब्याज के समायोजन का प्राविधान किया गया है।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के कार्यकाल से ही दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत दरों में वृद्धि एवं इससे प्राप्त राजस्व की जानकरी

*5-श्री मदन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में विद्युत दरों में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो किस नीति के अन्तर्गत तथा इससे सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति होगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64, 62 तथा 61 के प्राविधानानुसार नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारित किया गया है। इससे राज्य के विद्युत वितरण निगमों को लगभग रु0 1833 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

प्रदेश में नई तापीय विद्युत परियोजनाओं पर व्यय तथा कार्य की प्रगति का विवरण

*6-श्री हुकुम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अधिष्ठापन क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष 2010 में किन-किन परियोजनाओं पर कितना पूंजी निवेश हुआ है तथा उन पर कितने प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा नई तापीय विद्युत परियोजनाओं पर वर्ष 2010 में (जनवरी, 2010 से जून, 2010 तक) लगभग रु0 1338 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है।

निर्माणाधीन परियोजनाएं-

- 2x250 मे0 वा0 हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना पर वर्ष 2010 में (जनवरी, 2010 से जून, 2010 तक) लगभग रु0 359.05 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है एवं परियोजना का कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना का प्रारम्भ से माह जून, 2010 तक लगभग रु0 1749 करोड़ का व्यय किया जा चुका है जो परियोजना की कुल अनुमानित लागत (रु0 2605 करोड़) का 67 प्रतिशत है।
- 2x250 मे0 वा0 पारीक्षा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना पर वर्ष 2010 में (जनवरी, 2010 से जून, 2010 तक) लगभग रु0 179.99 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है एवं परियोजना का कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना पर प्रारम्भ से माह जून, 2010 तक लगभग रु0 1808.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है जो परियोजना की कुल अनुमानित लागत (रु0 2356.00 करोड़) का 76.74 प्रतिशत है।
- 2x500 मे0 वा0 अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना पर वर्ष 2010 (जनवरी, 2010 से जून, 2010 तक) लगभग रु0 764.00 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है एवं इस परियोजना पर लेवेलिंग एण्ड ग्रेडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइलिंग का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर प्रारम्भ से माह जून, 2010 तक लगभग रु0 1589.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है जो परियोजना की कुल अनुमानित लागत (रु0 5358.87 करोड़) का 29.65 प्रतिशत है।
- एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापित की जा रही 2x660 मे0 वा0 मेजा तापीय विद्युत परियोजना पर वर्ष 2010 में (जनवरी, 2010 से जून, 2010 तक) लगभग रु0 35.00 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है। परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य मेजा ऊर्जा निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। इस परियोजना पर प्रारम्भ से माह जून, 2010 तक लगभग रु0 122.66 करोड़ का व्यय (उत्पादन निगम लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 प्रत्येक द्वारा लगभग रु0 61.33 करोड़) किया जा चुका है। जो परियोजना की कुल अनुमानित लागत (रु0 9276.90 करोड़) का 01.32 प्रतिशत है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की परियोजना पर निम्नलिखित इकाइयों की क्षमता में वृद्धि एवं रिफर्बिशमेंट/अपरेटिंग स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

- ओबरा 'ब' ताप विद्युत गृह की 5x200 मे0 वा0 इकाईयों की रिफर्बिशमेंट योजना पर वर्ष 2010 में (जनवरी, 2010 से जून, 2010 तक) लगभग रु0 37.00 करोड़ व्यय हो चुका है एवं लगभग 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

- हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई सं0-7 की 110 मे0वा0 से 120 मे0वा0 की अपरेटिंग योजना पर कार्य किये जाने हेतु शटडाउन नवम्बर, 2010 में दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य वन जीव परिषद् का गठन

*7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा (छः) में उल्लिखित प्रक्रिया के तहत वन्यजीव सलाहकार परिषद् का गठन कर ''राज्य पुष्प'' के चयन प्रक्रिया को शुरू करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

जी हां, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-6-8 में उल्लिखित प्रक्रिया के तहत कार्यालय ज्ञाप सं0-1312/14-4-2010-809/92 दिनांक 13-5-2010 के द्वारा 'राज्य वन्य जीव परिषद्' का गठन कर दिया गया है। पुनर्गठित वन्य जीव परिषद् की आगामी बैठक में 'राज्य पुष्प' के चयन संबंधी प्रस्ताव को रखा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को बदले जाने की मांग

*8-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को बदले जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां, प्रदेश में विभिन्न वितरण निगमों के अन्तर्गत इस वर्ष बिजली के 15,965 कि0मी0 जर्जर तार बदलने हेतु कार्य योजना बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में पोलियो की बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम हेतु कार्य योजना

*9-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पोलियों के कितने नये मामले प्रकाश में आये हैं ? इसकी बढ़ती हुई संख्या के क्या कारण हैं ? क्या सरकार पोलियो की पूर्णरूप से रोकथाम के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूसिंह कुशवाहा-

उत्तर प्रदेश में वर्तमान (वर्ष 2010) में अब तक (24 जुलाई, 2010 तक) पोलियो के मात्र 10 नये मामले प्रकाश में आये हैं।

पोलियो में वर्ष 2010 में महत्वपूर्ण ढंग से संख्या में गिरावट आई है। दिनांक 24-7-10 तक वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश में पोलियो के कुल 10 केसेस प्रकाश में आये हैं।

- वर्ष 2006 से वर्तमान वर्ष 2010 में अब तक (24 जुलाई, 2010) प्रत्येक वर्ष माह जुलाई तक पाये गये पोलियो केसेस का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	केसेस की संख्या
1	2006	240
2	2007	157
3	2008	138
4	2009	184
5	2010	10

- वर्तमान वर्ष 2010 में अब तक (24 जुलाई, 2010) कोई भी पी-1 वायरस का केस प्रदेश में न पाया जाना सरकार के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। यह आंकड़े डब्लू0एच0ओ0 तथा भारत सरकार से प्रमाणित है।

पोलियो की पूर्ण रूप से रोकथाम के लिये पूर्व में ही कार्य योजना बनी हुई है, जो निम्नानुसार है :-

- समय-समय पर आई0ई0ए0जी0 (इण्डिया एक्सपर्ट एडवाईजरी ग्रुप जिसमें भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार, आई0सी0एम0आर0, यूनिसेफ, डब्लू0एच0ओ0, सी0डी0सी0 तथा टेक्टनीकल एक्सपर्ट रहते हैं,) की संस्तुति तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार प्रदेश में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाये जाते हैं।
- अभियान के पहले दिन बूथ दिवस आयोजित किया जाता है।
- 'ए' टीम द्वारा अगले पांच दिन घर-घर भ्रमण कर 0-5 वर्ष के छूटे हुए बच्चों को खोज कर पोलियो ड्राप से आच्छादित किया जाता है।
- घर-घर भ्रमण के दौरान 'एक्स' अंकित घरों में भ्रमण कर 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्राप से आच्छादित किया जाता है।
- वैक्सीनेशन टीम द्वारा रेलवे स्टेशनों/बस अड्डों, मेलों आदि में भ्रमण कर 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्राप से आच्छादित किया जाता है।
- मोबाइल टीम द्वारा ईट-भट्ठों, निर्माण कार्य किये जाने वाले स्थलों तथा दुर्गम स्थलों में भ्रमण कर 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्राप से आच्छादित किया जाता है।
- अभियानों में विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं, धार्मिक धर्म गुरुओं का सहयोग प्राप्त किया जाता है।
- जन-जागरूकता हेतु टी0वी0, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है।

- इसको प्रत्येक स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10-श्री उदयभान करवरिया-

[दिनांक 12-8-2010 को तारां0 प्रश्न सं0-13 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में डग्गामार बसों के संचालन को रोकने हेतु निर्धारित नीति

*11-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डग्गामार बसों के संचालन को रोकने हेतु सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

मोटरयान अधिनियम, 1988 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में डग्गामार बस परिभाषित नहीं है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-66 के अन्तर्गत अपेक्षित परमिट प्राप्त कर संचालित न होने वाली बस अथवा परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालित होने वाली बस अनधिकृत रूप से संचालित होने वाली बसों की श्रेणी में आती हैं।

बिना परमिट संचालित होने वाली बस के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-53 के अन्तर्गत उस बस का पंजीयन निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी वाहन के धारा 66 (1) के प्राविधानों के उल्लंघन में या परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग/क्षेत्र या परमिट के उद्देश्य से इतर संचालन के अपराध में अधिनियम की धारा-192 ए में प्रथम अपराध के लिये अर्थदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक विस्तारित हो सकेगा, किन्तु दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, की व्यवस्था है और पश्चातवर्ती अपराध के लिये कारावास, जो एक वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा, किन्तु तीन माह से कम नहीं होगा या अर्थदण्ड जो दस हजार रुपये तक विस्तारित हो सकेगा किन्तु पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दण्डित करने की व्यवस्था है परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कांच, बीड़ी, पीतल तथा कालीन उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

*12-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008 से 31 अगस्त, 2010 तक कितने बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार कांच, बीड़ी, पीतल, कालीन उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बादशाह सिंह)-

प्रदेश के बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2008 से 30 जून, 2010 तक कुल 15,783 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं, जिनमें खतरनाक उद्योग/प्रक्रियाओं में 8,877 व गैर खतरनाक उद्योग/प्रक्रियाओं में 6,906 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं।

जी नहीं। प्रदेश सरकार द्वारा कांच, बीड़ी पीतल कालीन उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु अलग से कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा रही हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिलों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-12-96 के अनुसार बाल श्रमिकों का चिन्हांकन, उनका शैक्षिक पुनर्वासन कराने, परिवारों को रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित करने, खतरनाक नियोजनों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर करने तथा ऐसे नियोजकों से क्षतिपूर्ति के रूप में रुपया 20,000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से धनराशि वसूली की जाती है।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल यूनिट (एफ0आर0यू0) के रूप में स्थापित करने की योजना

*13-डा0 पी0के0 राय-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल यूनिट (एफ0आर0यू0) के रूप में स्थापित करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूसिंह कुशवाहा-

जी हां।

एफ0आर0यू0 के रूप में क्रियाशील किये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ की उपलब्धता के साथ-साथ 24 घण्टे प्रसव सेवा, आकस्मिक प्रसव सेवा (सिजेरियन आपरेशन) नवजात शिशु की देखभाल, रक्त भण्डारण/रक्त कोष अथवा किसी रक्त कोष से सम्बद्धता तथा आकस्मिकता की स्थिति में संदर्भन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रेफरल यूनिट के रूप में स्थापित करने की योजना प्रदेश में वर्ष 2006 से लागू की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत हरि का पूरा, वि0खं0 आसपुर देवसरा के ग्राम प्रधान द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने की जांच

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत हरि का पूरा, वि0 खं0 आसपुर देवसरा के ग्राम प्रधान द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराने की जांच विषयक श्री विनोद तिवारी आदि निवासी हरि का पूरा के शिकायती-पत्र सहित प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 16-10-2008 पर प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित करते हुये प्रश्नकर्ता को भी अर्द्धशासकीय पत्र सं0-3467/33-1-08-147 सी (प्र)/08 पंचायती राज अनुभाग-1 दिनांक 26-12-2008 द्वारा

सूचित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रकरण की जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर वि0खं0 महराजगंज के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

2-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-1998 में जनपद-जौनपुर के वि0 खं0 महराजगंज के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित एवं शासन द्वारा नामित गांव बनवीरपुर, भगवानपुर को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्ष 1999-2000 में ग्राम बनवीरपुर, वि0खं0 महाराजगंज, जनपद जौनपुर का चयन विधायक निधि के अन्तर्गत माननीय विधायक गड़वाड़ा जौनपुर द्वारा किया गया था। ग्राम भगवानपुर का चयन नहीं किया गया था।

चयनित ग्राम बनवीरपुर का विद्युतीकरण दिनांक 31-10-2000 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के पास हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टरों की संख्या तथा विगत पांच वर्षों में ईंधन पर व्यय

3-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में कितने हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टर हैं तथा वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में इन पर कितने रुपये का ईंधन वर्षवार व्यय किया गया है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में 06 हवाई जहाज एवं 04 हेलीकाप्टर हैं।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक इन पर ईंधन में व्यय की गई धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैं :-

वर्ष	(धनराशि रु0 में)
2005-06	1,50,55,433.00
2006-07	2,06,47,592.00
2007-08	1,64,82,891.00
2008-09	2,78,49,138.00
2009-10	3,36,12,084.00

4-श्रीमती कृष्णा राज-

[विस्तीर्णता, अस्पष्टता तथा एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 के तहत जेल में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का पुनः लाभ दिये जाने की मांग

5-श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 के तहत जेल में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों, जिन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी माना गया है, को पूर्व में अनुमन्य सम्मान राशि का लाभ पुनः दिये जाने की व्यवस्था लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मान राशि स्वीकृत करने सम्बन्धी योजना दिनांक 01-04-2006 से 31-03-2007 तक की अवधि के लिये लागू थी। योजना का अग्रतर विस्तार करने का औचित्य नहीं पाया गया।

नीलगायों के बढ़ते प्रकोप को रोकने की कार्य योजना

6-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नीलगायों के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां, नीलगायों के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने की कार्य योजना के अन्तर्गत, इन्हें पकड़ने/नष्ट करने की अनुमति देने हेतु अधिसूचना सं0-736/14-4-94-854/92, दिनांक 9-3-94 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था। पुनः अधिसूचना संख्या-2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28-9-2001 के द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया। तदोपरान्त अनुमति के स्तर को सुगम व व्यापक करते हुए अधिसूचना संख्या-1464/14-4-2008-854/92 दिनांक 31-7-2008 के द्वारा वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्राधिकारी एवं राजस्व विभाग के तहसीलदारों तक को प्राधिकृत कर दिया गया है।

प्रदेश में बन्द पड़े शीतगृह/कोल्ड स्टोरेज को चलाये जाने की मांग

7-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शीतगृह/कोल्ड स्टोरेज काफी दिनों से बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार ऐसे शीतगृहों को चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रदेश में विभिन्न सहकारी समितियों के 78 शीतगृह बन्द पड़े हैं। जिसमें 11 पी0सी0एस0 के तथा 07 अन्य सहकारी समितियों के हैं।

जी नहीं।

भारी संकलित हानि, अत्यन्त पुरानी प्लान्ट एवं मशीनरी तथा बैंकों का भारी मात्रा में बकाया होने के कारण बन्द पड़े शीतगृहों के संचालन की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में विद्युत की बचत करने हेतु कार्य योजना

8-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की बचत करने की सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। ऊर्जा संरक्षण अधिनियमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को स्टेट डिगिजनेटेड एजेन्सी नामित किया है। ऊर्जा बचत किये जाने हेतु कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

शासनादेश सं0-1260/चौबीस-पी-3-2009, दिनांक 23-7-2009 में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :-

1-सरकारी सेक्टर/सरकारी सहायता प्राप्त सेक्टर/बोर्डों तथा निगमों/स्वायत्त निकायों/संस्थाओं के नये निर्मित होने वाले भवनों में इन्केंडेसैंट बल्बों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(1) यह आज्ञापक होगा कि विद्यमान भवनों में खराब इन्केंडेसैंट बल्बों को जब बदला जाये तो केवल काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी0एफ0एल0) से ही बदला जायेगा।

(2) यह आज्ञापक होगा कि विद्यमान भवनों से ट्यूब लाइट की चोक जब भी बदली जाय तो इलेक्ट्रानिक चोक से ही बदली जायेगी।

(3) विद्युत उपयोगिता में नये कनेक्शन अथवा नया लोड जारी/स्वीकृत करते समय पारम्परिक बल्ब के स्थान पर सी0एफ0एल0 के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस आदेश के जारी होने के तीन महीने के भीतर लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक उपांतरण करना होगा।

(4) कार्यालयों में केवल उन्हीं स्थानों पर लाइट एवं पंखा चलाया जाए जहां पर वास्तव में कार्य हो रहा है।

(5) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय कक्ष से बाहर जाने पर लाइट एवं पंखे को ''आफ'' किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) सूर्योदय होने पर स्ट्रीटलाइट, पार्कों आदि की 'लाइट आफ' कर दी जाए।

2-ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत तथा ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा समय-समय प्राप्त सुझावों के अनुसार ऊर्जा बचत हेतु निम्न प्रस्ताव विचाराधीन है :-

(क) नये निर्मित होने वाले सभी इण्डस्ट्रियल/वाणिज्यिक/इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में सी0एफ0एल0/टी-5 28 वाट ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट्स/लाइट इमीटिंग डायोड (एल0ई0डी0) लैम्प का प्रयोग अनिवार्य किया जाना है।

(ख) सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निकायों/निगमों में नये निर्मित होने वाले भवनों में साधारण 40 वाट ट्यूब लाइट के स्थान पर टी-5 28 वाट ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट/लाइट इमीटिंग डायोड (एल0ई0डी0) लैम्प का उपयोग अनिवार्य किया जाना है।

(ग) उ0प्र0 नगरीय आवास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों, हाउसिंग काम्प्लेक्स, निजी/अर्द्धसरकारी/एटोनोमस इन्स्टीट्यूट्स द्वारा विकसित की जा रही नई कालोनियों में ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट यथा सी0एफ0एल0/टी-5 28 वाट ट्यूब लाइट/लाइट इमिटिंग डायोड (एल0ई0डी0) लैम्प का उपयोग अनिवार्य किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड हंडिया के ग्राम जुड़ई का पुरा में टूटे हुए पोल तथा तार को बदलकर पूर्ववत् विद्युत सप्लाई की मांग

9-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड हंडिया के अन्तर्गत ग्राम-जुड़ई का पुरा के निवासी नन्दलाल यादव के दरवाजे से अनुसूचित जाति बस्ती तक लकड़ी के टूटे हुए पोल तथा तार को बदलकर विद्युत सप्लाई पूर्ववत् करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां, बिजनेस प्लान 10-11 में उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। माह सितम्बर, 2010 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के गांव सभा करुआडीह, विकास खण्ड प्रतापपुर के विद्युतीकरण हेतु आवंटित धनराशि

10-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के गांव सभा करुआडीह, विकास खण्ड-प्रतापपुर के विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से वित्तीय वर्ष 2009-2010 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या उक्त गांव सभा का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम सभा करुवा डीह विकास खण्ड-प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से वित्तीय वर्ष 2009-10 में 4,34,594.00 (चार लाख चौंतीस हजार पांच सौ चौरानवे मात्र) की धनराशि प्राप्त हुई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर के अन्तर्गत जलालपुर कस्बा में 33/11 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र बनाये जाने की मांग

11-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत जलालपुर कस्बा तथा उसके समीपवर्ती गांवों के लोगों को लो-वोल्टेज के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलालपुर कस्बा में 33/11 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में जलालपुर कस्बे की आपूर्ति 132 के0वी0 उपकेन्द्र झूंसी से निर्गत 11 के0वी0 अतिभारित फीडर से हो रही है। जलालपुर कस्बे का विद्युत भार 33 के0वी0 उपकेन्द्र फूलपुर पर स्थानान्तरित करके लो-वोल्टेज की समस्या दूर की जायेगी।

चीनी मिलों/निजी चीनी मिलों द्वारा बिजली (विद्युत) उत्पादन की नीति

12-श्री मदन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चीनी मिलों/निजी चीनी मिलों द्वारा बिजली (विद्युत) उत्पादन करने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उसकी आपूर्ति का तरीका क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन करने हेतु वर्ष 2005 में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा रेगुलेशन घोषित किया गया था।

उ0प्र0 शासन ने नई ऊर्जा नीति 2009 में चीनी मिलों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के आशय से निम्न सुविधायें प्रदान की हैं :-

अ-विद्युत उत्पादन का 10 प्रतिशत अंश ओपेन एक्सेस के माध्यम से विक्रय करने की अनुमति।

ब-चीनी मिलों के परिसर में उपलब्ध सरप्लस भूमि पर परम्परागत ईंधन आधारित स्वतंत्र उत्पादन इकाई स्थापित करके पूरे वर्ष उत्पादन करने पर एम0ओ0यू0

रूट की सुविधायें अनुमन्य किया जाना तथा सेलेबल ऊर्जा का 50 प्रतिशत तक अंश ओपेन एक्सेस से तृतीय पक्ष को बेचा जाना।

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया रेगुलेशन दिनांक 01/10/2009 से 31/3/2014 तक के लिये घोषित करते हुए ऊर्जा क्रय दरें पुनरीक्षित कर दी हैं, जो कि कमीशनिंग वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में रु0 3.81 प्रति यूनिट से लेकर रु0 4.96 यूनिट (वित्तीय वर्ष 13-14) तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम बसनेहटा विकास खण्ड प्रतापपुर के कतिपय लोगों की बस्ती में विद्युतीकरण की मांग

13-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के ग्राम-बसनेहटा, विकास खण्ड प्रतापपुर के श्री राम दुलार यादव, श्री अमृत लाल जायसवाल, श्री छोटे लाल यादव एवं श्री शीतलादीन आदि बस्ती में सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में समस्त अविद्युतीकृत मजरों/ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वरिष्ठजनों (सीनियर सिटीजन) को परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने की मांग

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज के वरिष्ठजनों (सीनियर सिटीजन) को परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की तरह किराये में कोई छूट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्थान होने के कारण किसी वर्ग विशेष को कोई छूट अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान नहीं करता है। यदि किसी वर्ग विशेष को किराये में छूट अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय सम्बन्धित विभाग द्वारा लिया जाता है और उस पर आने वाले व्यय भार की प्रतिपूर्ति परिवहन निगम को की जाती है तभी यह सुविधा प्रदान की जाती है।

समाज के वरिष्ठजनों को परिवहन निगम की बसों में किराये में छूट देने से सम्बन्धित विषय समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। वित्तीय उपाशय को देखते हुए समाज कल्याण विभाग के स्तर पर विचारोपरान्त प्रश्नगत सुविधा को प्रदान किया जाना सम्भव नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

15-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर, पो0 मानिकपुर ग्राम सहरमा के विद्युतीकरण की मांग

16-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर, पो0 मानिकपुर ग्रा0 सहरमा के विद्युतीकरण हेतु चौ0 रवीन्द्र प्रताप, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 5-4-2010 अधिशासी अभियन्ता, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम सहरमा, पो0 मानिकपुर, जनपद जौनपुर का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 एच0टी0 लाइन टूटकर गिरने से हुई मृत्यु में लोगों को मुआवजा देने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

17-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 एच0टी0 लाइन टूटकर गिरने से माह अगस्त-सितम्बर, 2009 में कई लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या लटकते हुए एच0टी0 लाइनों के जर्जर होने, टूट कर गिरे होने आदि को बदलवाने/मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा इसके दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये मृतकाश्रितों को विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किसको और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

वाराणसी के किसी भी क्षेत्र में 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 एच0टी0 लाईन टूटकर गिरने से माह 8/09 एवं 9/09 में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष आपूर्ति की मांग

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने मेगावाट विद्युत की मांग है तथा उसके सापेक्ष कितनी आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जा रही है ? उ0 प्र0

राज्य का सेन्ट्रल पूल में विद्युत का कितना हिस्सा बनता है उसके सापेक्ष प्रदेश को वर्तमान में कितना मिल रहा है ? क्या विद्युत की मांग को देखते हुए शाहजहांपुर जनपद को 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान समय में 8500 मे0वा0 विद्युत की मांग है तथा उसके सापेक्ष 8000 मे0वा0 आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य का सेन्ट्रल पूल में विद्युत का 4754 मे0वा0 हिस्सा बनता है तथा उसके सापेक्ष प्रदेश को वर्तमान में 3825 मे0वा0 मिल रहा है।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में भारी कमी होने के कारण जनपद शाहजहांपुर में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में वन चौकियों को समाप्त करने सम्बन्धी शासनादेश एवं अनेक जनपदों में वन चौकियों को समाप्त करने से पूर्व वन उपज फीस की वसूली का गत वर्षों का विवरण

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में वन उपज फीस वसूलने हेतु 2 जुलाई, 2008 को पहले से स्थापित वन विभाग की चौकियां समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या वन उपज फीस भी समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो जुलाई, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक कितनी फीस प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर एवं झांसी से प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वन चौकियों को समाप्त करने के पूर्व वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07 तथा वर्ष 2007 से जून, 2008 तक कितनी वन उपज फीस इन वन चौकियों से वसूली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

शासनादेश संख्या-2809/14-2-2008 दिनांक 2-7-08 द्वारा प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थापित बैरियर्स को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त स्थलों पर स्थापित बैरियर को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-2809/14-2-2008, दिनांक 2-7-08 द्वारा वन उपज पर अभिवहन शुल्क समाप्त नहीं किया गया था किन्तु शासनादेश संख्या-760/14-2-2010-271 (एल)/2009, दिनांक 29-3-2010 द्वारा गैर वन भूमि से खनिज और वहां से हटाई गई वन उपज पीट, सतई मिट्टी, चट्टान और खनिजों (चूना-पत्थर, लेटराईट, खनिज तेल आदि) को अभिवहन शुल्क से टूट प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार।

02 जुलाई, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, ललितपुर एवं झांसी वन प्रभाग में वन उपज से कुल अभिवहन शुल्क रु0 2469.38 लाख प्राप्त हुआ है।

वन चौकियों को समाप्त करने के पूर्व उक्त जनपदों में वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा वर्ष 2007 से जून, 2008 तक इन वन चौकियों से वसूल किये गये वन उपज का अभिवहन शुल्क क्रमशः 4534.99, 7367.43 एवं 12890.95 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के निजामतपुरवा मजरा विलगांव में विद्युतीकरण करने की योजना

20-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के निजामतपुरवा मजरा विलगांव में विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-1-2010 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम नियामतपुरवा ग्राम बिलगांव का एक मजरा है जो अविद्युतीकृत है। मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त मजरे का विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा-महोबा-हमीरपुर, चित्रकूट में रेशम विकास विभाग द्वारा ब्लाकवार चलाई गई योजनायें

21-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या रेशम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में बुन्देलखण्ड के जनपद-बांदा, महोबा-हमीरपुर, चित्रकूट में रेशम विकास विभाग द्वारा ब्लाकवार क्या-क्या योजनाएं चलायी गयीं तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

रेशम विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा, महोबा-हमीरपुर, चित्रकूट में ब्लाकवार चलाई गई योजनाओं का विवरण संलग्नक-1 में उल्लिखित है।

संलग्नक-1 में उल्लिखित योजनाओं में ब्लाकवार खर्च की गई धनराशि का विवरण संलग्नक-2 में उल्लिखित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 215-217 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् बांसी में कामर्शियल रूप में विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

22-श्री लाल जी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् बांसी में कामर्शियल बिजली के बिल कामर्शियल दर से लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या

बिजली की आपूर्ति कामर्शियल के रूप में नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पालिका परिषद् को कामर्शियल रूप से विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

कामर्शियल के रूप में विद्युत आपूर्ति किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एक हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने पर विचार

23-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ऐसे किसानों को निजी नलकूप लगाने हेतु निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा कास्ट डाटा बुक में निजी नलकूपों के संयोजन निर्गत करने हेतु शुल्क निर्धारित किये गये हैं, जो उपभोक्ता द्वारा देय है। उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त देय शुल्कों में कोई अनुदान राशि दी जाती है तो उसे देय शुल्कों में से घटा दिया जायेगा। वर्तमान में इन संयोजनों को निर्गत करने हेतु ट्रान्समीशन चार्जेज एवं 300 मीटर तक की लाइन चार्जेज के मदों में अनुदान राशि प्रदान की जाती है जो रु0 68,000/- प्रति नलकूप है।

जनपद बुलन्दशहर में नोयडा, ग्रेटर नोएडा की भांति विद्युत आपूर्ति की मांग

24-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बुलन्दशहर एन0सी0आर0 क्षेत्र का एक पिछड़ा जिला है, जबकि उससे सटे हुए नोयडा, ग्रेटर नोयडा की बिजली की स्थिति काफी बेहतर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद-बुलन्दशहर में बिजली सुधार हेतु सटे हुए नोयडा, ग्रेटर नोएडा की भांति विद्युत आपूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में भारी अन्तर होने के कारण जनपद बुलन्दशहर को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के अम्बेडकर ग्राम का मुख्य मजरा देवरा व डाडी में विद्युतीकरण की मांग

25-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देवरा, विकास खण्ड कौधियारा, जनपद-इलाहाबाद के अम्बेडकर ग्राम का मुख्य मजरा देवरा व डाडी का विद्युतीकरण कार्य अभी

तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मजरों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम सभा देवरा, विकास खण्ड कौधियारा, जनपद इलाहाबाद वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 1997-98 के अम्बेडकर ग्राम में चयनित नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में समस्त अविद्युतीकृत मजरों/ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

26-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्रामों को किस आधार पर सम्मिलित किया जाता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पूर्व में इस योजना में चयनित ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में केवल अविद्युतीकृत वर्जिन ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में समस्त अविद्युतीकृत ग्रामों तथा आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 या 5 किलोवाट के घरेलू कनेक्शनों पर निःशुल्क खम्भा दिये जाने की मांग

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट तथा 3 या 5 किलोवाट के कितने घरेलू कनेक्शनों पर कारपोरेशन की ओर से निःशुल्क खम्भा लगाने का प्राविधान है ? क्या सरकार 3 या 5 घरेलू कनेक्शनों पर निःशुल्क एक खम्भा दिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत वर्ष 2010-2011 की कास्ट डाटा बुक के अनुसार 50 किलोवाट विद्युत भार तक के संयोजनों पर 40 मीटर से अधिक दूरी पर कम से कम 3 विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिये एक खम्भा लगाने का प्राविधान है।

हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पक्षी मोर की बढ़ती मृत्यु दर को रोके जाने के उपाय

28-श्री उदयभान करवरिया-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कौशाम्बी सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में अत्यधिक संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु दर बढ़ रही है ? क्या यह सत्य है कि मोर प्रजाति के पक्षी समाप्ति की ओर अग्रसर हैं ? यदि हां, तो मृत्युदर का विवरण क्या है ? सरकार द्वारा मोर पक्षी की मृत्युदर रोकने के क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

वर्तमान वर्ष में प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु अपेक्षाकृत अधिक हुई है।

यह सत्य नहीं है कि मोर प्रजाति के पक्षी समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश में वर्ष 2008-09 से अब तक मोरों की मृत्यु का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	संख्या
2008-09	46
2009-10	30
2010-11 (30-7-10 तक)	92

विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर की अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली मृत्यु दर रोकने के लिये उनकी उपस्थिति वाले स्थानों को चिन्हित कर उपलब्ध संसाधनों द्वारा उन क्षेत्रों में छोटे-छोटे तालाब खोदकर गर्मी के समय जलापूर्ति की जाती है एवं छाया की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त जन सामान्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर को पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने एवं सुरक्षा प्रदान करने की अपील की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग एवं घटती आपूर्ति हेतु सी0एफ0एल0 पर सब्सिडी दिये जाने की जानकारी

29-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग एवं घटती आपूर्ति को देखते हुए सरकार सी0एफ0एल0 पर सब्सिडी प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

भारत सरकार की बचत लैम्प योजना के अन्तर्गत सीडीएम प्रोजेक्ट के माध्यम से वल्बों को वापस लेने के उपरान्त, सस्ती दरों रु0 12/-प्रति सी0एफ0एल0 उपलब्ध कराने एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 हेतु 30 प्रोजेक्ट भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से वाराणसी हेतु दो प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मे0 बैनयान इन्वायरमेंटल इनोवेशन्स प्राइवेट लि0, हैदराबाद, ब्यूरो आफ इनर्जी एफीसियेन्सी, नई दिल्ली, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं संबंधित वितरण निगमों के मध्य

अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के उपरान्त सस्ती दरों पर सी0एफ0एल0 वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

इसी प्रकार की व्यवस्था पश्चिमांचल एवं दक्षिणांचल वितरण निगमों एवं केस्को में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

30-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ में उतरठिया स्थित पावर हाउस से विद्युत सप्लाई में सुधार की मांग

31-श्री उदयराज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र स्थित तेलीबाग, लखनऊ में उतरठिया स्थित पावर हाउस से विद्युत सप्लाई प्रतिदिन कम से कम 10 या 15 बार बाधित होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। 33/11 के0वी0 उतरठिया उपकेन्द्र को सामान्यतः 400/220 के0वी0 सरोजनी नगर उपकेन्द्र से पोषित किया जाता है। उक्त उपकेन्द्र के ओवर लोड होने की दशा में एस0जी0पी0जी0आई0 उपकेन्द्र से प्रश्नगत क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

प्राथमिक उपकेन्द्र 400/220 के0वी0 सरोजनीनगर एवं 132 के0वी0 एस0जी0पी0जी0 आई0 की क्षमता वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

योजना की स्वीकृति उपरान्त ही समय-सीमा का निर्धारण सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में गत वर्षों से अधिक बिजली उपलब्ध कराये जाने की मांग

32-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को वर्तमान में कुल कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार किसानों को सिंचाई हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में गत वर्षों से अधिक घण्टे विद्युत देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को दिन एवं रात्रि कार्यक्रम के अनुसार कुल 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव हो पा रहा है।

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में भारी कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य में विद्युत कटौती रोके जाने की मांग

33-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर स्थित नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के धार्मिक महत्व को देखते हुए क्या सरकार उसे विद्युत कटौती से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण सम्प्रति नैमिषारण्य सीतापुर को कटौती मुक्त करना सम्भव नहीं है।

जनपद फतेहपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

34-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद फतेहपुर में जर्जर विद्युत लाइनें बदले जाने की जानकारी

35-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर में विद्युत लाइनें जर्जर होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है एवं दुर्घटनाओं से किसानों का हजारों बीघे गेहूं की फसल जल जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन लाइनों को बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विद्युत वितरण प्रणाली की विद्युत लाइनों के जर्जर तारों को चिन्हित कर बदला जाना एक सतत् प्रक्रिया है। जनपद फतेहपुर में वर्ष 2009-10 में 75 कि0मी0 जर्जर तार बिजनेस प्लान के अन्तर्गत बदला गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम के चावल भण्डारण में क्षति

36-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य भण्डार गृह मिश्रिख, जनपद-सीतापुर में दिनांक 14 जून, 2004 से दिनांक 16 जून, 2006 तक भारतीय खाद्य निगम

के भण्डारित चावल में कितनी भण्डारण क्षति आयी थी ? क्या उक्त क्षति की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन भण्डार गृह के प्रभारी से की गयी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम के राज्य भण्डारगृह मिश्रिख, जनपद-सीतापुर में दिनांक 14 जून, 2004 से दिनांक 16 जून, 2004 तक भारतीय खाद्य निगम के भण्डारित चावल स्टाक में कुल रु0 28,27,664.37 की भण्डारण क्षति आई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षति के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा रु0 28,00,311.27 की भण्डारण क्षति को सामान्य भण्डारण क्षति मानते हुये राईट आफ कर दिया गया है। प्रकरण की जांच में तत्कालीन भण्डारगृह प्रभारी को दोषी नहीं पाया गया बल्कि मे0 वर्मा ट्रांसपोर्ट के तत्कालीन हैण्डलिंग ट्रांसपोर्ट ठेकेदार को दोषी पाये जाने के कारण शेष रु0 27,353.10 अर्थात् राउण्ड फिगर रु0 27,353.00 की वसूली इनसे की गयी है।

ग्राम महादेव मजरा सोहरिया ब्लाक रमिया बेहड़ जनपद लखीमपुर में विद्युतीकरण की जानकारी

37-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महादेव मजरा सोहरिया, ब्लाक रमिया बेहड़ जनपद-लखीमपुर-खीरी का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

ग्राम महादेव मजरा सोहरिया ब्लाक रमियाबेहड़, जनपद लखीमपुर-खीरी का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को ठीक करवाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतागढ़ में दिनांक 1-5-09 से 31-3-10 तक कितने ट्रान्सफार्मर ब्लाक वार व ग्राम वार पट्टी विधान सभा में जल गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रान्सफार्मर जलने की तिथि एवं बदलने की तिथि के मध्य कितने दिन लगे हैं और क्यों ? क्या सरकार निर्धारित अवधि के भीतर जले ट्रान्सफार्मर न बदलने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-प्रतापगढ़ में पट्टी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में दिनांक 01-05-2009 से 31-03-2010 तथा कुल 262 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुये हैं। ब्लाकवार एवं ग्रामवार सूची मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।

क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर सामान्यतः 72 घण्टे अवधि में उपलब्धता के अनुसार बदल दिया जाता है, परन्तु कभी-कभी मरम्मतशुदा ट्रान्सफार्मरों की अनुपलब्धता के कारण बदलने में विलम्ब हो जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के चेतगंज थाना हबीबपुरा निवासी श्री बेचन प्रसाद द्वारा परिवहन कार्यालय का बकाया धन जमा होने के बाद भी तहसील कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तार कर बन्द किये जाने का कारण

39-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के चेतगंज थानान्तर्गत हबीबपुरा निवासी श्री बेचन प्रसाद द्वारा परिवहन कार्यालय का उन पर बकाया 1,37,900/- रु0 का भुगतान 29 नवम्बर, 2006 को करके कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तहसील कर्मचारियों द्वारा श्री बेचन प्रसाद को 17 नवम्बर, 2009 को नोड्यूज का प्रमाण-पत्र दिखलाने के बावजूद भी गिरफ्तार कर कारागार में बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

श्री बेचन प्रसाद निवासी हबीबपुरा थाना चेतगंज, वाराणसी से रुपये 1,37,900/- की जगह वाहन पर देय एकबारीय कर रुपये 10,560/- दिनांक 29-11-2009 को जमा करा लिया गया।

संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 02-02-06 के अनुसार वसूली की कार्यवाही के दौरान जारी गिरफ्तारी अधिपत्र दिनांक 10-12-2009 के अनुपालन में बाकीदार श्री बेचन प्रसाद को तहसील कर्मियों द्वारा दिनांक 17-12-2009 को गिरफ्तार कर हवालात में बन्द किया गया किन्तु गिरफ्तारी के बाद बाकीदार के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 17-12-2009 को संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 16-12-2009 की छायाप्रति प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षणोपरान्त बाकीदार श्री बेचन प्रसाद को दिनांक 17-12-2009 को ही हवालात से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार बकायेदार श्री बेचन प्रसाद के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट थाना पहाड़ी के अम्बेडकर ग्राम बरेठी में टूटे विद्युत पोलों को ठीक कराकर विद्युत सप्लाई चालू किये जाने की जानकारी

40-श्री उदयराज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट के थाना पहाड़ी के अम्बेडकर ग्राम बरेठी का विद्युतीकरण वर्ष 1982 में कराया गया था ? क्या यह सही है कि वर्ष 2009 में आये आंधी तूफान में ग्राम बरेठी में अधिकतर विद्युत पोल टूट कर गिर गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार टूटे पोलों को बदलवाकर विद्युत सप्लाई चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

विद्युत लाइनों को सही कराकर विद्युत आपूर्ति चालू करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित पुराने टिकैतगंज के आवासों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने की मांग

41-श्री सुल्तान बेग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित पुराने टिकैतगंज में ऐसे कितने आवास हैं, जिनमें इलेक्ट्रानिक मीटर नहीं लगे हैं ? क्या यह सही है कि जिन आवासों में इलेक्ट्रानिक मीटर नहीं लगे हैं, उन उपभोक्ताओं द्वारा वर्षों से पुराने मीटरों के माध्यम से एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ जांच कराकर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने एवं इसके संचालन की तिथि से विद्युत एवं एयर कंडीशनरों के भार को दृष्टिगत रखते हुए किलोवाट का निर्धारण कर उक्त निर्धारित अवधि से धनराशि की वसूली करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

293 अदद।

जी हां।

लोड की जांच एवं इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की सतत् प्रक्रिया है। जांच के दौरान चोरी करने या अधिक विद्युत भार का उपभोग करते पकड़े जाने पर विद्युत भार गणना कर नियमानुसार निर्धारण/शमन शुल्क की वसूली की जाती है अन्यथा संयोजन विच्छेदित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, तहसील-महमूदाबाद में विद्युत विभाग के एस0डी0ओ0 के पद का सृजन एवं नियुक्ति की जानकारी

42-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में विद्युत विभाग के एस0डी0ओ0 के पद का सृजन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या

तहसील महमूदाबाद में एस0डी0ओ0 की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर में एस0डी0ओ0 का पद सृजित नहीं है।

तहसील महमूदाबाद में एस0डी0ओ0 का पद सृजित नहीं है। अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में विद्युत कंडक्टर बदले जाने एवं उन पर व्यय की गई धनराशि की जानकारी

43-श्री प्रदीप माथुर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन शहर सहित पूरे मथुरा जनपद में विद्युत कंडक्टर गत बीस वर्षों में कब-कब, कहां-कहां बदले गये हैं तथा उस पर व्यय होने वाली धनराशि कितनी है ? क्या यह धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा अपने आय के स्रोतों से वहन की गयी है या किसी अन्य योजना से वहन की गयी है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मथुरा एवं वृन्दावन नगर के अन्तर्गत गत वर्षों में लाइनो के क्षतिग्रस्त तारों को बदले जाने का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष	बदले गये विभिन्न प्रकार के तार की मात्रा	व्यय की गई धनराशि (लाख में)
1	ए0पी0डी0आर0पी0	2006 से 2009 तक	150 कि0मी0	356.40
2	जर्जर तार (प्रदेशीय योजना)	2008-09	108 कि0मी0	12.91
3	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत	2008-09 एवं 2009-10	166 कि0मी0	141.25
4	बिजनेश प्लान	2009-10	47 कि0मी0	30.55
			कुल योग	**541.11**

उक्त योजनाओं में व्यय की गई धनराशि का वहन पी0एफ0सी0/आर0ई0सी0 से वित्त पोषण एवं आन्तरिक संसाधनों से किया गया है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड फखरपुर की ग्राम सभा प्यारेपुर के राजस्व गांवों में स्ट्रीट लाइट स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी

44-श्री प्रदीप माथुर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा प्यारेपुर विकास खण्ड फखरपुर, जनपद बहराइच में अभिलेखों के अनुसार किन-किन राजस्व गांवों में कितनी-कितनी स्ट्रीट लाइट

स्वीकृत हैं तथा भौतिक रूप से कितनी-कितनी तथा किन-किन के आवास के सामने स्थापित हैं ? इसके लिये पूरा भुगतान कितना किया गया है ? उक्त स्ट्रीट लाइट किस कम्पनी की है तथा एक इकाई का व्यय क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य हेतु कितना भुगतान किया गया ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम सभा-प्यारेपुर विकास खण्ड फखरपुर वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त ग्राम सभा में कोई भी सोडियम लाइट नहीं लगाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

45-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

[दिनांक 09-8-2010 को अता0 प्रश्न सं0-192 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर, तहसील-महमूदाबाद में विद्युतीकरण कार्य

46-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-सीतापुर तहसील महमूदाबाद में इस समय कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है ? शेष गांवों में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था, उन सभी के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में किसी भी ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

47-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2005 से ''आशा'' योजना लागू की गई है। आशा मानद कार्यकत्री हैं तथा उन्हें कोई नियत वेतन या मानदेय दिये जाने का प्राविधान नहीं है। उन्हें उनके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। अतएव मानदेय बढ़ाने हेतु कोई विचार नहीं किया जा सकता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड हंडिया के अन्तर्गत ग्राम-जुडई का पुरा की कतिपय बस्तियों में ''लो बोल्टेज'' की समस्या के निदान हेतु उपाय

48-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड-हंडिया के अन्तर्गत ग्राम-जुड़ई का पुरा की यादव बस्ती/ब्राह्मण बस्ती एवं मुसलमान बस्ती के लोगों को ट्रान्सफार्मर अधिक दूर होने के कारण ''लो वोल्टेज'' की समस्या के कारण असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

मार्च, 2011 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के वन अधिकारी श्री आर0के0 त्रिपाठी के विरुद्ध सरकारी धन के गबन करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मीरजापुर में ए0के0 सिंह प्रभागीय वन अधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक मेमो/16 पी0सी0 दिनांक 8 अप्रैल, 2009 जो पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को श्री आर0के0 त्रिपाठी, क्षेत्रीय वन अधिकारी के विरुद्ध सरकारी धन का गबन करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

प्रश्नगत पत्र पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को प्राप्त हुआ है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 17-4-2009 द्वारा पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को सूचित किया है कि प्रश्नगत पत्र (मेमो/16पी0सी0, दिनांक 08 अप्रैल, 2009) उनके फर्जी हस्ताक्षर से प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी/रिपोर्ट को भी निरस्त कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

समग्र स्थिति उपर्युक्तानुसार है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामों व मजरों की विद्युतीकरण करने की नीति

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामों व मजरों को विद्युतीकरण करने की क्या नीति है ? क्या अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त ग्रामों/मजरों का

विद्युतीकरण कराने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत केवल अविद्युतीकृत (वर्जिन) राजस्व ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है।

जी हां।

अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 69 जनपदों की डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है जिनमें से जनपद रायबरेली एवं सुल्तानपुर की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इनमें कार्य प्रगति पर है। शेष 67 जनपदों की योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

हजरतगंज, विधान सभा होते हुए लखनऊ नगर के गोल मार्केट से चारबाग तक जाने हेतु आटो चालकों को आदेशित करने की मांग

51-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में गोल मार्केट के पास स्थित आटो स्टैन्ड पर आटो चालकों द्वारा चारबाग की सीधी सवारी बैठाने से हजरतगंज, विधान सभा मार्ग तक आने वाले नागरिकों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आटों चालकों को चारबाग के रास्ते में पड़ने वाले मुख्य स्थानों की सवारी बैठाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

सी0एन0जी0 आटो रिक्शा को पूरे नगर में संचालन हेतु एरिया परमिट दिये गये हैं न कि रूट परमिट। आटो रिक्शा को ठेका गाड़ी का परमिट जारी होने के कारण प्राविधानानुसार इनका संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये अनुमत होता है।

गोल मार्केट होते हुए हजरतगंज, विधान सभा होते हुए चारबाग तक पहुंचने के लिये अच्छी नगर बस सेवा संचालित है जिससे यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं। ठेका वाहन आटो रिक्शा को एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में रुक कर सवारियां बैठाने एवं उतारने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के कतिपय मोहल्लों में बन्दरों के आतंक को रोके जाने की कार्य योजना

52-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के चौक, डालीगंज, मायानगर (मायानगर महल वाली रोड), मुंशीगंज मोहल्लों में बन्दरों के आतंक से नागरिकों को काफी

असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों में बन्दरों को पकड़वाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां, जनपद लखनऊ के इन इलाकों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी बन्दरों के उत्पात की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

उत्पाती बन्दरों को पकड़वाने एवं भगाने की कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के डालीगंज, हसनगंज, मुंशीगंज एवं चौक, इमामबाड़ा आदि क्षेत्रों में 27 उत्पाती बन्दरों को पकड़ कर सुदूर स्थानों पर छुड़वाया गया तथा लगभग 360 बन्दरों को उक्त मोहल्लों से भगाया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में सी0एन0जी0 युक्त टैम्पों एवं बसों का संचालन

53-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में सी0एन0जी0 युक्त टैम्पो न होने से विधान सभा मार्ग तक आने वाले नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अलीगंज से रायल होटल होते हुए चारबाग तक जाने हेतु सी0एन0जी0 युक्त टैम्पो चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर

जी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 14 बसों की 146 नगर बसों की सेवा विधान सभा मार्ग होकर है। इसके अतिरिक्त निजी नगर बसें भी संचालित हैं जिससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है।

जी नहीं। मार्ग संख्या 31, 33 व 33 ए की परिवहन निगम की बसें अलीगंज होकर चारबाग के लिये संचालित है जिससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं है। जनहित याचिका संख्या 2102 (एमबी)/97 ब्रजेश कुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विधान सभा मार्ग पर टैम्पो-टैक्सी का संचालन प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ में चीफ इंजीनियर द्वारा विद्युत सब स्टेशनों में नान टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति के आदेश पर कार्यवाही की मांग

54-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इन्जीनियर जनपद-मेरठ के पत्रांक संख्या-3610 दिनांक 2-11-2006 द्वारा टेक्निकल पदों पर नान टेक्निकल अर्थात बिना आई0टी0आई0 डिप्लोमा पद धारक को नियुक्त न किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं ? क्या उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए वर्तमान में विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, 33/11 के0वी0 उपस्थान, कमला नेहरू नगर, सब स्टेशन, गाजियाबाद पर नान टेक्निकल कर्मचारी को प्रभारी, जे0ई0 के पद पर पद स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नान टेक्निकल पद

धारक को हटाकर टेक्निकल पदधारक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

चयनित अवर अभियन्ताओं की तैनाती होते ही नान-टेक्नीकल टी0जी0-2 प्रभारी को हटा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फिल्मांकित की गई फिल्मों के निर्माताओं को शासकीय अनुदान

55-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फिल्माकिंत की गयी फिल्मों को शासकीय अनुदान हेतु कितने निर्माताओं ने आवेदन किया है ? इनमें से कितनों को अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त किये जा चुके हैं ?

सुश्री मायावती-

जी हां, प्रदेश में फिल्मनीति (संशोधित)-2001 के अन्तर्गत प्रदेश में फिल्मांकित की गई फिल्मों को शासकीय अनुदान प्रदान करने हेतु कुल 47 फिल्म निर्माताओं के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से नियमानुसार चयनित 20 फिल्म निर्माताओं को अनुदान स्वीकृत व अवमुक्त किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की नीति

56-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां, प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म नीति (संशोधित)-2001 प्रख्यापित की गई है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के पोखरा कला में पावर हाउस चालू किये जाने की जानकारी

57-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पोखरा कला, तहसील-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में पावर हाउस के निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक पावर हाउस के निर्माण का कार्य पूर्ण करके चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पोखराकलां का निर्माण कार्य पूर्ण करके दिनांक 31-10-2010 तक चालू कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में विद्युतीकरण की मांग

58-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के कितने ग्रामों में वर्ष 2005 से 31-3-10 तक एच0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा 100 से अधिक आबादी वाले कितने मजरों में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

बुन्देलखण्ड में वर्ष 2005 से 31-03-2010 तक 1266 राजस्व ग्रामों एवं 133 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण की योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ के ताल सलोना, पम्प कैनाल में बिजली आपूर्ति की जानकारी

59-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के ताल सलोना, पम्प कैनाल को बिजली की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितने घण्टे बिजली आपूर्ति करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में ग्रामीण एवं तहसील क्षेत्र को मानक के अनुसार 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है, परन्तु मांग एवं उपलब्धता में भारी अन्तर होने के कारण जनपद आजमगढ़ के ताल सलौना पम्प कैनाल को प्रतिदिन ग्रामीण एवं तहसील कार्यक्रम के तहत 8 घण्टे साप्ताहिक अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति की जा रही हैं

प्रश्न नहीं उठता।

60-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[दिनांक 10-8-2010 को अता0 प्रश्न सं0-181 द्वारा उत्तरित]

61-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा की जानकारी

62-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की बसों में ही विकलागों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

प्रदेश के विकलांगों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा की मूल नियमावली के नियम-7 (2) में उल्लिखित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को सहवर्ती सहित शासनादेश संख्या-277/65-2-2008-185/97, दिनांक 22 अप्रैल, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित समस्त श्रेणी की बसों में गंतव्य स्थानों तक निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत दाइयों का मानदेय/सुविधायें बढ़ाये जाने की मांग

63-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत दाइयों का मानदेय/सुविधायें बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अंशकालिक दाइयों के मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो वर्ष 2005-06 से प्रारम्भ हुआ के अन्तर्गत केवल संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई है। भारत सरकार स्तर से अंशकालिक दाइयां, जो घरेलू प्रसव ही कराती थीं, को हतोत्साहित करने हेतु दिया जाने वाला मानदेय समाप्त कर दिया गया है।

जनपद आगरा के मधुनगर में विद्युत व्यवस्था की जानकारी

64-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के मधुनगर में तारों एवं ट्रान्सफार्मरों के जर्जर होने के कारण प्रतिदिन विद्युत बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

आगरा शहर के वितरण फ्रेन्चायजी, मै0 टौरेन्ट पावर लि0 को निर्देशित कर दिया गया है कि निरीक्षण करके मधुनगर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखें।

आगरा शहर के वितरण फ्रैन्चायजी मै0 टोरैन्ट पावर लि0 ने पूरे शहर की विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 360 करोड़ का रोल आउट प्लान बनाया है जिसका कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जानकारी

65-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्यमिता विकास संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ में वर्तमान निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन के प्रशासनिक विभाग एवं न्याय विभाग द्वारा निदेशक के पद पर की गयी उक्त प्रतिनियुक्ति को नियम विरुद्ध माना गया है ? यदि हां, तो क्या प्रतिनियुक्ति पर तैनात उक्त अधिकारी को उनके मूल विभाग को वापस भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री चन्द्र देव राम यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसीलदार निचलौल जनपद महराजगंज द्वारा समिति की कुर्की एवं वसूली की कार्यवाही

66-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज के निचलौल ब्लाक में स्थित कृषक सेवा सहकारी समिति लि0 निचलौल के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम महराजगंज द्वारा वाद संख्या-14/2001 अशोक कुमार बनाम शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, गोरखपुर, शाखा निचलौल में पारित आदेश के क्रम में कोई आर0सी0 जारी की गयी है ? यदि हां, तो क्या धन की वसूली कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूसिंह कुशवाहा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसीलदार निचलौल जनपद महराजगंज द्वारा दिनांक 14-8-2008 को समिति में उपलब्ध सम्मार एवं डेड स्टाक की कुर्की कर ली गई है तथा वसूली की कार्यवाही चल रही है।

तहसील-सादाबाद के बेदई, मई व मांगरू सहकारी समिति के गोदामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, सहकारिता को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-163/रालोद/विमदल/विस/2010 दि0 8 मार्च, 2010 जो तहसील-सादाबाद के बेदई, मई व मांगरू सहकारी समिति के गोदामों का सम्पर्क मार्ग व ग्राम गढ़उमराव सहकारी समिति पर उपगोदाम भवन निर्माण किये जाने के सम्बन्ध है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

पत्र पर जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 महामायानगर द्वारा अपर जिला सहकारी अधिकारी, सादाबाद से जांच कराई गई। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि सहकारी समिति बेदई, मई व मांगरू के गोदाम सम्पर्क मार्ग से क्रमशः 50 मीटर, 65 मीटर व 600 मीटर दूरी पर स्थित है। बेदई व मई समितियों तक सम्पर्क मार्ग से उक्त वर्णित मार्ग कच्चा है जहां ट्रक पहुंचने में परेशानी होती है तथा मांगरू के सम्पर्क मार्ग से समिति तक खड़ंजा लगा है जिससे ट्रक समिति तक पहुंच जाता है। बेदई व मई समितियां हानि पर हैं तथा इनके पास ऐसी कोई निधि नहीं है जिससे मार्ग को पक्का कराया जा सके। सहकारी समिति गढ़उमराव का मुख्यालय ग्राम बिलारा में है तथा ग्राम गढ़उमराम में समिति का उर्वरक बिक्री केन्द्र स्थित है। उक्त समिति पर भी ऐसी कोई निधि नहीं है। जिससे उपगोदाम भवन निर्माण कराया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत में चपरासी से लिपिक पद पर पदोन्नति की जानकारी

68-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-पंचायत मुजफ्फरनगर में लिपिक पद पर नियुक्ति विषयक प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-019/रालोद/सा0वि0स0/010 दिनांकित 22-01-010 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

चपरासी से लिपिक पद पर पदोन्नति जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार किया जाता है, क्योंकि जिला पंचायत के अ-केन्द्रीय संक्रामक संवर्ग के कर्मचारियों का नियुक्त प्राधिकारी जिला पंचायत है। मा0 सदस्य, विधान सभा के उक्त पत्र दिनांक 22-1-10 पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर को शासन के पत्र संख्या-10वी0आई0पी0(1)/33-2-10-14बी/10, दिनांक 31-5-10 द्वारा निर्देशित कर दिया गया

है। मा0 सदस्य को शासन के अर्द्ध0शा0पत्र संख्या-10वीआई0पी0/33-2-10-14बी/10, दिनांक 31-05-10 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की फसलों में हाईटेंशन लाईट के टूटे तार से लगी आग की क्षतिपूर्ति का प्राविधान

69-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की फसलों में हाईटेंशन लाईन के तार टूट कर गिरने से आग लगने पर हुई क्षति की भरपाई हेतु सहायता राशि देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका मानक क्या है ? क्या सरकार वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में दी गई क्षतिपूर्ति का विवरण सदन के पटल रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विद्युत अग्निकाण्ड से हुई फसल की क्षति का आंकलन तहसीलदार/जिलाधिकारी द्वारा किये जाने एवं निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन तथा विभागीय जांच आख्या के आधार पर संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से फसल अग्निकाण्ड क्षतिपूर्ति की स्वीकृति का प्राविधान है।

वर्ष 2007-08 एवं 2009 में क्षेत्रवार फसल अग्निकाण्ड क्षतिपूर्ति का विवरण कारपोरेशन के विभिन्न डिस्काम कम्पनियों एवं क्षेत्रीय इकाइयों से एकत्रित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण

70-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को क्रमशः 21% 2% तथा 27% आरक्षण का लाभ देते हुए सीटों का बंटवारा सुनिश्चित कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आरक्षण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो जनसंख्या के आधार पर इन जातियों का जनपदवार प्रतिशत कितना-कितना है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रदेश में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत क्रमशः 0.06 तथा 21.15 के आधार पर प्रधानों के पदों की कुल संख्या के क्रमशः 0.06 प्रतिशत पद तथा 21.15 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिये प्रधानों के पदों की कुल संख्या के अधिकतम 27 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में को-आपरेटिव बैंक द्वारा अर्जित लाभ एवं निवेश

71-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि को-आपरेटिव बैंक जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कितना-कितना लाभ अर्जित किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अर्जित लाभ से बैंक द्वारा कहीं निवेश किया गया ? यदि हां, तो किन-किन मदों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूराम कुशवाहा-

डिस्टिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि0 मुजफ्फरनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में मु0 12,55,29,102.67 रु0 एवं वर्ष 2009-10 में मु0 12,61,21,939.40 रु0 का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

जी हां।

वर्ष 2008-09 में अर्जित शुद्ध लाभ रु0 12,55,29,102.67 में से 25 प्रतिशत रु0 3,13,82,275.00 रक्षित निधि में, रु0 10,000.00 रिसर्च एवं डेवलपमेंट फण्ड में रु0 10,00,000.00 भवन कोष में, रु0 5,80,00,000.00 कैपिटल फण्ड में रु0 1,52,88,695.00 कृषि ऋण स्थिरता कोष में आरक्षित किया गया। 0.5 प्रतिशत रु0 6,27,645.00 शिक्षा निधि में प्रेषित किया गया। रु0 1,69,21,127.17 समितियों पर अतिदेय ब्याज के विरुद्ध आरक्षित रखा गया। रु0 2,01,60,137.00 सहकारी संस्थाओं को लाभांश दिया गया तथा रु0 74,76,802.30 बैंक स्टाफ इन्सेन्टिव हेतु आरक्षित रखा गया इन धनराशियों में गत वर्ष का अवितरित लाभ रु0 2,53,36,578.80 भी शामिल है। वर्ष 2009-10 के शुद्ध लाभ का निस्तारण बैंक की सामान्य निकाय की बैठक न होने के कारण नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन, थाना भवन व बघरा में शेष ग्रामों का विद्युतीकरण

72-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन, थाना भवन व बधरा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है व किन-किन ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण होना प्रस्तावित है ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन, थाना भवन व बघरा में सभी राजस्व ग्राम त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में कोई राजस्व ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनति नहीं था।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में विकास क्षेत्र ऊन के 97 विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के शेष भाग एवं 33 मजरों, विकास क्षेत्र थाना भवन के 56 विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के शेष बचे हुए भाग तथा विकास क्षेत्र बघरा के 33 विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के शेष बचे हुए भाग एवं 3 मजरों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम इन्देमऊ ब्लाक बीघापुर जनपद उन्नाव में निजी नलकूप धारकों को विद्युत आपूर्ति

73-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इन्देमऊ, ब्लाक-बीघापुर जनपद-उन्नाव में कितने ऐसे निजी नलकूप धारक हैं जिनके नलकूप के बिजली के खम्भे/तार विगत कई वर्षों पूर्व आंधी-तूफान आने के कारण टूट गये हैं ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त एवं टूटे खम्भे एवं तार को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। ग्राम इन्दमऊ ब्लाक बीघापुर जनपद उन्नाव में कुल 12 निजी नलकूप धारक हैं, जिनके नलकूप की विद्युत आपूर्ति वर्तमान में सामान्य रूप से चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की क्षेत्र पंचायतों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षों में धन आवंटन की जानकारी

74-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की क्षेत्र पंचायतों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में धन के आवंटित व्यय का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद-मुजफ्फरनगर की क्षेत्र पंचायतों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में धन आवंटित नहीं किया गया है, क्योंकि जनपदों की स्वीकृत परियोजना में क्षेत्र पंचायतों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में विद्युत की बचत हेतु सी0एफ0एल0 बल्बों का प्रयोग को बढ़ावा देने की कार्य योजना

75-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत की बचत हेतु सी0एफ0एल0 बल्बों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो

क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सी0एफ0एल0 पर सब्सिडी प्रदान किये जाने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। ऊर्जा संरक्षण अधिनियमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को स्टेट डिगिजनेटेड एजेन्सी नामित किया है। ऊर्जा बचत किये जाने हेतु कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

शासनादेश सं0-1260/चौबीस-पी-3-2009, दि0 23-07-2009 में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :-

1-सरकारी सेक्टर/सहकारी सहायता प्राप्त सेक्टर/बोर्डों तथा निगमों/स्वायत्त निकायों/संस्थाओं के नये निर्मित होने वाले भवनों में इन्केंडेसैंट बल्बों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(1) यह आज्ञापक होगा कि विद्यमान भवनों में खराब इन्केंडेसैंट बल्बों को जब बदला जाये तो केवल काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी0एफ0एल0) से ही बदला जायेगा।

(2) यह आज्ञापक होगा कि विद्यमान भवनों से ट्यूब लाइट की चोक जब भी बदली जाय तो इलेक्ट्रानिक चोक से ही बदली जाय।

(3) विद्युत उपयोगिता में नये कनेक्शन अथवा नया लोड जारी/स्वीकृत करते समय पारम्परिक बल्ब के स्थान पर सी0एफ0एल0 के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस आदेश के जारी होने के तीन महीने के भीतर लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक उपांतरण करना होगा।

(4) कार्यालयों में केवल उन्हीं स्थानों पर लाइट एवं पंखा चलाया जाए जहां पर वास्तव में कार्य हो रहा है।

(5) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय कक्ष से बाहर जाने पर लाइट एवं पंखे को ''आफ'' किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) सूर्योदय होने पर स्ट्रीटलाइट, पार्कों आदि की 'लाइट आफ' कर दी जाए।

2-ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत तथा ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा समय-समय प्राप्त सुझावों के अनुसार ऊर्जा बचत हेतु निम्न प्रस्ताव विचाराधीन है :-

(क) नये निर्मित होने वाले सभी इण्डस्ट्रियल/वाणिज्यिक/इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में सी0एफ0एल0/टी-5 28 वाट ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट्स/लाइट इमीटिंग डायोड (एल0ई0डी0) लैम्प का प्रयोग अनिवार्य किया जाना है।

(ख) सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निकायों/निगमों में नये निर्मित होने वाले भवनों में साधारण 40 वाट ट्यूब लाइट के स्थान पर टी-5 28 वाट ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट/लाइट इमीटिंग डायोड (एल0ई0डी0) लैम्प का उपयोग अनिवार्य किया जाना है।

(ग) उ0प्र0 नगरीय आवास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों, हाउसिंग काम्प्लेक्स, निजी/अर्द्धसरकारी/एटोनोमस इन्स्टीट्यूट्स द्वारा विकसित की जा रही नई कालोनियों में ऊर्जा

कुशल स्ट्रीट लाइट यथा सी0एफ0एल0/टी-5 28 वाट ट्यूब लाइट/लाइट इमिटिंग डायोड (एल0ई0डी0) लैम्प का उपयोग अनिवार्य किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

76-श्री संजय कपूर-

[दिनांक 10-08-2010 को अता0 प्रश्न सं0-184 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ नगर में परिवहन निगम द्वारा संचालित नगर बसों का बस स्टाप बहुखण्डी मंत्री आवास, डालीबाग लखनऊ में बनाये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

77-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम द्वारा संचालित नगर बसों का बस स्टाप लखनऊ नगर में बहुखण्डी मंत्री आवास, डालीाबाग लखनऊ में बनाये जाने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम-/211684/2009, दिनांक 11-11-2009 प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-211684/2009, दि0 11-11-2009 नहीं वरन् संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-211604/2009, दि0 11-11-2009 प्राप्त हुआ है।

बस स्टाप का बोर्ड लगवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुराने वृक्षों का क्षेत्रफल एवं वृक्षारोपण का वर्षवार विवरण

78-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हेक्टेयर में पुराने वृक्ष हैं तथा वर्ष 2001 से अब तक विभिन्न योजनाओं द्वारा कितने-कितने हेक्टेयर में जनपदवार वृक्षारोपण किया गया है ? क्या यह सही है कि मौजूद वन क्षेत्र की भूमि से अधिक क्षेत्रफल में सरकारी बजट द्वारा वृक्षारोपण हो चुका है ? क्या सरकार पिछले 10 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण का तुलनात्मक अन्तर निकाल कर बतायेगी कि कितने करोड़ का घोटाला वृक्षारोपण में हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 2009 के अनुसार प्रदेश के 1434100 हेक्टेयर क्षेत्र वनाच्छादित है अर्थात् इसमें पुराने वृक्ष भी सम्मिलित है।

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा 290179 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। इसका वर्षवार एवं जनपदवार विवरण संलग्न† है।

जी नहीं। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र की भूमि से अधिक क्षेत्रफल में सरकारी बजट द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 218-223 पर।)

जनपद बांदा में जिला पंचायत द्वारा सामुदायिक भवनों का निर्माण

79-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2009-10 में जिला पंचायत, बांदा द्वारा 120 सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों की सरकारी भूमि में गांव सभा के प्रस्ताव पर उक्त निर्माण कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव पर निजी जमीनों पर बिना किसी वैध हस्तान्तरण के सरकारी धन का दुरुपयोग कर निजी भूमि पर ठेकेदारों द्वारा भवन बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जिला पंचायत, बांदा को वर्ष 2009-10 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना (बी0आर0जी0एफ0) द्वारा 120 सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 102 सामुदायिक भवन, ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा 07 ग्राम सभाओं में निजी जमीनों पर वैध हस्तान्तरण कर (रजिस्ट्रीकरण द्वारा) विभाग के पक्ष में कराये जाने के बाद ठेकेदारों द्वारा सामुदायिक भवन बनाये गये हैं। 11 स्थलों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा की ग्राम डांडामऊ, ब्लाक जसपुरा में पुनः विद्युतीकरण कराकर सप्लाई चालू किये जाने की मांग

80-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बांदा के ग्राम डांडामऊ, ब्लाक जसपुरा का विद्युतीकरण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रा0 प्रा0 डांडामऊ सहित ग्राम की बस्ती में विद्युतीकरण कराकर सप्लाई चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बांदा के ग्राम डांडामऊ, ब्लाक जसपुरा का विद्युतीकरण पूर्व में किया गया था, परन्तु आंधी-तूफान से खम्भे टूट जाने के कारण इसके पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

दिनांक 30-09-2010 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री अब्दुल वारिस खां-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

82-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[दिनांक 11-08-2010 को अता0 प्रश्न सं0-186 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में बिजली कटौती रोके जाने की मांग

83-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी को विद्युत कटौती से मुक्त कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव कस्बा व देहात में पिछले 02 माह में औसतन 08 घण्टे 20 मिनट विद्युत आपूर्ति की गयी।

जी नहीं।

प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग के अन्तर के दृष्टिगत जनपद मैनपुरी के कस्बा व देहात में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र भोगांव के कस्बा व देहात में विद्युत आपूर्ति की मांग

84-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के कस्बा व देहात में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है ? क्या सरकार मैनपुरी के कस्बा व देहात में 18 घण्टे बिजली देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव कस्बा व देहात में पिछले 02 माह में औसतन 08 घण्टे 20 मिनट विद्युत आपूर्ति की गयी।

जी नहीं।

प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग के अन्तर के दृष्टिगत जनपद मैनपुरी के कस्बा व देहात में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

जनपद बांदा में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की जानकारी

85-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2007-08 से 31 मार्च, 2010 तक लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

जनपद बांदा में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से 31 मार्च, 2010 तक वर्षवार निम्न विवरण के अनुसार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है :-

वर्ष	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
2007-08	17835
2008-09	27996
2009-10	31240
कुल योग	77071

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कार्य किये जाने की मांग

86-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के किन-किन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं वायरिंग के अपूर्ण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित 175 प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्ष 2009-10 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत 90 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 42 विद्यालयों के वाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष विद्यालयों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

अवशेष कार्य दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

87-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द के ग्रामों में विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी नियम-301 के अन्तर्गत विधान सभा में दिनांक 28-02-08 को दी गयी सूचना पर मा0 मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सर्वे कराकर शीघ्र विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी एवं बड़ोखर खुर्द के सभी राजस्व ग्राम पूर्व में ही विद्युतीकृत हैं। उक्त सभी विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों का सर्वे कराया गया जिसके अनुसार ब्लाक जसपुरा के मडौलीकला, डोडामऊ तथा झंझरी, ब्लाक तिन्दवारी के खैरी, खजुरी तथा बड़ेहरा एवं ब्लाक बड़ोखर खुर्द के चटचटगन, मरौली, चमरहा तथा घूरंडी ग्रामों की लाइनें क्षतिग्रस्त पाई गई। इनके पुनर्निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्त तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के पुरवा फीडर लाइन पर पड़ने वाले ग्राम पहाड़पुर एवं अन्य ग्रामों में विद्युत सप्लाई बाधित होने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

88-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के पुरवा फीडर लाइन पर पड़ने वाले ग्राम पहाड़पुर एवं अन्य दर्जनों ग्रामों में वर्ष 1992-93 से विद्युत सप्लाई बाधित होने तथा सप्लाई चालू कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-3-10 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव, मु0 गुड्डा में रखे बिजली ट्रान्सफार्मर को हटाये जाने की मांग

89-श्री आलोक कुमार शाक्य

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी के कस्बा भोगांव, मु0 गुड्डा में रखे बिजली ट्रान्सफार्मर से मकानों के ऊपर से 11 हजार बोल्ट की विद्युत लाइन निकली है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से उक्त ट्रान्सफार्मर को हटा कर किसी खाली जगह पर स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव मु0 गुड्डा में परिवर्तक तथा 11 के0वी0 लाइन पूर्व से ही स्थापित है। बाद में लाइन के नीचे लोगों द्वारा मकान बनवा लिये गये हैं।

प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त जांच कराई गयी। जांच के उपरान्त परिवर्तक को तकनीकी रूप से कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाना, सकरी गलियां एवं घनी आबादी के कारण सम्भव नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र निघासन के तिकुनिया मण्डी में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन की सतह को ऊंचा करके ट्रान्सफार्मर रखे जाने की मांग

90-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, निघासन में तिकुनिया मण्डी में 33 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन 10 फिट गहरे गड्ढे में बने होने के कारण हर वर्ष बाढ़ व वर्षा का पानी उसके ट्रान्सफार्मर में भर जाता है जिससे बिजली महीनों तक बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी सतह (प्लिन्थ) को ऊंचा करके ट्रान्सफार्मर को रखवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

33 के0वी0 सब-स्टेशन 10 फीट गहरे गड्ढे में नहीं बना है। वस्तुतः यह लो लाईन क्षेत्र है जहां बाढ़ व वर्षा का पानी भर जाता है जिससे बिजलीघर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एवं कोई अप्रिय घटना न हो, इस कारण से पूरा बिजली घर बन्द कर दिया जाता है। पानी उतरने के बाद ही विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है। वर्ष 2009 में बाढ़ का पानी उतरने के उपरान्त 17 दिन के अन्दर उक्त विद्युत उपकेन्द्र चालू कर दिया गया था तथा सम्पूर्ण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी थी।

ट्रान्सफार्मर को ऊंचा करने से सम्पूर्ण बिजलीघर चालू करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है एवं जानमाल की हानि होने की पूर्ण संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

91-92-श्री राम बिशुन आजाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के टिकरी रेन्ज में वनों की अवैध कटान एवं उससे प्राप्त राजस्व की जानकारी

93-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के रामगढ़ टिकरी रेन्ज में भारी पैमाने पर वनों के अवैध कटान से वन सम्पदा की काफी क्षति हो रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अवैध कटान से वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितनी वन सम्पदा के राजस्व की हानि हुई ? क्या वन विभाग द्वारा उक्त अवैध कटान को रोकने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी नहीं।

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में टिकरी रेन्ज में कुल रु0 2,24,392/-का अवैध कटान हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 1,98,858/-का प्रकाष्ठ बरामद किया गया तथा अभियुक्तों से

रु0 2,16,700/-प्रतिकर वसूला गया। इस तरह रु0 2,24,392/- के अवैध कटान के सापेक्ष कुल रु0 4,15,558/- की प्रतिपूर्ति हुई। अतः राजस्व की हानि नहीं हुई है।

उपलब्ध संसाधनों से वन अधिकारियों द्वारा जंगल की निरन्तर गश्त कर अवैध कटान रोकने की कार्यवाही की जाती है। अवैध कटान पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने की मांग

94-श्री संजय कपूर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को 01-04-2006 से देय पुनरीक्षित छठा वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी नहीं है। अतः वेतन आयोग की संस्तुतियां जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।

लखनऊ नगर में आई0टी0 चौराहे से हजरतगंज विधान सभा मार्ग होते हुए चारबाग तक टैम्पों चलाये जाने की मांग

95-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि विगत कई वर्ष पूर्व लखनऊ नगर के टैम्पों आई0टी0 चौराहे से यूनिवर्सिटी से हजरतगंज विधान सभा मार्ग होते हुए चारबाग तक संचालित थे ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए आई0टी0 चौराहे से हजरतगंज विधान सभा मार्ग होते हुए चारबाग तक के लिए टैम्पो चलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

जी नहीं। विधान सभा मार्ग (हजरतगंज-चारबाग) नगर बस मार्ग संख्या-1 सरोजनीनगर-चारबाग-हजरतगंज-निशातगंज-पालीटेक्निक-चिनहट का मार्गाश है और जनहित याचिका संख्या-2102 (एम0बी0)/1997 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत नगर बस मार्ग संख्या-1 पर टैम्पों-टैक्सियों का संचालन निषिद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देकर सप्लाई चालू किये जाने की मांग

96-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा, हमीरपुर महोबा, चित्रकूट में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों का वर्ष 2005 से 31-3-10 तक विद्युतीकरण किया गया है ? क्या गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों (बी0पी0एल0) को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या जनपद बांदा के ग्राम झंझरी, बरेहटा सहित कई ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने बी0पी0एल0 परिवारों को कनेक्शन देकर सप्लाई चालू की गयी है ? उनका विवरण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005 से 31-03-2010 तक 701 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

जी हां।

जनपद बांदा के ग्राम झंझरी एवं बरेहटा पूर्व से विद्युतीकृत हैं, परन्तु मुख्य लाइन के आंधी-तूफान से ध्वस्त हो जाने के कारण इसके पुनः निर्माण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम झंझरी एवं बरेहटा में कोई बी0पी0एल0 संयोजन नहीं है। लाइन के पुनःनिर्माण की कार्यवाही करने के पश्चात् नियमानुसार बी0पी0एल0 कनेक्शन दिये जायेंगे।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कस्बा-कटरा में विद्युत आपूर्ति की मांग

97-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कस्बा-कटरा में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण शिड्यूल के हिसाब से दी जा रही है, जबकि बिल शहरी क्षेत्र के अनुसार भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के दरों के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कस्बा कटरा की आबादी 15000 से अधिक है जोकि टाउन एरिया में आता है।

उपर्युक्तानुसार उक्त क्षेत्र ग्रामीण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर ब्लाक कांठ में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

98-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर, तहसील सदर, ब्लाक-कॉटा की ग्राम पंचायत भैसंटाकलॉ के राजस्व ग्राम रसेम व भैसटा खुर्द में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर, ब्लाक कांठ की ग्राम पंचायत भैसदाकलां के राजस्व ग्राम रखैम व सैसवाखुर्द का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आशियाना में विद्युत बिलों के बकाया धनराशि की वसूली एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

99-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ स्थित विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, आशियाना (विद्युत उपकेन्द्र) के अन्तर्गत भवन संख्या-एस0एस0 1, ई0डी0 1/500 से भवन संख्या-ई0डी0-1/950 के मध्य के किन-किन उपभोक्ताओं पर रु0 10,000.00 से लेकर रु0 50,000.00 तक और उससे अधिक की धनराशि विद्युत बिल के रूप में बकाया है ? उन उपभोक्ताओं से वसूली हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रश्नगत भवनों पर विद्युत बकाये एवं उक्त की वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

(1) श्रीमती मधुरिमा, पत्नी श्री ओमशंकर शुक्ला, एसएस-1/576-बकाया राशि-53536.00 (स्थाई विच्छेदन धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

(2) श्रीमती सुनीता चौधरी, पत्नी श्री जगदीश कुमार ईडी-1 सेक्टर-डी 1-717-बकाया राशि-18514.00 (स्थाई विच्छेदन धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

(3) श्रीमती पद्मा देवी, पत्नी स्व0 विशुनदास एसएस-1-758 सेक्टर-डी-बकाया राशि-15458.00 (विच्छेदित धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

(4) श्री संतोष सिंह शाप नं0-7 ईडी-1 515, 516 सेक्टर-डी-1-बकाया राशि-29601.00 (विच्छेदित धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

(5) श्री ए0के0 पाण्डेय, पुत्र श्री आर0डी0 पाण्डेय ई-1, 868 सेक्टर-डी-1-बकाया राशि-96887.00 (स्थाई विच्छेदन धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

(6) श्रीमती मलिका फिरदौस, पत्नी श्री नूर मोहम्मद एसएस-1, 794 सेक्टर-डी-1-बकाया राशि-14630.00 (विच्छेदित धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

(7) श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री राम अवतार ईडी-1/588 सेक्टर-डी-1-बकाया राशि-11897.00 (विच्छेदित धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत)

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को समयबद्ध प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा

100-डा0 अनिल चौधरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को 5 वर्ष व 16 वर्ष के सेवाकाल पर समयबद्ध प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या समस्त चिकित्सक इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

जी हां।

कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 13-2-1995 द्वारा 05 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान तथा शासनादेश दिनांक 12-2-1996 द्वारा 16 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा के उपरान्त वैयक्तिक वेतनमान की सुविधा दिनांक 31-11-2008 तक अनुमन्य है।

उपर्युक्त शासनादेशों के अन्तर्गत अर्ह चिकित्सकों को अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त गुण-दोष के आधार पर इस सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे कार्य की जानकारी

101-श्री संजय कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील विलासपुर में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण अभी अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

उपकेन्द्र का निर्माण कार्य माह सितम्बर, 10 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया कमेटी में 5 एम0बी0 का नया ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने की मांग

102-श्री संजय कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की टाउन एरिया, कैमरी का 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित होने के कारण कैमरी कस्बे को विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टाउन एरिया के लिए 5 एम0वी0 का नया ट्रान्सफार्मर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद रामपुर टाउन एरिया कैमरी का 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र भीषण गर्मी पड़ने के दौरान अतिभारित हो जाता है वर्तमान में उपलब्धता के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 3+5 एम0वी0ए0 से 2x5 एम0वी0ए0 करने का प्राविधान बिजनेस प्लान वर्ष 2010-11 में कर किया गया है।

दिनांक 31-3-2011 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम सहित ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी के जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम सहित किन-किन ग्रामों का अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम सहित सभी अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों का संतृप्तीकरण एवं मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर तथा गोण्डा में जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि

104-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर तथा गोण्डा में जननी सुरक्षा के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया और किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में जनपद बलरामपुर को रु0 62,72,000/-एवं जनपद गोण्डा को रु0 1,05,65.000/-की धनराशि दिनांक 5-5-2010 को आवंटित की गई है।

विकास खण्डवार लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद-बलरामपुर		जनपद-गोण्डा	
विकास खण्ड	संख्या	विकास खण्ड	संख्या
उतरौला	250	कोजीदेवर	23
हरैया सतधरवा	332	इटियाथोक	259
पचपेड़वा	174	कटरा बाजार	185
कौवापुर (तुलसीपुर)	203	हलधरमऊ	63
बलरामपुर	112	मुहजेना	106
गैसड़ी	169	रूपईडीह	358
गैड़ास बुजुर्ग	117	पडरीकृपाल	72
रेहरा बाजार	241	मनकापुर	102
श्रीदत्तगंज	159	तरबगंज	357
कुल	**1757**	बेलसर	373
		परसपुर	408
		नवाबगंज	449
		वजीरगंज	369
		करनैलगंज	513
		बभनजीत	210
		मसकनवा	201
		गोण्डा नगर	1521
		कुल	**5569**

विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा द्वारा गत वर्षों में बिना निविदा के सामान की आपूर्ति की जानकारी

105-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा द्वारा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में कितने कुन्तल नट, बोल्ट एवं फ्यूज वायर बिना निविदा के आपूर्ति किये गये हैं एवं उसकी वर्षवार लागत क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि खरीदी गयी सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

आपूर्ति नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा नार्थ फीडर पर मरम्मत के कार्य पर व्यय विवरण की जानकारी

106-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा नार्थ फीडर का वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में कितनी-कितनी बार मरम्मत का कार्य कराया गया एवं उस पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त फीडर पर मरम्मत का कार्य न कराकर फर्जी बिल, बाउचर बनाकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद गोण्डा में विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा नार्थ फीडर पर वर्ष 2007-08 में टेण्डर के माध्यम से मरम्मत कार्य में रु0 1.03 लाख व्यय किया गया तथा आवश्यकतानुसार लाइनों के अनुरक्षण में लघु व्यय के माध्यम से वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में क्रमशः 0.80 लाख तथा 0.69 लाख रु0 का धन व्यय हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा में कैश चेस्ट तोड़कर लाखों रुपये की चोरी के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की मांग

107-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा में क्या 29 सितम्बर, 06 को कैश चेस्ट तोड़कर लाखों रुपये की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उक्त प्रकरण में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-कोतवाली, गोण्डा में की गई। प्रकरण की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्ष एवं वृक्षों की जीवितता

108-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर कितने-कितने वृक्षों का रोपण किया गया ? क्या विभाग द्वारा इसकी जांच करायी गयी कि इन दो वर्षों में रोपित वृक्षों में से कितने प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में रोपित पौधों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	रोपित पौधों का विवरण			
	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित पौधों की संख्या	ब्रिक गार्ड में रोपित पौधों की संख्या	कुल रोपित पौधे
2008-09	850	1012998	252	1013250
2009-10	710.7	660900	1642	662542

वर्ष 2008-09 व 2009-10 की स्थलवार वृक्षारोपण की सूची संलग्न† है।

जीवितता का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण इकाई विभाग द्वारा वृक्षारोपण के दो वर्ष बाद सफलता प्रतिशत का आंकलन किया जाता है। परन्तु जिला स्तर पर मुजफ्फरनगर वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर वर्तमान में औसत सफलता प्रतिशत निम्नानुसार है :-

रोपण वर्ष	जीवितता प्रतिशत
2008-09	87 (जून, 2010 के अनुसार)
2009-10	96 (मई, 2010 के अनुसार)

वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत निर्धारित मानक के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में समस्त गांवों के विद्युतीकरण की मांग

109-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव अभी तक विद्युतीकरण से वंचित हैं तथा कितने गांवों में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है ? क्या सरकार शेष सभी गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की परिभाषा के अनुसार सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं। थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के 153 राजस्व ग्रामों का आंशिक विद्युतीकरण हुआ है।

जी हां।

† छापी नहीं गयी।

आंशिक विद्युतीकरण ग्रामों के शेष भाग एवं सभी मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत/व्यय धन का विवरण

110-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में जनपद-मुजफ्फरनगर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्षवार कितना-कितना धन स्वीकृत/व्यय किया गया तथा कितना धन शेष है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद मुजफ्फरनगर में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में प्राप्त धन/व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रु0 में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2007-08	713.41	572.29
2008-09	94.17	243.43
2009-10	354.40	152.88
योग	1161.98	959.60

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वर्षवार कुल आवंटित धनराशि रु0 1161.98 लाख के सापेक्ष रु0 959.60 लाख व्यय किया गया तथा रु0 202.38 लाख अवशेष है।

जनपद मुजफ्फरनगर में चयनित ग्राम सभाओं के मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

111-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन, थानाभवन में बघरा में कितने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2010 तक हो चुका है ? क्या चयनित ग्राम सभाओं के मजरों का भी विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन, थानाभवन तथा बघरा में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 40 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण किया जा चुका है।

जी हां।

चयनित ग्रामों के 21 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 31-03-2010 तक पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में खरीदे गये धान के मूल्य का भुगतान

112-श्री सुखलाल-

क्या सरकार बतायेगी कि जिला पीलीभीत में पी0सी0एफ0 द्वारा खरीदे गये धान के मूल्य के बदले केन्द्र प्रभारियों द्वारा दिये गये चेक संस्था के खाते में पैसे न होने के कारण बैंकों द्वारा वापस कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का पैसा ब्याज सहित दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

सचिव, सहकारी संघ, कलीनगर, जनपद पीलीभीत द्वारा जारी किये गये 52 चेक जो बैंक द्वारा वापस कर दिये गये थे, के भुगतान हेतु धनराशि पी0सी0एफ0 द्वारा सहकारी संघ, कलीनगर को उपलब्ध करायी गयी है। उससे किसानों का भुगतान करा दिया जायेगा। ब्याज दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

कृषकों द्वारा चेक प्रस्तुत करने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा गढ़ी पुख्ता में बैंक की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

113-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-013/रालोद/स0वि0स0/10, दिनांक 22-1-10 जो मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित है तथा जो कस्बा गढ़ी पुख्ता, जनपद मुजफ्फरनगर में बैंक की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

श्री अयूब राव पुत्र श्री मुस्ताक राव के भवन का बैंक प्रबन्ध समिति द्वारा गठित भवन चयन समिति द्वारा प्रस्तावित भवन का निरीक्षण किया गया। श्री अयूब राव का भवन चयन समिति द्वारा बैंक शाखा हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में मिनी ग्राम सचिवालय निर्माण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

114-श्री प्रदीप माथुर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, पंचायती राज अनु0-3 के पत्र संख्या 1447(1)/33-3-09, दिनांक 30 जुलाई, 09 द्वारा प्रश्नकर्ता को ग्राम पंचायत प्यारेपुर, ब्लाक फखरपुर, जनपद-बहराइच में मिनी ग्राम सचिवालय निर्माण के संबंध में सूचित किया गया है कि बी0आर0जी0एफ0 का परीक्षण कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत प्यारेपुर, विकास खण्ड-फखरपुर में ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण का प्रस्ताव जिला योजना समिति, बहराइच की बैठक दिनांक 02-08-2009 में अनुमोदित हो चुका है तथा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 04-08-2009 में प्रस्ताव पारित/अनुमोदित किया जा चुका है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड फखरपुर के प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर के निर्माणाधीन शौचालय में की गयी अनियमितता में अपूर्ण कार्य हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

115-श्री प्रदीप माथुर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0-85 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्माणाधीन शौचालय पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसे विद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच किसी जांच अधिकारी को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का विवरण क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जी नहीं।

अपूर्ण होने के कारण।

जी हां।

जांच आख्या के अनुसार स्कूल शौचालय में गड्ढा एवं पिट कवर का निर्माण नहीं कराया गया है।

ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबन्धित करते हुए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गयी है तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवानिवृत्त श्री बी0एन0 मुखर्जी मेन्स सहायक की पेंशन का भुगतान

116-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड तृतीय बरेली से दिनांक 31-3-2006 को सेवानिवृत्त हुए श्री बी0एन0 मुखर्जी मेन्स सहायक को पेंशन अभी तक प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् पेंशन स्वीकृत न करने का क्या कारण है तथा उक्त के लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं। श्री बी0एन0 मुखर्जी, मेन्स सहायक को पेंशन का भुगतान, पेंशन भुगतान इकाई द्वारा माह, मार्च, 2010 से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत बरेली जोन में सेवानिवृत्त एवं दिवंगत कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन व अन्य लाभ प्रदान किये जाने की जानकारी

117-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत बरेली जोन में दिनांक 01-01-2006 से 31-3-09 के मध्य कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं दिवंगत हो गये हैं ? क्या उक्त कर्मचारियों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 397/पी0एण्डआर0-28/पा0का0लि0 2009-10 पी0एड0 आर0/98, दिनांक 02-03-09 के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक देयकों का भुगतान न करने के लिये उत्तरदायी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

बरेली क्षेत्र के अधीन दिनांक 01-01-06 से 31-03-09 के मध्य कुल 228 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए एवं 51 कर्मचारी दिवंगत हुए।

उपरोक्त सेवानिवृत्त 228 कर्मचारियों में से 203 कर्मचारियों एवं दिवंगत 51 कर्मचारियों में से 40 कर्मचारियों को उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-397-पी0 एण्ड आर0-28/पाकालि/09-10-पी0 एण्ड आर0-28/98, दिनांक 2-3-09 के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक/नैवृत्तिक लाभ प्रदान कर दिये गये हैं तथा शेष 36 कर्मचारियों के पेंशन पुनरीक्षण प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जैसे ही शेष 36 सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रदेश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण का विवरण

118-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण का विवरण क्या है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक से पोलियो रोग से बचाव हेतु आच्छादित किया जाता है।

उक्त के साथ-साथ प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत छः जानलेवा बीमारियों (क्षय रोग, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस एवं मीजिल्स) के बचाव हेतु बी0सी0जी0, डी0पी0टी0, पोलियो तथा खसरे के टीके जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्रों पर प्रत्येक बुधवार व शनिवार को निःशुल्क लगाये जाते हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम कैडी विकास खण्ड थानाभवन में हाट पैठ का निर्माण कार्य

119-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2005-06 में ग्राम कैडी, विकास खण्ड थानाभवन में हाट पैठ (किसान मण्डी बाजार) का निर्माण प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्माण आज तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत कब्जे हटवाकर हाट पैठ (किसान मण्डी बाजार) का निर्माण पूर्ण कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी नहीं।

अनाधिकृत कब्जे हटवाते हुए हाट पैठ का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

जनपद सहारनपुर में अवैध रूप से संचालित डग्गामार वाहन एवं राजस्व की वसूली

120-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर से देवबन्द, नकुड़, गंगोह व ननौता तक बिना परमिट व बिना सरकारी टैक्स दिये भारी संख्या में अवैध रूप से डग्गामार वाहन संचालित है ? यदि हां, तो क्या राजस्व हानि को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं। सहारनपुर से गंगोह, ननौता, देवबन्द, नकुड़ राष्ट्रीयकृत मार्ग है। राजस्व हानि रोकने हेतु समय-समय पर चेकिंग के दौरान जो वाहन अनाधिकृत रूप से संचालित पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार थाने में बन्द कर राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिवहन निगम के डिपो (बस स्टैण्ड) से एक किलोमीटर की परिधि में निजी वाहनों के स्टैण्ड बनाये जाने पर रोक

121-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य परिवहन निगम के डिपो (बस स्टैण्ड) की एक किलोमीटर की परिधि में किसी निजी वाहन (बस अथवा टैक्सी) के संचालन

पर रोक है ? यदि हां, तो क्या सहारनपुर शहर स्थित राज्य परिवहन निगम के डिपो (बस स्टैण्ड) पर यह व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां। परिवहन निगम के डिपो (बस स्टैण्ड) के एक किलोमीटर की परिधि में मोटर वाहनों यथा निजी बस, मिनी बस, टैक्सी तथा टैम्पो के स्टैण्ड बनाने पर रोक है।

जी नहीं।

सहारनपुर शहर में अम्बाला रोड स्थित नगर निगम द्वारा पूर्व में निर्मित बस स्टैण्ड को जहां से निजी बसें संचालित होती थीं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में ठेके पर लेने के कारण स्थिति भिन्न हो गयी है।

सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के पास परिवहन निगम का अपना बस अड्डा भी है और यहां से भी बसें संचालित होती हैं। इस बस अड्डे से एक किलोमीटर की परिधि में कोई निजी बस अड्डा नहीं है। सहारनपुर टैक्सी ओनर्स एसोसियेशन का टैक्सी स्टैण्ड नगर निगम द्वारा आवंटित है जो परिवहन निगम के बस अड्डे (निकट रेलवे स्टेशन) की एक किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत है और जो मा0 सिविल जज (सी0वी0) सहारनपुर द्वारा वाद संख्या-1034/07 में पारित स्थगनादेश दिनांक 9-1-2008 के कारण पूर्ववत् संचालित हो रहा है।

जनपद मुजफ्फरनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

122-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ब्लाकवार कौन-कौन से ग्राम/मजरों में विद्युतीकरण नहीं हुए हैं ? क्या सरकार शेष ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की परिभाषा के अनुसार सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के ब्लाक थानाभवन के अन्तर्गत 56 विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के शेष बचे हुए भाग तथा ब्लाक ऊन के अन्तर्गत 97 विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के शेष भाग तथा 33 मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना शेष है, जिनकी सूची मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जी हां।

विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के शेष बचे हुए भाग तथा मजरों के विद्युतीकरण की कार्यवाही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण

123-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008-2009 में कुल कितने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई व कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सफाई कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण जनपद के किन-किन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद मुजफ्फरनगर में 1031 पदों के सापेक्ष कुल 923 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गयी थी। वर्तमान में कुल 163 पद रिक्त हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्य का निरीक्षण जनपद स्तरीय अधिकारियों, जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों तथा वर्तमान में राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी ग्रामों में तैनात सफाई कर्मियों के कार्यों/उपस्थिति का निरीक्षण/सत्यापन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की बहेड़ी तहसील में मांग से कम विद्युत आपूर्ति की जानकारी

124-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले की बहेड़ी तहसील में वर्तमान में मांग से कम विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? तराई के अति उपजाऊ कृषि उत्पादक क्षेत्र बहेड़ी में क्या सरकार ग्रामीण किसानों को 18-20 घण्टे विद्युत आपूर्ति पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

बहेड़ी तहसील में विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार 8.00 घण्टे की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति सम्भव नहीं है।

जनपद बरेली की बहेड़ी नगरपालिका परिषद् में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण

125-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की बहेड़ी नगरपालिका परिषद् में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

बस स्टैण्ड बनाये जाने की योजना विचाराधीन है। भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही गतिशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में विद्युत आपूर्ति की घोषित एवं अघोषित कटौती की जानकारी

126-श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में विद्युत आपूर्ति में कितने घण्टे की घोषित एवं अघोषित कटौती की जा रही है ? क्या सरकार कटौती के घण्टों में कमी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता एवं आपूर्ति के मध्य अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर को 18 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किया जाना आदेशित है, जिसके सापेक्ष माह जुलाई, 2010 में औसत दैनिक घोषित कटौती 04 घण्टे एवं औसत दैनिक अघोषित कटौती 01 घण्टा 30 मिनट की गयी।

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग के मध्य अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर की कटौती के घण्टों में कमी किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

127-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[दिनांक 11-08-2010 को अता0प्र0सं0-35 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में गरीब व पिछड़ी जाति की बस्तियों में सोडियम लाइट लगाये जाने की मांग

128-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की बस्तियों में सोडियम लाइट/सोलर लाइट कितने ग्रामों में लगाकर संतृप्त कर दिया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार अनुसूचित जाति की बस्तियों की भांति गरीब व पिछड़ी जाति की बस्तियों में भी चयनित ग्रामों के अन्तर्गत सोडियम लाइट/सोलर लाइट लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत 11929 दलित बस्तियों में सोडियम लाइट लगायी गयी है।

वर्तमान में गरीब व पिछड़ी जाति की बस्तियों में सोडियम लाइट लगाये जाने हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा, हमीरपुर के जिला पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को ठेके के आवंटन का निर्देश

129-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर के जिला पंचायतों द्वारा आवंटित कार्यों में वर्ष 2008-09 से अब तक कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को ठेके/वर्क आर्डर दिये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि ठेकों के आवंटन में शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद बांदा तथा हमीरपुर के जिला पंचायतों द्वारा आवंटित कार्यों में वर्ष 2008-09 में से अब तक क्रमशः बांदा में 07 तथा हमीरपुर में 03 अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को ठेके/वर्क आर्डर दिये गये हैं।

जिला पंचायत बांदा, हमीरपुर द्वारा शासन के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में धन आवंटन की जानकारी

130-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 07-08, 09-10 एवं 10-11 में किन-किन क्षेत्र पंचायतों में कितना-कितना धन आवंटित किया गया तथा कितना व्यय किया गया तथा कितने कार्य पूर्ण कराये गये और कितने अधूरे हैं ? उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में जनपद प्रतापगढ़ में किसी भी क्षेत्र पंचायत को कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

अतः प्रश्न नहीं उठता है।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रतापगढ़ को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

131-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक श्री के0के0 गौतम तथा अन्य की संस्तुति पर पूर्वांचल विकास निधि जिलांश वर्ष 2008-09 में विभिन्न स्वीकृत धनराशि रु0 1,93,484 विद्युतीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रतापगढ़ को उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक कार्य न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त धनराशि के आहरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या 2784/1सी/ पू0वि0नि0/

जिलांश/09, दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्य शुरू कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

धनराशि का ट्रेजरी चेक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रतापगढ़ द्वारा वैधता तिथि तक बैंक में प्रेषित न किये जाने के कारण काल बाधित हो गया। चेक की वैधता अवधि बढ़ाने हेतु इसे मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का प्रश्नगत पत्र लोक निर्माण अनुभाग-14 में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य

132-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कुल कितने गांवों/पुरवों को विद्युतीकरण के लिये चयनित किया गया है तथा चयनित ग्रामों/पुरवों में कितना कार्य पूर्ण है, तथा कितना कार्य अपूर्ण है ? सरकार द्वारा अपूर्ण गांवों/पुरवों का विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में 292 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था, जिनके विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के द्वितीय चरण में 450 ग्रामों/मजरों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है।

द्वितीय चरण की योजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में राजीव गांधी ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य

133-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कुल कितने गांवों/मजरों/पुरवों को विद्युतीकरण के लिये चयनित किया गया है तथा उनमें से कितने गांवों/मजरों/पुरवों में कार्य पूर्ण हो गये हैं

और कितने में अपूर्ण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण गांवों/मजरों/पुरवों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 93 ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित किये गये थे, जिनके विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के द्वितीय चरण में 773 ग्रामों/मजरों को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है।

जी हां।

द्वितीय चरण की योजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत बांदा द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

134-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-4-10 जो जिला पंचायत बांदा द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण में की जा रही धांधली विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-505वी0एम0/33-2-10-17आर0डी0/10, दिनांक 12-7-10 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा के नियंत्रणाधीन गठित टी0ए0सी0 से कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर के अन्तर्गत मोतीगंज फीडर में नियमित विद्युत आपूर्ति की जानकारी

135-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- गोण्डा के विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर के अन्तर्गत मोतीगंज फीडर की आपूर्ति का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति आये दिन बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-मनकापुर के 11 के0वी0 मोतीगंज पोषक से 11 के0वी0 विश्व बैंक के नलकूपों के लाइन जोड़कर चलाया जा रहा है। आपूर्ति सामान्य है।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर में विश्व बैंक की विद्युत लाइनों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

136-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर में विश्व बैंक योजना के अंतर्गत स्थापित राजकीय नलकूपों को अलग से विश्व बैंक की विद्युत लाइन बनाकर जोड़ा गया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में विश्व बैंक की विद्युत लाइन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि विश्व बैंक के विद्युत लाइन के तारों को बेच लिया गया है एवं नलकूपों को मोतीगंज फीडर से जोड़कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे विद्युत आपूर्ति होने में बाधा हो रही है ? क्या सरकार विश्व बैंक विद्युत लाइन को पुनः चालू कराकर प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

आंधी तूफान के कारण विश्व बैंक की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं। क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है। अन्तरिम व्यवस्था में तब तक उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति मोतीगंज फीडर से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में स्वीकृत ग्राम सचिवालयों की जानकारी

137-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2007-08 में कितने ग्राम सचिवालय स्वीकृत हुए थे ? क्या कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम, गोण्डा द्वारा निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण कराया गया ? क्या यह सही है कि समय से कार्य प्रारम्भ न करने के कारण भवन निर्माण की सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि के कारण भवन निर्माण का कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया जा सकता है ? क्या सरकार कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य ठेकेदारी प्रथा से करवाये जाने के कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में कोई ग्राम सचिवालय स्वीकृत नहीं हुआ था। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत शेष के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद एटा में मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने सम्बन्धी-पत्र पर कृत कार्यवाही

138-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जलेसर जनपद एटा के कुछ मजरों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, एटा का पत्र संख्या 1280/विविमं(ए)/विद्युतीकरण दिनांक 13-4-2010 मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में पटना पक्षी विहार हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण

139-श्री कुबेर सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में वर्ष 2009-10 में पटना पक्षी विहार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ? क्या सरकार आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत पटना पक्षी विहार के विकास हेतु वर्ष 2009-10 में रु0 15.56 लाख तथा राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पटना वैटलैण्ड योजना में वर्ष 2009-10 में रु0 11.31 लाख कुल रु0 26.87 लाख की धनराशि आवंटित की गई।

जी हां, वर्ष 2009-10 में पटना पक्षी विहार के विकास एवं राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पटना वेटलैण्ड योजना में आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	कार्यक्रम	व्यय (लाख रुपये में)
क-पटना पक्षी विहार का विकास योजना		
1	इन्स्टालेशन आफ समर्सिबुल पम्प विद स्टोर-1 नं0	5.00
2	इन्स्टालेशन आफ स्टोर पैनल-2 नं0	1.00

क्र0सं0	कार्यक्रम	व्यय (लाख रुपये में)
3	डीपनिंग आफ लेक-5000 घमी0	3.50
4	वीड रिमूवल-15 है0	1.05
5	इंगेजिंग डेलीवेज मजदूर फार 365 मा0 दि0-मेन्टीनेन्स आफ नौकायन घाट	0.37
6	इंगेजिंग गेटमैन आफ दि वैरियर 730 मा0 दि0	0.73
7	मेन्टीनेन्स आफ वाच टावर-5 नं0	0.50
8	मेन्टीनेन्स आफ फेन्सिंग	0.50
9	नेचर कैम्प-1 नं0	0.25
10	एनीमल हेल्थ कैम्प-2 नं0	0.50
11	एक्स्टेंशन एवं पब्लिसिटी-ल0स0	0.50
12	प्रोटेक्शन आफ फायर हैजर्ड इन दि सेन्चुरी-ल0स0	0.30
13	इंगेजिंग एडीशनल विन्टर पेट्रोलिंग स्टाफ (4 वाचर अक्टूबर, 09 से फरवरी, 2010 तक)	0.70
14	मेन्टीनेन्स आफ हैण्डपम्प टॉयलेट एण्ड ड्रिकिंग फेसीलिटी	0.16
15	रिनोवेशन आफ इग्जिस्टिंग रोड	0.40
16	मेन्टीनेन्स आफ हैण्डपम्प	0.10
	योग-क	**15.56**
ख-राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम		
1	वीड इरेडिकेशन 30 है0	3.00
2	मेन्टीनेन्स आफ आईलैण्ड-5 नं0	0.50
3	कान्स्ट्रक्शन आफ वाच टावर-1 नं0	1.50
4	ट्रेलपाथ इन पाम एरिया-640 मी0	1.60
5	ब्यूटीफिकेशन आफ चिल्ड्रेन पार्क	1.40
6	नेचर गाइड-1 नं0	0.36
7	(अ) अवेयरनेस कैम्प 5 नं0 (ब) सेमीनार 1 नं0	2.20

क्र0सं0	कार्यक्रम	व्यय (लाख रुपये में)
8	होर्डिंग एवं साइनेज ल0स0	0.75
	योग-ख	**11.31**
	कुल योग-क+ख	**26.87**

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के बरेली जोन में आने वाले बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों की संख्या एवं देयों का भुगतान

140-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के बरेली जोन में आने वाले बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपदों में दिनांक 01-01-2006 से 31-08-09 तक कुल कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये और इनमें से कितने कर्मचारियों को उनकी सेवानैवृत्तिक क्लेम्स का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के बरेली जोन में आने वाले बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपदों में दिनांक 01-01-2006 से 31-08-2009 तक कुल 292 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और इनमें से 254 कर्मचारियों को उनकी सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान कर दिया गया है। शेष 38 कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक प्रकरण निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में ग्राम पंचायत अम्बरपुर के प्रधान एवं सचिव द्वारा की गयी अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

141-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में ग्राम पंचायत अम्बरपुर के प्रधान एवं सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में किये गये अनियमित कार्यों की जांच एवं स्थलीय सत्यापन के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक सं0-2152/सात-7/ शि0-1/2009-10 दिनांक 7-12-09 में कारण बताओ नोटिस जारी किया है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रकरण में दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा ग्राम पंचायत अम्बरपुर के दोषी प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को प्रतिबन्धित करते हुए ग्राम प्रधान के दायित्व एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा के ग्राम प्रधान धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध जांच विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08-4-10 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित जनपद-बांदा के ग्राम प्रधान धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र के तथ्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराने के आदेश जिलाधिकारी, बांदा को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी ढंग से स्वीकृत पेंशन को निरस्त कर पूर्व में आहरित की गयी पेंशन की धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने की स्वीकृति विषयक-पत्र

143-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (सामान्य) अनु0-2 का पत्र संख्या 330 जेड(2)6-9-82ए/86 दिनांक 02-04-09 जो कि फर्जी ढंग से स्वीकृत पेंशन को निरस्त कर पूर्व में आहरित की गयी पेंशन की समस्त धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने की स्वीकृति विषयक है, जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

श्री श्याम कुमार द्विवेदी द्वारा अब तक आहरित की गई पेंशन की धनराशि बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-150/स्व0सं0से सहा0, दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा कलेक्टर लखनऊ को वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है।

बकायेदार श्री श्याम कुमार द्विवेदी पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ई-1218 राजाजीपुरम्, लखनऊ के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुए दिनांक 5-8-2010 को तहसीलदार सदर, लखनऊ द्वारा उपस्थिति-पत्र जारी किया गया है जिसमें उपस्थिति हेतु दिनांक 12-8-2010 नियत है।

लखनऊ में निरालानगर स्थित उपकेन्द्र में बिजली लाइनों पर छा जाने वाली पेड़ की डालियों की छटाई मशीन का उपयोग न किये जाने के कारण दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

144-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में बिजली विभाग के निरालानगर स्थित उपकेन्द्र में बिजली लाइनों पर छा जाने वाली पेड़ की डालियों की छटाई हेतु रुपये 13 लाख की

एक मशीन विगत दस वर्षों से खड़ी है तथा उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। पूर्व में इससे पेड़ की डालियों की कटाई छटाई किये जाने का प्रयास किया गया था; परन्तु विद्युत दुर्घटना के दृष्टिगत अग्रेतर संचालन नहीं किया जा सका।

इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी बसों के संचालन हेतु इण्टर स्टेट मार्गों पर स्थायी तथा अस्थायी बस परमिट स्वीकृत/जारी करने की कार्यवाही

145-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी बसों के संचालन हेतु इण्टर स्टेट मार्गों पर स्थायी तथा अस्थायी बस परमिट जारी किये जाने हेतु मोटर बेहिकिल एक्ट, 1988 के प्राविधानों के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

प्रदेश में निजी बसों के संचालन हेतु इन्टर स्टेट मार्गों पर स्थायी तथा अस्थायी बस परमिट स्वीकृत/जारी करने की कार्यवाही मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (5) व (6) के अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों से समझौता सम्पन्न कराकर की जाती है। अधिनियम की इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों के साथ किये गये पारस्परिक परिवहन समझौतों में निजी संचालन की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका जलेसर से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों पर परिवहन निगम के बसों के संचालन विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

146-श्री कुबेर सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2008 जो नगरपालिका जलेसर से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों को परिवहन निगम की बसों के संचालन विषयक था, प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां। पत्र में निम्न मार्गों पर बसों के संचालन की अपेक्षा की गयी है :-

1-एटा-आवागढ़-जलेसर-आगरा

2-अलीगढ़-सिकन्दराराऊ-जलेसर-फिरोजाबाद

3-हाथरस-जलेसर-फिरोजाबाद

4-जलेसर-सादाबाद-मथुरा

5-आगरा-जलेसर-फिरोजाबाद

अपेक्षित मार्ग अराष्ट्रीयकृत है, जिन पर परमिट प्राप्त किये जाने हेतु सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़ एवं आगरा के अधीन प्रार्थना-पत्र आवेदित है जिनमें से क्रमांक-4 पर उल्लिखित मार्ग के 04 स्थायी परमिट दिनांक 6-8-2010 को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं तद्नुसार दिनांक 10-8-2010 से निगम बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ जनपद महामायानगर के प्रादेशिक को-आपरेटिव फेडरेशन के गोदामों की मरम्मत कराये जाने की मांग

147-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ, जनपद महामायानगर के प्रादेशिक को-आपरेटिव फेडरेशन के गोदाम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गोदामों की मरम्मत कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

148-श्री राम बिशुन आजाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत संचालित कोयला भट्ठियां

149-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर में वर्ष 2008-09 से अब तक तहसील बिन्दकी, खागा, फतेहपुर के सैकड़ों ग्रामों में हरे वृक्षों की कटान कर अवैध रूप से कोयला बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए हरे पेड़ों की कटान को रोकने व अवैध कोयला बनाने पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी नहीं।

जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत वर्तमान में 3 कोयला भट्ठियां मा0 न्यायालय के विभिन्न अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु बनाई गयी योजना

150-श्री मदन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उससे कितना विद्युत उत्पादन बढ़ेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विद्युत की आपूर्ति स्थानीय लोगों को किस प्रकार की जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

नयी ऊर्जा नीति-2009 के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा आफ सीजन में जब बगास विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध नहीं होने पर उत्पादन शून्य होता है, उस समय चीनी मिलों में स्थापित विद्युत उत्पादन संयंत्र को कोयले से चलाने पर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की उक्त नीति से प्रेरित होकर कई चीनी मिलों द्वारा कोयले से विद्युत उत्पादन करके लगभग 50 मेगावाट प्रदेश को विद्युत देना प्रारम्भ कर दिया है।

चीनी मिलों से प्राप्त ऊर्जा नियमानुसार प्रदेश की ग्रिड में प्रवाहित की जाती है, जिसका लाभ प्रदेश के सभी जनपदों की जनता को मिलता है और ग्रिड की प्रवाहित ऊर्जा से स्थानीय लोग भी लाभान्वित होते हैं।

जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कराये गये सम्पर्क मार्गों की जानकारी

151-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा करवाडीह से रामपुर, जनुवाडीह से प्रतापुर, रस्तीपुर से हसनपुर सिंधौरा, सेमरी गांव के शारदा सहायक नहर की पटरी से होते हुए बरेस्ता खुर्द गांव के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब-कब कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा करुवाडीह से रामपुर सम्पर्क मार्ग वर्ष 2003-04 में जगुवाडीह से प्रतापपुर सम्पर्क मार्ग वर्ष 2005-06 में, सेमरी गांव के शारदा सहायक नहर की पटरी होते हुए बरेस्ताखुर्द गांव के सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 2005-06 में कराया गया है। रस्तीपुर से हसनपुर सिंधौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है, किन्तु हसनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण डब्लू0बी0एम0 स्तर तक 2005 में जिला पंचायत द्वारा कराया गया है।

जगुवाडीह से प्रतापपुर सम्पर्क मार्ग पर 1.20 कि0मी0 की लम्बाई में लेपन स्तर का कार्य कराया जा चुका है। शेष सम्पर्क मार्गों पर लेपन स्तर का कार्य धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्राम रेवड़िया का विद्युतीकरण

152-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर, ब्लाक-जैतीपुर के ग्राम रेवड़िया में सरकार विद्युतीकरण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्राम रेवड़िया का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर में पटना पक्षी विहार स्थित शिव मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क लिये जाने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

153-श्री कुबेर सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा, विधान सभा क्षेत्र जलेसर में पटना पक्षी विहार स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क लिए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 23 मई, 2008 प्रमुख सचिव, वन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां।

इस पक्षी विहार के अन्तर्गत स्थापित प्राचीन शिव मन्दिर में पूजा अर्चना के लिये आने वाले व्यक्तियों को नहीं रोका जा रहा है और न ही उनसे कोई शुल्क वसूला जा रहा है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-2-2000 एवं 25-11-2005 के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार) में रोक लगाये जाने के फलस्वरूप पत्र में उल्लिखित मन्दिर के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

154-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज में अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कराना शेष है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शेष गांवों में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विधान सभा क्षेत्र, छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज के अन्तर्गत अब तक कुल 172 गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है एवं कोई भी राजस्व ग्राम विद्युतीकरण हेतु अवशेष नहीं है। 554 मजरे विद्युतीकरण के लिए शेष हैं जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर मजरों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज में 220 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की अभिलेखों में दर्ज होने की जानकारी

155-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज में निर्मित 220 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र लगा हुआ है लेकिन सरकार के अभिलेखों में उक्त 220 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र सोरिख कस्बा के नाम से दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्र को छिबरामऊ के नाम से दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जनपद कन्नौज में 220 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र कस्वा सोरिख के निकट बना है परन्तु सरकारी अभिलेखों में उसका नाम 220 के0वी0 उपकेन्द्र छिबरामऊ ही दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम सभा फतूहा की जोगियान बस्ती का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

156-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा फतूहा, विकास खण्ड-सैदाबाद का वर्ष 2007-08 में अम्बेडकर गांव चयनित होने के बाद विद्युतीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त गांव के जोगियान बस्ती में विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम सभा फतूहा की जोगियान बस्ती का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के

द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

157-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

[दिनांक 12-08-2010 को अता0प्र0सं0-186 द्वारा उत्तरित]

विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में विद्युत उपभोक्ताओं को शहरी शिड्यूल के हिसाब से विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

158-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज में विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल शहरी क्षेत्र की भांति वसूला जा रहा है तथा आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार छिबरामऊ में उपभोक्ताओं को शहरी शिड्यूल के हिसाब से विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाये गये वृक्षों की संख्या एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

159-श्री राजेश यादव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत कितने वृक्ष वर्ष 2009-10 में लगाये गये तथा उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं तथा कितने वृक्ष सूख (मृत) गये हैं ? क्या सरकार जांच कराकर उक्त के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

वर्ष 2009-10 में शाहजहांपुर वन प्रभाग में कुल 602115 पौधे लगाये गये हैं, जिनमें से 543830 पौधे जीवित पाये गये, जो लगाये गये पौधों का 90 प्रतिशत है।

जी हां, वर्ष 2009-10 में कराये गये वृक्षारोपण की जांच माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2009 में करायी गयी जिसमें 08 स्थलों पर शासनादेश संख्या-554/ चौदह-5-2003-15(10)/93, दिनांक 10-7-2003 में निर्धारित मानक से कम सफलता प्रतिशत पायी गयी। इसके लिए दोषी कार्मिकों-01 वन क्षेत्राधिकारी, 03 वनविद एवं 03 वन रक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक तिलहर के ग्राम जोधपुर नावदिया के विद्युतीकरण की मांग

160-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक तिलहर के ग्राम जोधपुर नावदिया का विद्युतीकरण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक तिलहर के ग्राम सोधपुर नाबदिया का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की बहेड़ी तहसील में गांवों की विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना

161-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले की बहेड़ी तहसील में गांवों की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने हेतु दो विद्युत सब स्टेशनों को बहेड़ी नगर तथा कताई मिल क्षेत्र में बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

बहेड़ी नगर के लिए किसी नये उपकेन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कताई मिल क्षेत्र में हरसू नगला में एक 1x5 एम0वी0ए0 क्षमता के उपकेन्द्र का निर्माण बिजनेस प्लान 2010-11 में प्रस्तावित है।

तकनीकी रूप से अभी बहेड़ी नगर में नये उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

जनपद कन्नौज के ग्रामों में विद्युत कटौती से छुटकारा दिलाये जाने की मांग

162-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कन्नौज के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में वर्तमान समय में विद्युत कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार समयबद्ध तरीके से विद्युत कटौती से छुटकारा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किया जाना आदेशित है, परन्तु वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण एवं विद्युत प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को 08 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव हो पा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण एवं तहसील स्तर पर विद्युत आपूर्ति की नीति का विवरण

163-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जिला मुख्यालय, तहसील स्तर एवं ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता एवं मांग के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रों को 14 घण्टे प्रतिदिन एवं तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 15 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किये जाने का मानक उ0 प्र0 शासन द्वारा आदेशित है, परन्तु वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण एवं विद्युत प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 08 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव हो पा रहा है।

डा0 अम्बेडकर कृषि सुधार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों में पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़े जाने की जानकारी

164-श्री हुकुम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जनवरी, 2010 को डा0 अम्बेडकर कृषि सुधार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कितने गांवों में पम्प सेटों को बिजली के अलग फीडर से जोड़ा गया है एवं 31 मार्च, 2011 तक और कितने गांव जोड़ दिये जायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

डा0 अम्बेडकर कृषि सुधार योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु पृथक रूप से पोषक निर्मित कराकर जोड़े जाने की योजना है। सम्प्रति जनपद मुजफ्फरनगर की योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था हो चुकी है जिसके सापेक्ष कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक लिपिकों एवं आकस्मिक श्रमिकों के विनियमितीकरण की नीति

165-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक लिपिकों एवं आकस्मिक श्रमिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के कोई आदेश भी हुए हैं ? यदि हां, तो उनका अनुपालन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

उ0 प्र0 राज्य भण्डारण निगम की कर्मचारी सेवा नियमावली में दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक लिपिकों/श्रमिकों के विनियमितीकरण की व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर, ग्राम-बिसावर के मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण न कराये जाने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

166-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 117 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिसावर, जनपद-महामायानगर के मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण न कराये जाने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं स्वीकृत धन की ब्याज सहित वापसी हेतु निर्देश दिए गए थे ? यदि हां, तो कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बिसावर के निर्माण की मूल स्वीकृत धनराशि रु0 3.30 लाख ड्राफ्ट संख्या-599724, दिनांक 2-6-2010 द्वारा विभाग को प्राप्त हो गयी है।

प्रकरण में उत्तरदायी तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक श्री पी0के0 गोयल के वर्ष 2003 से अनवरत अनधिकृत ड्यूटी से लापता होने के कारण व लेखाकार श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता के स्वर्गवास हो जाने के कारण इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकी है।

ग्राम-बरुआडीह, ब्लाक-देवरिया, जिला-देवरिया में पुराने व जर्जर तार बदलने का प्रस्ताव

167-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-बरुआडीह, ब्लाक-देवरिया, जिला-देवरिया में लगा बिजली का तार लगभग 15 वर्ष पुराना व जर्जर होने के कारण ग्रामवासियों को वोल्टेज नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली का तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम-बरवाड़ी, ब्लाक-देवरिया, जिला-देवरिया में लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने हेतु सम्बन्धित ग्राम व आस-पास के क्षेत्र के पुराने व जर्जर तार बदलने का प्रस्ताव बिजनेस प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मथुरा में मथुरा आगरा के मध्य नेशनल हाइवे पर स्थापित बस स्टैण्ड पर कर्मचारियों की तैनाती

168-श्री पूरन प्रकाश-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में मथुरा-आगरा के मध्य नेशनल हाइवे पर फरह बस स्टैण्ड स्थापित है ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में यह बस

स्टैण्ड जुआरियों एवं शराबियों का अड्डा बन चुका है ? क्या सरकार फरह बस अड्डे को पुनः सुचारु रूप से संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 29-1-2010 से 02 कर्मचारियों की तैनाती फरह बस अड्डे पर करके वाहनों के आवागमन की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम में लखनऊ के कार सेक्शन में कार्यरत क्लीनर स्व0 विजय शंकर भट्ट के पुत्र श्री अमित भट्ट की नियुक्ति की जानकारी

169-श्री उदयराज-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ के कार सेक्शन में कार्यरत क्लीनर, स्व0 विजय शंकर भट्ट की मृत्यु दिनांक 21-12-05 को हो गयी थी ? यदि हां, तो उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि मृतक आश्रित के रूप में उनके पुत्र श्री अमित भट्ट को अभी तक नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

न्यूनतम योग्यता न होने के कारण श्री अमित भट्ट को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

170-श्री मदन चौहान-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0प्र0सं0-189 द्वारा उत्तरित]

बाल श्रम पर नियंत्रण एवं बाल श्रमिकों के शिक्षण तथा पुनर्वास हेतु बनाई गयी नीति

171-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल श्रम पर नियंत्रण एवं बाल श्रमिकों के शिक्षण तथा पुनर्वास हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार द्वारा इस नीति के अनुसार जनपद- मुजफ्फरनगर में कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

जी हां।

बाल श्रम के नियंत्रण के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमित निरीक्षणों की कार्यवाही तथा विशेष अभियान चलाकर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है एवं दोषी नियोजकों के विरुद्ध अधिनियमों के उल्लंघन हेतु सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किये जाते हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 10-12-96 के निर्देशों के क्रम में उन चिन्हित सभी बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वास बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय में कराया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वास हेतु श्रम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की जाती है जिसमें प्रदेश के 46 जिले आच्छादित हैं। (जिला मुजफ्फरनगर परियोजना में सम्मिलित नहीं है) खतरनाक व्यवसायी/प्रक्रियाओं में चिन्हांकित बाल श्रमिकों के परिवारों को शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित कराकर उनका पुनर्वास भी कराया जाता है।

सर्वेक्षणों एवं नियमित निरीक्षणों के माध्यम से जिला मुजफ्फरनगर में खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में 341 एवं गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में 1158 बाल श्रमिक अर्थात् कुल 1499 बाल श्रमिक चिन्हित किये जा चुके हैं इन चिन्हांकित बाल श्रमिकों में 1031 बाल श्रमिकों को बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यालयों में प्रवेशित कराया गया है तथा 466 बाल श्रमिक प्रवासी व अन्य कारणों से विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र नहीं पाये गये। खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में चिन्हित 136 बाल श्रम परिवारों में से 17 परिवारों को शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वित कराया गया तथा 20 परिवार रोजगार में कार्यरत पाये गये। 17 परिवारों ने रोजगार सुविधा प्राप्त करने से इन्कार कर दिया, 69 परिवार प्रवासी व अन्य कारणों से रोजगार हेतु अपात्र पाए गए।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-मुजफ्फरनगर में ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय के निजी भवन निर्माण की जानकारी

172-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर का ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि कार्यालय पर अब तक कितना धन विभाग द्वारा किराये के रूप में भुगतान किया गया है ? क्या सरकार ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय का निजी भवन निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

विभाग द्वारा दिनांक 15-5-1977 से 31-5-2010 तक कुल रुपये 46,85,666/-(रुपये छियालिस लाख पचासी हजार छः सौ छाछठ) मात्र किराये के रूप में भुगतान किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

173-श्री छत्रपाल सिंह-

[दिनांक 12-08-2010 को अता0प्र0सं0-187 द्वारा उत्तरित]

जनपद-उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित संयुक्त महिला चिकित्सालय में भर्ती श्रीमती निशा देवी का दाहिना हाथ काटे जाने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

174-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित संयुक्त महिला चिकित्सालय में दिनांक 30-1-2010 को ग्राम कांटी, थाना अचलगंज की निवासी श्रीमती निशा देवी को डिलीवरी हेतु भर्ती किया गया ? यदि हां, तो क्या डाक्टरों की लापरवाही से गलत दवा-इलाज के कारण उनका दाहिना हाथ काट दिया गया ? क्या इसकी शिकायत जिलाधिकारी, उन्नाव से की गई, जिस पर जांच सं0-2009-10/ 1246 दिनांक 23-2-2010 की गई ? यदि हां, तो श्रीमती निशा देवी को कितनी क्षतिपूर्ति की गई तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-मथुरा की तहसील मथुरा में गिरिराज महाराज की परिक्रमा में आन्योर तथा जतीपुरा ग्राम सभा के आस-पास की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

175-श्री पूरन प्रकाश-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा की तहसील मथुरा में गिरिराज महाराज की परिक्रमा मार्ग में आन्योर तथा जतीपुरा ग्राम सभा के आस-पास 99.35 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार करोड़ों रुपये की जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा में गिरिराज महाराज की परिक्रमा के आन्यौर तथा जतीपुरा ग्राम सभा के आस-पास की आरक्षित वन भूमि में से केवल 0.087 एकड़ भूमि पर ही अतिक्रमण है।

0.087 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर मन्दिर, प्याऊ, गौशाला एवं कमरे बनाये गये हैं। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 61 ख (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

दिल्ली से सम्भल, मुरादाबाद, गजरौला से बिजनौर, चांदपुर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन

176-श्री मदन चौहान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से सम्भल, मुरादाबाद, गजरौला से बिजनौर, चांदपुर आदि मार्गों पर प्राइवेट टैक्सी जीप/बस आदि बिना टैक्स दिये चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के कोई उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

दिल्ली से संभल-मुरादाबाद राष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर कोई भी प्राइवेट बस संचालित नहीं है। मुरादाबाद से सम्भल के बीच केवल आल यू0पी0 तथा सम्भाग के परमिट से आच्छादित जीप टैक्सी, टाटा मैजिक वाहन ठेका गाड़ी के रूप में संचालित होती है। दिनांक 01-4-2010 से 30-6-2010 तक प्रश्नगत मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर 29 टैक्सी वाहनों के विरुद्ध अनियमितता पाये जाने पर चालान/बन्द की कार्यवाही की गयी तथा रु0 3.56 लाख कर के रूप में जमा कराया गया। उपर्युक्त मार्ग पर इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित हैं।

गजरौला से बिजनौर चांदपुर तक मार्ग भी राष्ट्रीयकृत मार्ग है। उपर्युक्त मार्ग पर भी कोई भी प्राइवेट बस संचालित नहीं है। परिवहन निगम की या उनकी अनुबन्धित बसें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त आल यू0पी0 एवं संभाग के परमिट से आच्छादित जीप टैक्सी, टाटा मैजिक वाहन ठेका गाड़ी के रूप में संचालित होती हैं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बिजनौर तथा जे0पी0 नगर द्वारा भी प्रश्नगत मार्ग पर दिनांक 1-4-2010 से 30-6-2010 तक अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी। फलस्वरूप बिजनौर में 11 टैक्सी तथा जे0पी0 नगर में 14 टैक्सी वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिससे करों के रूप में क्रमशः 1.99 लाख तथा रु0 2.76 लाख जमा कराया गया। इस प्रकार प्रश्नगत मार्ग से प्रत्येक टुकड़ पर चालने वाली जीप, टैक्सी, मैजिक एवं प्राइवेट जीपों के विरुद्ध सभी जनपदों में प्रभावी कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप सम्भाग में उपर्युक्त अवधि में 54 टैक्सी वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर रु0 8.31 लाख कर के रूप में जमा कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जे0पी0 नगर में खनन ठेकेदारों द्वारा गंगा में ब्रजघाट के पास जेसीबी पोपलेन मशीनों द्वारा मुख्य पानी की धारा के करीब से भारी मात्रा में खनन किये जाने की जानकारी

177-श्री मदन चौहान-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जे0पी0 नगर में खनन ठेकेदारों द्वारा गंगा में ब्रजघाट के पास बड़ी-बड़ी जेसीबी पोपलेन मशीनों द्वारा मुख्य पानी की धारा के करीब से भारी मात्रा में खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है ? यदि नहीं, तो सरकार ने गलत खनन के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-पीलीभीत की कतिपय तहसीलों में जर्जर बिजली के तारों को बदलने की कार्यवाही

178-श्री सुखलाल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पीलीभीत में माह अप्रैल 2010 में बिजली के जर्जर तारों से पीलीभीत की तहसीलों बीसलपुर, पूरनपुर, पीलीभीत में हजारों एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया तथा मकान एवं जानवरों की भी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर बिजली के तारों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद पीलीभीत में माह अप्रैल, 2010 में बिजली के जर्जर तारों से फसल, मकान व जानवरों की कोई क्षति नहीं हुई है।

जनपद पीलीभीत में वर्ष 2009-10 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत जनपद की तीनों तहसीलों में जर्जर तार बदला गया, विवरण अग्रलिखित है :-

1-बीसलपुर-11 कि0मी0

2-पीलीभीत-27 कि0मी0

3-पूरनपुर-4 कि0मी0

वर्ष 2010-11 में बिजनेस प्लान में दिये गये 36 कि0मी0 लक्ष्य के अनुसार जर्जर तार बदलने की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मथुरा में ब्लाक गोवर्धन के ग्रामीण अंचलों में जर्जर विद्युत तारों को बदलने की योजना

179-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत फरह, गोवर्धन एवं मथुरा ब्लाक के ग्रामीण अंचल में विद्युत खम्भों एवं जर्जर विद्युत तारों के टूटने से पिछले तीन वर्षों में कितनी जनहानि एवं पशु हानि (करेन्ट से मौतें) हुई ? क्या सरकार दुर्घटना को रोकने के लिए उक्त ग्रामों के टूटे खम्भे एवं जर्जर तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-मथुरा के गोवर्धन ब्लाक के ग्रामीण अंचल में पिछले तीन वर्षों में तार टूटने से 02 जनहानि एवं 05 पशुहानि हुई है।

जी हां।

वर्ष 2010-11 में उक्त ग्रामों के टूटे खम्भों एवं जर्जर तारों को बदलवाने हेतु बिजनेस प्लान के अन्तर्गत योजना बनाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत भवन बनाये जाने सम्बन्धी कथित जानकारी

180-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत भवन बनाये जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा पाण्डेय अतरकूशा (रामपुर) पो0 भंवरपुर, ब्लाक तरवा, तहसील-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ में भी पंचायत भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

चिकित्सा विभाग द्वारा कार्य सेविका की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने सम्बन्धी कथित जानकारी

181-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चिकित्सा विभाग द्वारा 11 अक्टूबर, 2009 को कार्य सेविका की परीक्षा प्रदेश में सम्पन्न करायी गयी थी ? यदि हां, तो उनमें से कितनों की नियुक्तियां की गयीं ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम मिढना भोड़ी में खराब हैण्डपम्प को ठीक कराने सम्बन्धी कथित जानकारी

182-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम मिढना भोड़ी में मस्जिद के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब है ? यदि हां, तो उक्त हैण्डपम्प कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी में खराब हैण्डपम्प एवं उन्हें ठीक कराये जाने की मांग

183-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्तमान में कितने इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार बन्द इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद में वर्तमान में 17 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब हैं तथा 1466 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य हैं। इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प में आने वाली अस्थायी खराबी को

ग्राम पंचायत से ठीक कराये जाने तथा रि-बोर की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम से कराये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाती है। माह जुलाई, 2010 तक 504 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी गयी धनराशि

184-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार द्वारा उक्त आवंटित धन में से कुछ धन केन्द्र सरकार को वापस भी किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	उपलब्ध करायी गई धनराशि
2007-08	रु0 1227.95 करोड़
2008-09	रु0 1431.76 करोड़
2009-10	रु0 1865.63 करोड़
2010-11	रु0 939.10 करोड़

(दिनांक 5-7-10 तक प्राप्त)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सघन पल्स पोलियो अभियान में लगे पर्यवेक्षक एवं वैक्सीनेटरों का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

185-श्री उदयभान करवरिया-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सघन पल्स पोलियो अभियान में लगे पर्यवेक्षक एवं वैक्सीनेटरों को दिया जाने वाला मानदेय रु0 75/-प्रतिदिन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के सिद्धान्तों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

उक्त धनराशि पर्यवेक्षक एवं वैक्सीनेटर को मानदेय के रूप में दी जाती है। अतः मजदूरों का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

चूंकि, पल्स पोलियो कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसकी धनराशि एवं दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। मानदेय बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग

186-डा0 अनिल चौधरी-

क्या संस्थागत वित्त, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में विगत 25 वर्षों से कार्यरत लगभग 400 दैनिक वेतन भोगी लिपिकों का वेतन रु0 64/-प्रतिदिन है ? क्या यह सही है कि इन लिपिकों का स्थानान्तरण अन्य जनपद/मण्डल में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी स्थानान्तरण प्रक्रिया को रोकने एवं दैनिक वेतन को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

जी नहीं।

कतिपय जनपदों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को मानक के अनुरूप कार्य उपलब्ध न होने अथवा कतिपय जनपदों में अत्यधिक संख्या में कार्यरत होने के कारण कुछ दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को उपलब्धता के आधार पर महानिरीक्षक निबन्धन, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा अन्य जनपदों/मण्डलों में समायोजित किया गया है।

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का स्थानान्तरण नहीं होता है। उनके दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा शहर में अवस्थित लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थानान्तरित कर शहर से बाहर अवस्थापित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

187-श्री प्रदीप माथुर-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर के प्रबन्ध निदेशक द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा को सम्बोधित तथा प्रश्नकर्ता को पृष्ठांकित पत्र सं0-2296 एस0आई0डी0सी0/एक्वी-मथुरा, दिनांक 31-3-10 जो मथुरा शहर में अवस्थित लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थानान्तरित कर शहर से बाहर अवस्थापित करने हेतु 500 एकड़ जमीन विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पत्र दिनांक 31-3-10 द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा से शहर में स्थित विभिन्न लघु उद्योगों को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु 500 एकड़ भूमि चिन्हित कराकर अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जो जिलाधिकारी, मथुरा से प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश के सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना

188-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अथवा गैर सरकारी प्राइमरी एवं जू0 हाई स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य का परीक्षण करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अथवा गैर सरकारी प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य का परीक्षण करने की योजना नहीं बनायी गयी है, परन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सितम्बर, 2008 से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की चरणबद्ध योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम (कक्षा 1-5 तक के बच्चों) तथा किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (जूनियर हाई स्कूल के बच्चों) 10-19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों हेतु प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक के क्षेत्र में चयनित प्राथमिक विद्यालयों में चिकित्सकीय दल द्वारा अपने भ्रमण के दौरान छात्रों के वजन, नजर की जांच, दांतों का परीक्षण, पेट के कीड़े व चर्म रोग आदि की पहचान व उपचार की सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही प्रत्येक बच्चे को पेट के कीड़ों के उपचार के लिए डी-वर्मिंग की गोली खिलाई जाती है। विद्यालय में पंजीकृत प्रत्येक बच्चे के लिए सप्ताह में 2 गोली की दर से 100 आयरन फोलिक एसिड की गोलियां पैकिंग समेत सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को दी जा रही हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षित अध्यापक इन गोलियों को बच्चों को सप्ताह में दो बार नियत दिवसों पर ''मिड-डे-मील'' के साथ खिलवाएं।

किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरियों (10-19 वर्ष आयु वर्ग) को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है उन्हें प्रत्येक छः माह में डी-वर्मिंग की गोली और रक्त अल्पता दूर करने के लिए साप्ताहिक रूप से आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाती हैं। नियत दिवस पर आयुष महिला चिकित्सा अधिकारी/हेल्थ विजिटर तथा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की टीम सम्बन्धित विद्यालय में जाकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किशोरी बालिकाओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करती हैं। इस परिचर्चा में विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा भी भाग लिया जाता है। तत्पश्चात् चिकित्सा टीम अपने सम्मुख सभी किशोरियों को डी-वर्मिंग की गोली खिलवाती हं और प्रत्येक किशोरी के लिए आगामी छः माह के लिए साप्ताहिक गणना के अनुसार आयरन फोलिक एसिड की गोलियां प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लाज कृष्ण गांधी के भाई के साथ घटित घटना का प्रकरण

श्री अध्यक्ष-

चलिये विधायक जी, आपको कहा था, चलिये आप अपनी बात कहिये।

*श्री राघव लखन पाल शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रशासनिक अराजकता का एक प्रतीक आपके सामने सदन के सामने रखना चाहता हूं। कल की एक घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र में सहारनपुर नगर विधान सभा क्षेत्र में, इसी सदन के दो बार सदस्य रहे माननीय श्री लाज कृष्ण गांधी जी, उनके भाई की मृत्यु सिटी मैजिस्ट्रेट...

श्री अध्यक्ष-

यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय व्यवस्था के बारे में कह सकते हैं।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

मान्यवर, उनके भाई की मृत्यु सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा मानसिक उत्पीड़न के कारण वहां मृत्यु हुई।

श्री अध्यक्ष-

मैंने समझा कि आप कोई व्यक्तिगत बात कहेंगे। इसलिये आपको मैंने कहा। यह तो एक घटना हुई उसका जिक्र आप कर रहे हैं यह गलत बात है। कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो ठीक है।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

उनके साथ वहां पर धक्का-मुक्की की गई और जिस प्रकार से उनके साथ हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं। कोई व्यक्तिगत समस्या हो, उसको आप कहें तो हम सुनते हैं। इसको हम नहीं सुनेंगे। कोई व्यवस्था का सवाल हो तो उसको हम सुनते हैं। आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। आपका पर्सनल कोई व्यक्तिगत प्रकरण हो तो उसमें हम सुनते हैं। यह नहीं। चलिये शुक्ला जी आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

दिनांक 3 फरवरी, 2010 को पूर्वांचल राज्य के गठन से सम्बन्धित 103 के प्रस्ताव पर स्थगित चर्चा को इस बार की कार्य सूची में सम्मिलित न किये जाने विषयक प्रकरण

*श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार 3 फरवरी, 2010 को हमने पूर्वांचल राज्य के गठन के लिये एक प्रस्ताव भेजा था तो आपके सचिवालय के पत्र संख्या-275 से यह प्राप्त हुआ कि यह 4 फरवरी को इस पर चर्चा की जायेगी और उसी दिन पत्र संख्या-286 से यह मिल गया कि यह चर्चा अब स्थगित की जायेगी लेकिन इस बार कार्य सूची में पूर्वांचल राज्य गठन का प्रस्ताव नहीं आया है। मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि इस पर व्यवस्था कर दी जाये। इसे तो शामिल होना चाहिए था। मान्यवर यह मेरा आपसे अनुरोध है और आप इस पर व्यवस्था देना चाहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह कार्य-मंत्रणा का विषय है, कार्य-मंत्रणा समिति बैठती है और उसको मैं यहां घोषित करूं ? कौन-कौन से कार्य, कौन-कौन से बिजनेस किस दिन लिये जायेंगे यह कार्य-मंत्रणा समिति तय करती है इसमें मैं यहां क्या व्यवस्था दूं। यह सब कार्य-मंत्रणा तय करती है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लाज कृष्ण गांधी के भाई के साथ घटित घटना का प्रकरण (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई बात कहते तो ठीक था। यह एक घटना के बारे में बता रहे हैं। घटना हम इनकी नहीं सुनेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, प्रश्न के सम्बन्ध में नहीं। इन्होंने 311 में एक नोटिस दिया था। प्रश्न शुरू होने से पहले इन्होंने उठाया था तो आपने यह कहा कि प्रश्न प्रहर खत्म होने के बाद मैं सुन लूंगा और उसी के तहत इन्होंने अपनी बात उठाई।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आ रहा है जीरो आवर, हम इनका सुन लेंगे। अभी 56 में हम सबका सुनेंगे हो सकता है इनकी भी सूचना ली हो तो इनकी सुन लेंगे। 56 में इनकी सूचना परिवर्तित हुई है 311 की सूचना।

दिनांक 3 फरवरी, 2010 को पूर्वांचल राज्य के गठन से सम्बन्धित 103 के प्रस्ताव पर स्थगित चर्चा को इस बार की कार्य सूची में सम्मिलित न किये जाने विषयक प्रकरण (क्रमागत)

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका विनम्र अनुरोध यह है कि चलिये इस सत्र में नहीं हो पाया तो अगले सत्र तक यह जारी रहे और चूंकि आप अध्यक्षता करते हैं कार्य-मंत्रणा समिति की यह तो वहां जा नही सकते मान्यवर, इसलिये आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि एक नये पूर्वांचल राज्य के गठन के इनके प्रस्ताव पर अगली बार चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक है, हम इसे कान्टीन्यू करा सकते हैं और क्या है व्यवस्था के बारे में। हम और कुछ नहीं सुनेंगे। प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हो तो कहें। यह नहीं कि जो चाहें कहें वो एक माननीय विधायक जी के एक विधेयक का मसला था उसको सुन लिया।

अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आज मेरा अतारांकित प्रश्न 15 नम्बर पर था ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित। प्रदेश में 71 जिले हैं उसमें से मैंने 8 जिलों के विषय में पूछा था कि 5 लाख के ऊपर के बिजली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कितने बकायेदार हैं उनका विवरण। लेकिन मान्यवर, वह प्रश्न विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया। छोटे-छोटे बिजली के बकायेदारों के यहां रोज छापा पड़ता है उनको बन्द किया जाता है लेकिन जो बड़े-बड़े बकायेदार हैं, उनके बारे में सदन जानना चाहता है। मान्यवर, इसका उत्तर नहीं दिया गया, आप इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

विस्तार से पूछा गया तो परीक्षण तो हमारे कार्यालय में होता है। हम इसका परीक्षण करते हैं कि विस्तृत तो नहीं है, परिधि में आता है कि नहीं उसका निस्तारण तो यहां से होता है। हमने इसको देखा होगा और उस आधार पर इसको निस्तारित किया होगा। इसको हम यहां से देखते हैं और उसके बाद स्वीकार करते हैं और अस्वीकार करते हैं। इसको देखकर हमने निर्णय किया होगा।

(श्री कुबेर सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के सम्बन्ध में ही व्यवस्था का प्रश्न कीजियेगा।

अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों से मिलने एवं वार्ता न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी इस सदन की नियमावली में आपके निर्देशानुसार कई निर्देश दिये गये हैं कि जब हम किसी अधिकारी से बात करें तो वह अधिकारी अगर नहीं है तो लौटकर हमसे बात करें। हम वहां सूचना छोड़ दें तो वह सूचना के अनुसार हमसे बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, सत्ता पक्ष के साथ कम हो रहा होगा हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था चाहता हूं आपके माध्यम से, अधिकारियों के पास इस तरह के निर्देश जाएं यह सारे सदन के लिए व्यवस्था का प्रश्न है वहां इस तरह के निर्देश जाएं कि हम लोगों के लिए इसमें कोई लापरवाही न की जाए कोई व्यस्तता है तो बाद में बात कर लें ऐसे निर्देश जाएं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है बैठ जाएं।

श्री कुबेर सिंह-

एक विधायक निधि से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के संदर्भ में कुछ कहना हो तो बतायें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 ले रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज दिनांक 13 अगस्त, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 63 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं जो पढ़ी हुई मानी गयीं।

1	श्री जगन प्रसाद गर्ग,	26	श्री जोखू लाल यादव,
2	श्री यशपाल सिंह चौहान,	27	श्री उदयराज,
3	श्री सुखलाल,	28	श्री जावेद अंसारी एडवोकेट,
4	श्री राधेश्याम गुप्ता,	29	श्री सुधीर कुमार,
5	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,	30	श्री राधेश्याम जायसवाल,
6	श्रीमती कृष्णाराज,	31	श्री राज किशोर सिंह,
7	डा0 राजेन्द्र सिंह,	32	श्रीमती चौधरी फसीहा बशीर उर्फ गजाला लारी,
8	श्री बजरंग बहादुर सिंह,	33	श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा,
9	श्री सुरेश्वर सिंह,	34	श्री छत्रपाल सिंह,
10	चौधरी रविन्द्र प्रताप,	35	श्री लालजी यादव,
11	श्री निर्मल वर्मा,	36	श्री रामपाल राजवंशी,
12	श्री अनिल दोहरे,	37	श्री विनोद कुमार,
13	श्री राजेश अग्रवाल,	38	श्री कुलदीप सिंह सेंगर,
14	श्री राजाराम त्यागी,	39	श्री अनूप कुमार गुप्ता,
15	डा0 हरगोविन्द भार्गव,	40	श्री दीप नारायण सिंह यादव,
16	श्री ओ0 पी0 सिंह,	41	श्री अम्बिका चौधरी,
17	श्री गेंदालाल चौधरी,	42	श्री सुरेश कुमार खन्ना,
18	श्री श्याम किशोर शुक्ल,	43	श्री आलोक कुमार शाक्य,
19	श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल,	44	श्रीमती मधुबाला पासी,
20	श्री बैजनाथ दुबे,	45	डा0 अनिल चौधरी,
21	श्री राजेश कुमार गौतम,	46	श्री पूरन प्रकाश,
22	श्री पंकज कुमार मलिक,	47	चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी,
23	श्री विशम्भर सिंह यादव,	48	श्री विद्या सागर गुप्ता,
24	श्री कैलाश चौरसिया,	49	श्री प्रजापालन वर्मा तथा
25	श्री प्रदीप माथुर,	50	श्री माता प्रसाद पाण्डेय।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें पुनरावृत्ति के आधार पर अस्वीकार की गईं :-

1-श्री संजय कपूर, 2-डा0 आर0 ए0 उस्मानी, 3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, 4-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, 5-श्री इमरान मसूद, 6-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, 7-श्री सर्वेश कुमार

सिंह 'सीपू', 8-श्री विश्वनाथ सिंह, 9-श्री कुबेर सिंह, 10-श्री महेश चन्द्र गुप्ता, 11-श्री आर0 के0 चौधरी, 12-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', 13-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह।

जनपद आगरा में मदिया कटरा चौराहे के पास स्थित मस्जिद में लाउडस्पीकर व शरारती तत्वों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आगरा में मदिया कटरा चौराहे के पास स्थित मस्जिद से लाउड स्पीकरों द्वारा संदिग्ध तत्वों की नमाज के नाम पर आपत्तिजनक भाषणबाजी एवं भारी शोर गुल की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आपका ध्यान मदिया कटरा पुल के निकट मध्य रेलवे की दिल्ली-मद्रास रेलवे लाइन तथा पुराने मथुरा रोड के मध्य सड़क और रेलवे लाइन से लगे एक पुराने धर्मस्थल (मस्जिद) के खण्डहर में विगत कुछ दिनों से शुरू हुई संदिग्ध आपत्तिजनक गतिविधियों की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

धर्मस्थल (मस्जिद) के खण्डवार के आस-पास इस समुदाय की कोई आबादी नहीं है। यहां पहले कभी कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता था, जबकि पिछले कुछ दिनों से मुश्किल से 20x25 फुट के खण्डवार का आकार बढ़ाकर 30x40 फुट का कर दिया गया है व उसे दो मंजिला बना दिया गया है जिस पर वहां की जनता को कोई आपत्ति नहीं है तथा पचास फुट ऊंची मीनार बनाकर उस पर चार लाउड स्पीकर लगाकर सुबह 5 बजे से ही लाउडस्पीकर से शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है, जो रात देर तक जारी रहता है। जिस पर आपत्तिजनक भाषण भी होते हैं। जबकि इस मस्जिद के पास चार विद्यालय और चार मन्दिर पास में ही मौजूद हैं। लाउडस्पीकरों की आवाज के कारण छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत व मन्दिरों में पूजा पाठ व आरती करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। लाउडस्पीकरों की आवाज के कारण यहां की शान्ति व्यवस्था बिगड़ सकती है तथा इसके कारण यहां के जनमानस में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से जनहित में मीनार से लाउडस्पीकरों को हटवाने व शरारती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

[मान्यवर, सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने की मांग वर्षों से की जा रही है इस हेतु वकीलों द्वारा कई बार मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। एक तरफ सरकार जनता को सस्ता न्याय देने की बात करती है तो दूसरी तरफ जनता की उपेक्षा भी सामने परिलक्षित होती है। सिकन्दराराऊ गांव से हाथरस स्थित न्यायालय लगभग 55 किमी0 दूर पड़ता है जिससे जनता को धन एवं समय की बर्बादी के साथ ही कठिनाइयों का भी सामना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करना पड़ता है। शासन स्तर पर यहां के नागरिकों की सुविधाओं के लिए मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने का प्रकरण काफी समय से लम्बित है। न्यायालय न खोले जाने से यहां के निवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर ब्लाक को विभाजित करके माधोटांडा व गड़वाखेड़ा को दो नये ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखलाल-

[जनपद पीलीभीत का पूरनपुर ब्लाक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी व लम्बा क्षेत्रफल वाला ब्लाक है, पूरनपुर ब्लाक में 20 न्याय पंचायत 156 ग्राम पंचायतें और 250 बी0डी0सी0 वार्ड क्षेत्र व 495 गांव हैं। जिला शाहजहांपुर के 94 गांव भी इसी ब्लाक में शामिल हो गये हैं। इसमें शारदा पार का क्षेत्र व जंगल पार का 54 कि0मी0 क्षेत्र नैपाल से जुड़ता है पूरनपुर ब्लाक को विभाजित करके माधोटाण्डा व गड़वाखेड़ा में दो नये ब्लाक बनाने की मांग समय-समय पर क्षेत्रवासी करते रहे हैं। इलाका काफी अधिक फैला होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी गांव-गांव नहीं पहुंच पाते हैं। जनता का कहना है कि ब्लाक का विभाजन करके ही विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। जिससे पूरनपुर ब्लाक का विभाजन करके दो नये ब्लाक बनाये जाने का कार्य सरकार करेगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय प्रमुख मार्गों को ठीक कराने/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम गुप्ता-

[महोदय,

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख मार्गों की हालत अत्यन्त खराब होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तारापुर (भिटौरा) से आलपुर नरही मार्ग, हसनापुर (लतीफपुर) से हैवतपुर पेंटिंग मार्ग, सिरसी (भलेवा) से जैचन्दापुर तक मार्ग, बीबीहाट से आम्बी तक पेंटिग मार्ग, फतेहपुर से सथरियांव मार्ग, जी0टी0 रोड से आजमाबाद भैसाही मार्ग, जी0 टी0 रोड से एकारी मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। इन मार्गों के खराब होने के कारण किसान अपना उत्पादन मण्डियों तक नहीं ले जा पाते हैं तथा मरीजों को चिकित्सालय जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे चिकित्सा के अभाव में अधिकांश मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जनहित में उपरोक्त मार्गों का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने हुतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ में राजा टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में राजा टिकैत राय द्वारा निर्मित ऐतिहासिक तालाब स्थित है। इस तालाब का निर्माण राजा टिकैत राय ने मुगल राज्य के समय करवाया था। कालान्तर इस तालाब का पानी सूख गया और बाद में प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी लखनऊ से सांसद बने उसके बाद 1994-95 में इसकी ऐतिहासिकता बनाये रखने के लिए अपने सासंद निधि से एक संगीतमय फौव्वारे का निर्माण कराया था इस कार्य को करने के लिए कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण थी। इस स्थल का सौन्दर्यीकरण तथा फौव्वारे का रख-रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने कोष से कराती रही। सन् 2006 तक यह कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण करती रही किन्तु एकाएक इस कार्य को रोक दिया गया। जानकारी प्राप्त करने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि विधान परिषद् के मा0 सदस्य श्री राजकुमार अग्रवाल द्वारा तारांकित प्रश्न सं0-08 के अन्तर्गत कार्य स्थल के भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं इस कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। यहां पर यह भी उल्लिखित करना आवश्यक है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त स्थल का विकास कार्य रोकने हेतु किसी न्यायालय का स्थगन आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं प्राप्त है और न ही स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद किसी न्यायालय में चल रहा है।

उपरोक्त स्थल सरकारी अभिलेखों में और कई लेखकों की पुस्तकों में सप्रमाण ऐतिहासिक स्थल बताया गया है और लखनऊ विकास प्राधिकरण की उपेक्षा के कारण अराजक तत्वों द्वारा इसकी बाउन्ड्री तोड़कर उसके ग्रिल आदि तथा अन्य बिल्डिंग मैटेरियल सीढ़ियों पर लगे हुए कीमती पत्थर गायब किये जा रहे हैं तथा इस तालाब के साथ लगी हुयी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तथा इस स्थल को निजी सम्पत्ति बनाने की भू-माफियाओं द्वारा कोशिश की जा रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में वह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस ऐतिहासिक स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये और इसको करें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस ऐतिहासिक स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में शासन की नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती कृष्णा राज-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी में विद्युत आपूर्ति शासन की नीति के अनुसार 18 घन्टे न होने के बजाय मात्र 8-10 घन्टे ही की जा रही है। विद्युत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण आम जनता, छात्र, किसान, उद्यमी, व्यापारी सभी परेशान हैं। जो ट्रान्सफारमर खराब है उन्हें महीने भर से अधिक समय हो गया है अभी तक बदला नहीं जा रहा है तथा जर्जर विद्युत तारों के कारण भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है तथा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और छोटे-छोटे उद्यमियों कलकारखाना बन्द होने के कारण वे भुखमरी के कगार पर है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी में 18 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद आगरा के सैयां शमसाबाद-फतेहाबाद रोड पर शमसाबाद नगर के लिए बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के शमसाबाद नगर पालिका के मुख्य बाजार में हर समय भारी वाहनों के निकलने के कारण जाम की स्थिति रहती है, जनता को इस असुविधा से निजात दिलाने के लिए सैयां शमसाबाद-फतेहाबाद रोड पर शमसाबाद नगर के लिए बाई पास बनाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शमसाबाद नगर के लिए बाई पास बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर धानी खड़खड़िया पुल के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा जनपद महराजगंज के अन्तर्गत राज्य सेक्टर योजना में राप्ती नदी पर धानी खड़खड़िया घट पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। पुल का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जनहित में इस पुल का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2004 में इस पुल की स्वीकृत प्रदान की गयी थी तथा इस पुल के लिए क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अनेकों बार धरना-प्रदर्शन किया गया था तत्कालीन सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए 6.25 करोड़ स्वीकृत किये गये थे परन्तु रिवाइज 3.25 करोड़ अभी तक न मिलने के कारण पुल का निर्माण कार्य अधूरा है। जनहित में रिवाइज का धन अवमुक्त करके इस पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसके निर्माण का कार्य पूर्ण न होने से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र रिवाइज का धन उपलब्ध कराकर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच में महसी विधान सभा क्षेत्र में नाव के डूबने से हुई दर्जनों मौतों तथा बौण्डी घाट पर पीपे का पुल/पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र महसी जनपद बहराइच के अन्तर्गत बौण्डी घाट पर 22 जून, 2010 को प्रातः 10.30 बजे एक बड़ी नाव डूबने की घटना में बड़ी संख्या में लोग डूब गये जिसमें एक व्यक्ति की लाश नाव में बैठे लोगों द्वारा तत्काल एवं अन्य 10 व्यक्तियों की लाशें कई दिनों तक निकाली गयीं जिसका कारण राहत कार्य का विलम्ब से शुरू करना। घटना प्रातः 10.30 बजे की है जिसमें जिले के सारे अधिकारी, जिलाधिकारी आदि की मौके पर उपस्थिति पश्चात भी सायं 5.30 बजे तक कोई बचाव/राहत कार्य प्रशासन द्वारा शुरू नहीं कराया जा सका जिस कारण से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। भीड़ बढ़ती देख जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मृतक/लापता लोगों के परिवारीजन एवं उनकी सहायतार्थ आये लोग नदी के किनारे लाशें ढूंढने का कार्य करें। जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया हुई। मौके पर मौजूद मुझे तत्काल घटनास्थल छोड़कर चले जाने को जिलाधिकारी ने कहा। साथ में यह भी निर्देश एस0डी0एम0 नानपारा को दिये कि यदि विधायक जी नहीं जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इतनी बड़ी त्रासदी के पश्चात् भी जिलाधिकारी सायं 7.30 बजे वापस चले जाते हैं। उस दिन लापता लोगों को ढूंढने का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया।

स्थानीय गोताखोरों ने शाम को 6 बजे से 22 साइकिल एवं 2 मोटर साइकिलें नदी से बाहर निकालने का काम किया। दूसरे दिन से पी0ए0सी0 एवं अन्य गोताखोरों की मदद से तीन दिन तक प्रयास करने पर कुल 11 लोगों की लाशें मिलीं। स्थल पर इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई टेण्ट, प्रकाश आदि की व्यवस्था नहीं की गयी, आपदा प्रबन्धन विभाग की ओर से एक नया जेनरेटर आया किन्तु वह चला नहीं। दर्जनों लोगों के परिवारीजन एवं सहयोगी तीन दिन तक लगातार बरसात एवं धूप से जूझते रहे। उक्त घटना में तो 2 दर्जन से अधिक लोग गायब बताये जाते हैं किन्तु जिला प्रशासन द्वारा पहले 15 लोगों एवं बाद में 13 लोगों की डूब कर मरने की बात कही गयी जिसमें से कुल 11 लाशें निकाली जा सकीं। 2 लाशें अभी तक नहीं मिली हैं उनमें श्रीमती फूलमती पत्नी जुगुल वर्मा ग्राम रायगंज एवं कलीम पुत्र शाबिर ग्राम हिन्दूपुरवा के निवासी हैं।

जिला प्रशासन की शिथिलता के कारण पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। जिनकी लाश मिली है ऐसे 11 लोगों के परिवार को 1-1 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। उक्त दो लोगों को कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरी सरकार से मांग है कि उक्त दो लोगों को 10-10 लाख एवं बाकी दस लोगों को जिन्हें 1-1 लाख मिल चुका है उन्हें 9-9 लाख रुपये देने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मेरे द्वारा शासन से बराबर 2007 से यह मांग उठाई जाती रही है कि जब तक बौण्डी घाट पर पुल न बन जाए तब तक पीपे का पुल बना दिया जाय। यदि पीपे का पुल बना होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सरकार को पुल/पीपे का पुल बनाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें साथ ही शिथिल अधिकारियों के विरुद्ध समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश सरकार का दे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1974-75 में स्वीकृत सरयू नहर परियोजना के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी रविन्द्र प्रताप-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही कराने की मांग करता हूं। जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1974-75 में सरयू नहर परियोजना स्वीकृत हुई थी, किन्तु अभी तक उक्त परियोजना बन्द पड़ी है। विकास खण्ड बढ़नी पूर्णरूप से असिंचित क्षेत्र है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना के तहत मात्र 50 ट्यूबवेल ही स्वीकृत हुए थे जो सिंचाई हेतु पर्याप्त नहीं हैं एवं अधिकांश ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं।

अतः आपके माध्यम से सरयू नहर परियोजना के अभाव में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए विकास खण्ड-बढ़नी में कम से कम 100 ट्यूबवेल स्वीकृत कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर में कृषकों को दी जाने वाली निःशुल्क बोरिंग मानक के अनुसार न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री निर्मल वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में लघु सिंचाई के अन्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली निःशुल्क बोरिंग विभिन्न ब्लाकों में मानक के अनुसार न करवाकर ऊपरी क्षेत्र के ब्लाकों में कम एवं गांजरी क्षेत्र के ब्लाकों में अधिक बोरिंग धन की उगाही करके करने का काम किया जा रहा है। ब्लाकवार जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अन्तर्गत मड़ियांव वार्ड जानकीपुरम् के खसरा संख्या-1262 पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अनिल दोहरे-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अन्तर्गत मड़ियांव वार्ड, जानकीपुरम् के खसरा संख्या-1262 के किसानों द्वारा अपनी भूमि वोल्टास सहकारी आवास समिति लि0, मड़ियांव जानकीपुरम्, लखनऊ को बेची गयी थी। समिति द्वारा उक्त भूमि को भूखण्डों में परिवर्तित करके विभिन्न व्यक्तियों को बेचा गया है परन्तु उक्त भूमि की पैमाइश कराकर उसका सीमांकन निर्धारित नहीं किया गया है उप जिलाधिकारी/तहसील स्तर से उक्त भूमि के सीमांकन का निर्धारण न किये जाने के कारण वहां के भू-स्वामियों की भूमि का अस्तित्व खतरे में है। भू-माफियाओं द्वारा उन भूमि पर बिना अभिलेखों के आधार पर जबरन कब्जा करने की नियत रखी जा रही है। जिससे क्रेताओं के भूखण्डों का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। उक्त भूखण्डों के आगे की भूमि किसी के नाम दर्ज नहीं है। जनहित में मार्ग को चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि उक्त विवादित भूमि को अधिग्रहीत करके मड़ियांव गांव को जाने वाले मार्ग को चौड़ा करवाने की कृपा करें।

अतः मान्यवर, आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में वक्तव्य दिलाये जाने की कृपा करें।]

वैश्य समुदाय की दो उपजातियां कसौधन एवं रौनियार को विभिन्न जनपदों में पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश अग्रवाल-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली वैश्य समुदाय की दो उपजातियां-'कसौधन' एवं 'रौनियार' पिछड़ी जाति की श्रेणी में सम्मिलित हैं और नियमानुसार इन्हें आरक्षण लाभ प्रदान करने की संवैधानिक व्यवस्था है। खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यथा-बस्ती जनपद की हरैया तहसील, फैजाबाद की सोहावल, चित्रकूट मण्डल एवं बलरामपुर आदि जनपदों में 'कसौधन' एवं 'रौनियार' वर्ग के लोगों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इस विसंगति के कारण समाज के लोग आरक्षण लाभ से वंचित, पीड़ित हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि 'कसौधन' एवं 'रौनियार' वैश्य उपवर्गों को पिछड़ी जाति में होने के बावजूद विभिन्न जनपदों में पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र मिलने में आ रही विसंगति को तत्काल दूर किया जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छठे वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजाराम त्यागी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अति लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं कि छठे वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 में **"दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित करके निर्धारित किया जायेगा"** की गई है तथा उक्त प्रकार से वेतन निर्धारण हेतु फिटमेन्ट टेबुल्स भी जारी की गयी है।

किन्तु शासनादेश संख्या-489/बीस-1-ई-2010-513/2000 टी0सी0 9 (ए) दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा पूर्व संशोधित वेतनमान 5500-175-9000 को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) के सादृश्य ग्रेड वेतन-4200 को दिनांक 1-1-06 से संशोधित कर वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) के सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 के लिये जारी फिटमेन्ट टेबुल बनाने में उक्त 186 प्रतिशत से गुणा करने की प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने से 8 वर्ष की सेवा कर चुके कर्मचारी अपने से 8 वर्ष कनिष्ठ कर्मचारी के समान ही मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

अतः उ0 प्र0 शासन सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों/अपर निजी सचिवों के लिये अनुमन्य ग्रेड पे 4600/- में दिनांक 26-3-2010 को जारी फिटमेन्ट टेबुल को निरस्त कर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 7450-11500 के लिये अनुमन्य ग्रेड पे-4600 के अनुरूप जारी फिटमेन्ट टेबुल को मूलरूप में स्वीकार करते हुए वेतन निर्धारण कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं जिससे उक्त भारी विसंगति को दूर किया जा सके।]

जनपद सीतापुर में नैफेड व वर्मी कम्पोस्ट योजना में चयनित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 हरगोविन्द भार्गव-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में क्रियान्वित की जा रही नैफेड व वर्मी कम्पोस्ट योजना जो की चयनित लाभार्थियों के यहां क्रियान्वित की जाती है जिस पर उ0 प्र0 सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन उप कृषि निदेशक सीतापुर द्वारा फर्जी नामों से किया जा रहा है जिस योजना पर सरकार द्वारा दिया गया लाखों रुपया फर्जी लाभार्थियों के नाम पर गमन किया गया है।

मैं क्रियान्वित योजना में सम्मिलित लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित बाल श्रम विद्यालय बन्द होने की कगार पर पहुंचने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ओ0 पी0 सिंह-

[श्रम मंत्रालय द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रम विद्यालय जनपद श्रावस्ती, बहराइच और फैजाबाद आदि जनपदों में बाल श्रम परियोजना समिति द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से विद्यालय चलाये जा रहे हैं। परन्तु कार्य करने वाली गैर सरकारी संगठनों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते बाल श्रम विद्यालय बन्द होने की कगार पर पहुंच गये हैं। 36 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक बच्चों के स्टाईपेन्ड की स्टेशनरी मिड-डे-मील का भुगतान नहीं हुआ है। फैजाबाद तथा बहराइच में तो भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धन भी उपलब्ध है परन्तु फिर भी संस्थाओं को भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे यह योजना बन्द होने की कगार पर पहुंच गयी है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से सदन में ध्यानाकर्षण करता हूं।]

जनपद-महामायानगर की विधान सभा क्षेत्र सासनी में विद्यापीठ स्कूल के सामने गन्दे नाले की टूटी हुयी पुलिया को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गेंदा लाल चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना है कि जनपद-महामायानगर स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र सासनी में विद्यापीठ स्कूल के सामने गन्दे नाले की पुलिया कई वर्षों से टूटी है तथा काफी जर्जर हालात में है जिसके कारण सासनी कस्बे के कई गांवों में रास्ते से आने-जाने वाले ग्रामवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मान्यवर लोक महत्व की इस सूचना पर व्यवस्था करते हुए इसे बनवाने का कष्ट करें।]

वर्ष 2009-10 में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से निर्बल छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम किशोर शुक्ल-

[महोदय, इस सूचना के माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान वर्ष 2009-10 में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान अब तक नहीं किये जाने एवं उनकी उपेक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन छात्रों द्वारा अगस्त/सितम्बर, 2009 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र जमा किये गये थे। इस सम्बन्ध में मैंने भी मुख्य मंत्री जी को पत्र दिनांक 27-1-2010 प्रेषित किया है जिसे प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्रांक-सीएम-45/सोलह-1-/2010-61/2010 दिनांक 7 मई, 2010 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को भेजा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। इस प्रकरण में अनुस्मारक के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है। शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में आर्थिक रूप से निर्बल सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा बैंक ऋण न मिल पाने की स्थिति में अन्य माध्यम से कर्ज लेकर 2009-10 में शुल्क भुगतान किया गया है। अब तक शुल्क प्रतिपूर्ति न होने से आगे की शिक्षा हेतु फीस भुगतान उनके लिये संभव नहीं हो पा रहा है तथा अध्ययन बाधित होने की संभावना है। उन छात्रों को भी शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है जिन्हें वर्ष 2008-09 में शुल्क प्रतिपूर्ति की गयी है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से निर्बल छात्रों की इस उपेक्षा से उनका अध्ययन आदि बाधित होने से उनमें रोष एवं असन्तोष स्वाभाविक है।

अतः इस प्रकरण पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगरपालिका परिषद् सिद्धार्थनगर में जलजमाव एवं गन्दे पानी की निकासी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[जनपद सिद्धार्थनगर नगरपालिका परिषद् सिद्धार्थनगर में जल जमाव एवं गन्दे पानी के निकासी की समस्या है। बुद्धनगर मोहल्ले में सोहास मार्ग पर श्री अखण्ड प्रताप के घर से लगभग 200 मीटर गन्दे पानी के जल जमाव से लोगों का आवागमन बाधित रहता है। यहां पर लगभग पूरी नगरपालिका का काफी मात्रा में गन्दा पानी एकत्रित हो जाता है अतः लोगों को परेशानी होती है, इसके निकासी के लिये सीवर लाइन या बड़ा नाला बनवाकर जमुआर नदी में जोड़ दिया जाय तो इस समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सकता है जनहित में यह अति आवश्यक है। लोगों में चिन्ता है और वे आक्रोशित हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा में विकास खण्ड कटरा बाजार के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार एवं करनैलगंज में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कार्य सम्पन्न कराया जाता है। आवास योजना में अपात्र लोगों की पात्रता सूची जो अवरोही क्रम में बनी थी। उस क्रम को तोड़कर अनुचित लाभ देकर इन्दिरा आवास को आवंटन हेतु विकास भवन को सूची भेजी गयी है। जिन लाभार्थियों से धन की प्राप्ति हुई है उन्हीं गांवों की सूची भेजी गयी है। शेष गांवों की सूची अभी तक अनुचित लाभ लेने की प्रत्याशा में नहीं भेजी गयी है। बहुत से गांव ऐसे भी हैं शाहजोत, चौदहामेटुकहा जैसे दर्जनों गांव को पांच वर्ष बीत गये हैं एक भी आवास हेतु सूची नहीं भेजी गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मनरेगा के कार्यों में विकास खण्ड के चुने हुए ग्रामों में पक्का कार्य कराया गया है। बाकी गांव में कच्चा कार्य कराया गया है तथा राज्य वित्त आयोग एवं बारहवां वित्त आयोग से कमीशन के रूप में पैसा कर्मचारियों से निकलवाकर ले लिया गया है। उपरोक्त दोनों योजना में पूरे विकास खण्ड में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कई ग्राम पंचायतों को बिना पैसा लिये जे0ई0 से एम0बी0 न करने के लिये दबाव डाला गया है। ग्राम गोडवा, अहियाचेत, शाहजोत, सिसईया लगभग सात माह तक कार्यों की मापी नहीं होने दी गयी है जिससे उनका कार्य सफर करे तथा उनको जिले से आवंटित धनराशि को दूसरे गांव में स्थानान्तरित करने में कोई परेशानी न हो। ग्राम शाहजोत के कार्यों के एक वर्ष तक मापी न होने देने की स्थिति में वीरपुर में पैसा स्थानान्तरित किया गया है।

अतः निम्न बिन्दुओं की जांच शासन की एक कमेटी से जिसमें तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित रहे कराने की कृपा करें।

1-खण्ड विकास अधिकारी कटरा बाजार श्री के0एन0 पाण्डेय के तैनाती के समय कितने अपात्र लोगों को ग्राम बौनापुर व तिलका में लोगों को आवास दिया गया है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है।

2-वर्ष 2009-2010 एवं 2010-11 में कितने ग्राम पंचायतों में प्रतीक्षा सूची/पात्रता सूची जो अवरोही क्रम में बनी थी उसका क्रम तोड़कर आवास दिया गया है।

3-ग्राम बौनापुर तिलका जैसे कई ग्रामों में अपात्रों की सूची में रखा गया है तथा जो पात्र थे जिनके मकान फूस के हैं उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया तथा प्रति व्यक्ति 3500/-रुपये लेकर सूची विकास भवन भेजी गयी है।

4-दिनांक 6-8-2000 तक ग्राम भदैया, शाहजोत, चौदहामेटुकहा, बाबूपुर, रायपुर, लक्ष्मनपुर, छिरास, पिपरी मांझा, अहियाचेत तथा उड़िला के पात्रों की सूची क्यों नहीं भेजी है तथा ग्राम शाहजोत व चौदहामेटुकहा जो अत्यन्त गरीब गांव हैं उसमें आवास क्यों नहीं दिया गया है तथा जिन ग्राम पंचायतों के आवास की सूची भेजी गयी है उसमें प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास के आदेश दिनांक 25 जून, 2009 एवं शासनादेश 1934/38-डी-2009, 24-9-2009 का पालन किया गया है कि नहीं।

5-इनके द्वारा खरीदी गई करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पत्ति की जांच एस0आई0टी0 से करायी जाये।

6-ग्राम तिलका, बिरवा, उर्दीगोण्डा, लक्ष्मनपुर में काजवे के निर्माण में लागत के अनुसार मानक में कार्य नहीं किया गया है। घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है जिसकी जांच टी0ए0सी0 से करायी जाये।

7-राज्य वित्त आयोग एवं बारहवां वित्त आयोग प्राप्त की गयी धनराशि से पूरे ब्लाक में कोई कार्य नहीं किया गया है उस धनराशि को केवल कमीशन नगद लेने में प्रयोग किया गया है। चूंकि मनरेगा का पैसा मजदूरों के खाते में जाने से उसकी धनराशि नगद नहीं मिल सकती है, जांच करायी जाये।

8-किन परिस्थितियों में मनरेगा में पूरे विकास खण्ड के अधिकतर गांव में कच्चा कार्य करने पर मजबूर किया गया है। उसके एवज में एक ही भट्टे को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से केवल एक ही व्यक्ति से पूरा कार्य पक्का कराया गया है, की जांच करायी जाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत फूलबेहड़ निघासन रोड के मध्य मीलपुरवा के निकट पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश कुमार गौतम-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत निघासन रोड फूलबेहड़ होते हुए दुधवा नेशनल पार्क तक जाती है जो कि आम मार्ग है। जिस पर से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है यहां रपटा बना हुआ था जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने से सड़क पर का आवागमन बाधित हो गया है। शारदा नहर का पानी रुकने लगा है। नया बंधा काफी ऊंचा होने के कारण रपटा पुल के बंधे से 20 फिट नीचे हो गया है बंधे के अन्दर विकास खण्ड फूलबेहड़ के लगभग 35 गांव आते हैं जिसमें पचास हजार की आबादी निवास करती है। क्षेत्रीय लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए फूलबेहड़ निघासन रोड के मध्य मील पुरवा के निकट पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंकज कुमार मलिक-

[इस वर्ष 2010 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षाफल काफी अच्छा रहा है, जिसके फलस्वरूप छात्र-छात्राओं को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या उत्पन्न हो गयी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा छात्रों के प्रवेश हेतु कोई स्पष्ट नीति नहीं बनायी गयी है जैसाकि गत वर्षों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रति सेक्शन 80 से 100 तक छात्रों को प्रवेश दिया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष 60 छात्रों को प्रति सेक्शन प्रवेश हेतु सीटों का आवंटन किया गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय द्वारा कुछ महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाई हैं, जबकि ग्रामीण अंचल के महाविद्यालयों में यह बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। यह भी सत्य है कि लगभग सभी महाविद्यालयों द्वारा सीटें बढ़ाने सम्बन्धी मांग की गयी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थी। बी0एस0सी0, कृषि में अधिकतर ग्रामीण अंचल के छात्र ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, जान-बूझकर इन महाविद्यालयों की सीटों को मांग के अनुसार नहीं बढ़ाई गयी हैं। कुछ महाविद्यालयों में बढ़ाई गयी सीटों पर आरक्षण का नियमानुसार पालन नहीं किया गया है जिसमें विशेष रूप से ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0 के छात्रों की उपेक्षा की गयी है, इसी कारण जनता मुजफ्फरनगर के एक महाविद्यालय में छात्र आन्दोलित हैं, परन्तु कालेज प्रशासन अपनी मनमानी पर आमादा है। छात्र प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय में आन्दोलनरत हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वर्तमान में छात्रों के प्रवेश को लेकर क्षेत्र में गम्भीर समस्या बनती जा रही है और क्षेत्रीय नागरिकों में काफी असन्तोष व्याप्त है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जांच करायी जाय और छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के समगरा (औगासी पम्प कैनाल) के रुके हुये कार्य को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विशम्भर सिंह यादव-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे जनपद बांदा के समगरा (औगासी पम्प कैनाल) के उच्चीकरण एवं नवनिर्माण का कार्य बन्द होने के कारण लाखों किसानों की भूमि की सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है। किसान उक्त समस्या से त्रस्त होकर आन्दोलित है। महोदय यदि सम्बन्धित पम्प कैनाल का रुका हुआ कार्य तत्काल चालू नहीं कराया गया तो लाखों किसानों के खेतों की सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तथा किसान भुखमरी के शिकार होकर पलायन को मजबूर होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे जनहित के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त औगासी पम्प कैनाल के निर्माण एवं उच्चीकरण के रुके हुए कार्य को तत्काल प्रारम्भ कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बांदा के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने हेतु वर्ष 2010-2011 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कैलाश चौरसिया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में 250 से अधिक आबादी वाले ग्राम व मजरे सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं इसलिये आगणन/प्रस्ताव तैयार कराकर निम्नलिखित विवरण के अनुसार सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय लोक निर्माण मंत्री जी निर्देश देने की कृपा करें। मार्ग निम्नवत् हैं :-1-गडरिया सम्पर्क मार्ग से पड़वनिया डेरा सम्पर्क मार्ग, 2-अमारा सम्पर्क मार्ग से बड़ा खोड सम्पर्क मार्ग, 3-कुन्डाडोल सम्पर्क मार्ग, 4-बरेहटा से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बलकू डेरा सम्पर्क मार्ग, 5-बरेहटा का मजरा दिप्पा डेरा सम्पर्क मार्ग, 6-अमचौली सम्पर्क मार्ग, 7-बुधेड़ा सम्पर्क मार्ग, 8-सिंधनकला के मजरा तगडा डेरा सम्पर्क मार्ग, 9-पंडवन डेरा सम्पर्क मार्ग, 10-सवादा दीनदयाल का डेरा सम्पर्क मार्ग, 11-जग्गू का डेरा सम्पर्क मार्ग, 12-महबरा में रामलाल का डेरा सम्पर्क मार्ग, 13-पिपरोदर सम्पर्क मार्ग का छूटा भाग, 14-साड़ी का बगीचा डेरा सम्पर्क मार्ग, 15-मुड़ेरी बनिया खोड़ सम्पर्क मार्ग का शेष भाग, 16-अमारा का मजरा मरोहला डेरा सम्पर्क मार्ग, 17-नांदादेव से मथुरा पुरी सम्पर्क मार्ग, 18-नांदादेव से शंकरपुरवा सम्पर्क मार्ग, 19-सिकहुला भौरा उजगरा डेरा सम्पर्क मार्ग, 20-बेदा जौहरपुर के सभी मजरे, 21-अमलाकौर के भगदरा डेरा सम्पर्क मार्ग, 22-लाहा क्योटरा सम्पर्क मार्ग, 23-गाड़ी डेरा सम्पर्क मार्ग, 24-कांग्रेस का डेरा सम्पर्क मार्ग, 25-चारकूरा सम्पर्क मार्ग, 26-महजितिया डेरा सम्पर्क मार्ग।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

राजकीय महाविद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं को अनुमन्य वेतनमान में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय, कदाचित इस देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां महाविद्यालयों के शिक्षक को सफाईकर्मी से भी नीचे के वेतनमान में रखा जाता है। कितना हास्यास्पद है कि पी0एच0डी0 शैक्षिक योग्यता रखने वाला संविदा शिक्षक उच्चतम शिक्षा परास्नातक को पढ़ायेगा। इस प्रदेश का सफाई कर्मी उससे ज्यादा वेतन पायेगा। सरकार की नीति ही यह है कि प्रदेश की शिक्षा को ध्वस्त करो ताकि नौजवान राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी नौकरी में न आये और उत्तर प्रदेश का नौजवान मात्र शिक्षित कहलाये। जो संविदा अध्यापक पिछले दस-दस साल से कार्यरत हैं उनको उतना ही संविदा वेतन दिया जा रहा है। सबके लिये मंहगाई बढ़ती है परन्तु सरकार इनके बारे में नहीं सोचती। यदि विदेशों के बारे में सोचा जाये तो वहां शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान होती है। आज इस देश के मूर्धन्य विद्वान विदेश में शिक्षण कार्य करना इसलिये चाहते हैं क्योंकि वहां उनको सामाजिक एवं आर्थिक दोनों रूप से उच्च स्तर पर रखा जाता है। इस प्रदेश में उच्चतर शिक्षण में संविदा पर इसलिये रखा जाता है क्योंकि राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय व विश्वविद्यालय राज्य सरकार से अनुदान पाते हैं इसलिये उनको कम से कम पैसा देना पड़े। यह अवश्य है कि राज्य सरकार भवन बनवाने के लिये अधिकतम धन देती है। कारण क्या है वही जानें। प्राइवेट कालेजों को विश्वविद्यालय बनाने का दर्जा अवश्य देगी लेकिन फैकल्टी के मामले में कम्प्रोमाइज। क्योंकि अध्यापक संविदा पर रखे जायेंगे। यदि यू0जी0सी0 संविदा के लिये कोई शर्त लगाती है तो राज्य सरकार अपना प्रजेंटेशन वहां क्यों नहीं देती है कि प्रदेश का शिक्षण कार्य सत्यानाश हो रहा है। इसलिये संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति का विकल्प हो और यदि संविदा हो तो उन्हें सम्मानजनक वेतन मिले।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस तात्कालिक महत्व के बिन्दु को संज्ञान में लाते हुए चर्चा तथा समस्त रिक्त पदों पर जहां पर आज तक संविदा अध्यापक उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत हैं, को अनुमन्य वेतनमान में नियुक्ति की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न एवं असंवैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद इलाहाबाद की पुलिस द्वारा सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न एवं असंवैधानिक कार्यवाही की तरफ केन्द्रित करना चाहता हूं। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि विगत 5 जुलाई, 2010 को मंहगाई के मद्दे पर राजनैतिक दलों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। समाजवादी पार्टी इलाहाबाद के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री महावीर यादव पार्षद जो तीन बार से लगातार तेलियरगंज मुहल्ले से सभासद चुने गये हैं। मंहगाई के मुद्दे पर देशव्यापी हड़ताल होने के कारण उन्होंने तेलियरगंज में लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। जब यह सूचना स्थानीय थाना शिवकुटी के प्रभारी को हुई तो उन्होंने सीधे महावीर प्रसाद यादव सभासद के घर जाकर और घर में घुसकर महिलाओं एवं बच्चों से बदसलूकी की तथा ड्राइंगरूम में रखे हुए सोफासेट, टी0वी0, फ्रिज तथा अन्य उपयोगी सामानों को तोड़ डाला। इसकी सूचना डी0आई0जी0, इलाहाबाद को दी गयी। लेकिन विधि विरुद्ध किये गये पुलिसिया ताण्डव के अगुवा थाना प्रभारी शिवकुटी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस घटना को लेकर क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है।

इसी प्रकार बिजली के सवाल पर अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय पर श्रीमती रेखा उपाध्याय जिलाध्यक्ष समाजवादी महिला सभा, श्रीमती साबिया मोहानी नगर अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा तथा गुड्डी यादव के नेतृत्व में 07 जून को प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने सपा नेत्रियों के विरुद्ध गम्भीर मुकदमें पंजीकृत करके जेल भेज दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय जन समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से करना संवैधानिक अधिकार है लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह से उत्पीड़न किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर मुद्दे के प्रकरण को सरकार को निर्देशित करें कि सपा के महिला नेत्रियों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा सरकार वापस ले तथा महावीर यादव सभासद के घर तोड़-फोड़ करने वाले थानाध्यक्ष शिवकुटी, जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय।

इस प्रकरण पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ में सरोजनीनगर हज हाउस के सामने स्थित मोहल्ला शान्तीनगर में नाले का स्वरूप बदलकर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री उदयराज-

[महोदय, अवगत कराना है कि कानपुर रोड पर हज हाउस के सामने स्थित मोहल्ला शान्तीनगर में पानी की निकासी हेतु एक नाला बना हुआ है उक्त क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा जिन्होंने नाले के समीप की जमीन खरीदी थी, उन्होंने नाले का पक्का न होने के कारण नाले को एक तरीके से बन्द कर निर्माण कार्य करा लिया गया है। नाले पर अवैध कब्जे की शिकायत दिनांक 30-5-2010 को मोहल्ला शान्तीनगर के निवासियों ने लिखित रूप से माननीय नगर विकास मंत्री को की थी, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। पानी निकासी हेतु बनाये नाले के बन्द होने के कारण जल भराव हो गया है जिसके कारण क्षेत्र में गम्भीर रोगजनित बीमारियां पैदा होने की शंका उत्पन्न हो गयी हैं। नाले में हो रहे अवैध निर्माण के कारण मोहल्ला शान्तीनगर सरोजनीनगर के निवासियों में असन्तोष व्याप्त है।

कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

विधान सभा क्षेत्र जौनपुर के अन्तर्गत खलसहा वि0 खं0 धर्मापुर में खलसहा तालाब में मुसहर प्रेमापुर तक जाने वाली जर्जर सड़क को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद जौनपुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खलसहा वि0 खं0 धर्मापुर में ''खलसहा तालाब से मुसहर व अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए प्रेमापुर तक की लगभग 1½ कि0मी0 सड़क एकदम जर्जर तथा पैदल आवागमन योग्य नहीं रह गई है।'' मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी मुसहर बस्ती व उससे लगी अनुसूचित जाति की बस्ती के लोग अत्यन्त उपेक्षित तथा सबसे कमजोर तबके के लोग इस मार्ग के किनारे आबाद हैं। लगभग 17-18 वर्ष पूर्व यह सड़क निर्मित हुई थी तबसे आज तक इसकी कभी भी मरम्मत नहीं हो सकी, सुविधाओं से वंचित इन बस्तियों के गरीब और कमजोर लोग स्वयं को सबसे अधिक उपेक्षित महसूस करते हैं, उन्हें इसका मलाल भी है और मन में क्षोभ तथा रोष भी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस सर्वाधिक उपेक्षित मार्ग के त्वरित निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बनायी जा रही नालियों की अच्छी गुणवत्ता न होने तथा धन का बन्दरबांट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुधीर कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद उन्नाव में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई नालियों (मूल निर्माण) का निर्माण भूमि संरक्षण अधिकारी आई0डब्लू0डी0पी0 उन्नाव द्वारा कराया गया है उक्त निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा लगभग तीन करोड़ की धनराशि दिया था, जिसके तहत यह निर्माण कार्य ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जिले में तैनात विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कराया गया। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को कार्य न देकर के मतदाता सूची से नाम भरकर फर्जी भुगतान भी कर लिया गया है जिससे शासकीय धनराशि की काफी क्षति की गयी है जो भी कार्य कराये गये हैं उसकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया किस्म की है सिंचाई विभाग द्वारा बहुत अनियमितता की गयी है। निम्न कोटि की पीली ईंट लगायी गयी है तथा मसाला नाम मात्र का उपयोग किया गया है। उक्त सिंचाई विभाग की नालियां ध्वस्त हो गयी हैं। सरकारी धन की खुलेआम लूट की गयी है और कुछ तो कार्य बिना कराये ही उसका भुगतान कर धन का बन्दरबांट किया गया है। यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है, तत्काल इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

राजकीय आयुर्वेद कालेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, राजकीय आयुर्वेद कालेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल किये जाने की आवश्यकता है चूंकि यह शिक्षक आयुष के शिक्षक हैं इन्हीं की भांति एलोपैथ शिक्षकों को सेवानिवृत्ति आयु 62 किये जाने हेतु सरकार प्रयासरत है। परन्तु सौतेला व्यवहार आयुर्वेद शिक्षकों के साथ हो रहा है। जिससे इन लोगों में बड़े पैमाने पर रोष व्याप्त है। यही नहीं सी0सी0आई0एम0 द्वारा इन कालेजों को मान्यता बचाने के लिए दबाव बना रहा है। अन्य पद भी रिक्त हैं। काफी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह गम्भीर लोक महत्व का विषय है तत्काल इस पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, यह प्रकरण सरकार के संज्ञान में है इस पर तत्काल कार्यवाही हो, एलोपैथ शिक्षकों के साथ आयुष शिक्षकों को जोड़ा जाय और इन लोगों के साथ न्याय किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तराखण्ड सरकार की तर्ज पर लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए मोबाइल ट्रेनिंग देकर राजस्व निरीक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राज किशोर सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन करके राजस्व निरीक्षक बनाये जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के करीब 750 पद रिक्त चल रहे हैं जिसके सापेक्ष 250 लेखपाल हरदोई, गोरखपुर, बरेली में राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षणरत लेखपाल वर्ष 1974 से कार्यरत हैं और वर्ष 1990 के पूर्व से राजस्व निरीक्षक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 6 माह प्रशिक्षण की व्यवस्था नये प्रतिभागी के लिए आवश्यक है। उत्तराखण्ड सरकार लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधित करके मात्र एक माह की मोबाइल ट्रेनिंग देकर राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति कर दिया है। जब सभी प्रशिक्षणार्थी 36 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो क्यों न इन्हें उत्तराखण्ड सरकार की तरह लाभ दिया जाना चाहिए। मान्यवर, उत्तराखण्ड की तर्ज पर लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए तीन माह की मोबाइल ट्रेनिंग देकर राजस्व निरीक्षक बनाने की आवश्यकता है। यह गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है।

अतः इस पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के सलेमपुर रेलवे क्रासिंग पर बनने वाले ओवर ब्रिज में घटिया सामग्री लगाने एवं अभियन्ताओं द्वारा सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी फसीहा वशीर उर्फ गजाला लारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर अन्तर्गत सलेमपुर रेलवे क्रासिंग पर बनने वाला ओवर ब्रिज जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है उसकी वजह से लोगों को आने-जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो निर्माण के दौरान बीच से रास्ता दिया गया है वह सड़क बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है, आने-जाने लायक नहीं है। यही नहीं पुल के निर्माण में जो सामग्री सरिया, सीमेन्ट आदि का इस्तेमाल हो रहा है वह बहुत ही घटिया किस्म का है, मानकों के अनुसार सामान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभियन्ताओं द्वारा सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे गुणवत्ता बहुत खराब हो रही है, मेरे ही क्षेत्र में संवरेजी पुल, दनौर का पुल, डोलछपरा पुल का निर्माण अधूरा करके छोड़ दिया गया है जबकि धनराशि पूर्ण रूप से उपलब्ध है, जानबूझ कर अभियन्ताओं द्वारा कार्य को बाधित किया जा रहा है जो कार्य कराया गया है उसकी गुणवत्ता भी बहुत खराब है, तत्काल इसकी भी जांच करायी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाय और समयबद्ध तरीके से अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है, यह गम्भीर विषय है एवं लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई मल्लावां में गोसगंज मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग पर 400 मी0 मार्ग का डामरीकरण एवं कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

[महोदय, जनपद हरदोई के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र 75 मल्लावां में गोसगंज, मल्लावां मेंहदीगंज मार्ग के किलोमीटर 38 से बायीं ओर ग्राम करबा, ग्राम पूरनमऊ, ग्राम कटरा, ग्राम बेरिया नजीरपुर होते हुए गंगा नदी तट तक लगभग 12 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग है, इस मार्ग का लगभग 11.6 कि0मी0 भाग (डामरीकरण) लेपन स्तर तक पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग के दूसरे कि0मी0 से होकर कल्याणी नदी गुजरती है। जिस पर पुल की आवश्यकता है परन्तु पुल नहीं है इस कारण आवागमन नहीं हो पाता है।

जबकि हमारे क्षेत्र में लगभग सभी लोग गंगा स्नान व अपने परिजनों के अन्तिम संस्कार के लिए गंगा तट पर जाते हैं। नदी में पुल न होने के कारण गंगा तट की 12 कि0मी0 की दूरी लगभग 22 कि0मी0 में बदल जाती है, जिससे हमारे क्षेत्र के निवासियों को बहुत ही कठिनाई होती है, जो कि बहुत ही कष्ट दायक है तथा जिससे नागरिकों में बहुत ही निराशा व असन्तोष व्याप्त है।

अतः जनकल्याण के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस मार्ग के कि0मी0-02 में कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण तथा शेष 400 मीटर पहुंच मार्ग का डामरीकरण अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।]

कथित जाति कमकर के मार्ग दर्शन तथा कमकर से सम्बन्धित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वाद सं0-4/94, दिनांक 15-7-98 के निर्णय के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री छत्रपाल सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कथित जाति ''कमकर'' के सम्बन्ध में राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग वाद संख्या-4/94, 15-7-98 के निर्णय के तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मा0 विधायक श्री शम्भू चौधरी द्वारा दिये गये दिनांक 20-4-10 अतारांकित प्रश्न के विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के पहले गुरुवार दिनांक 12-8-10 हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या-81 पर था जिसमें उनके द्वारा ''कमकर'' के नाम से कोई जाति है कि नहीं प्रदेश में इनकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनंसख्या क्या है तथा उनको किस श्रेणी में रखा गया है इसकी जानकारी के सम्बन्ध में पूछा गया था किन्तु मा0 मंत्री जी ने ''कमकर'' को कहार जाति की एक उपजाति बताये हैं और न तो जनसंख्या उपलब्ध कराये न तो किस श्रेणी में रखा गया है यह बताये हैं।

जबकि मा0 अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ0 प्र0 द्वारा वाद सं0-4/94 की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 15-7-98 में निर्णय देकर यह स्पष्ट कर दिया कि ''कमकर'', ''खरवार'' जाति का उप नाम है जो अनुसूचित जाति के क्रमांक 46 पर अंकित है दूसरी तरफ मा0 समाज कल्याण मंत्री जी का यह कहना है कि ''कमकर'' कहार जाति की एक उपजाति है आखिर इन दोनों जातियों में से किस जाति का उपजाति माना जाय जबकि इन दोनों में से एक जाति ''खरवार'' है जो अनुसूचित जाति के सूची क्रमांक सं0-46 पर दूसरी जाति ''कहार'' है जो पिछड़ी जाति क्रमांक 19 पर अंकित है मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर ''कमकर'' को कहार जाति का उपजाति मानते हैं क्या उसके सूची में ''कमकर'' को सूचीबद्ध किया है यदि नहीं तो क्या सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ0 प्र0 वाद सं0-4/94 की सुनवाई दिनांक 15-7-98 के निर्णय को भारत सरकार को भेजा है यदि नहीं, तो कब तक भारत सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण तथा 15-7-98 के स्पष्टीकरण को भारत सरकार को भेजे जाने की मांग करता हूं।]

श्री छेदी लाल गुप्ता, अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर द्वारा अभिलेखों में हेरा-फेरी करके प्रोन्नति प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, मान्यवर, श्री छेदी लाल गुप्ता अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर जनपद झांसी द्वारा अभिलेखों में हेरा-फेरी करके अपनी प्रोन्नति करा ली है यही नहीं यह जहां पर तैनात रहे हैं वहां पर करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी किये हैं। इनके विरुद्ध दिनांक 29-7-2010 को राज्य मंत्री उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रमुख सचिव, सिंचाई को भी पत्र लिखा गया। पत्र में गम्भीर अनियमितितायें किये जाने की जिक्र है परन्तु इनके द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। शासन स्तर पर कई जांच लम्बित हैं अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग लखनऊ द्वारा भी प्रकरण को दबाया रखा गया है। अधीक्षण अभियन्ता झांसी द्वारा 6 जुलाई, 2010 को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लखनऊ को भी पत्र लिखा उस प्रकरण पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसको लेकर विभागीय अभियन्ताओं में रोष व्याप्त है तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद में पासी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामपाल राजवंशी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद में पासी समाज के जाति प्रमाण-पत्र मुरादाबाद तहसील द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। पासी जाति अनुसूचित जाति की सूची में 59वें नम्बर पर है। पहले मुरादाबाद तहसील में पासी समाज की जाति प्रमाण-पत्र बनाये जा रहे थे। वर्तमान सरकार द्वारा पासी जाति के समाज के प्रमाण-पत्र को तहसील स्तर से बन्द कर दिया गया है। पासी जाति आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है और मुरादाबाद जनपद में पासी जाति के लगभग दो लाख वोटर हैं। पासी जाति के प्रमाण-पत्र न बनाने से लोगों को जो सुविधायें मिलती हैं वह नहीं मिल पायेंगी। इससे क्षेत्र की जनता भारी पैमाने पर आक्रोशित है और आन्दोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनहित का है। पासी जाति के प्रमाण-पत्र बने मुरादाबाद के लाखों जनता को लाभ मिल सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पासी जाति के समाज को जनपद मुरादाबाद तहसील स्तर पर प्रमाण-पत्र बनाने हेतु सरकार से ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

श्री आनन्द कुमार सिंह सहायक लेखाकार दीन दयाल उपाध्याय रा0 ग्रा0 वि0 संस्थान, बी0के0टी0 लखनऊ को नियमित किये जाने एवं वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनोद कुमार-

[महोदय, मैं मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि श्री आनन्द कुमार सिंह, सहायक लेखाकार, दीन दयाल उपाध्याय, रा0ग्रा0वि0 संस्थान, बी0के0टी0 लखनऊ में वर्ष 1998 से अनवरत कार्यरत, के विनियमितीकरण हेतु योजित याचिका सं0-4948 (एस0/एस0)/06 में मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 26-5-06 को **"नियमित किये जाने की तिथि तक बगैर सेवा बाधित किये हुए रखे जाने के आदेश"** पारित किये हैं। जिसके अनुपालन के क्रम में मा0 मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन ने पत्रांक सं0-अनुभाग-1सी/371328/सी0एम0-1/2008, दिनांक 25-2-2009 द्वारा **"मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सुनिश्चित कराये जाने समस्त पावनों वेतन आदि के भुगतान एवं नियमितीकरण हेतु"** निर्देश दिये गये हैं तथा ग्राम्य विकास मंत्री उ0 प्र0 शासन ने महानिदेशक एस0आई0आर0डी0 बी0के0टी0 लखनऊ को आदेश सं0-114/वी0आई0पी0/मंत्री/ग्रा0वि0/10 द्वारा दिनांक 21-1-10 को **"कृपया वर्णित तथ्यों का परीक्षण कराकर प्रार्थी का बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान करायें तथा विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें",** आदेश प्रदान किये हैं। परन्तु विभाग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न करके शासन-प्रशासन एवं न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-8-08 को **विभाग के संयुक्त निदेशक व उप निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाते हुए नोटिस** जारी की गयी।

महोदय सम्बन्धित अधिकारियों ने अपने विरुद्ध हो रही न्यायिक कार्यवाही से बचने व अपने कृत्यों को छिपाने के लिये श्री आनन्द कुमार सिंह की शासकीय सेवा सम्बन्धी पत्रावली व उनकी भुगतान सम्बन्धी पत्रावलियों व अभिलेखों (यात्रा भत्ता बिल आदि) को गायब करा दिया गया है तथा द्वितीय अभिलेख तैयार कर मूल अभिलेख (परिचय-पत्र आदि) को फर्जी साबित करने का कुप्रयास किया जा रहा है।

अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि श्री आनन्द कुमार सिंह को न्याय दिलाये जाने व वेतन आदि के भुगतान व नियमितीकरण हेतु विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने हेतु शासन को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद उन्नाव, बांगरमऊ से सण्डीला तक मार्ग की पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद उन्नाव के प्रमुख कस्बा बांगरमऊ से सण्डीला मार्ग जिसमें किसान मण्डी समिति भी उस पर है। किसान अपना गेहूं आदि सभी अनाज मण्डी में ले जाते है प्रमुख मार्ग होने से भारी आवागमन रहता है उक्त मार्ग पूर्णतया जर्जर हो चुका है। जिस पर चलना मुश्किल हो जाता है। जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहने के बावजूद भी उक्त मार्ग की मरम्मत आदि कुछ भी नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। जनहित से जुड़ा हुआ प्रकरण है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार से बांगरमऊ से सण्डीला तक का मार्ग को पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर अन्तर्गत महोली कस्बे में राजकीय परिवहन निगम का बस अड्डा शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद सीतापुर अन्तर्गत महोली कस्बा जिसकी आबादी लगभग 50 हजार के करीब है। यह कस्बा जी0टी0 रोड पर है। इस पर बसें काफी मात्रा में आती-जाती हैं। महोली कस्बे में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस अड्डा बनाये जाने की आवश्यकता है। सम्भवतः बस अड्डा बनाये जाने हेतु जमीन भी छोड़ी गयी है परन्तु बस अड्डा का निर्माण शुरू नहीं कराया जा रहा है जिससे स्थानीय व्यापारियों व अन्य लोगों में काफी रोष व्याप्त है। तत्काल बस अड्डा का निर्माण कराया जाना चाहिए। बस अड्डा निर्माण न होने के कारण आये दिन उक्त कस्बे में दुर्घटनायें भी होती रहती हैं, सड़कों पर बसे खड़ी होने के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। यह जनहित का अविलम्बनीय लोक महत्व का गम्भीर विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र बस अड्डा निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

बुन्देलखण्ड के विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों पर लिफ्ट कैनाल न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप नारायण सिंह यादव (दीपक यादव)-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के नाम पर सिंचाई के संशाधनों के उपयोग हेतु धनराशि का आवंटन हुआ है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पिछले 15-20 वर्षों में प्रत्येक दो-तीन वर्षों के अन्तराल पर बुन्देलखण्ड के जिले सूखे की चपेट में आ जाते हैं जिसके कारण खेती पर निर्भर किसान बर्बाद हो जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा में सिंचाई के साधन के तौर पर बेतवा और धसान दो बड़ी नदियां हैं, जनपद झांसी की सीमाओं से गुजरती हैं इन नदियों में बेतवा नदी में कुछ बड़े जल स्रोत हैं जिन स्थलों की गहराई बहुत है। ग्राम डिकौली के पास प्रह्लाद दौ व ग्राम बेहतर के पास बेहतर घाट पर तथा धसान नदी पर झारखण्ड घाट व ग्राम धमनौड़ के पास बड़े प्राकृतिक जल संग्रह स्थल हैं। यदि इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर लिफ्ट कैनाल लगा दिया जाता तो हजारों हेक्टेअर भूमि सिंचित हो जाती है। यह बहुत ही गम्भीर एवं लोकमहत्व का विषय हैं।

अतः इस पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल लिफ्ट कैनाल लगाये जाने की मांग करता हूं।]

बलिया जनपद के समस्त शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन मार्च, 2010 से अब तक न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अम्बिका चौधरी-

[मान्यवर, बलिया जनपद के समस्त शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन मार्च, 2010 से अब तक नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप पूरे जुलाई माह में शिक्षक एवं कर्मचारी आन्दोलनरत रहे। तद्नुपरान्त कुछ विद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारियों के वेतन दिये गये, किन्तु सुभाष इण्टर कालेज ताड़ीबड़ागांव के शिक्षकों के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। शासन के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया द्वारा सभी विद्यालयों से स्वीकृत पद और उनको दिये गये वेतन की जानकारी मांगी गयी थी। 50 विद्यालयों ने इसकी सूचना उपलब्ध करा दी है, लेकिन उल्लिखित विद्यालय और अन्य विद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारियों को अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अध्यापकों एवं कर्मचारियों में गम्भीर असन्तोष है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समुचित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान को अपग्रेड करके कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने तथा कृषि उपज सम्बन्धी शोध कार्यों के लिये अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर का गन्ना शोध संस्थान पिछले 98 वर्षों से गन्ने की विभिन्न प्रजातियों पर शोध कर रहा है, इसकी बड़ी उपलब्धियां हैं, रूहेलखण्ड मण्डल व मुरादाबाद मण्डल के लोग चाहते हैं कि यह संस्थान कृषि विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड हो जाये तो कृषि सम्बन्धी कार्यों तथा छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, यह कृषि विश्वविद्यालय बनने के लगभग सभी मानक पूरे करता है।

इसके पास 250 एकड़ का सुसज्जित कृषि फार्म है जबकि विश्वविद्यालय के लिये 300 एकड़ का फार्म चाहिये, 50 एकड़ का फार्म कृषि विज्ञान केन्द्र के पास में नियामतपुर ग्राम में मिल सकता है। इसके पास बहुत रिच लैब हैं, एक रिच लाइब्रेरी है वेलक्वालीफाइड स्टाफ (डाक्टर) शिक्षक हैं, आडीटोरियम है, आवश्यकता के अनुरूप भवन भी है। शाहजहांपुर की पुवायां तहसील गन्ने के अतिरिक्त धान व गेहूं की पैदावार में पिछले 30 वर्षों से प्रदेश में शीर्ष पर रही है, यहां कृषि उपज शोध कार्यों के लिये उपयुक्त है, इसमें मैंगो की प्रजातियों पर भी रिसर्च हो सकती है।

फैजाबाद, मेरठ के बीच कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर छात्र कृषि में बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, पी0एच0डी0 कर सकें।

अतः जनहित में हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर को कृषि विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करके छात्रों की पढ़ाई तथा अन्य कृषि उपज सम्बन्धी शोध कार्यों के लिए अवसर प्रदान करें।]

लखनऊ में मानक नगर स्टेशन के सामने बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलोक कुमार शाक्य-

[महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। लखनऊ में मानक नगर स्टेशन के सामने मोहल्ला-श्यामनगर आलमबाग के निवासियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा अतिक्रमण करके सार्वजनिक भूमि पर मकान बना लिये गये हैं। इनमें श्री उमा शंकर सिंह के मकान में साइबर कैफे तथा इनके छोटे भाई श्री शिव शंकर सिंह के मकान में कोने पर ऊंची दीवार बनाकर साइकिल स्टैण्ड खोला गया है। इसी प्रकार श्री उमाकान्त मिश्रा के मकान में श्री कृष्ण भोग मिष्ठान भण्डार खोला गया है जबकि उक्त दोनों के मकान की रजिस्ट्री मात्र 1000 वर्ग फुट की है। इसी प्रकार मानक नगर स्टेशन से कानपुर रोड को मिलाने वाले रोड पर सेन्ट एन्स डे स्कूल के दांये-बांये लगभग 10 मकान तथा उक्त रोड पर कानपुर रोड पर स्थित मुकेश डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा उसके आगे पांच मकान तथा उसके सामने स्थित पांच मकानों के भवन स्वामियों द्वारा अतिक्रमण करके रोड काफी सकरा कर दिया गया है जबकि उक्त रोड पर स्टेशन आने-जाने वाले तथा सम्बद्ध लगभग 12 मोहल्लों के लोगों का आवागमन रहता है।

कृपया उक्त रोड पर अतिक्रमण हटाये जाने, मानक नगर स्टेशन के सामने स्थित साइकिल स्टैण्ड हटाये जाने, श्री शिवशंकर सिंह के मकान की बिल्डिंग की बाउन्ड्रीवाल तोड़े जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम तहसील में ध्वस्त विद्युत सप्लाई व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती मधुबाला पासी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद हरदोई के बिलग्राम तहसील स्तर पर ध्वस्त विद्युत सप्लाई व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में विद्युत की बेतहाशा कटौती से जनता परेशान है। विद्युत के अभाव में न तो कारखाने चल पा रहे हैं और न राजकीय ट्यूबवेल। कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र दो से तीन घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में मात्र छः घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है जबकि विद्युत विभाग जनपद की अन्य तहसीलों में भरपूर विद्युत की आपूर्ति कर रहा है। पिछले दो वर्षों से आंधी व तूफान के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों से तारों को ठीक नहीं कराया गया है। इस क्षेत्र में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने के उपरान्त भी विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से पूरा विद्युत शुल्क वसूल किया जा रहा है। भेदभाव पूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति के विरोध में जनता द्वारा 15 जुलाई, 2010 से श्री धर्मज्ञ मिश्रा पूर्व विधायक के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया गया और जिला पुलिस/प्रशासन द्वारा धरना-प्रदर्शन में भाग ले रहे सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महानुभावों के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमें दर्ज कराकर उनपर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें जेल भेज दिया गया है इससे क्षेत्र की जनता में व्यापक असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है और ऐसी स्थिति किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए लगाये गये मुकदमें वापस लेने, जेल में निरुद्ध लोगों को बिना शर्त छोड़ने एवं बिलग्राम तहसील में अन्य तहसीलों की भांति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश में जनऔषधि आउटलेट्स लागू योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनिल चौधरी-

[भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों की सरकारों में 'जनऔषधि आउटलेट्स' योजना को लागू किया है। इस योजना से गरीब मरीजों को सस्ते दामों पर 'जेनेरिक दवाइयां' उपलब्ध होती हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लोकसभा में दी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को बार-बार कहे जाने पर भी अभी तक इस जन उपयोगी योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में नहीं हो सका है।

जन स्वास्थ्य के सूचक शिशु एवं मातृ मृत्यु के बड़े आंकड़ों एवं बी0 पी0 एल0 परिवारों की बड़ी संख्या के आलोक में गरीबों को सुविधा दिलाने के लिये 'जनऔषधि आउटलेट्स' को सभी जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, निजी अस्पतालों, बड़े बाजारों, ग्रामीण बाजारों में खोला जाना अति आवश्यक है।

उक्त प्रकरण में उ0 प्र0 शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा से मान0 जयन्त चौधरी, सांसद, मथुरा द्वारा भी मान0 मुख्य मंत्री जी को दि0 30 अप्रैल, 2010 को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया जा चुका है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के कतिपय सम्पर्क मार्गों को लेपन कार्य तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने के सम्पर्क मार्गों में मरम्मत/लेपन कार्य हेतु निम्न मार्गों की सूची निम्नवत् है :-

ब्लाक-फरह

1-कुरकंदा से सनौरा।

2-फतिहा मोड़ से भाहई।

3-बेरी मार्ग से बेरी की घड़ी।

4-करनपुर से परखम।

5-नेशनल हाईवे से भाहई।

6-कौह से जोधपुर।

7-झण्डीपुर से बलरई।

8-महुअन से झण्डीपुर।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-बरारी से यौरा (आवला सुल्तानपुर)

10-ओल से लुहारा।

11-बेरी से मिर्जापुर।

12-बामौली से खेरिया।

13-तांगर के नगला से कोरीपुरा।

14-मिर्जापुर से थिरावली।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से अविलम्ब मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के परगना बरनावा, तहसील बड़ौत में वन विभाग का जमीन पर अवैध कब्जे से हुई उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से परगना-बरनावा, तहसील-बड़ौत, ग्रामसभा-शाहपुर वाणगंगा की जमीन खाता खतौनी क्रमश रकबा 2.5290 हेक्टेयर जो स्कूल का फार्म है, वन विभाग ने विगत कई वर्षों से उक्त जमीन पर कब्जा कर रखा है जो वन सीमा के बाहर भी है। इस सम्बन्ध में अनुसचिव श्री मुनीर अहमद खां ने भी एक पत्र लिखकर उक्त जमीन पर खड़े पेड़ों की नीलामी कराकर उक्त भूमि को ग्राम समाज को वापस करने के लिये आदेश भी दिये थे।

खेद का विषय है कि काफी समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक जमीन को वन विभाग ने खाली नहीं किया है, इस कारण ग्रामसभा को उक्त जमीन वापस नहीं हो पाई है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त जमीन को अपने स्तर से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वन विभाग से कब्जा हटाकर ग्रामसभा की भूमि वापस दिलाने हेतु निर्देशित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय जनहित के मामले पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

उप नगर आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किये गये कनिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने एवं ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर गुप्ता-

[निवेदन है कि नगर निगम विकास मंत्रालय में उ0प्र0 पालिका केन्द्रित सेवा के अन्तर्गत दिनांक 24-4-10 को अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 की प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-53 से कुछ चुने हुए अधिकारियों को ही उप नगर आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किया गया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसमें वरिष्ठता सूची की अनदेखी की गई है और तमाम कनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर दिया गया है।

अतः लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही प्रोन्नति की जाय।]

विधान सभा क्षेत्र एटा, शिकोहाबाद रोड पर ग्राम वाकलपुर (वाकराबाद) व ग्राम मन्सुखपुर विकास खण्ड सकीट में खारा पानी होने से वहां के निवासियों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रजापालन वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र एटा, शिकोहाबाद रोड पर ग्राम (वाकराबाद) व ग्राम मन्सुखपुर विकास खण्ड सकीट में पानी बहुत ही खारा है जिससे यहां के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहां के निवासियों द्वारा खारे पानी के निदान के लिये ओवर हेड टैंक (बड़ी टंकी) लगाने की मांग काफी समय से की जा रही है परन्तु अभी तक शासन एवं प्रशासन की तरफ से कोई पहल न होने के कारण यहां के निवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खारे पानी की समस्या के निदान हेतु ओवर हेड टैंक (बड़ी टंकी) लगाये जाने की मांग करता हूं।]

श्री रामदास त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थनगर (जनपद) की हत्या करके लाश पोखरे में फेंके जाने की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 अथवा किसी अन्य जिले की पुलिस से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[श्री राम दास त्रिपाठी, एडवोकेट, जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे दिनांक 30-4-2010 को अपने बेल्सड़, जिला मुख्यालय से गायब हो गये एक माह तक जब उनका पता नहीं चला तो सिविल बार एसोसियेशन सिद्धार्थनगर ने 31-5-2010 को सिद्धार्थनगर थाने पर इसकी सूचना दिया परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा न ही कोई सूचना दर्ज की। 10-6-2010 को उनकी अर्द्ध सड़ी लाश जिला मुख्यालय के व्यस्ततम् सी0डी0ओ0 निवास के सामने पोखरे से बरामद हुई जिसकी वृहद रिपोर्ट कई समाचार-पत्रों ने प्रकाशित किया तब भी तत्कालीन थानाध्यक्ष ने इसका कोई संज्ञान लिया न ही लाश पहुंचवाने का प्रयास किया तथा लाश को लावारिश मानकर दफना दिया जब अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी तब जाकर 23 जून, 2010 को अपराध संख्या-590/2010 धारा-364 आई0पी0सी0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें मृतक की पत्नी एवं सहयोगियों को अभियुक्त बनाया गया। इसमें पुलिस ने अधिवक्ता द्वारा लाश पहचाने जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की उल्टे उनकी पत्नी से एक अलग से आवेदन मामले को रफा दफा करना चाहती है। यह एक गम्भीर घटना है इससे जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं एवं जनता में स्थानीय पुलिस के प्रति असंतोष है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से अथवा किसी अन्य जिले की पुलिस से इस मामले की विवेचना कराई जाय।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 अगस्त, 2010 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने एवं विभागों से उनके नियंत्रण ले लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 में दिनांक 11 फरवरी, 2010 को अभिसूचित एवं ध्यानाकर्षण हेतु शासन को संदर्भित सूचना का उत्तर माननीय सदस्य को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री सुरेश्वर सिंह,

2-श्री कुबेर सिंह,

3-श्री उदयभान करवरिया,

4-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल,

5-श्री जोखू लाल यादव,

6-श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू'',

7-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी एवं डा0 अनिल चौधरी,

8-श्री लालजी यादव,

9-डा0 आर0ए0 उस्मानी,

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा

11-श्री सुरेश कुमार खन्ना।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने एवं विभागों से उनका नियंत्रण ले लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक आपके अनुश्रवण करने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (2) का पाठन करना चाहता हूं। 164(2) के अनुसार ''मंत्रि-परिषद्, राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।'' मान्यवर, मंत्रि परिषद् द्वारा अपने विभाग या वह विभाग जिसके वह भार साधक मंत्री होते हैं, विधान सभा में जवाबदेही उनकी होती है, यही नहीं एक भी मंत्री किसी विभाग के बारे में बोलता है तो सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायित्व माना जाता है, लेकिन गत वर्ष से मान्यवर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह बन गई है कि गत वर्ष भी जीरो ट्रान्सफर इयर था और इस बार भी जीरो ट्रांसफर इयर कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है,

मान्यवर, यह किसी भी सरकार का अपना निर्णय है उस पर उंगली नहीं उठ सकती है आपत्ति नहीं उठ सकती। सरकार ने यह निर्णय लिया होगा किसी परिस्थिति में लिया होगा लेकिन उससे यह विधान सभा प्रभावित हो रही और विधान सभा प्रभावित हो रही है इसलिये मैं इस प्रश्न को लाया हूं। माननीय मंत्रीगण अपने विभाग पर नियंत्रण कैसे रखें उन्हें यह अधिकार है जो अधिकारी जिस स्थान पर उचित काम देख सकता है उचित रिजल्ट दे सकता है उसको उस स्थल पर रखने का मंत्री का एक विशेषाधिकार होता है और अगर मंत्री को लगता है कि अधिकारी वहां अक्षम साबित हो रहा तो उसे हटाकर दूसरी जगह कर देते हैं इसके दो कारण होते हैं एक प्रशासनिक आधार पर किये जाते हैं और एक जनहित में किये जाते हैं। मान्यवर, मैं एक बहुत गम्भीर प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं।

मान्यवर, मैं आपसे नम्र निवेदन करते हुए यह प्रश्न रख रहा हूं, आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें, मंत्रियों की साख घट रही है, उनका अपने विभागों से नियंत्रण कमजोर पड़ गया है। उसका एक मात्र कारण यह है कि उनके विभाग के अधीनस्थ लोगों को मालूम है कि हमारे मा0 मंत्री जी को हमें हटाने का अधिकार नहीं है। उन्हें यह भी मालूम है कि हमारे मंत्री जी चाहें भी, असंतुष्ट भी हो जायें, हमको अपने स्थान से नहीं हटा सकते हैं क्योंकि शून्य स्थानान्तरण की नीति बनी है। मान्यवर, यही समस्या उनसे उतर कर मा0 विधायकों पर आती है। कोई सम्मानित विधायक महसूस करते हैं कि यह चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, वह उसे हटवाना चाहते हैं लेकिन चिकित्सक फायदा उठाता है, शून्य स्थानान्तरण का। मान्यवर, इसी तरीके से अभियन्ता हैं, अगर उन्होंने निम्न स्तर का कार्य किया है, उसके कार्य से विधायक संतुष्ट नहीं है, उसे हटवाना चाहते हैं, लेकिन उसका स्थानान्तरण इसलिये नहीं होता क्योंकि शून्य स्थानान्तरण वर्ष है। मान्यवर, विधायकों के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वह अधिकारियों के पास जाता है, वरना लोकतंत्र में वह मा0 मंत्रियों से अनुरोध करता है। हमारे मंत्री जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि इस अधिकारी को हटाना है लेकिन मान्यवर, जब से देश आजाद हुआ, यह पहली बार हुआ है कि हमारे मंत्री अधिकार विहीन हो गये हैं। मंत्रियों के हाथ में अधिकारियों/कर्मचारियों को सीधे स्थानान्तरित करने का अधिकार नहीं रहा।

माननीय मंत्रीगण जब अपने विवेक का पूरी तरह इस्तेमाल कर उसे हटाना भी चाहते हैं तो उन्हें अनुमति लेने के लिये उसे भेजना पड़ता है और मान्यवर, अनुमति पर मैं नहीं जाना चाहता, अनुमति देने वाले क्या मंत्री से बड़े हैं, क्या उनके अधिकार मंत्री से बड़े हैं ? लोकतंत्र में तो हम यह मानते हैं कि मुख्य मंत्री जो बहुमत का प्रतिनिधित्व सदन करती है, वह सर्वोच्च है, फिर मंत्रि-परिषद् होता है लेकिन व्यवहारिक और प्रयोगात्मक रूप से देखा जाए तो सच्चाई यह है कि आज हमारे मंत्री अधिकार विहीन हैं, कुछ मुट्ठी भर अधिकारी जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक हमारे मंत्रियों को भी यह अधिकार नहीं होता। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब मंत्री अपने विभागों पर नियंत्रण नहीं रख पायेंगे, जब अधिकारियों के मन से यह डर हट गया कि हमारे मंत्री उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तो मान्यवर, आज वह अधिकारी ठीक से जवाब भी बनाकर नहीं देते हैं। मंत्री जी जनहित में अगर कोई निर्देश देते हैं तो उसका ठीक से वह पालन नहीं करते हैं। वह जानते हैं कि मंत्री के यह अधिकार क्षेत्र में नहीं

है, वह हमें हटा नहीं सकते हैं और नतीजे के तौर पर आज आप देखिये, विधान सभा प्रभावित हो रही है और मंत्रि-परिषद् अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। मान्यवर, औचित्य का जो प्रश्न मैंने उठाया है, इसका उत्तर यह भी दिया जा सकता है कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है लेकिन जब औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है तो कृपा पूर्वक अपने मंत्रीगणों से बात कर लीजियेगा, उनकी व्यावहारिक कठिनाई समझ लीजियेगा, यदि मेरी बात सही है तो मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में मंत्री को, विधायिका को शक्तिशाली होना चाहिये, अफसरशाही को शक्तिशाली नहीं होना चाहिये और जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसके कारण बड़ी अनिश्चित की स्थिति हो गई है। मान्यवर, मैं औचित्य के इस प्रश्न को उठाते हुए इस पर आपका संरक्षण चाहते हुए मार्गदर्शन भी चाहता हूं और मेरा सिर्फ यह कहना है कि लोकतंत्र में विधायिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका नहीं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक मा0 तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, मंत्रियों के अधिकार में कोई कटौती नहीं की गई है। मंत्रि-परिषद् शक्तिशाली है और मंत्रि-परिषद् ने जिसमें सामूहिक रूप से सभी मंत्री शामिल हैं यह निर्णय लिया कि वर्ष 2010 और 2011 का जो स्थानान्तरण सत्र है, वह शून्य किया जाए। मान्यवर, जैसा मा0 तिवारी जी ने कहा कि अधिकारी निडर हो गये हैं कि हमारा स्थानान्तरण नहीं हो सकता है। मान्यवर, स्थानान्तरण दण्ड नहीं है और किसी भी विभागीय कार्यवाही पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अगर कोई गलती करता है तो विभागीय कार्यवाही निश्चित रूप से हो सकती है, यह अधिकार है। मान्यवर, दूसरी तरफ इसके अलावा भी अगर स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक है तो माननीय मंत्रीगण को ही अधिकार है कि वह अपने माध्यम से भेजेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से यह हो सकेगा। माननीय मंत्रि-परिषद् ने ही यह निर्णय लिया है कि अगर आवश्यक है तो माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त स्थानान्तरण किया जा सकता है। इस तरह से मान्यवर, यह कोई विषय नहीं है और न ही इससे कहीं कोई दिक्कत पैदा हुई है और न इसके कारण अधिकारी निडर हुआ है बल्कि अधिकारी को यह विश्वास है कि हमें कार्य करने का अवसर मिला है और विभागीय नीति के अनुसार माननीय मंत्रीगण के निर्देशन में वह कार्य करेगा और अच्छा कार्य करेगा। मान्यवर, इस तरह से न तो कोई संवैधानिक दिक्कत है और न ही यह अनुचित है, मंत्रि-परिषद् का यह सामूहिक निर्णय है और उसके अनुसार यह हो रहा है। जहां तक नियम 300 का प्रश्न है। यह तो आप भी भिज्ञ हैं और माननीय तिवारी जी भी अवगत हैं कि यह नियम 300 में कहीं से भी प्रश्न नहीं बनता है। अतः आपसे आग्रह है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय तिवारी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 में दिनांक 11 फरवरी, 2010 को अभिसूचित एवं ध्यानाकर्षण हेतु शासन को सन्दर्भित गाजियाबाद की गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका तथा जिला पंचायत परिषद् में घोटालों की जांच विषयक सूचना को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्रों से बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं और क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही हम लोगों की है और उसको निभाने के लिये हमारे बीच में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के तहत हम नियम 51 में कुछ सूचनायें देते हैं और उनके उत्तर की भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों को वह उत्तर नहीं मिलता है जिससे हम जवाबदेही के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं और उसका उत्तरदायित्व नहीं निभा पाते। इसी प्रकार से दिनांक 11-02-2010 को पिछले प्रथम सत्र में मैंने नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर के संबंध में एक सूचना दी थी। मान्यवर, उसका उत्तर नहीं आया और इसी प्रकार से दूसरी सूचना नियम 51 में ही पंचायती राज विभाग के संबंध में दिनांक 22-2-2010 को, यह भी प्रथम सत्र में थी, जिला पंचायत परिषद् के अन्तर्गत जो घोटाले हो रहे हैं उसके संबंध में मैंने जांच कराने के लिये सूचना दी थी, मान्यवर, उसका भी कोई उत्तर नहीं आया और उत्तर न आने का मतलब सीधा-सीधा है कि वहां पर बड़े घोटाले हैं और उन घोटालों को वह अधिकारी जिन्हें जवाब देना चाहिए था, वह छिपाना चाहते हैं। मान्यवर, आपकी पीठ से कम से कम यह निर्देश हो जाय कि जो सूचनायें हम लोग देते हैं उनका जवाब हमको मिलना चाहिये ताकि वह चीजें उजागर हो, वह तथ्य सामने आये ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो, ताकि आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस तरह की कई माननीय सदस्यों ने आपत्तियां जाहिर की हैं कि जो सूचनायें मांगी जाती हैं उसमें विलम्ब हो रहा है, सूचनायें समय पर उपलब्ध हों, इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री मदन चौहान जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2010-2011 का अनुपूरक), विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 11 अगस्त,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2010 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 11 अगस्त, 2010 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन), विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 11 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित (संशोधन), विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 11 अगस्त, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल से इस सचिवालय को पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में उसी रूप मे पुनः पारित किया था, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को मूलतः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 12 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन-नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:--

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल से इस सचिवालय को पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 अगस्त, 2010 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया था, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को मूलतः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2010 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 12 अगस्त, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्रामीणों को आगरा महानगर से सीधे जोड़ने हेतु लगभग 1.7 कि0मी0 ग्राम लौधई (महामायानगर) से जामपुर चौराहा (जनपद आगरा) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चेतराम शर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्रामीणों को आगरा महानगर से सीधे जोड़ने हेतु लगभग 1.7 कि0मी0 ग्राम-लोधई (महामायानगर) से जामपुर चौराहा (जनपद आगरा) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चेतराम शर्मा तथा श्री शिव कुमार दीक्षित निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

याचिका प्रस्तुत हुयी। मद संख्या-7, 8, 9 में कुछ नहीं है।

नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 अगस्त, 2010 को नियम-311 की 4 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी तथा डॉ0 अनिल चौधरी की प्रदेश के कई जनपदों में भूमिगत जल के प्रदूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की मिड डे मिल के प्रचार के दौरान विज्ञापन कम्पनियों द्वारा अनुचित विज्ञापन दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव, डा0 वकार अहमद शाह, श्री अम्बिका चौधरी, डा0 पी0के0 राय, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री अनूप गुप्ता, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दीप नारायण सिंह तथा श्री लालजी यादव की प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जमुना विकास प्राधिकरण द्वारा जमीनों को जे0पी0 ग्रुप आफ इण्डस्ट्री के लिये अधिगृहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठीं सूचना श्री सतीश महाना की महानगरों में खराब सड़क, सीवर एवं खुदाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर तथा श्री उदयराज की उन्नाव की जिला

पंचायत की सीटों में नियम विरुद्ध आरक्षण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर स्थित रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के श्रीराम पासी बी0डी0सी0 सदस्य की निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की मुजफ्फरनगर में भयंकर बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा की जनपद गाजीपुर में ड्यूटी पर तैनात आरक्षी हरेराम सिंह यादव की हत्या किये जाने एवं उनके परिवार को अभी तक कोई सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं गढ़मुक्तेश्वर में छुपे आतंकवादियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री बैजनाथ दूबे की विकास खण्ड अधिकारी कटरा गोण्डा द्वारा ब्लाक कर्मी के साथ किये गये अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की ग्रुप हाउसिंग विकास नगर लखनऊ जी0एस0 बिल्डर्स द्वारा अवैध पंजीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राघव लखन पाल शर्मा की सहारनपुर नगर में प्रशासनिक उत्पीड़न के कारण पूर्व विधायक के भाई की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राजकिशोर सिंह की जनपद बस्ती में मृतक श्री ललन पाण्डेय के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ स्थित 33/11 विद्युत उपकेन्द्र ढखवा, सधहा के कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' की महाराजगंज अन्तर्गत बलिया नाला के कार्य हेतु नियम विरुद्ध भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भांति पिछड़ी जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री विश्वनाथ सिंह की कुशीनगर की चीफ शाखा सहित समस्त रजवहों के शिल्ट की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री राजेश यादव की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटरा शाहजहांपुर में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्रीमती मधुबाला पासी की भदोही व परतीपुर के बीच रेलवे क्रासिंग पर यातायात को देखते हुये ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ ''योगी'' की क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य विभागों द्वारा कराये गये कार्यों के रख-रखाव एवं एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही कार्य के लिये दो योजनाओं से धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है तथा पच्चीसवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की दिल्ली में कामनवेल्थ गेम्स के अन्तर्गत आगरा शहर को सुसज्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर निम्नलिखित मा0 सदस्यों की अस्वीकृत सूचनाओं पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

1-श्री पूरन प्रकाश

2-श्री इमरान मसूद

3-श्री राज किशोर सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय

4-चौ0 सत्यपाल सिंह
5-श्रीमती मिथिलेश पाल
6-श्री संजीव दरियाबादी
7-श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू''
8-श्री सुरेश कुमार खन्ना
9-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)
10-डा0 अजय तोमर
11-श्री छत्रपाल सिंह
12-श्री जावेद अन्सारी
13-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू
14-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
15-श्री विद्यासागर गुप्ता
16-श्री प्रदीप कुमार
17-डा0 आर0 ए0 उस्मानी
18-श्री राधेश्याम जायसवाल
19-श्री अब्दुल वारिस खां
20-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी
21-श्री लालजी यादव
22-श्री दुर्गा प्रसाद यादव
23-श्री कुवेर सिंह
24-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
25-श्री दीप नारायण सिंह
26-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
27-श्री अरविन्द सिंह
28-श्री अशोक कंसल
29-श्री जगन प्रसाद गर्ग
30-श्री बजरंग बहादुर सिंह
31-श्री राजेश अग्रवाल
32-चौ0 रवीन्द्र प्रताप
33-श्री उदयराज
34-श्री लल्लू सिंह
35-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह
36-श्री उदयभान करवरिया
37-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
38-श्री सुरेश्वर सिंह।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरा केवल ध्यान आकर्षण करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, करा लीजियेगा। आप बैठ जाईये। कुशवाहा जी बैठ जाईये।

(श्री राघव लखन पाल शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या नाम है, अच्छा राघव लखन पाल शर्मा जी, आपकी सूचना है तो इसमें।

(कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, सबका जितना ले लिया गया है। बाद में जब आज अंतिम दिन है और किसी को ध्यान आकर्षण करना है तो खड़े हो जायेंगे तो हम देख लेंगे। चलिये ठीक है। हम इसीलिये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम व्यवस्था दे देंगे। चलिये बैठ जाइये आप लोग।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपकी सूचना नहीं है।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, संयुक्त है।

श्री अध्यक्ष-

किसके साथ है ?

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी के साथ है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने.....

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने के कारण शोर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब बैठ जाइये। यह लोग बैठ जाएं। अब तक 50 लोगों को नियम-56 में सुन लिया है तब भी आज स्थिति यह है। आज अंतिम दिन होने के कारण मैंने इसे स्वीकार किया है, और सब लोग खड़े हो गये हैं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर चाहें तो सभी दलों के एक-एक सदस्य को सुन लें, बाकी सबको ध्यानाकर्षण कर दें, अपने स्तर से।

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनाओं पर ध्यानाकर्षण किया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का यह सुझाव ठीक है कि हर दल से एक-एक सदस्य को सुन लिया जाए और उसके बाद ध्यानाकर्षण हो जाए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह जो मेरी सूचना है पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में है, और आपने इसे स्वीकृत किया है, इस स्वीकृत सूचना को सुना जाना चाहिये।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जो सूचना आपने स्वीकृत की है, मेरी सूचना भी उससे मिलती जुलती है .....

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

यहां पर जो शिथिलता मैंने बरती है कि कुछ सदस्यों को सुना जाना चाहिये, तो यह कोई दबाव नहीं है कि उन्हें सुना जाना चाहिये। 2-3 सूचनाओं को ही सुनना है, शेष के लिये मैंने पहले ही व्यवस्था दी है कि ध्यानाकर्षण कर दिया जायेगा।

(शोर)

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी की और उसके बाद 2 सूचनाएं और सुनने के बाद शेष का ध्यानाकर्षण कर दिया जायेगा, जो सुनाना चाहेंगे ठीक है, जिनका छूटा होगा, उनको भी आज देख लिया जायेगा। मैं इतनी शिथिलता कर दूंगा।

किसी के पीठ पर आने से कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सबका ध्यानाकर्षण करा दिया जायेगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, यह 311 की मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी मा0 सदस्य जो विधान सभा में हैं, सभी के क्षेत्रों में यह समस्या है। मा0 अध्यक्ष जी, जो पीने का जल है, जिससे हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है वह पानी शुद्ध नहीं रह गया है। मा0 अध्यक्ष जी भूमिगत जल स्तर में मिलावट हो गई है, और यह मिलावट कैसे हो गई है इसके लिये प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे लगाने का काम हुआ है, उनका गंदा पानी गैस के रूप में, नालों के द्वारा बाहर जाकर भूमिगत जल स्तर को खराब करने का काम कर रहा है और प्रदूषित करने का काम कर रहा है। जितनी तमाम शुगर फैक्ट्री है, अब उनके लिये तमाम कायदे-कानून बनाने का काम हुआ है। अब हर शुगर फैक्ट्री वाले को एक जल शोधन यंत्र

लगाना होगा, और जो उसका वेस्ट पानी होगा, वह उसको शुद्ध करके बाहर छोड़ने का काम करेंगे। कुछ लोगों ने कागजों में अपने उद्योग, फैक्ट्रियों में इस तरह के यंत्र लगाने का काम सभी ने किया है लेकिन व्यवहारिक रूप से मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो कठिनाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, कि व्यवहारिक रूप से किसी भी फैक्ट्री में, चाहे वह तमाम जितने सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में जितनी पेपर मिले हैं, तमाम शुगर फैक्ट्री है माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4-5 फैक्ट्री चारों तरफ है। मलकपुर शुगर फैक्ट्री है बजाजवालों की किनौनी शुगर फैक्ट्री है तमाम शुगर फैक्ट्रियों में पानी को साफ करने का काम नहीं किया जाता है, रात के समय में उसको ऐसे ही बाहर निकालने का काम कर दिया जाता है और उसी का कारण यह है कि माननीय अध्यक्ष जी, आपका ध्यान चाहूंगा कि आज तमाम जो पीने के लिए गरीब लोगों के लिये सरकार द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाने का काम हुआ है वह हैण्ड पम्प भी शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं और लोग उस पानी को, गांव का गरीब आदमी उस पानी को पीने का काम करता है और उस पानी को पीने से कई तरह की बीमारियां फैलने का आज काम हो रहा है और इतना ही मान्यवर, जितनी नदी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हिण्डन और किशनी दो नदी मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे पूर्वज तो यह कहते हैं कि उनमें कभी स्नान होने का काम होता था, लेकिन आज उन नदियों का पानी, स्नान करने की बात तो आप छोड़ दीजिये उसमें अगर कोई जीव जन्तु भी पानी को पी लेता है तो वह बीमार होकर मर जाता है। तमाम तरह का गन्दा पानी उसमें आता है, जिसने उसको प्रदूषित कर दिया है। पेपर मिलों का जितना भी वेस्टेज है, जितनी सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर की, मेरठ की जितनी पेपर मिलें हैं उनका तमाम सारा वेस्ट पानी इन्हीं नदियों में गिरने का काम होता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, उसका प्रभाव नीचे पीने का जो भूमिगत जल है, जो हैण्ड पम्प के द्वारा हम लोग पीने का काम कर रहे हैं उसको भी प्रदूषित होने का काम कर रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से चाहूंगा चूंकि सदन का महत्वपूर्ण समय है मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि जो फैक्ट्री में यह प्रदूषण विभाग के द्वारा जो प्रदूषण के अधिकारी हैं जो प्रदूषण की रोकथाम करने का काम करते हैं, वह सिर्फ फैक्ट्रियों से पैसा लेने का काम करते हैं, वह जल शोधन यंत्र काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक कराने का काम सरकार करे कि उनका वेस्ट पानी, पेय जल पानी को दूषित करने का काम न करे। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया, धन्यवाद।

*डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर ग्राह्यता पर मुझे बोलने के लिये समय दिया मैं बहुत आभारी हूं और दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। हमारे यहां गुणवत्ता प्रभावित पानी को, बहुत सारी सरकार की योजनायें हैं, जल निगम की टंकियां बन रही हैं, हैण्ड पम्प लगाये जा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं और उसमें गुणवत्ता की जांच के लिये भी सरकारी कोष द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन देखने में यह आता है कि जब हम यहां प्रश्न लगाते हैं तो जल निगम के अधिकारियों द्वारा उत्तरित लिखे हुए उस उत्तर को यहां मंत्री जी यहां पढ़ते हैं और वह बताते हैं कि इस गांव का पानी गुणवत्ता प्रभावित नहीं है। मुझे इनकी सोच पर बड़ी शर्म आती है, हमारी मां और बहनें गांवों में पानी को देख कर उसकी क्वालिटी बता दिया करती है, वह कहती है कि इस पानी से हमारी दाल दस मिनट में गल जाती है, और इस कुएं के या इस हैण्डपम्प के पानी से हमारी दाल दस मिनट में नहीं गलती है, जिस पानी की गुणवत्ता का निर्धारण करने का हमारे पास प्राचीन परम्परागत तरीका है उस पानी को भी आपके वैज्ञानिक शोध के बाद गुणवत्ता प्रभावित नहीं माना जाता, इस व्यवस्था के बदले जाने के लिये यह प्रश्न लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और मान्यवर, एक स्पेसिफिक बात अपने इलाके की कहते हुए मेरे इस संदर्भ का संज्ञान भी लिया जायेगा।

मेरी तहसील शादाबाद जनपद महामायानगर में गांव तंजौली में एक पुरानी टंकी खड़ी हुई है उसका पहला बोरिंग एक दिन काम किया था आज 33 लाख की कीमत से उस पर एक बोरिंग कराया जा रहा है, हमने अभियन्ताओं से बताया कि जिस जगह आप बोरिंग कर रहे हैं यहां पर नीचे खारा पानी आपको सौ फिट के बाद मिलेगा, लेकिन अभियन्ताओं ने 400-500 फिट बोरिंग कर दिया है। मेरी यह मांग है इस सदन में कि उन अभियन्ताओं की जांच करा ली जाय उस पानी की 33 लाख रुपया जो उस बोरिंग में सरकार का खर्च हुआ है और उसमें नीचे खारा पानी निकल रहा है, जिससे सरकार के पैसे का वेस्टेज भी हुआ और शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता की जांच हाई टेक्निकल कमेटी से या किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से कराने का काम मंत्री जी करेंगे, गांव तंजौली, तहसील शादाबाद, जनपद महामायानगर का मैं यह प्रकरण बता रहा हूं आज भी वहां बोरिंग का काम चल रहा है, पूरे सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर दिया जायेगा और मान्यवर, मैं एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें।

मान्यवर, यह निश्चित मानना है अब तो मानक बड़े भी हैं। अब नये ट्रेड प्रदूषण में सम्मिलित कर लिये गये हैं। योजनायें इस तरह से बनती हैं कि आर्सेनिक के लिये डीप बोरिंग कर दी जायेगी। जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि जितना आप नीचे जायेंगे साल्ट की मात्रा बढ़ती जायेगी और नीचे जायेंगे तो गुणवत्ता विहीन पानी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसमें कोई सुविचारित नीति सरकार बनाने का काम करे, कोई अध्ययन बनाने का काम सरकार करे। इसी के साथ मैं चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इस पर सरकार की ओर से जवाब आ जाये।

मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आज मेरा नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य है। उसको आप अभी ले लें कृपया क्योंकि आज जुमे की नमाज पढ़ने हेतु मुझे 1.00 बजे जाना है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो वह मद क्रम से आयेगी।

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, अभी माननीय चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी ने एक बात रखी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 32 एग्रो वेस्ट पर आधारित पेपर उद्योग स्थापित है। उक्त में से एक उद्योग स्वयं के कारण से बन्द है, 06 उद्योगों में केमिकल रिकवरी प्लान्ट स्थापित किया गया है। तथा 25 उद्योगों में ब्लैक लिकर के शुद्धिकरण हेतु मात्र लिग्निन रिकवरी प्लान्ट स्थापित है। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के जल की गुणता में सुधार के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य में स्थित 24 एग्रो वेस्ट पर आधारित ऐसे पेपर उद्योग जिनमें उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह में ब्लैक लिकर के शुद्धिकरण हेतु केमिकल रिकवरी प्लान्ट स्थापित नहीं है, के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया में केमिकल पल्पिंग रोकने के आदेश पारित किये गये हैं तथा I उद्योग मै0 के0आर0 पल्प पेपर मिल, शाहजहांपुर द्वारा अपनी सह इकाई में स्थापित केमिकल रिकवरी प्लान्ट का प्रयोग ब्लैक लीकर शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मुरादाबाद एवं भोपा रोड मुजफ्फरनगर क्षेत्र में स्थित II एग्रो वेस्ट पर आधारित पेपर उद्योगों को संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने के निर्देश भी पारित किये गये हैं।

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य डा0 अनिल चौधरी जी ने महामाया नगर में हैण्ड पम्प के बारे में कहा है उसको दिखवा लेंगे।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, हैण्डपम्प की पेयजल समूह योजना पर गांव तंजौली, तहसील सादाबाद, जनपद महामायानगर में कार्य चल रहा है वहां पर 33 लाख की कीमत से बोरिंग कराये जाने की बात हमने रखी थी।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, उसको दिखवा लेंगे उसमें अगर अनियमितता की गई है तो उसमें कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है मुजफ्फरनगर के बारे में कि जितने भी प्लांट हैं पेपर मिल उसमें कहीं यह संयंत्र नहीं लगे, उनको लगाने के निर्देश दे दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी हिण्डन और कृष्णनी दो ऐसी नदियां यह दोनों तीन जिलों से होकर गुजरती हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ बागपत। इन नदियों में इन तमाम पेपर मिलों का पानी डालने का काम हो रहा है। तो मंत्री जी पानी को शुद्ध करा लेने का काम करें उसके बाद कठोर कार्यवाही करते हुए इन पेपर मिलों को बन्द करवाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है मैंने चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी, डा0 अनिल चौधरी जी को सुना यह सूचना नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक नितान्त महत्वपूर्ण व्यावहारिक और मान्यवर, एक ऐसा प्रकरण उठाना चाहता हूं जिस पर आपका ध्यान अपेक्षित है और आपके माध्यम से शासन का भी ध्यान अपेक्षित है। मान्यवर, मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है प्रदेश सरकार उसे यहां लागू करती है यह एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो बच्चे गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता है उन्हें मिड डे मील योजना के अन्तर्गत पौष्टिक आहार दिया जाय जिससे बच्चे शारीरिक रूप से भी सक्षम हो और मानसिक रूप से भी शिक्षा ग्रहण करने में उनकी बुद्धि कुशाग्र हो सके। मान्यवर, इसका प्रचार भी किया जाता है उसके पीछे लक्ष्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में आये शिक्षा ग्रहण करें और इसको बखूबी भारत सरकार की इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूं इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लें कि इस योजना के साथ क्या हुआ है। मान्यवर, यहां एक प्रचार करने के लिये विज्ञापन दिये गये है जो डिफरेन्ट चल रहे हैं। उसमें बच्चों को मिड डे मील योजना के लिये मेरे पास वेबसाइट है मैं उसकी कापी लाया हूं उसमें मिड डे मील योजना के साथ उसी कैप्शन में उसी यूनिट में जो दिखाया जा रहा है उसमें क्या जरा देख लें उसी विज्ञापन में यू0पी0 की एक सरकारी वेबसाइट वियाग्रा बेंच रही है। मिड डे मील योजना के साथ वियाग्रा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वही वेबसाइट उसमें मिड डे मील योजना का प्रचार है और उसी सरकारी विज्ञापन में वियाग्रा बेचने का प्रचार है कीमत भी उसकी बताई जा रही है, डालर में, पौण्ड में, रुपये में और मान्यवर, इसको बेचने का धन्धा चल रहा है। वेबसाइट है यू0पी0 के बेसिक शिक्षा विभाग के मिड डे मील प्राधिकरण की यानि सरकारी मिड डे मील प्राधिकरण की यानि सरकारी मिड डे मील बेसिक शिक्षा वियाग्रा का विज्ञापन कर रहा है, डायजापाम का विज्ञापन कर रहा है और बर्थ कन्ट्रोल का विज्ञापन कर रहा है। अब किन बच्चों का कर रहा है जो बच्चे 14 साल के नीचे है 10 साल, 11 साल, 12 साल। मान्यवर, इन सबका अनुभव आपको नहीं होगा लेकिन आपके कई लोग ऐसे हैं जिनको अनुभव होगा। इसमें बच्चों को दूर रखना चाहिये। मान्यवर, मैं आपको बहुत गम्भीरता से कहते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि जैसे इनको संज्ञान में लाया इन्होंने एफ0आई0आर0 भी लिखवा दी, कार्यवाही भी कर दी और उसे उतरवा दिया है। लेकिन मान्यवर, यह बाद में हुआ है। मंत्री जी के संज्ञान में आया उन्होंने कार्यवाही कर दी लेकिन यह अधिकारी क्या कर रहे थे, प्राधिकरण से जिन्होंने विज्ञापन दिया था वह क्या कर रहे थे, कि बच्चे को मिड-डे-मील की खिचड़ी दिखाई जा रही है। एक तरफ और दूसरी तरफ कहा जा रहा है बच्चे लोग वियाग्रा खाओ, डायजापाम खाओ और एक दवा और है उसमें और अगली बात है कि इसमें उसके बाद बर्थ कन्ट्रोल पिल का भी विज्ञापन इसमें है। यह बहुत गम्भीर है और मैं समझता हूं कि लापरवाही की पराकाष्ठा है यह अगर मिड-डे-मील के साथ वियाग्रा का विज्ञापन डायजापाम का विज्ञापन, बर्थ कन्ट्रोल का विज्ञापन अगर छप रहा है तो यह समाज को अश्लील साहित्य सरकारी बेवसाइट परोस रही है।

मान्यवर, मुकदमा कायम हो गया इसके लिये मैंने माननीय मंत्री जी को बधाई भी दे दी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये जिम्मेवार कौन और जिम्मेवार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्या हुई और अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो अब सुनिश्चित करा लें कार्यवाही जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, इससे सिर्फ सवाल बेसिक शिक्षा का ही नहीं है, सरकार का नहीं है यहां पर बैठे सभी लोगों का सर शर्म से झुक जायेगा कि एक वेबसाइट जिसमें बच्चों की मिड-डे-मील का विज्ञापन दिया जाय उसी विज्ञापन में उनका वियाग्रा खाने के लिये भी प्रेरित किया जाय, दाम बताया जाय। यह बहुत अनुचित है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले में कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। मान्यवर, यह जो पूरी वेबसाइट है, इसे मैं आपके पास संज्ञान के लिये भेजवा रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तिवारी जी ने स्वयं कहा कि सरकार ने स्वयं इसको देखा और एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई है। अब कार्यवाही हो जाने के बाद इनको याद आया, पहले तो इनको भी याद नहीं आया था। तो शासन ने इसमें पूरी कार्यवाही कर दी है। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिये आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने यह कहा कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में आ गया उन्होंने कार्यवाही की। लेकिन वेबसाइट एक दिन तो नहीं चलती रही, महीनों तक चलती रही। तो कोई तो इस सरकारी वेबसाइट की मानीटर करता होगा, वह क्या कर रहा था। वह कौन है तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप सुनिश्चित नहीं करेंगे।

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हकीकत में बहुत गम्भीर विषय माननीय तिवारी जी ने उठाया है। इसमें सरकार भी बहुत गम्भीर है और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 23-7-2010 और 22-7-2010 को सुबह और शाम को दोनों समय जब वेबसाइट को खोलकर हमारे अधिकारियों द्वारा मीनीटरिंग की जाती है तो जब शाम को अधिकारी उस वेबसाइट को चेक करके गये तो उस वेबसाइट पर कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं था। अगले दिन सुबह जब आये, जैसे ही आफिस खुली, आफिस खुलते ही वेबसाइट पर वह विज्ञापन देखे गये और विज्ञापन देखते ही तुरन्त वेबसाइट से हटा दिये गये। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो विज्ञापन वेबसाइट पर डाले गये थे वह हमारी वेबसाइट एम0डी0एम0 ने कहीं भी कोई आम जनता फीडबैक दे सकती है, अपने सुझाव दे सकती है और प्राधिकरण इन सुझावों को देखकर एम0डी0एम0 में और कुछ सुधार करे इसके लिये उसमें कालम छूटा हुआ था। उस पर रात को लगभग 1.54 बजे से 5 बजकर 45 मिनट यानि की 23 तारीख की रात को इस वेबसाइट पर यह विज्ञापन डाले गये। माननीय तिवारी जी ने खुद कहा कि हमने उसी दिन 11 बजे गोमती नगर थाने में इसकी एफ0आई0आर0 कराकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। क्योंकि यह

प्रकरण साइबर क्राइम से संबंधित था तो साइबर क्राइम से संबंधित होने के कारण उन्हें इसकी जांच के निर्देश दिये। उन्होंने वहां जो आई0डी0 पाई मैं यह भी बताना चाहता हूं । रात को एक बजकर 54 मिनट पर यूक्रेन की आई0डी0 पाई गई। कितनी-कितनी बार आई डी डाली गई, यह भी मैं बताना चहता हूं। 18 बार यूक्रेन की, 27 बार यूनाइटेड स्टेट की, 9 बार यूक्रेन की, 12 बार फिर यूक्रेन की, 21 बार यूनाइेट किंगडम की, 3 बार इंडिया की, फिर दो बार इंडिया की और फिर एक बार इंडिया। इसकी जांच चल रही है जिन लोगों ने उस रात ऐसा कार्य किया है, उनके खिलाफ यह सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी, यह आश्वासन मैं सदन को देना चाहता हूं। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने तिवारी जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात कहें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, पहले यह हमारे साथी बोलेंगे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, पारीक्षा विद्युत उत्पादन गृह में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के कारण वहां चिमनी गिर गई, चिमनी गिरने के कारण वहां कुछ लोगों की जान भी चली गई। यह इत्तिफाक था कि चिमनी जब गिरी तो लन्च का टाइम चल रहा था वरना चार-पांच सौ मजदूर उस चिमनी के निर्माण में लगे रहते थे। मान्यवर, विषय यह है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो विभाग की देखरेख में विभिन्न मौकों पर अधिकारी वहां गये थे। वहां की महिला प्रधान ने चिमनी निर्माण को देखकर लोगों की शिकायत पर एक साल पहले 20-7-2009 को एक शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत की सूचना प्रधान मंत्री को भी दी गई, भारत सरकार के मा0 ऊर्जा मंत्री को भी दी गई, मा0 मुख्य मंत्री को भी दी गई। इस तरह से तमाम लोगों को यह सूचना दी गई कि बनने वाली चिमनी टेढ़ी बन रही है। एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति ने उसे टेढ़ा समझकर उसकी शिकायत दर्ज करा दी उसके बाद भी विभाग नहीं चेता। मान्यवर, यह कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी बल्कि इस योजना पर 32 करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे। भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा दिनांक 28-8-2009 को और प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को सूचना दी गई कि इसको दिखवाया जाये लेकिन विभाग ने उसका संज्ञान नहीं लिया। मान्यवर, चिमनी गिरने से कुछ समय पहले मा0 मंत्री जी भी वहां निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब मा0 मंत्री जी पहुंचे तो वहां कर्मचारी यूनियन के लोगों ने भी इसकी गुणवत्ता की शिकायत कर दी थी कि यह कभी भी गिर सकती है। उसके बाद मा0 मंत्री जी ने उस कार्य को रुकवा दिया था। लेकिन कुछ समय ही बीता होगा कि कानपुर की किसी टीम से जांच करा ली गई और पुनः निर्माण की अनुमति दी गई। मान्यवर, यह चिमनी 220 फिट ऊंची थी फिर गोल मोल होने लगा और वह चिमनी बनते बनते धराशायी हो गई।

मान्यवर, सवाल यह है कि इतनी शिकायतें होने के बाद, मा0 मंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद आखिर वह कौन से अधिकारी हैं, वह कौन से लोग हैं जिन्होंने फिर से उसे बनने

की अनुमति दे दी। ठेकेदार और जो बाहर की कम्पनी है जिसको काम दिया गया उसने किन लोगों को काम सौंप दिया। उन लोगों ने कार्य की गुणवत्ता क्यों ठीक नहीं रखी, इसकी जांच करने वाले कौन लोग थे, कौन लोग उसकी देखरेख कर रहे थे, जब चिमनी गिरी हम लोग भी वहां पर पहुंचे और मा0 मंत्री जी भी वहां पर पहुंचे। जब चिमनी गिरी तो साफ दिख रहा था कि उसमें सूखी राख भरी हुई थी। यह बहुत बड़ी घटना घटी है, इसमें जबर्दस्त भ्रष्टाचार हुआ है, जबर्दस्त बेइमानी की गई है। सरकारी धन का अपव्यय हुआ है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र की सिंचाई विभाग से जुड़ी एक समस्या है। हमारी सरकार ने एक योजना पास हुई थी जो पारीक्षा पावर को एक्टेंशन देना था उसको पानी की आवश्यकता थी। सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के मध्य एक अनुबन्ध कराया गया । मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार में, उसमें यह तय हुआ कि बड़ी नहरों की सी0सी0 लाइनिंग कराई जायेगी। हमारी सरकार ने उसको पैसा भी स्वीकृत कर दिया। मान्यवर, दुर्भाग्य यह रहा कि जब तक काम शुरू होता चुनाव आ गये और उस कार्य को कराने का मौका मौजूदा सरकार को मिला। इस योजना पर 32 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है लेकिन सी0सी0 लाइनिंग बहुत ही घटिया तरीके से करायी जा रही है, यह हमारा विधान सभा क्षेत्र भी है, उसका 60 फीसदी हिस्सा हमारे क्षेत्र में आता है। मान्यवर, हम दो बार इंजीनियर को लेकर मौके पर पहुंचे, जो नार्म्स बनाये गये थे उनके अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप किसी टीम को मौके पर निरीक्षण के लिये भेज दें तो आप देखेंगे कि कितना रुपया बरबाद हो रहा है और इसके बनते ही सारी नहर ढह जानी है। मान्यवर, यह तो मानवीय दृष्टिकोण है कि भ्रष्टाचार हो रहा है।

एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि नहर का उपयोग हम कैसे करेंगे ? जो हमारी नहरे बनती हैं उसमें बीच-बीच में जानवरों को पानी पीने के लिये कैटिल यार्ड बनाये जाते हैं। पुरानी जितनी भी नहरे हैं उसमें कैटिल यार्ड बने हैं। इस बार इतनी जल्दी है कि कैटिल यार्ड कहां बनना चाहिये, जानवर आकर इतनी लम्बी नहर में कैसे पानी पियेंगे ? इसका प्राविधान नहीं किया गया। ठेकेदार को भी जल्दी है, विभाग को भी जल्दी है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि जैसे ही आप इसकी जांच करायेंगे, आपके सामने यह चेहरा सामने आयेगा कि जिन लोगों ने काम किया है उसमें कैसे भ्रष्टाचार किया है, लाखों रुपये जहां सरकार का नुकसान हो रहा है वहीं लाखों किसानों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बड़ी मुश्किल से यह योजना बनी थी इसलिए मेंरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उस काम को तत्काल रोका जाए, जिससे कम से कम अब आगे उसके ऊपर आने वाला खर्च बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जरा नियम-56 पर गौर से ध्यान केन्द्रित कर लेते।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सूचना देखी है, कई विषयों की है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप टेक्निकल्टी में मत जाइये, विषय भ्रष्टाचार का है और ये सब उसके उदाहरण है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का जब धन्यवाद का प्रस्ताव पिछले सत्र में आया था या जो बजट के ऊपर चर्चा हुई, इन्होंने विस्तार से इन बातों पर प्रकाश डाला था। तो आज कार्यस्थगन के रूप में जो यह नियम है उसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या कोई मा0 सदस्य हो, किसी को भी इस सीमा से अलग कोई अधिकार नहीं दिया गया है इसलिये मैं चाहूंगा कि आप स्वयं अपने विवेक से इसको अग्राह्य कर दें। यह कहीं भी इस बिन्दु में नहीं आता, कहीं भी किसी भी दृष्टि से इन नियमों की परिधि में नहीं आता। किसी को इसमें विशेषाधिकार नहीं है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या दलीय नेता हों। इसलिये आग्रह करना चाहूंगा कि इसको आप अग्राह्य कर दें और दूसरी सूचना की ग्राह्यता पर सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

जब सूचना आयी उस समय भी मैंने कहा था कि कोई सुनिश्चित विषय नहीं है। लगभग दो-चार विभागों की घटनाओं का, इसमें वृक्षारोपण, पी0डब्लू0डी0, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य रसद विभाग है, सबका आपने दिया कि भ्रष्टाचार इन विभागों में हो रहा है। इन सूचनाओं के फिल्टर के समय ही मैंने कहा, मैं चाहता था कि दो मिनट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह देंगे। आप तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, वैसे नियमों में है नहीं। एक सुनिश्चित सूचना नियम-56 व 311 में दी जाती है, वह भी एक विषय का हो, उसकी ग्रेविटी हो। माता प्रसाद पाण्डेय जी बैठे हैं, जानकार हैं आप समझाने लायक नहीं है। लेकिन जब यह सूचना आयी तो मैंने कहा कि जिस भी रूप में है, मा0 नेता प्रतिपक्ष को सुन लेंगे। लगभग सबकी भावनायें आ गई कि जुमा है, कुछ माननीय सदस्य बोल करके जाना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 2.00 बजे तक खत्म कर दें। अब केवल मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ही अपनी बात रखेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी जिक्र किया है, पहली बात तो सदन काफी लम्बे समय तक चलना चाहिये था जो नियमावली में है। अगर सदन लम्बे समय तक चला होता तो सभी विषयों पर चर्चा हुई होती तो हो सकता है कि आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ही अन्तिम दिन है, सदस्यों की अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें हैं तो उन समस्याओं को सुना जाना चाहिये था लेकिन आपकी सरकार के पास समय नहीं है मंत्रियों के पास समय नहीं है। मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं है। यहां तक कि पूरे सदन के विपक्ष के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिये समय नहीं है। मान्यवर, भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पर है। अध्यक्ष जी यह भारत के महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आया है। इसके अनुसार ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता का उल्लेख न किया गया हो। मान्यवर, कृषि विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है विकास दर इसलिये गिरती जा रही है। पैदावार इसलिये गिरता जा रहा है। खाद बीज समय पर नहीं मिल रहा है और बीज भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। ऐसे ही अधिकारी अगर पोस्ट हो जायेंगे। एक अधिकारी हैं कृषि निदेशक जिनका नाम है जोखू प्रसाद त्रिपाठी इनके भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सी शिकायतें हुई। इसके पहले जो कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण जी उनके द्वारा भी इनके पास शिकायतें हुई मुख्य

मंत्री जी के पास शिकायतें हुई यहां तक कि महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां भी शिकायतें हुई शिकायतों पर जांच हुई और जब जांच हुई जांच की है प्रमुख सचिव, हरमिन्दर सिंह राज ने उन्होंने अपनी जांच में स्पष्ट दिया है स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि जांच अधिकारी ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई है जिसके लिये अपचारी अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही सहित निम्न दण्ड सहित अन्तिम रूप दिया जाय अपचारी अधिकारी का स्थाई तौर पर वेतन वृद्धियां रोक दी जायं अपचारी अधिकारी को तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाय अपचारी अधिकारी को किसी महत्वपूर्ण पद पर तैनात न किया जाय। इसको चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री जी ने भी सीन किया है। इस अधिकारी को मंत्री के द्वारा और उसमें मेरा तो सीधा आरोप है मंत्री ने इस नियुक्ति में [x x x]

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह गलत बात है हमारी इसी नियमावली में .....

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, यह संसदीय भाषा का प्रयोग करें, इनको सिखाइये नेता प्रतिपक्ष का मतलब यह नहीं है। अगर संसदीय ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हासिल करें। इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। मुझे मत सिखाओ मैंने ही तुम्हें सिखाया है तुम हमारे ही चेले हो मुझे क्या सिखा रहे हो।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

सदन में किसी माननीय मंत्री के ऊपर नियमों में है कि बगैर साक्ष्य के इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं वह आरोप गलत है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नेता प्रतिपक्ष को अगर संसदीय ज्ञान नहीं है तो सिखाइये। संसदीय ज्ञान होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह का कोई नियम नहीं है नियमों में है किसी मंत्री के ऊपर बगैर किसी साक्ष्य के कोई तरह से आरोप नहीं लगा सकता है इसको कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विशेषाधिकार का हनन भी किया है। मान्यवर, यह नियमों में व्यवस्था है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो मान्यवर, इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को विशेषाधिकार इस बात के लिये नहीं मिला है कि मान्यवर, वह नियमों के विपरीत भी काम कर सकते हैं इसलिये मान्यवर, इसको कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिये।

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको कार्यवाही से निकाल दिया है।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

शांत रहें। मैंने कह दिया कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। शिवपाल जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मान्यवर, अभी एक मामला ढेंचा का है। जैविक खाद के प्रयोग में ढेंचा किसानों को दिया जाता है। एक लाख क्विंटल ढेंचा खरीदा गया और अभी बाजार में 10 रुपये 12 रुपये किलो उसकी कीमत है और उस ढेंचे को 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया है। किसानों को देना चाहिये था लेकिन कहीं भी किसानों को नहीं दिया गया है। अगर किसानों को दिया है तो सूची उपलब्ध करा दो। वह कहीं जमाखोरों को दे दिया। कहीं बहुत ही कम किसानों को दे दिया हो तो दे दिया हो। वैसे तो यह खरीदा ही नहीं गया। केवल कागजों पर खरीदा गया और उसमें करोड़ों रुपये का गोल-माल हो गया और मैं कह रहा था कि इन अधिकारियों को जो निदेशक हैं जोखू लाल त्रिपाठी, इन पर चार आरोप लगाये थे, उनको पोस्ट कर दिया तो जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की जांच होनी चाहिये थी, दण्ड मिलना चाहिये था उनको पदोन्नति देकर उनको पोस्ट कर दिया गया। अब वह अधिकारी सीधा-सीधा विभाग के अधिकारियों को धमकाता है, आप जांच करा लें। मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में सीधे सीधे जो संयुक्त निदेशक हैं उनसे 2-2 लाख रुपये महीना और जो कृषि अधिकारी हैं उनसे भी दो-दो लाख रुपये महीना और जो कृषि रक्षा अधिकारी हैं उससे भी दो-दो लाख रुपये महीना देने को कहता है। इस तरह से भरी मीटिंग में 6-6 लाख रुपये महीना देने को कहता हैं इसके साथ ही एक अधिकारी था सहारनपुर में संयुक्त निदेशक उदय कुमार सिंह, उस अधिकारी से 6 लाख रुपये मांगे, जब उसने कहा कि मेरे पास नहीं है 6 लाख रुपये, मैं नहीं दे पाऊंगा तो भरी मीटिंग में उसने कहा कि चाहे अपनी पत्नियों का जेवर बेचिये, चाहे कहीं से लाइये। मुझे पैसे चाहिये। उस अधिकारी ने शिकायत की है, मैं अभी भिजवा दूंगा आपको। उस अधिकारी ने शिकायत की है प्रमुख सचिव कृषि से, मुख्य मंत्री जी के पास शिकायत हुई है, कृषि मंत्री के पास शिकायत की है। लिखित में उस अधिकारी ने शिकायत की है। इतना उस अधिकारी को धमकाया गया कि बीमार हो गया, उसका वी0 पी0 बढ़ गया, परेशान हो गया, तो फिर ऐसे में अधिकारी क्या करेंगे, जब ईमानदार अधिकारी से पैसे मांगे जाएंगे तो कोई ईमानदार अधिकारी रह पाएगा ? बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जब सरकार करेगी और सरकार के मंत्री जब भ्रष्टाचार नहीं देखेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, अगर भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा देगी, वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार न बढ़े, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही कि भ्रष्टाचार न पनपे, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जब ऊपर से भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार कहां जाएगा, यह जिम्मेदारी सभी मंत्रिमण्डल सदस्यों की हैं मान्यवर, इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, जो अधिकारी भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं उनको दण्डित किया

जाय। यह सब कापियां, इस कार्यवाही का अंग बन जाएं, इसलिये भेज दूंगा। इसी तरह से मान्यवर, बुन्देलखण्ड में चला है एक जी0 टी0 टैक्स। जो बालू, खनन, मिट्टी, गिट्टी पत्थर जी0 टी0 टैक्स वहां बोला जाता है जबकि है गुण्डा टैक्स। जो भी वहां से ट्रक बगैरह चलता है उसमें ढाई हजार रुपये से लेकर तीन हजार तक गुण्डा टैक्स वसूला जाता है। इसके कारण सब चीजें महंगी हो गई है। कोई गरीब आदमी आज की तारीख में फोर्थ क्लास या कोई किसान, आज के समय में किसान की वह हालत हो गई है एक कमरा नहीं बना सकता है। इतनी महंगाई हो गई है, यहां तक की क्लास थ्री वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग मकान नहीं बना सकते हैं इस महंगाई में। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सबकी है सरकार ही जब भ्रष्टाचार में डूब गई है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सब बात आ गई है।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

कोई विभाग बचा नहीं है भ्रष्टाचार से, मान्यवर, गेहूं की खरीद में, वैसे तो किसानों को खाद बीज मिलता नहीं था, पानी भी नहीं मिलता था, बिजली भी नहीं मिलती थी और किसी तरह से उसने गेहूं और धान पैदा कर लिया तो उस खरीद में भी घोटाला हो गया। 100-100 रुपये के हिसाब से क्रय केन्द्रों पर किसानों से वसूला गया जो समर्थन मूल्य था किसी किसान को नहीं मिला, भ्रष्टाचार के कारण इसी तरह से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हुये हैं इनके विभाग में भ्रष्टाचार की यह हाल है कि 8-8 परसेन्ट पहले ही कमीशन, उसके बाद ठेकेदार का 5 परसेन्ट कमीशन जांच करा लो, इसकी सी0 बी0 आई0 की जांच करा लो मैं तैयार हूं और यही नहीं मान्यवर, लम्बे पैमाने पर स्टीमेट, जहां लगना चाहिये 13 लाख, 14 लाख पर कि0 मी0, पता लगा लेना वहीं सड़कें 50 लाख पर कि0 मी0 तक पहुंच गई है, इस भ्रष्टाचार के कारण। इस भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, लाल पत्थर का रेट, वैसे तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिये थी, पता लगा लेना इन खदानों का, उसमें भी छेड़छाड़ हो गयी और जिस लाल पत्थर की 3 साल पहले, इस सरकार से पहले कीमत थी 2 रुपये वर्ग मीटर, 4 रुपये वर्ग मीटर, आज उस पत्थर का पेमेंट 24 सौ रुपये से लेकर 36 सौ रुपये वर्ग मीटर हो रहा है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, वर्ग मीटर में हो ही नहीं सकता है, घन मीटर में होता है।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, पहले पत्थर मीटरों में चलता है फिर जब उसमें काट-छांट इंजीनियर लगा देता है, तब घन मीटर में चलता है।

(हंसी)

मान्यवर, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यह टेक्निकल बातों पर हंस रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार कि जो 2 रुपये, 4 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पेमेंट होता था आज वह 24 सौ रुपये से ले करके 36 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर हो रहा है। इसी तरीके से मान्यवर, खाद्य आपूर्ति विभाग

में है, बी0पी0एल0 फर्जी कार्ड, केवल लखनऊ में 150 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा ? और इसी तरीके से समाज कल्याण विभाग में, 17 करोड़ रुपये का केवल इलाहाबाद में भ्रष्टाचार हुआ, यदि बोलने का समय मिल जाता तो सब लोग अपने-अपने यहां का बता देते। वैसे तो सूचनाएं मांगी थी, सभी विभागों से सभी सूचनाएं मिलनी चाहिये थी लेकिन विभाग सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। कोई विभाग सूचना नहीं दे रहा है, तब भी जो सूचनाएं मेरे पास हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं। चिकित्सा विभाग में नकली दवाइयां और जो भी उपकरण हैं, उनमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। इसी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग में तो आप को थोड़ी-बहुत जानकारी हो ही गई होगी। उच्च शिक्षा विभाग में अगर मान्यता लेने जाओ, चाहे विधायक हो या और कोई हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, पैसा दे देंगे तो मान्यता मिल जायेगी, बी0 एड0 की अगर मान्यता लेनी है तो 15 लाख रुपये दीजिये। तो जब इतना भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है, तो मान्यवर, यह बहुत लोक महत्व का सवाल है, इस पर चर्चा करा ली जाए और अगर सरकार में हिम्मत है तो सी0 बी0 आई से जांच करा ली जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी उदारता है आपने सुना। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष को रह-रहकर अपनी याद आती रहती है। मान्यवर, गुण्डा टैक्स के बारे में पूरा प्रदेश जानता है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सिवाय पुरानी बातों के कुछ नहीं बोलना है। मान्यवर, मैंने कहा है कि सी0बी0आई0 जांच करा लो मैं तैयार हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कुछ समय पहले सी0बी0आई0 जांच हो रही थी तो घूम-घूमकर आरोप लगा रहे थे कि सी0बी0आई0 का दुरुपयोग किया जा रहा है। मान्यवर, आज यह सी0बी0आई0 जांच की बात करते हैं। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि गुण्डा टैक्स कब वसूला जा रहा था।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि कब गुण्डा टैक्स वसूला जा रहा था। एक भी जिला ऐसा नहीं बचा था जिसमें गुण्डों के माध्यम से पूर्व में पहले ही 5 प्रतिशत कमीशन लेकर टेण्डर दिलाने का काम न हो रहा हो। एक भी जिले का बता दें जिस जिले में न हो रहा हो और मान्यवर, विभाग का मुखिया कौन था। एक भी जिले का नाम बता दें कि जहां तीन साढ़े तीन वर्ष पहले गुण्डे टेण्डर बांटने का काम नहीं कर रहे थे।

(सदन में शोर-शराबे के कारण घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चलिए, जब आप आरोप लगाये हैं तो उन्होंने सुना अब वह बोल रहे हैं तो उनको भी तो सुनिये। आपने गलत कहा उसको कार्यवाही से निकाल दिया, अगर गलत होगा तो मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा। आप सुनिये। इसके बाद कहिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हर जिले में गुण्डे टेण्डर की प्रक्रिया को संचालित करने का काम कर रहे थे या कहीं ड्राइवर के नाम पर या कहीं दूसरे के नाम पर फर्जी कम्पनियां बनाकर निर्माण के काम चल रहे थे। मान्यवर, भ्रष्टाचार उस समय था। हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया और टेण्डर की प्रक्रिया को आनलाइन करने का काम किया। मान्यवर, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसको सुनने की तो क्षमता है नहीं। मान्यवर, आज हमने जब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर, गुण्डों पर अंकुश लगाकर निष्पक्ष रूप से कार्य करने की छूट देने का काम किया, टेण्डर की प्रक्रिया में सबको सम्मिलित करने का काम किया, इनकी मोनोपोली पर रोक लगायी तो आज इनको अखर रहा है। मान्यवर, आज इनके पास कोई कहने की बात नहीं रह गयी है। मान्यवर, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने की नियमों में प्रक्रिया है। मान्यवर, उस आरोप लगाने की प्रक्रिया का निर्वहन करके उसे नियमों के तहत लायें तो उसके एक-एक शब्द का अक्षरशः हम उत्तर देने के लिए तैयार है। मान्यवर, आज जब इनके पास कोई बात नहीं रह गयी है तो इसी तरह के मनगढ़न्त जिसका कोई सबूत नहीं, बिना सिर-पैर के मुद्दे लाकर सदन का समय लेने का काम करते हैं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कुछ हुआ है, उसको इस प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया है और जो लोग यहां बोलने का काम कर रहे हैं मान्यवर, जो लोग आज यहां आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं और ज्यादा तेज बोलने का काम कर रहे हैं मान्यवर, वे स्वयं अपने दामन में झांक कर देखें कि उन्होंने किस तरह का अन्याय और अत्याचार करने का काम किया था। मैं समय नहीं लूंगा और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इन्होंने यह जो सारे आरोप लगाये हैं, ये मनगढ़न्त हैं, बेबुनियाद हैं, निराधार है और ये सरकार जो आज बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में है, इसमें नियमों के अनुसार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये गुण्डों पर अंकुश लगाकर और भ्रष्टाचार से निजात दिलाकर नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी और अगर कहीं भी, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा, उसकी जांच कराकर जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको दण्डित करने का भी काम किया जायेगा, उसमें किसी भी तरह का पक्षपात करने का काम नहीं किया जायेगा।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मनोज गुप्ता की हत्या कैसे हुयी ?

श्री लालजी वर्मा-

अब बहुत ज्यादा न बोलिये, हमें भी मालूम है कि क्या किया है, किसने किया है ? किसने क्या किया है हमें भी मालूम है ? मान्यवर, जहां तक इसकी ग्राह्यता का सवाल है, मान्यवर, आप देख लें, नियमों को देख लें और मान्यवर, जो सदन में जो बोलने की इजाजत है उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, वह सारी चीजें नियमावली में हैं और मान्यवर, इस तरह से जिसकी जब इच्छा हो, जहां से इच्छा हो, खड़ा हो जाये, बोलने लगे। मान्यवर, इस तरह

से कदापि इजाजत न दें। मान्यवर, यह नियम-56 की परिधि में कहीं से भी दूर-दूर से भी नहीं आता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नेता प्रतिपक्ष जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी सूचनाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त होकर बैठ जायें, सभी मा0 सदस्यों की सूचनाओं को ध्यानाकर्षण हेतु ले लिया गया है और सुरेश्वर सिंह का व्यक्तिगत मसला है, ये बतायें और शेष मा0 सदस्यों की सूचनाओं का ध्यानाकर्षण कर दिया गया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने भ्रष्टाचार पर जांच की मांग की है। यह सरकार भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिये तैयार नहीं है, इसलिये हम और हमारा दल इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यगण ने सदन का त्याग किया)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, ये नेता प्रतिपक्ष हैं और मैंने पहले भी आपसे विनती की थी कि कुछ नियमों की जानकारी इनको भी दे दीजिये। आप की व्यवस्था के बाद आपके द्वारा व्यवस्था देने के बाद बहिर्गमन कर रहे हैं। मैं काबिलियत की कितनी तारीफ करूं कि जो जांच अधिकारी हैं, उसी को भ्रष्ट बताने का काम शुरू कर दिया और मैं समझ नहीं पाया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और निकल क्या रहा है ? मैं तो केवल इतना कहूंगा कि इनको अपने समय की याद आ जाय कि आईना क्या है दर्पण-

''ये आईने से मिले और आईने से झुंझलाये,
इन्होंने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा,
सफर के बीच में ये कैसा बदल गया मौसम,
फिर उन्होंने इनकी तरफ नहीं देखा।''

इन्होंने क्या-क्या किया, 10-10 करोड़ रुपया हर आदमी ने समेटा, दस-दस हजार करोड़ रुपया। दस हजार इस भाई ने, दस हजार उस भाई ने। मैं किसी का नाम नहीं लेता। तकलीफ क्या है ? तकलीफ यह है कि जो लूट का असली माल है, इनकी पार्टी के पूर्व महासचिव, एक लाख करोड़ रुपया लेकर चम्पत हो गये। इसमें मैं क्या करूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अमर कथा सब जानते हैं। मुझे जो इनसे यह कहना था लेकिन यह भाग गये कि ''तुमने गैरों पर तो इल्जाम लगा रखे हैं, अपने दामन के मगर दाग छुपा रखे हैं।'' भाग गये तुम वरना वह दाग दिखाता तुम्हें कि न सुन पाते, न बैठ पाते और न बोल पाते। मान्यवर, अब वह चले गये हैं, मैं क्या बोलूं। मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

राघव लखन पाल जी का कोई व्यक्तिगत मसला है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप देख लें, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

यह उनका भी व्यक्तिगत मामला है, किसी की जान चली जाती है तो व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन प्रदेश में क्या जान की कीमत ...

श्री अध्यक्ष-

आपका कोई व्यक्तिगत मामला हो तो बतायें, नहीं तो सब सूचनाओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। आपका भी ध्यानाकर्षण हो गया है। हम आपकी सूचना को देख लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप सूचना को देख लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश जी, इसमें एक घटना का जिक्र है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा-

चूंकि मान्यवर, आपने कहा था, इसलिए सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा था कि विधायक जी का व्यक्तिगत है, इसलिए मैंने स्वीकार किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, 1 मिनट सुन लें, पहली बार मा0 विधायक बोल रहे हैं।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

मान्यवर, केवल एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब एक व्यवस्था आ गयी है। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इनकी बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं करता या तो अग्राह्य करता लेकिन मैंने तब भी इनकी सूचना पर ध्यानाकर्षण कर दिया। मैं इस सूचना पर ''शासन का ध्यान आकर्षण करता हूं'' यह कहकर इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैंने व्यक्तिगत मसले पर विधायक जी का सम्मान किया, लेकिन यह घटना का जिक्र बता रहे हैं कि किसी को मारा गया, वह बेहोश हो गया। इस तरह से तो सभी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सहारनपुर में हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता, जो दो बार विधायक भी रहे हैं, उनके बड़े भाई को ए0डी0एम0 अपने साथ ले गये, उनकी उपस्थिति में थाने में उनकी मृत्यु हो

गई। यह एक गम्भीर तनावपूर्ण स्थिति है, उसी पर राघव लखन पाल सिंह जी केवल 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं। मान्यवर, यह उनके क्षेत्र का मामला है।

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

सिटी मजिस्ट्रेट को भी निलम्बित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। श्री ओम प्रकाश सिंह जी, मा0 नेता विधान मण्डल दल आपने कह दिया उनकी बात आ गयी है। अब आप बैठ जाएं। सुरेश्वर सिंह जी आपका व्यक्तिगत मामला क्या है ?

श्री सुरेश्वर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात बोलने का अवसर दिया है।

(कई सदस्यों के अपनी सूचना पर जिज्ञासा करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं व्यवस्था दे दिया हूं, केवल सुरेश्वर सिंह जी अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जान का खतरा है। अतः ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हम सुनेंगे। अब सब लोग बैठ जाएं। सबका ध्यान आकर्षण कर दिया है। अब ध्यानाकर्षण हो गया है, एक व्यवस्था हो गयी है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात सदन में रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दिनांक 26-2-2010 से ले करके अब तक तीन बार मेरा बहराइच स्थित आवास एवं कार्यालय जलाने का प्रयास, बोतलबंद ज्वलनशील पदार्थ द्वारा किया गया, जिसमें मेरा छोटा भाई जलकर घायल हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश्वर सिंह जी अपनी मुख्य बात कहिये।

श्री सुरेश्वर सिंह-

तीन बार रक्तरंजित चाकू के साथ धमकी भरा पत्र मेरे आवास और कार्यालय पर फेंका गया तथा लगभग 1 दर्जन बार धमकी भरे पत्र स्पीड पोस्ट, कोरियर एवं साधारण डाक से मेरे आवास पर भेजा गया, कार्यालय एवं समाचार-पत्रों के कार्यालयों पर भेजे गये, जिसमें एक लन्दन के हालम विश्वविद्यालय के लिए तथा एक पत्र उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को संबोधित करके भेजा।

श्री अध्यक्ष-

सुरेश्वर सिंह जी व्यक्तिगत अपनी सुरक्षा की बात कहिये। अपनी मुख्य बात कहिए। इसको पढ़ने से तो आपकी बात नहीं आती है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

एक मिनट मान्यवर, पूरी बात आ जाती है, हमने बहुत शार्ट में हमने अपनी बात रखी है। एक पत्र उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सम्बोधित करके, जैश-ए-मोहम्मद जैसे

आतंकवादी एवं राष्ट्र विरोधी संगठन द्वारा मुझे 5 अन्य जिसमें डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, जो सदर विधायक गोरखपुर के हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है, की कुर्बानी की बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष-

फिर आप पढ़ रहे हैं आप बतायें कि हमको यह खतरा है और मैं सरकार के संज्ञान में यह बात लाया हूं, अतः हमको सुरक्षा दिया जाए।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, आपके संज्ञान में भी यह बात है और आपने 3 बार प्रमुख सचिव गृह से भी कहा है, जैश-ए-मोहम्मद का पत्र बाद में आ गया, एक व्यक्ति ने मेरी निगरानी 2 घण्टे से की, जिसका आर0टी0ओ0 आफिस से जब नम्बर देखा गया तो वह नम्बर एलाट ही नहीं हुआ था। बार-बार मुझको धमकी दी जा रही है, तीन बार घर जलाने का प्रयास किया गया, तीन बार रक्तरंजित चाकू फेंका गया है। सरकार भी यह मानती है और स्थानीय जिला प्रशासन भी यह मानता है कि मेरी जान को खतरा है। मेरे घर पर 4 महीने से गारद लगायी गयी है, लेकिन मैं बराबर गनर की मांग कर रहा हूं अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। शासन द्वारा अभी तक मुझको सुरक्षा नहीं प्रदान की गयी है या तो सरकार मानती हो कि मेरी जान को खतरा नहीं है, तो जो मेरे घर पर गारद लगायी गयी है, उसको भी हटा लिया जाए, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। लेकिन यदि सरकार हमारे घर पर गारद लगाये हुए हैं, तो मुझे भी मेरे साथ में सुरक्षा चाहिए, यह आपकी पीठ से मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय विधायक जी ने अपनी सुरक्षा का विषय उठाया है एक बार और सदन में उठाये थे तो इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 13-8-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 90 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 20 अगस्त, 2009 को जिला शासकीय अधिवक्ताओं के समाप्त हो रहे आबद्धता कार्यक्रम को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद खां की लखनऊ नगर में मोहल्ला सुतरखाना मकबूलगंज में सीवर लाईन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा की नगरपालिका वृन्दावन की लोकायुक्त उत्तर प्रदेश की जांच रिर्पोटों पर कार्यवाही करने व ओम्बड्समैन को लोकायुक्त के अधीन नियुक्त करने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पांचवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्ररौलिया में दर्ज अपराध

संख्या-48/9 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। छठी सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल से निकलने वाली नहरों की सफाई के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की जनपद बरेली के ऊंचासीताराम स्थित भगवान जगन्नाथ मन्दिर में हुई चोरी से उत्पन्न जनता में असन्तोष के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं को हटाकर केवल स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोधकार्य का केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर की चार खम्भा से चौक घण्टाघर होते हुए गोविन्दगंज फाटक तक जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की लखनऊ नगर स्थित लालबाग आफिसर्स कालोनी में नलकूप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की जनपद महाराजगंज की तहसील सदर स्थित मवन नाले के अतिरिक्त अनियंत्रित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बारहवीं सूचना चौ0 फसीहा बशीर गजाला की जनपद देवरिया के लार्डटाउन स्थित ओ0के0एम0 इण्टर कालेज में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौदहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की प्रदेश के किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाने वाली नीलगायों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पन्द्रहवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर के ग्राम बेगमाबाद में निर्माणाधीन 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सोलहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जौनपुर की नगरपालिका शाहगंज की सीमा का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सत्रहवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की लखनऊ के पलटन, छावनी सीतापुर रोड, निवासी सोहराब अली की अपहृत पुत्री को बरामद किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। अट्ठारहवीं सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। उन्नीसवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ स्थित रजबहों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बीसवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की आगरा में राधास्वामी सतसंग सभादयाल द्वारा जमीनों पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। इक्कीसवीं सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की छत्रपति शाहूजी महाराज नगर ग्राम पूरे चकबन्दी निवासी श्रीराम पासी की हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बाइसवीं सूचना श्री मदन चौहान की नोएडा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 2009-10 में उद्यान विभाग द्वारा किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेइसवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जालौन के उरई क्षेत्र में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौबीसवीं सूचना श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थनगर स्थित पिठनीघाट एवं करछुलिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

पच्चीसवीं सूचना श्री अरविन्द सिंह की लखनऊ स्थित जानकीपुरम् में खसरा संख्या-1262 पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। छब्बीसवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर स्थित विश्वकर्मा चौक से रजबहे के साईड के रोड तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सत्ताइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में अवशेष ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। अट्ठाइसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा के रामनगर कालोनी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। उन्तीसवीं सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की बलरामपुर स्थित कोड़रीपुल के संचालन एवं सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तीसवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर के जाजमऊ स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के सुचारु रूप से न चलने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। इकत्तीसवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की प्रदेश के स्टेट लैण्ड पर दसकों से आवास बनाकर रह रहे मध्यमवर्गीय परिवारों के पक्ष में जमीन फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बत्तीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को पूर्व में दी गयी सुविधाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तैंतीसवीं सूचना श्रीमती कृष्णाराज की लखीमपुर खीरी में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निपटने हेतु जल संचयन की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौंतीसवीं सूचना श्री काशीराम की लखनऊ स्थित त्रिवेणीनगर फेज-2 सीतापुर रोड से तबेलों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पैंतीसवीं सूचना श्री इरफान सोलंकी की ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लेखा संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सूची में सामान्य वर्ग के कर्मियों को सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सूचनाओं के बारे में जिज्ञासा करने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज सदन के उपवेशन का अन्तिम दिन है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन सबकी सूचनाओं पर ध्यानाकर्षण करा दें।

(श्री कृष्ण गोपाल पटेल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पटेल जी अब आप बैठ जाइये, जब मा0 तिवारी जी ने कह दिया है तो मैं शेष सभी निम्नांकित माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर भी शासन का ध्यानाकर्षण करता हूं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव (तीन सूचनायें प्राप्त) की सूचना परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिना परमिट एवं लाईसेन्स के अवैध रूप से चल रही डग्गामार बसों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री यशपाल सिंह चौहान की सूचना मेरे सगे सम्बन्धी एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिये सिकन्दरामऊ महामायानगर अपराधी रिन्कू यादव द्वारा झूठी शिकायत की सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री संजीव दरियाबादी की सूचना कानपुर नगर में आने वाले ट्रकों से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री शम्भू चौधरी की सूचना प्रदेश के कमकर जाति के सम्बन्ध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री छत्रपाल सिंह की सूचना हरदोई के मल्लावां नगर परिषद में पार्किंग के ठेकों की जमानत राशि श्री राजेश पाठक को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विशम्भर सिंह यादव की सूचना बांदा की तहसील बबेरू में बिजली की मांग को देखते हुए सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षिका बाराबंकी द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री कैलाश चौरसिया की सूचना बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री बैजनाथ दूबे की सूचना गोण्डा में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेशों के उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री राजाराम त्यागी की सूचना लखनऊ स्थित त्रिवेणीनगर के फेज-2 में पण्डित मिष्ठान भण्डार के पास आवासीय कालोनी में मोबाइल टावरों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौ0 रवीन्द्र प्रताप की सूचना सिद्धार्थनगर में बानगंगा बैराज में सिल्ट जमा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री महेश चन्द्र गुप्ता की सूचना बदायूं के कबूलपुरा पुरऊ मार्ग पर सोतनदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विनोद कुमार की सूचना आनन्द कुमार सिंह सहायक लेखाकार दीनानाथ उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ द्वारा उनके बकाये वेतन का शीघ्र भुगतान कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, डा0 अजय तोमर की सूचना सीतापुर निवासी श्रीमती सुरेमवती को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में है, श्री निर्मल वर्मा की सूचना सीतापुर के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री भोला पासवान की सूचना आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष श्री भानु प्रताप यादव का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राजेश कुमार गौतम की सूचना लखीमपुर खीरी स्थित जौहर गांव के पास पेटेन्ट मार्ग के ऊपर कच्चे बन्धे के निर्माण की जांच तथा सम्पर्क मार्गों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री उदयराज यादव की सूचना लखनऊ स्थित सरोजनीनगर क्षेत्र में मुरली बिहार कालोनी से जे0बी0 फैब्रीकेटर्स तक पक्की नाली एवं डामर युक्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, डा0 हरगोविन्द भार्गव की सूचना सीतापुर के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने करीबियों को नियम विरुद्ध ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौ0 सत्यपाल सिंह की सूचना अलीगढ़ के ग्राम तकीपुर बम्बे पर सड़क पर पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री अवस्थी बाला प्रसाद की सूचना जनपद खीरी के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, श्री कुलदीप सिंह सेंगर की सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आवश्यक खाद्य एवं वस्त्र निगम के गोदाम प्रभारी ब्लाक माधवगंज के श्री हरीश चन्द्र दुबे के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री पूरन प्रकाश की सूचना मथुरा के ब्लाक मथुरा गोवर्धन व फरह के घोषित अम्बेडकर ग्रामों की टूटी सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री कृष्ण गोपाल पटेल की सूचना सन्तरविदास नगर भदोही के थाना चौरी में घटित जहरीली शराब की दुःखद घटना की निष्पक्ष सी0आई0डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप (दो सूचनायें प्राप्त) की सूचना बांदा स्थित रामगंगा कमान परियोजना की भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा कराये गये कार्यों का फर्जी भुगतान एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री अब्दुल वारिस खां की सूचना

मुजफ्फरनगर के मोहल्ला खालपार निवासी नदीम खान की हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राजेश यादव (दो सूचनायें प्राप्त) की सूचना शाहजहांपुर स्थित पुड़रिया में रामगंगा नदी पर ठोकर न बनाये जाने के सम्बन्ध में है, श्री प्रदीप कुमार 'गुड्डू' की सूचना लखनऊ अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों एवं कालोनियों में जर्जर विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री पंकज मलिक की सूचना एस0डी0 कालेज मुजफ्फरनगर के भवनों को प्रबन्धक द्वारा ध्वस्त करने एवं बिना शासन की अनुमति के मार्केट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री महेन्द्र कुमार सिंह झीन बाबू की सूचना सीतापुर की तहसील बिसवां महमूदाबाद लहरपुर में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित किसानों को मुआवजा एवं आवासीय पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में है, श्री अशोक कुमार सिंह की सूचना रायबरेली स्थित अलबरा में टूटे हुए पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री श्याम लाल की सूचना होमगार्ड विभाग द्वारा होमगार्ड के जवानों को समान कार्य समान वेतन की अनुमन्यता किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राम सेवक की सूचना सुल्तानपुर स्थित देवकली रजबहा व कटेहरी रजबहा में पर्याप्त पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' की सूचना डा0 चन्द्र प्रकाश तत्कालीन अधीक्षक, आयुर्वेद यूनानी फार्मेसी, लखनऊ के फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्रों की एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, डा0 आर0 ए0 उस्मानी (दो सूचनायें प्राप्त) की सूचना प्रदेश के परास्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्यों को छठा वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, डा0 राम सिंह की सूचना अम्बेडकर नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय पीपरी सैदपुर के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं शिक्षा मित्र की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री अनूप कुमार गुप्ता की सूचना सीतापुर के ग्राम रुदौली स्थित मानव रहित रेलवे क्रासिंग के अवरुद्ध मार्ग को हटवाने एवं रेलवे फाटक बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, श्री लालजी यादव की सूचना सिद्धार्थनगर स्थित सूपा राजा से बेतिया मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री जावेद अन्सारी की सूचना लखनऊ स्थित एशियन स्पोर्ट्स पब्लिक स्कूल, हबीबुल्लापुर में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की सूचना गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की सूचना बांदा में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों एवं मजरों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, श्री दीप नारायण सिंह यादव की सूचना झांसी स्थित गुरूसहाय नहर में कराये गये कार्यों में शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राज किशोर सिंह की सूचना बस्ती के हरैया क्षेत्र के कुछ ग्रामों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सूचना सीतापुर स्थित लोनियन पुरवा, धर्मपुर में प्राइमरी एवं जूनियर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विजय बहादुर यादव की सूचना गोण्डा के ग्राम जसरामपुरवा प्राथमिक विद्यालय के पीछे सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, डा0 राजेन्द्र सिंह की सूचना आगरा के फतेहाबाद में जल स्तर नीचे जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री लल्लू सिंह की सूचना फैजाबाद नगर की जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की सूचना बुलन्दशहर स्थित बड़ा राज राजेश्वर मन्दिर से रोडवेज बस स्टैण्ड तक हाई मास्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की सूचना कुशीनगर स्थित

रामकेला एवं कप्तानगंज में उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह -'धुन्नी भइया' की सूचना गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में उपायुक्त गन्ना के पद पर डी0पी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री सुखलाल की सूचना पीलीभीत में कालीनगर को नयी तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, श्री राधेश्याम गुप्ता की सूचना फतेहपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने एवं जर्जर विद्युत लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री कुबेर सिंह की सूचना एटा के जलेसर में जर्जर रोड एवं दो जिलों के बीच शेष सम्पर्क मार्गों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, श्री सुरेश्वर सिंह की सूचना बहराइच के जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत सात सम्पर्क मार्गों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री प्रजापालन की सूचना एटा स्थित शाहपुर मार्ग से जंगलपुर कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है।

प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[ऐसे स्थायी मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है जो निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों की पूर्ति करते हों :-

1-सम्बन्धित विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृत हो तथा नियमानुसार पंजीकरण का नवीनीकरण कराया गया हो।

2-प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा विवादग्रस्त घोषित न किया गया हो।

3-उन्हीं महाविद्यालयों/विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाय, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2000 तक अथवा उसके पूर्व स्थायी मान्यता प्राप्त कर ली हो।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-अनुदान सूची पर लिये जाने वाले प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं अधिकतम पांच अध्यापकों के पद अनुमन्य होंगे। ''क'' श्रेणी के संस्कृत महाविद्यालयों में एक लिपिक तथा एक अनुचर के पद भी अनुमन्य होंगे।

5-अनुदानित किये जाने वाले विद्यालयों में कार्यरत वही प्रधानाचार्य/शिक्षक, लिपिक तथा अनुचर सम्मिलित किये जायेंगे जो पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हों, निर्धारित योग्यता रखते हों एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत हों।

6-विद्यालय में कुल छात्र संख्या-100 तथा प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या-15 से कम न हो।

7-विद्यालय में प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री एवं आचार्य का गत तीन वर्षों का औसत परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो।

8-विद्यालय में निर्धारित सुरक्षित कोष व प्राभूत कोष की व्यवस्था अवश्य हो जिसे भविष्य में बेचे या अन्तरित न किये जाने का अनुबन्ध दिया गया हो।

9-विद्यालय का अपना निजी भवन हो एवं विद्यालय की स्थायी मान्यता के समय निर्धारित शर्तों के अनुसार शिक्षण कक्ष पर्याप्त हों।

10-प्रबन्धतंत्र का इस आशय का प्रस्ताव हो कि विद्यालय को अनुदान सूची पर लिया जाय तथा उसे वर्तमान में तथा भविष्य में निर्धारित होने वाली सभी शर्तें मान्य होंगी।

2-उक्त के अतिरिक्त अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु विद्यालय की चयन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी है :-

1-शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी	सदस्य
3-सचिव, उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ	सदस्य
4-वित्त नियंत्रक, मा0शि0 निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ	सदस्य
5-संयुक्त शिक्षा, निदेशक (अर्थ)	सदस्य
6-उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), इलाहाबाद	सदस्य

3-माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को उपर्युक्त शर्तों के अधीन अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र पर उचित प्रक्रिया/माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों का सम्यक् परीक्षण कर स्थायी मान्यता की तिथि की वरिष्ठता क्रमानुसार संस्तुतियों/प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव में उल्लिखित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थायी मान्यता का सत्यापन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से करा लिया गया है। विश्वविद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है।

4-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त प्रदेश के ऐसे 28 अशासकीय/ असहायिक

संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों जो दिनांक 31-12-2000 अथवा उसके पूर्व से स्थायी मान्यता प्राप्त है और शासनादेश दिनांक 11-10-2008 द्वारा नियत किये गये समस्त मानकों को पूरा करते हैं, को शासन द्वारा अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।]

मिर्जापुर सहित पूरे प्रदेश में विद्युत लाइनों के ढीला होकर लटकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[(1) विधान सभा क्षेत्र चुनार में दिनांक 28-4-2010 को सड़क के ऊपर लटक रहे हाई वोल्टेज लाइन के सम्पर्क में आने से हुई दुर्घटना एवं 08 लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(2) क्षेत्र में विद्युत लाइन ढीला होने से खतरनाक स्थिति के उदाहरण तथा ढीले तारों को ठीक कराने हेतु 22 स्थानों के उल्लेख के साथ दिनांक 30-4-2010 को जिलाधिकारी, मिर्जापुर को तथा दिनांक 18-5-2010 को विद्युत विभाग को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में

मा0 सदस्य के उक्त सूचना के संदर्भ में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र चुनार, मिर्जापुर में दिनांक 28-4-2010 को ट्रेक्टर में रखे डी0जे0 बैण्ड के लम्बे स्टील की पाइप के विद्युत लाइन के सम्पर्क में आने की मानवीय त्रुटि के कारण उक्त घटना घटित हुई। प्रश्नगत घटना के सत्यापन के उपरान्त मृतकों के आश्रित को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा तथा घायल व्यक्तियों को भी तत्काल इलाज हेतु आवश्यक खर्च प्रदान किया गया।

विद्युत दुर्घटनाओं की समस्या के दृष्टिगत बिजनेस प्लान/प्रणाली सुधार योजना 2010-11 के अन्तर्गत बेहतर एवं दुर्घटना रहित विद्युत आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से कार्य चिन्हित किये गये हैं। मा0 सदस्य के प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित सभी 22 स्थल चिन्हित कार्यों में सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें से 08 स्थलों यथा (1) जलालपुर माफी रामबचन के मशीन एवं चिखनू के मशीन पर स्थित जर्जर तार बदला जा चुका है एवं तार टाईट कर दिया गया है। (2) केशवपुर-जगदीश के मशीन के पास सड़क पर एवं हरिजन बस्ती के ऊपर से जा रही तार को टाईट कर दिया गया है। (3) चन्दापुर से नियामतपुर खुर्द सड़क के ऊपर एवं घनश्याम के घर के पास से गुजर रही जर्जर तार को बदल दिया गया है एवं तार टाईट कर दिया गया है। (4) सहसपुरा-ट्यूबवेल की नाली के ऊपर सत्यनारायण के खेत के पास खम्भा लगाकर तार टाईट कर दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(5) समसपुर से भौरही के बीच 11000 वोल्ट की लाइन 4 पोल तक के बीच में खम्भा लगाकर तार टाईट कर दिया गया है। (6) बघेड़ी-सिंचाई पम्प कैनाल से गांव आने वाली लाइन के बीच में खम्भे लगाकर तार टाईट कर दिया गया है। (7) रामपुर बड़ा मेन रोड टड़िया से विद्यालय के पास तक के बीच में खम्भे लगाकर तार टाईट कर दिये गये हैं। (8) परशुरामपुर ग्राम में नहर के किनारे 11 के0वी0 लाइन पर बीच में खम्भे लगाकर तार टाईट कर दिये गये हैं। शेष 14 स्थलों का कार्य सितम्बर, 2010 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।]

जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत बरदहा से मार्टिनगंज, अम्बारी रोड को मानक के अनुसार मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 10-8-2010 को दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कि जनपद आजमगढ़ के बरदहा से मार्टिनगंज अम्बारी रोड का निर्माण कार्य विगत 3 वर्षों से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सड़क के निर्माण कार्य में जगह-जगह छोड़कर कार्य कराया जा रहा है जिसके कारण वहां की स्थानीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं का सदैव भय बना रहता है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0-646(1)/23-11-2005, दिनांक 28-1-2006 द्वारा रु0 1384.50 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी तथा इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश सं0-65(1)/23-11-09-1/2(18)/2009 दिनांक 8-7-2009 द्वारा रु0 3303.34 लाख की लागत पर प्रदान की गयी है। इस कार्य की कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 है।

3-उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि कार्य की शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु उक्त मार्ग पर चैनेज को अलग-अलग करते हुए अलग-अलग ठेकेदारों को कार्य दिया गया है। सभी ठेकेदारों की प्रगति अलग-अलग होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्य को जगह-जगह छोड़कर कराया जा रहा है। विभिन्न ठेकेदारों से कार्य सम्पादन कराये जाने में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि स्थानीय जनता के आवागमन में कोई असुविधा न हो तथा कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र ही पूरा हो सके। संदर्भित कार्य को मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा शहर में टीलों पर बसे मोहल्लों में पानी की पाइप लाइनों व नालियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मथुरा नगर के मनोहरपुरा, चौबियापाड़ा, हनुमानटीला एवं घीयामण्डी वाला क्षेत्र शहर के प्राचीन टीलों पर बसे हुए हैं....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[उक्त क्षेत्रों में मकान फटने के कारण भवनों के प्राइवेट नल कनेक्शनों से फैरूल से जल रिसाव होने, भवनों पर मंजिल दर मंजिल नवनिर्माण से अनियंत्रित भार में वृद्धि प्राइवेट समरसेबिल पम्पों की संख्या में लगातार वृद्धि अवैध नल कनेक्शन तथा इन क्षेत्रों में डाली गयी पाइप लाइन एवं निर्मित नालियां काफी पुरानी होने के कारण मकान फटने की शिकायत है।

2-शिकायतें प्राप्त होने पर पालिका स्तर से मकानों के फटने के कारण ज्ञात करने हेतु जब-जब पाइप लाइन चेक की गई तब-तब घरेलू नल कनेक्शन तथा पालिका द्वारा काफी समय पूर्व डाली गयी पाइप लाइन का लीकेज का कारण पाया गया। लीकेज तत्काल ठीक कराया जाता है। सामान्यतः जनता द्वारा अपने घर के लिए लिये गये नल कनेक्शन लेने के बाद 10-20 साल या जब तक उनके नल में पानी आना पूर्णतया बन्द न हो जाय, तब तक अपने नल के फैरूल को चेक नहीं कराती है और धीरे-धीरे जल रिसाव बढ़ता रहता है। शहर के उक्त क्षेत्र में अधिकांश भवनों पर मंजिल दर मंजिल भवनों का नवनिर्माण होने तथा भवन भार में वृद्धि एवं नीचे से मिट्टी क्षरण के कारण भी यह प्रक्रिया हो रही है।

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा नगर की जल सम्पूर्ति हेतु रु0 115.87 करोड़ का प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा गया है जिसमें पूरे शहर की जलापूर्ति को शामिल किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार से धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त समस्या का निदान हो जायेगा।]

प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां के 85 प्रतिशत किसानों की आय का मुख्य श्रोत कृषि है और यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[आधारित है। कृषि कार्य के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलों की सिंचाई होती है, सिंचाई के अभाव में कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समय से कृषि कार्य सम्पादित न होने से जहां इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वहीं किसानों के सामने भुखमरी, बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों की शादी की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है और उनके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां सुरसा की भांति मुख फैलाये खड़ी हो जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले प्रमुख रजबहों जौनपुर राजवाहा, रामगंज, नागापुर, चिलबिला, धरौली राजवाहा सहित अन्य राजवाहों एवं अल्पिकाओं के द्वारा जनपद के एक बहुत बड़े हिस्से की सिंचाई होती हे, किन्तु इन नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से जहां टेल तक इनका पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहीं किसानों को इन राजवाहों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। खरीफ की फसल किसानों की प्रमुख फसल है, किन्तु पानी के अभाव में अभी तक खरीफ की फसल की न तो बुवाई हो सकी है और न ही धान की रोपाई ही हो सकी है। उपरोक्त राजवाहों सहित अन्य नहरों में पूरी क्षमता से पानी न चलाये जाने एवं टेल तक पानी न पहुंचने के कारण इनके माध्यम से सिंचाई करके होने वाले कृषि कार्य पूरी तरह से बाधित है। किसानों को कृषि कार्य के लिए पानी समय से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। धान खरीफ की सबसे प्रमुख फसल है। समय से सिंचाई के लिए पानी सुलभ न हो पाने के कारण इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन काफी मात्रा में कम हो जायेगा जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने से यह समस्या और भी विकराल हो गयी है जिसका सीधा असर प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा। मानसून की बेरूखी के कारण यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो गयी है तथा प्रदेश का किसान कृषि कार्य बाधित होने के कारण अपने भविष्य को लेकर परेशान और चिन्ताग्रस्त है। इसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में टेल तक पानी पहुंचाया जाय। जनहित में किसानों को कृषि कार्य के लिए समय से पानी उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में किसानों को खरीफ की फसलों के लिए पानी न मिलने के कारण उनमें चिन्ता एवं रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्तव्य :-

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले रामगंज, नागापुर, चिलबिला, जौनपुर एवं धरौली प्रमुख राजवाहे हैं जो शारदा सहायक पोषक नहर से जल पोषित है। जौनपुर राजवाहा की कुल लम्बाई 79.10 किमी0 शीर्ष पर डिस्चार्ज 835 क्यूसेक हैं इस राजवाहे का कि0मी0 16.00 से किमी0 44.00 तक का भाग जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में पड़ता है। इस भाग में कि0मी0 32.00 तक जल पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में जल पहुंचाने की कार्यवाही जारी है।

रामगंज राजवाहा की कुल लम्बाई 65.50 कि0मी0, शीर्ष पर डिस्चार्ज 480 क्यूसेक है। इस राजवाहे का कि0मी0 35.00 से 52.35 कि0मी0 तक का भाग जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में पड़ता है। इस भाग में पानी पहुंचाकर सींच करा दी गयी है।

नागापुर राजवाहा की कुल लम्बाई 41.60 कि0मी0, शीर्ष पर डिस्चार्ज 249 क्यूसेक है। इस नहर के कि0मी0 7.50 से कि0मी0 41.600 तक का भाग जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में पड़ता है। इस भाग में कि0मी0 30.00 तक जल पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में जल पहुंचाने की कार्यवाही जारी है।

चिलबिला राजवाहा की कुल लम्बाई 38.20 कि0मी0, शीर्ष पर डिस्चार्ज 144 क्यूसेक है। इस भाग में कि0मी0 37.615 तक का भाग जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में पड़ता है। इस नहर के कि0मी0 9.40 से कि0मी0 16.50 तक जल पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में जल पहुंचाने की कार्यवाही जारी है।

धरौली राजवाहा की कुल लम्बाई 29.80 कि0मी0, शीर्ष पर डिस्चार्ज 105 क्यूसेक है। इस नहर के कि0मी0 2.00 से कि0मी0 29.80 तक का भाग जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में पड़ता है। इस भाग में कि0मी0 12.50 तक जल पहुंचाया जा चुका है। शेष भाग में जल पहुंचाने की कार्यवाही जारी है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में प्रवाहित होने वाले जौनपुर राजवाहा, रामगंज राजवाहा, नागापुर राजवाहा चिलबिला राजवाहा एवं धरौली राजवाहा की कुल 47 टेल है। खरीफ 1418 फसली में अब तक 27 टेलों के लक्ष्य के सापेक्ष 22 टेलों को फीड किया जा चुका है। शेष 25 टेलों को भी फीड करने की कार्यवाही जारी है। शारदा सहायक पोषक नहर से निकले उक्त पांच राजवाहे हैदरगढ़ शाखा के माध्यम से जौनपुर ब्रान्च से पोषित है। हैदरगढ़ शाखा के हेड रेगुलेटर की क्षमता वृद्धि के निर्माण कार्य कराये जाने के कारण 23 मार्च, 2010 से 19 जून, 2010 तक बन्द रहने के बाद माह जून, 2010 के अन्तिम सप्ताह से नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाया जा सका है।

जनपद प्रतापगढ़ की नहरों में पूर्वी क्षेत्र के अन्य 15 जनपदों की नहरों के साथ जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी से निकाली गयी शारदा सहायक पोषक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। मानसून अवधि में शारदा नदी में कभी-कभी सिल्ट की मात्रा मानक से अधिक हो जाने पर तकनीकी दृष्टि से नहर का संचालन रोकना पड़ता है तथा सिल्ट सामान्य होने पर ही जलापूर्ति पुनः सामान्य हो पाती है, ऐसी स्थिति में नहरों में पानी की कमी हो जाना स्वाभाविक है। इस फसल में दो बार इसी कारण शारदा पोषक नहर के शीर्ष पर दिनांक 22-7-10 से दिनांक

26-7-10 तक एवं 1-8-10 से 3-8-10 तक के लिए जलापूर्ति बाधित रही फिर भी सम्पूर्ण प्रयास कर नहरों में पानी की उपलब्धता रोस्टर के अनुसार बनाये रखकर खरीफ फसल में पानी पहुंचाया गया है।]

यमुना नदी में पानी कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कौकब हमीद खां तथा डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

धार्मिक आस्थाओं के रूप में पूजी जाने वाली पवित्र पावनी यमुना नदी का आज अस्तित्व...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[खतरे में है जिसके कारण धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं को ठेस पहुंचने के साथ-साथ यमुना नदी के परिक्षेत्र के कृषक भी अपनी फसलों को पानी की कमी के कारण अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखने को मजबूर है। यमुना नदी के ताजे वाला हेड से दिल्ली सीमा तक लगभग 115 कि0मी0 लम्बाई में यमुना नदी में बरसात के तीन माह को छोड़कर वर्ष के बाकी के 9 महीनों में पिछले तीन चार वर्ष से एक भी बूंद पानी नहीं रहता है। मोक्ष दायिनी यमुना पर इन 115 कि0मी0 क्षेत्र के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद में लाखों श्रद्धालुओं द्वारा अनेक त्योहारों पर सदियों से स्नान किया जाता रहा है लेकिन पानी की उपलब्धता न होने के कारण आज यह स्नान व मेले लगने पूर्णतया बन्द हो गये हैं वहीं यमुना नदी के खादर में लाखों कृषकों द्वारा प्लिेज के रूप में मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि जो लगाया जाता था। जिससे उनके परिवार पलने के साथ-साथ आम नागरिकों को इनकी उपलब्धता भी सुलभता से होती थी। यह भी सूच्य है कि बागपत का खरबूजा तो प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही प्रसिद्ध था। क्षेत्रीय जनता आन्दोलन की राह पर है।

मा0 सदस्यगण का यह कथन कि यमुना नदी के ताजेवाला हेड से दिल्ली सीमा तक लगभग 115 किमी0 लम्बाई में यमुना नदी में बरसात के तीन माह को छोड़कर वर्ष के बाकी के 9 महीनों में पिछले तीर-चार वर्ष से एक बूंद भी पानी नहीं रहता है, तथ्य परक नहीं है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ताजेवाला हेड (हथिनीकुण्ड बैराज) में मानसून अवधि को छोड़कर शेष माहों में यमुना नदी में छोड़े गये जल की न्यूनतम मात्रा वर्ष 2006 से 2010 तक 160

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्यूसेक बनाये रखी गयी है। इस छोड़ी गयी न्यूनतम जल की मात्रा में 100 क्यूसेक उत्तर प्रदेश का अंश है तथा शेष 60 क्यूसेक हरियाणा राज्य का है। उल्लेखनीय है कि ताजेवाला हेड (हथिनीकुण्ड बैराज) का संचालन हरियाणा राज्य द्वारा किया जाता है। इस हेड से पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी यमुना नदी निकलती है तथा दायीं ओर से पश्चिम यमुना नहर निकाली गयी है। हरियाणा राज्य द्वारा ताजेवाला हेड से उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से के निर्धारित जलांश की आपूर्ति का रेगुलेशन किया जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से न्यूनतम यमुना नदी का जल प्रवाह 10 क्यूमेक्स (352 क्यूसेक्स) होनी चाहिए, जिसमें यमुना नदी के जल बंटवारे के सम्बन्ध में दिनांक 12-5-1994 में बेसिन राज्यों (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश व दिल्ली) के मा0 मुख्यमंत्रियों के साथ हुए एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्धारित है :-

1-हरियाणा	-	(56.7 प्रतिशत) 200 क्यूसेक्स
2-उत्तर प्रदेश	-	(28.7 प्रतिशत) 101 क्यूसेक्स
3-राजस्थान	-	(4.6 प्रतिशत) 18 क्यूसेक्स
4-हिमांचल प्रदेश	-	(5.2 प्रतिशत) 17 क्यूसेक्स
5-दिल्ली	-	(4.8 प्रतिशत) 16 क्यूसेक्स

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य के हिस्से का 100 क्यूसेक्स तथा हरियाणा राज्य के हिस्से का केवल 60 क्यूसेक्स जल ताजेवाला के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। शेष अन्य राज्यों के हिस्से का जल हरियाणा राज्य द्वारा हथिनीकुण्ड बैराज के नीचे नहीं छोड़ा जा रहा है।

यमुना नदी में ताजेवाला हेड (हथिनीकुण्ड बैराज) में जल की कमी के कारण उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्वी यमुना नहर की डिस्चार्ज क्षमता के सापेक्ष कम जल प्रवाह मिलने के परिणामस्वरूप इसके कमाण्ड क्षेत्र में समुचित जल उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008 से समानान्तर देवबन्द शाखा का निर्माण कराकर ऊपरी गंगा नहर से 1100 क्यूसेक पानी पूर्वी यमुना नहर में मिलाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत तथा गाजियाबाद की नहरों में जल उपलब्धता में वृद्धि हुई है।]

श्री कौकब हमीद खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक गुजारिश की थी सरकार से कि यमुना नदी में पानी पिछली 8-9 महीने से छोड़ के जब से बरसात अगस्त से शुरू हुई है पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और यमुना सूखी पड़ी है। मान्यवर, यह यमुना और गंगा दो पवित्र नदियां हैं और दोनों के ऊपर लोगों की आस्था है उसके अन्दर पूरा सूखा पड़ जाय 115 किलोमीटर का तो चिन्ता का विषय बनता है। उसके बाद सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक 115-120 किलोमीटर तक लोग खरबूजे और तरबूज की फसल गरीब आदमी लगाता है और गरीब आदमी अपनी जेवर लगाकर, अपनी जायदाद बेचकर जो कुछ भी करके वह इस फसल को लगाते हैं पैसे कमाने के लिए और मान्यवर करीब 15-20 हजार किसान हैं जो यह फसल बोते हैं। इसमें मान्यवर, दिक्कत यह हो गई कि जब यमुना सूख गई आठ-नौ महीने तक तो यह पूरी फसल जल गई क्योंकि जब तक पानी की नमी न हो यह फसल परवान नहीं चढ़ती। मान्यवर, पूरी फसल जल चुकी है। मान्यवर, सरकार ने यह है इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा सरकारी तौर से कि ताजेवाला हेड

(हथिनीकुण्ड बैराज) में मानसून अवधि को छोड़कर शेष माहों में यमुना नदी में छोड़े गये जल की न्यूनतम मात्रा वर्ष 2006 से 2010 तक 160 क्यूसेक बनाये रखी गयी है। मैं एक पत्र मान्यवर, 7 जून, 2010 का यह जिलाधिकारी, बागपत ने प्रमुख सचिव, सिंचाई को लिखा है इसमें तमाम आंकड़े वाकड़े हैं, की सिर्फ एक लाइन बता देता हूं यमुना नदी जनपद बागपत में 50 कि0मी0 के क्षेत्र में बिल्कुल सूख गयी है। यह मैं आपको भिजवा देता हूं और यह तस्वीर है मान्यवर, ऐसी तस्वीर आपने देखी नहीं होगी, इस तरह की तस्वीर देखी नहीं जाती। यह यमुना का बेल्ट है और यह 23 जून का है ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में पूरी डिटेल्स है उसके अन्दर यह तस्वीर है उसके अन्दर कार चल रही है। उसके बेल्ट पर जो यमुना का बेसिन है उसके अन्दर बाकायदा कार हरियाणा आती-जाती रहती है। उसकी यह तस्वीर है तो यह कहना कि 160 क्यूसेक वाटर हम दे रहे हैं यह गलत बयानी है, यह गलत है। मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं कि पानी क्यों नहीं आ पा रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हरियाणा से हो, राजस्थान से हो या उत्तर प्रदेश, भारत सरकार का हो आप लोगों को बीच में इन्टरवीन करना चाहिए। आपकी सीमा में उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर अगर यमुना नदी 115 कि0मी0 तक बिल्कुल सूखी रहती है और इसके अन्दर पानी एक बूंद भी नहीं है और वहां ट्राफिक चलने का काम हो। यह सोंचने की चीज है। मान्यवर, एक पुराना नियम है उसमें है कि जो रिवर बेल्ट है उसमें कम से कम 160 क्यूसेक वाटर देना पड़ेगा। यहां 160 क्यूसेक पानी नहीं है बिल्कुल खाली है। अब यह मौसम है शायद पानी आ जाये वह नौ हजार क्यूसेक तक आयेगा। लेकिन अक्टूबर-नवम्बर माह में फिर यही स्थिति हो जायेगी। हमारे पास मान्यवर, यह जिलाधिकारी की रिपोर्ट मौजूद है मैं आपको दे रहा हूं। यह तस्वीरें वहां की मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी। अब इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस पर दुबारा विचार करें। मान्यवर, इतनी बड़ी नदी बिल्कुल सूख जाय और उस पर ट्रेफिक चलने लगे तो यह सोचने की बात है।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आपने अक्टूबर-नवम्बर माह में स्थिति की बात है तो अक्टूबर-नवम्बर माह में देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं अगली मद लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इस पर मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिगर्मन करता है।

(श्री कौकब हमीद खां ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

कुशीनगर स्थित बेंदूपार खलवा टोला स्थित पुल का पुनर्निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 पी0 के0 राय, मा0 सदस्य ....

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा द्वारा दिनांक 10-8-10 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ''सेवरही विधान सभा एक बाढ़ प्रभावित इलाका है। वर्ष 2007 में बाढ़ की वजह से बेंदूपार खलवा टोला, विकास खण्ड-सेवरही, जनपद-कुशीनगर में जिला पंचायत द्वारा एक पुल का निर्माण कराया गया था। उक्त नव निर्मित पुल खराब गुणवत्ता के कारण धंस गया जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। आपदा के समय विस्थापित होने के लिये यह मुख्य मार्ग है। अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में शीघ्र पुल का निर्माण कराने तथा इस पर वक्तव्य की मांग करता हूं।''

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी कुशीनगर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर तथा उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0 प्र0, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2002 में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत रु0 18.34 लाख तथा विधायक निधि से रु0 2.50 लाख अर्थात् कुल 20.84 लाख की लागत में स्वीकृत है। प्रश्नगत पुल के निर्माणोपरान्त दैवीय आपदा/बाढ़ के कारण पुल का स्पान बैठ जाने के कारण स्लैब में झुकाव हो गया। प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, कुशीनगर के आदेश के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कुशीनगर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर तथा सहायक अभियन्ता, ग्राम्य विकास अभिकरण, कुशीनगर की 03 सदस्यीय जांच समिति गठित करने का आदेश मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर द्वारा दिनांक 25 अक्तूबर, 2008 को जारी कर दिया था। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

उल्लेखनीय है कि पुल मद में रु0 5.30 लाख की धनराशि जिला पंचायत कुशीनगर के पास उपलब्ध है। अतः लोक महत्व के दृष्टिगत अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर को प्रश्नगत पुल के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर नगर में जर्जर 8 परिषदीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ....

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा अवगत कराया गया है कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में कक्षा-5 के 53 तथा कक्षा-8 तक के 08 परिषदीय विद्यालय है जिसमें से 14 किराये के खस्ता हाल भवनों मे चल रहे, इन विद्यालयों में लगभग 7000 (सात हजार) बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, कुल 61 विद्यालयों में 51 अध्यापक एवं 28 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। 40 बच्चों पर 01 अध्यापक के अनुपात से 175 अध्यापक होने चाहिये परन्तु शिक्षा मित्रों सहित कुल 79 अध्यापक है, 96 अध्यापक कम है।

प्राथमिक विद्यालय बहदुरगंज भवनविहीन है, गूलर के पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे शिक्षा मित्र बच्चों को लेकर बैठती है, मध्यान्ह भोजन का कोई प्रश्न यहां नहीं उठता ?

रोटी गोदाम स्कूल कैम्पस में चलने वाले प्राथमिक विद्यालय वाडूजई-1 के अभिलेख गायब, विद्यालय 1-7-2010 से बन्द है।

पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में चलने वाले विद्यालयों में अत्यन्त गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, इन स्कूलों की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं हैं इन विद्यालयों की व्यवस्था जनहित में सुधरना आवश्यक हैं।

लोक महत्व के इस अविलमबनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में 14 किराये के भवनों के स्थान पर सरकार द्वारा विद्यालय भवन बनवाने हेतु समय-समय पर प्रयास किये गये हैं लेकिन नगरीय क्षेत्र में भूमि की अनुपलब्धता के कारण विद्यालयों के निजी भवन निर्मित नहीं हो सके हैं। जहां तक प्राथमिक विद्यालय बहादुर गंज के भवनहीन होने का प्रश्न है इस विषय में जनपदीय अधिकारियों को प्राथमिक विद्यालय बहादुरगंज के निकटतम भवनयुक्त विद्यालय में स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये जा रहे हैं जहां पर मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। रोटी गोदाम स्कूल कैम्पस में चलने वाले विद्यालय वाजई-1 विद्यालय को तत्काल प्रभाव से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संचालित करने के भी निर्देश जनपदीय अधिकारियों को दिये जा रहे हैं। जनपद शाहजहांपुर में विगत वर्षों में विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है :-

1-वर्ष 2007-08	रु0 2,08,85,686/-
वर्ष 2008-09	रु0 14,82,454/-

राज्य सरकार पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था और विद्यालय भवनों के सुधार के लिये कृत संकल्प है और इसके लिये सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अनेकानेक योजनायें भी संचालित की गयी है जिसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुये हैं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी....

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं है। जिस वजह से यहां के छात्र-छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिये काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिलासपुर के राजकीय डिग्री कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएट न होने की वजह से काफी छात्र-छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें न होने की वजह से छात्र-छात्राओं में काफी रोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-रामपुर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर और राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर पूर्व से संचालित है। जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में स्नातक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय, रामपुर संचालित है। उक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकृत किये जाने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा से प्रस्ताव प्राप्त कर पद सृजन, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बलिया स्थित रेवती इण्टर कालेज के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन फरवरी, 2007 से रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि....

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[रेवती इण्टर कालेज, रेवती बलिया एक मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित विद्यालय है। वेतन वितरण अधिनियम-1971 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971 से अनवरत जून, 2006 तक वेतन मिलता रहा। लेकिन इस बीच माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-18490/07 में पारित आदेश दिनांक 7-5-2007 के अनुपालन में रेवती इण्टर कालेज, रेवती, बलिया के समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोका गया तथा शासन द्वारा उक्त याचिका में पारित माननीय उच्च न्यायालय के क्रमिक ओदशों के क्रम में 17-09-2007 को जांच कर, जांच आख्या प्रतिशपथ-पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है। जांच आख्या में शासन द्वारा 34 पदों के सृजन की स्थिति को तो स्पष्ट स्वीकार किया। लेकिन संस्थाधिकारियों द्वारा मूल अभिलेख न उपलब्ध कराने के कारण विधिवत् नियुक्त कर्मचारियों का निर्धारण नहीं हो पाया, जिससे वेतन भुगतान समभव नहीं हो सका। उक्त आदेश के क्रम में रुके वेतन को अवमुक्त करने हेतु याचिका संख्या-38308/08 कुमारी प्रतिभा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य तथा याचिका-3881 (एस0/एस0)/2008 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01-08-2008 एवं 08-08-2008 के अनुपालन में शासन द्वारा आदेश दिनांक 24-06-2009 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश में भी पदों के की स्थिति तो स्पष्ट स्वीकार की गयी। लेकिन सुनिश्चित पदों के प्रति जिनका वेतन भुगतान किया जाना है इसका निर्धारण मूल अभिलेखों के अभाव में नहीं हो पा रहा है।

उक्त से स्पष्ट है कि रेवती इण्टर कालेज, रेवती, बलिया के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान रिट याचिका संख्या-18490/2007 में पारित आदेश दिनांक 07-05-2007 के अनुपालन में अवरुद्ध है। याचिका अद्यतन मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।]

कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में धरना प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लेने एवं सात-सात घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा की....

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है :-

''मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला कुशीनगर अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है पूरे विधान सभा में सिर्फ चार से पांच घण्टे ही विद्युत की आपूर्ति हो रही है वह भी हर आधे-आधे घण्टे पर कट जा रही है। भीषण गर्मी के इस मौसम में विद्युत कटौती की वजह से जनमानस को काफी असुविधाओं का समाना करना पड़ रहा है, इस मुद्दे को लेकर मेरे विधान सभा अन्तर्गत नगर पंचायत रामकोला के व्यापारियों एवं स्थानीय जनता ने जब सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया तो उनकी बातों को गम्भीरता से लेने के बजाय उनके ऊपर रामकोला थाने में दिनांक 24-07-10 को धारा 143, 283, 188 पी0 सी0 सी0 7 क्रिमिनल लॉ का मुकदमा दर्ज करके 8 व्यापारियों को नामजद एवं 30 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बना दिया। अज्ञात के नाम पर भारी शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर मेरे क्षेत्र के व्यवसायियों एवं स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है।''

इसी क्रम में मा0 सदस्य द्वारा यह मांग की गयी है कि रामकोला थाने में दर्ज 24-07-2010 को अपराध संख्या 352/10 को तत्काल वापस लिया जाय एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला एवं कप्तानगंज नगर पंचायत एवं भुजौली फिडर को रोजाना दो सिफ्टों में दिन एवं रात को 7-7 घण्टे विद्युत आपूर्ति करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय अन्यथा जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को लेकर जनता एवं व्यापारियों के साथ सड़क पर उतर कर बृहद् आन्दोलन के लिये बाध्य हो जाऊंगा।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि नगर पंचायत रामकोला, कुशीनगर को विद्युत आपूर्ति 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र कसया से निकलने वाले 33 के0 वी0 रामकोला-कप्तानगंज फीडर से 33/11 के0 वी0 रामकोला द्वारा की जाती है। रामकोला नगर की कुल आबादी लगभग बीस हजार है, जिसमें वर्तमान में कुल लगभग डेढ़ हजार विद्युत उपभोक्ता हैं। वर्तमान में रामकोला कस्बा को प्रातः 11.30 बजे से सायं 19.00 बजे तक कुल आठ घण्टे ग्रामीण शीड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

नगर पंचायत रामकोला को 2 शिफ्टों में सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक एवं रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक कुल 14.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारीगण द्वारा दिनांक 24-07-2010 को आन्दोलन किया गया, जिसमें सड़क जाम एवं धरना-प्रदर्शन के कारण कानून व्यवस्था बाधित होने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा 08 लोगों को नामजद करते हुये कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध विभिन्न संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध नहरों में पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सूचना...

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बद्ध मुख्य नहर बारी रजबाहा एवं फूलपुर ब्रांच नहर तथा इन दोनों नहरों से निकली हुई माइनर में पानी न आने के कारण किसानों की धान रोपाई पूर्णतया नहीं हो पायी है जिससे किसानों में रोष व्याप्त है और किसान आन्दोलित हैं। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बद्ध मुख्य नहर बारी रजबाहा की कुल लम्बाई 40.400 कि0 मी0 है, जिसके सापेक्ष अब तक 25.00 किमी0 तक पानी पहुंचाया गया है। इस बारी रजबाहे का परिकल्पित डिस्चार्ज 220 क्यूसेक्स है। यह फूलपुर शाखा की किमी0 13.200 पर बायें पटरी से निकलती है। इस रजबाहे के किमी0 6.00 से किमी0 40.400 तक लम्बाई विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत है। इस विधान सभा क्षेत्र में बारी रजबाहा से कुल 08 माइनरें निकलती हैं, जिनकी कुल लम्बाई 31.400 किमी0 है। वर्तमान खरीफ 1418 फसली में बारी रजबाहे से 295 हेक्टेयर तथा इसकी माइनरों से 200 हेक्टेयर सिंचाई हो चुकी है, जिसमें धान की रोपाई हेतु की गयी सिंचाई भी सम्मिलित है। पानी की कमी के कारण इस रजबाहे के 04 माइनरों में पानी नहीं पहुंचा है, जिनमें पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद से सम्बद्ध फूलपुर ब्रांच नहर की कुल लम्बाई 68.300 किमी0 है, जिसके सापेक्ष अब तक 51 किमी0 तक पानी पहुंचा है। इस ब्रांच का परिकल्पित डिस्चार्ज 1100 क्यूसेक्स है तथा यह मड़ियाहूं शाखा के किमी0 38.00 के दाहिने पटरी से निकलती है। विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत फूलपुर ब्रांच नहर से 03 रजबाहे एवं 03 अल्पिकायें निकलती हैं, जिनमें से 05 नहरों पर पानी पहुंचाया गया है तथा 01 रजबाहे में पानी नहीं पहुंचाया जा सका है। इस ब्रान्च से 333 हेक्टेयर एवं इससे

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निकलने वाली माइनरों से 26 हेक्टेयर सिंचाई हो चुकी है, जिसमें धान की रोपाई हेतु की गयी सिंचाई भी सम्मिलत है।

अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत बारी रजवाहा एवं फूलपुर ब्रांच से किसानों द्वारा वर्तमान खरीफ फसली 1418 में 854 हेक्टेयर में सिंचाई की गयी है, जिसमें धान की रोपाई हेतु की गयी सिंचाई भी सम्मिलित है। विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत बारी रजवाहा एवं फूलपुर ब्रांच में जनपद लखीमपुर में शारदा नदी से निकाली गयी शारदा सहायक पोषक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। मानसून अवधि में शारदा नदी में कभी-कभी सिल्ट की मात्रा मानक से अधिक हो जाने पर तकनीकी दृष्टि से नहर का संचालन रोकना पड़ता है तथा सिल्ट सामान्य होने पर ही जलापूर्ति पुनः सामान्य हो पाती है। ऐसी स्थिति में नहरों में पानी की कमी होना स्वाभाविक है। इस फसल में दो बार इसी कारण शारदा सहायक पोषक नहर के शीर्ष पर दिनांक 22-07-10 से दिनांक 26-07-10 एवं दिनांक 01-08-10 से दिनांक 03-08-10 तक के लिये जलापूर्ति बाधित रही, फिर भी समग्र प्रयास कर नहरों में पानी की उपलब्धता रोस्टर के अनुसार बनाये रख कर खरीफ फसल में पानी पहुंचाया गया है।]

फ्री-सेल किरोसिन आयल विक्रय/विपणन की समानान्तर विपणन व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अनुचित तरीके से लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सूचना...

मैं आपके माध्यम से ....

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकल दुबे)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[सदन का ध्यान उपरोक्त विषयक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार भारत का राजपत्र, अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 584 (ई) दिनांक 2 सितम्बर, 1993 द्वारा जारी समानान्तर विपणन व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में भी अधिसूचना संख्या-1037(क)/ 29-7-98-एम-11/98, दिनांक 13-4-98 द्वारा लागू किया गया था।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु राज्य सरकार ने अधिसूचना सं0-264/29-7-10-एम-11/98, दिनांक 02 फरवरी, 2010 द्वारा अनुचित तरीके से समानान्तर विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत फ्री-सेल केरोसिन आयल विक्रय/व्यापार करने की अनुमति केवल उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से ही दी है। उक्त निगम ने दिनांक 11-6-2010 जिला स्तर पर 50,000/-रुपये तथा प्रदेश स्तर पर 1,00.000/-रुपये की धनराशि जमा करके 10,000/-रुपये फार्म फीस लेकर डीलर नियुक्त भी कर दिये हैं, जबकि उ0 प्र0 राज्य सरकार कल्याण निगम के पास किसी भी आयल कम्पनी के माध्यम से किरोसिन आयल के आयात करने हेतु अनुबन्ध-पत्र तथा उक्त व्यवसाय करने हेतु अति आवश्यक रेटिंग सर्टिफिकेट तथा किरोसिन आयल के भण्डारण हेतु विस्फोटक परिसर भी वर्तमान में उपलब्ध भी नहीं है।

फ्री सेल किरोसिन आयल के विपणन/विक्रय न होने के कारण प्रदेश सरकार को प्रति माह करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि फ्री सेल किरोसिन आयल पर 13.50 प्रतिशत की दर से वैट लागू है, जिससे एक लीटर किरोसिन आयल पर 4.50 रु0 राजस्व की प्राप्ति होती है।

सरकार को चाहिए कि वह अपना शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 1998 को पुनः लागू कर दे जो जनहित में होगा।

अतः इस पर सरकार के तत्काल वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश दिनांक 2-9-1993 एवं तद्विषयक संशोधित आदेश 19-6-1995 के अन्तर्गत फ्री-सेल मिट्टी तेल के व्यापार करने की व्यवस्था की गयी थी। तत्क्रम में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में फ्री-सेल सफेद मिट्टी तेल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1037(क)/29-7-98-एम-11/98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 द्वारा समानान्तर विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत समानान्तर विपणनकर्ता को फ्री-सेल मिट्टी का तेल अपने संसाधनों से आयात करके उसका वितरण/विक्रय करने की सुविधा प्रदान की गयी थी तथा फ्री-सेल मिट्टी तेल को उ0 प्र0 किरोसिन कन्ट्रोल आर्डर 1962 की परिधि से बाहर रखा गया था।

2-भारत सरकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा वर्तमान में अधिसूचना संख्या-24 (आर0ई0-2003)/2002-07, दिनांक 25-11-2003 द्वारा आयात-निर्यात नीति, 2002-07, दिनांक 31-3-2002 को संशोधित करते हुए फ्री-सेल मिट्टी तेल व्यापार करने की संशोधित व्यवस्था लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत सुपीरियर किरोसिन आयल (सफेद रंग) का आयात अब केवल स्टेट ट्रेडिंग इण्टरप्राइजेज/स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत आने वाली चार तेल कम्पनियों यथा इण्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा इण्डो वर्मा पेट्रोलियम कारपोरेशन के माध्यम से ही किये जाने की व्यवस्था की गई। उक्त चार तेल कम्पनियों के अतिरिक्त अब कोई अन्य फ्री-सेल मिट्टी तेल का आयात नहीं कर सकता।

3-फ्री-सेल मिट्टी तेल के आयात की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समानान्तर व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में अधिकार प्राप्त लाइसेन्सियों अथवा एजेण्ट्स द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले रंग के मिट्टी तेल को रसायनों द्वारा रंगहीन करके मिट्टी तेल के समानान्तर विपणन की आड़ में अनुचित लाभ उठाकर अवैध व्यापार किया जा रहा था। शासनादेश दिनांक 13-4-1998 के विद्यमान रहते हुए उ0 प्र0 किरोसिन कन्ट्रोल आर्डर की परिधि के बाहर होने की विधिक स्थिति का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही थी। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के व्यवर्तन की जहां संभावना बढ़ जाती है वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी तेल की उपलब्धलता भी बाधित हो रही थी। अतः शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त समानान्तर विपणन व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1037(क)/29-7-98-एम-11/98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

4-मिट्टी के तेल की समानान्तर विपणन व्यवस्था से आच्छादित समूह को आवश्यकतानुसार मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने की शासन की प्राथमिकता थी। अतः भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति, 2002-07, दिनांक 31-3-2002 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 25-11-2003 द्वारा अधिकृत कम्पनियों द्वारा आयातित सफेद रंग के मिट्टी के तेल के भण्डारण एवं विपणन हेतु जनहित के लिए सर्वसुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3888/29-7-2004-एम-11/98, दिनांक 21-12-2004 लागू किया गया। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है, को सुपीरियर सफेद मिट्टी तेल की मांग करने वाले उद्योग, संस्था तथा व्यक्ति को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति इन शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है कि निगम शासनादेश दिनांक 21-12-2004 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा।

अस्तु, वर्णित परिस्थितियों में शासनादेश सं0-1037(क)/29-7-98-एम-11/98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 की व्यवस्था को पुनः लागू किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।]

मद संख्या-15 से सम्बन्धित मथुरा में टीलों पर बसे मोहल्लों में पानी की पाइप लाइन व नालियों के पुनर्निर्माण विषयक वक्तव्य के भ्रामक उत्तर पर आपत्ति

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मेरा वक्तव्य मद संख्या-15 पर लगा हुआ है। मान्यवर, यह गलत उत्तर आया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब इसमें आप देखें आपके यहां का प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा गया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, उत्तर बिल्कुल ही गलत आया है। इससे तो वहां त्रासदी हो जायेगी।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी रिपोर्ट चली गयी, भारत सरकार को संदर्भित कर दिया इन्होंने पूरी योजना को। उसमें काहे घबराए जा रहे हैं माथुर जी। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठें।

सदन संचालन में सहयोग हेतु सत्ता पक्ष, विपक्ष सहित श्री अध्यक्ष द्वारा आभार प्रदर्शन

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हम आज अनिश्चितकाल के लिए उठने जा रहे हैं। 6 अगस्त, 2010 से मान्यवर, यह सत्र का कार्य प्रारम्भ हुआ था और आज 13 तारीख को हम अनिश्चितकाल के लिए उठने जा रहे हैं। मान्यवर, यह कार्यकाल समय तो मात्र 6 दिन का ही रहा लेकिन मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कुशल संचालन करके 6 दिन में ही मेरी राय में तो कम से 30-35 दिनों का काम आपने निपटाने का काम किया। मान्यवर, मैं आपके साथ-साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष को, माननीय नेता सदन का सबसे पहले कि माननीय नेता सदन ने जो हम लोगों को निर्देशन देने का काम किया, जिस तरह का उनका गाइडेंस रहा, समय-समय पर उन्होंने आकर यहां जो हम लोगों को कार्य करने के प्रति सचेत करने का काम किया मान्यवर, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम प्रकाश सिंह का, माननीय नेता कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी जी का, माननीय नेता लोकदल कौकब हमीद साहब का, सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मानित मंत्रीगण का कि उन्होंने समय-समय पर जो विषय उनके विभाग के लिए आये उनमें उन्होंने चाहे वह प्रश्न के माध्यम से आये हों, अपने उत्तर देने में भी पूरी तैयारी के साथ आने का काम किया और सभी लोगों के सहयोग से मान्यवर, जहां पूरे देश में तमाम ऐसी जगहों पर विधान सभा में कार्यवाहियां बाधित हुई हैं लेकिन यहां पर मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी सम्मानित साथियों का कि उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक नया मोड़ देने का काम किया है। एक विचार मंथन का, सदन अपने को साबित करने में सफलता अर्जित करने का काम किया है इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी माननीय मंत्रीगणों का आभार व्यक्त करते हुए, विधान सभा के सभी कर्मचारियों का प्रमुख सचिव का, सभी अन्य अधिकारीगणों का, सभी अन्य कर्मचारियों, मार्शल का कि इन्होंने सजगता के साथ इस विधान सभा की कार्यवाही संचालन में योगदान दिया और विशेष रूप से सफाई कर्मी भी शाम को जब हम जाते हैं और सुबह को आते हैं तो विधान सभा में एक भी कागज का टुकड़ा कहीं नहीं दिखाई पड़ता है इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए मीडियाकर्मी का भी जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही का जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है। जनता के बीच में पहुंचाने में अपना योगदान किया है। मैं पुनः सभी का इस सदन के संचालन में सहयोग के लिये आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये, उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए सबसे पहले मैं आपकी कार्यकुशलता और क्षमता को बधाई देता हूं। इतने कम समय में, इतनी ज्वलन्त समस्याओं को लेकर चलना बहुत ही कठिनाई वाला काम था। लेकिन आपने जिस तरह से हंस बोलकर, हम सबको समझा बुझाकर यह सदन चलाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री निश्चित रूप से कई दफा आक्रोश में आ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी यह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक छोटे समय में काफी सारा काम हुआ है। माननीय भाजपा के नेता जी, भाई कांग्रेस के नेता जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता जी, इन सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं और खासतौर से माननीय प्रमोद तिवारी जी का कि इन्होंने कोई भी मौका चूका नहीं है, हर मौके पर उन्होंने तीर जरूर चलाया है। साथ ही साथ मैं विधान सभा के सारे अधिकारी खासतौर से प्रमुख सचिव, विधान सभा, छोटे कर्मचारी जो हमारे फोर्थ क्लास के हैं, उनका मार्शल जी का और सभी का अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पूरे प्रदेश में यहां की कार्यवाही को अच्छे तरीके से उजागर किया। एक निवेदन और करूंगा कि 63 कर्मचारी जो यहां के हैं, उनको लोक सभा की भांति पूरा पैसा मिलना चाहिये, यह लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि इनके मामले में भी आप विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस अत्यन्त संक्षिप्त सत्र को जिस रूप में आपने बहुत ही उदारता, संयम और शालीनता से विपक्ष के हितों का संरक्षण करते हुए चलाया है उसके प्रति मैं और मेरा पूरा दल आपके प्रति अत्यन्त आभारी है। हम आपको इसके लिये धन्यवाद करते हैं। मान्यवर, इस सदन में आने का अधिक अवसर तो प्रमोद तिवारी जी को मिला है लेकिन लम्बा अवसर उनसे ज्यादा मुझे मिला है क्योंकि दो युग को हमने देखा है। 1974, 77 और आज का। मैं इतना कह सकता हूं कि जितना अवसर आपने विपक्ष को वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री जी के, सत्ता पक्ष के हितों के द्वारा विपक्ष को नियंत्रित करने के प्रयास के बावजूद जितनी उदारता से हम सबको बोलने का अवसर दिया है, मैं यह कह सकता हूं कि हम लोगों ने कहीं-कहीं आपकी उदारता का दुरुपयोग भी किया है। यह वास्तविकता हमने अनुभव किया है जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आपके उदारता के कारण और विपक्ष की भावना को गहराई से समझने के कारण और संसदीय परम्परा सही अर्थ में और व्यवहार रूप में इस सदन में परिलक्षित हो, प्रदर्शित हो इसलिये आपने जो बोलने का अधिक अवसर दिया है। वह इनकी कंजूसी का पूरक बन गया है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए इतना उदारकाल मैंने पहले नहीं देखा था। इसीलिए इस सदन में तनाव नहीं हुआ अगर उदारता न होती तो तनाव के बहुत सारे अवसर आते। आपने सदन का सुचारु रूप से मर्यादित ढंग से शालीनता से पांच दिन तक पूरे काल तक और पूरे के साथ और सभी नोटिसेज पर विचार व्यक्त करने का जो असवर दिया है उसके कारण से यह सदन मर्यादित ढंग से सम्मानित ढंग से प्रशंसनीय ढंग से यह संक्षिप्त सत्र पूरा हुआ है और मैं समझता हूं कि सभी संतुष्ट हो करके यहां से जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष के सभी लोगों को आपने बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, यह पांच दिन का सत्र बहुत ही शालीनता से संचालित हुआ है। मैं कम से कम सत्तापक्ष के लोगों से आग्रह करूंगा कि वह विचार करें कि सत्र को लम्बा चलाने से कोई व्यवधान नहीं होगा बल्कि चीजें व्यवस्थित ढंग से और जनहित में आयेंगी और आपके कुशल प्रशासन में सहयोगी बनेंगी। जब और अधिक विस्तार से प्रदेश भर की घटनाएं यहां सामने आयेंगी। सत्ता पक्ष में आप सब बैठे हैं हम लोग भी बैठे हैं मैं इतना कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष इस बात का विश्वास न करे कि सारी सूचनाएं उनके अधिकारी उन्हें देते हैं, उनका तंत्र उन्हें देता है। हम लोग तो प्रश्नकाल को अपनी प्रशासनिक सुधार का बहुत बड़ा साधन मानते थे और जो अतारांकित प्रश्न है वह नियमों के हिसाब से तारांकित की श्रेणी में चला जाता है लेकिन उससे भी प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है, प्रशासन को पकड़ा जा सकता है। मैं विस्तार से न जाकर आपके प्रति मैं अत्यन्त आभारी हूं और तहेदिल से प्रशंसा के लिए शब्द नहीं निकल पाते हैं कि कितनी कुशलता से सत्र संचालित हो रहा है यह जरूर है कि संसदीय परम्पराओं का कहीं न कहीं और कड़ाई से पालन हो और हम सब पालन करें, नेतागण पालन करें, सदस्यगण पालन करें, क्योंकि यह सदन अमर है। मैं अमर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम मानते हैं कि देश का लोकतंत्र अमर है संसदीय परम्परा अमर है और सदन भी अमर है हम सब लोग अमर नहीं हैं। हम सबका कार्यकाल सीमित है कोई सत्तापक्ष में है कोई विपक्ष में है लेकिन मान्यवर, कहीं न कहीं परम्पराएं खिसक रही हैं। सामने बैठ करके दो-दो, तीन-तीन लोग बातें करते रहते हैं, कभी-कभी मा0 अध्यक्ष महोदय की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, यह सदन की मर्यादाओं के विपरीत है, इस पर आप विचार करें। मैं चाहता हूं कि जब सदन मर्यादित ढंग से चल रहा है तो संसदीय परम्पराएं भी अपनी गौरवशाली मर्यादा को पुनः प्राप्त करे, इस पर आप आगे विचार करें और इसके लिए जरूरी है कि सदन का सत्र जल्दी बुलाया जाये। छः महीने की संवैधानिक अनिवार्यता के लिए न बुलायें, आप भले ही 6 दिन के लिए बुलायें, एक सप्ताह के लिए बुलायें लेकिन 6 माह से पूर्व बुलायें। इसके साथ ही मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकार बन्धुओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के सभी मा0 सदस्यों, मा0 प्रमोद तिवारी जी और उनकी पार्टी के सभी सदस्यों के प्रति मा0 कौकब हमीद साहब और उनकी पार्टी के सदस्यों के प्रति, आप सभी मंत्रिगण और सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही सदन का सत्र संक्षिप्त रहा हो, लेकिन कुछ मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमने शुरूआत दुःखी मन से की थी, जब अपने दो समाजवादी पार्टी के साथियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यह सदन प्रारम्भ हुआ था। दुःखी हम तब भी थे जब हुकुम सिंह जी की पत्नी की नृशंस हत्या हुई थी लेकिन धीरे-धीरे जब अपने कर्तव्य की बात आयी, तो आप देखें यहां बैठे हुए सभी लोगों ने चाहे विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, सबने अपने कर्तव्यपालन को प्रमुखता दी। पूरी तत्परता के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इसके लिए मैं सत्तापक्ष, विपक्ष दोनों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबने आपके कुशल संचालन के लिए बधाई दी है, लेकिन एक बधाई लोग भूल गये हैं और मैं समझता हूं कि उससे आप सहमत हो जायेंगे। बहुत दिनों बाद, मैं 31 साल से इस सदन को देख रहा हूं। इस सदन का

कलेवर, सदन का रंग-रोगन, 'हां' लॉबी, 'ना' लॉबी में सौन्दर्यीकरण, एक कंजूस वित्त मंत्री के रहते हुए भी आपने संभव कर दिखाया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा हुआ, इस गरिमामयी सदन की गरिमा इस सौन्दर्यीकरण से बढ़ी है। जहां हम लोगों को 7-8 घण्टे बैठना पड़ता है वहां आपने 'हां' लॉबी, 'ना' लॉबी और सदन का पूरी तरह से सौन्दर्यीकरण कराया है। मैं समझता हूं कि आप इसीलिए करा पाये कि आपका मन बड़ा सुन्दर है। मान्यवर, आप हर सुन्दर चीज की तरफ हमेशा आकर्षित होते रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपको हर सुन्दर चीज अच्छी लगती है और इसीलिए आपको प्रेरणा मिलती है कि हर चीज सुन्दर दिखायी पड़े, मैं बात भवन की कर रहा हूं। मान्यवर, मैं औरों की तो नहीं जानता, अपनी जातना हूं, कभी-कभी आलोचना का शिकार भी होता हूं। पीठ पीछे लोग मेरी आलोचना भी कर लेते हैं। पता नहीं क्यों मैं पूरे सदन को एक परिवार मानकर चलता हूं। दलों के बन्धन अपनी जगह हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा और कर्तव्य अपनी जगह है, उस पर मुझे किसी के सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। तीन-सवा तीन साल बाद हम एक परिवार की तरह हो जाते हैं और कोई उस पर उंगली उठाता है तो मान्यवर, मुझे बहुत तकलीफ होती है और लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मान्यवर, यह सदन एक परिवार सा हो गया है, चाहे समाजवादी पार्टी के सदस्य हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों, चाहे लोकदल के हों, चाहे सत्तादल के सदस्य हों। मान्यवर, एक अपनापन सा मुझे हो गया है और बहुतों को इसमें हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह तो बढ़ता जाए।

मान्यवर, हम तो इंसान हैं, पशु-पक्षी भी होते तो 3 साल-सवा 3 साल होते-होते अपनापन सा हो जाता है और जब अपने एक साथ इकट्ठा होते हैं उसके बाद परिवार कुछ दिन के लिए अलग होता है तो जो तकलीफ होनी चाहिए, आज मुझे वह तकलीफ हो रही है कि हम लोग सदन में उस परिवार से अलग हो जायेंगे जिस परिवार को हम लोगों ने अपना परिवार बना लिया है तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यहां सबको अपने मन से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। मैं तो कहता हूं, मैं तो सबसे ज्यादा आजकल नेता विरोधी दल से सीख रहा हूं, उनके विद्वतापूर्ण भाषण जब मैं सुनता हूं, योग्यता के साथ, आज जिस तरह उन्होंने प्रहार किया, हिल गये। मान्यवर, पूरी योग्यता के साथ वह अपना भाषण देते हैं। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी शिक्षक रहे हैं और यहां पर अपने दायित्व और संसदीय परम्परा का बहुत कुशलता से निर्वहन करते हैं और हम सब आपस में विचार-विमर्श करके पूरा प्रयास करते हैं कि संसदीय गरिमा बनी रहे, संसदीय परम्परायें बनी रहें। तारीफ मैं कौकब हमीद साहब की करना चाहता हूं, कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो काम की बात बोलते हैं। बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं। उनके सारे सदस्य उनके साथ होते हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्यों की विशेष रूप से प्रसंशा करना चाहता हूं उन्होंने बहुत ही सजग ढंग से विपक्ष के रोल को अदा किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्यों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। कांग्रेस के हमारे सदस्यों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी का सभी लोग नाम भूल जाते हैं। छोटे-छोटे दल जितने थे वह सब विलीन हो गये यहीं मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं मैं श्री आर0के0 चौधरी साहब की भी प्रसंशा करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वह यह है कि हम चौथे साल में चल रहे हैं। बहुत से सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं यह दूसरा चुनाव लड़ने जायेंगे मुझे तो आठ चुनाव लड़ने का अनुभव है मौका मिला तो नवीं बार चुनाव लडूंगा। एक बात कह दूं यह

चौथे और पांचसें साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस समय जनता धीरे-धीरे सवाल पूछने लगती है कि आपने क्या किया आपने जो वायदा किया था उसका क्या हुआ। मैं एक चीज बहुत विनम्रता से सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने निर्वाचन क्षेत्रों को दें क्योंकि पांचवां साल कभी भी चुनाव का साल हो सकता है। परन्तु यह जायं तो क्या लेकर जायं मेरी समझ में नहीं आता है। सत्तारूढ़ दल वालों की बात अलग है हम तो ठन-ठन गोपाल है कुछ नहीं है। पहले हैण्डपम्प होता था मैं मुलायम सिंह जी की तारीफ करूंगा वह सत्तापक्ष और विपक्ष का भ्रम मिटाकर सबको बराबर हैण्डपम्प दिया करते थे सड़कें दिया करते थे लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मुख्य मंत्री जी जब भी दयालु स्वरूप दिखाने लगती हैं वर्मा जी पता नहीं उनके कान में क्या कह देते हैं कि वह वापस चली जाती हैं। वर्मा जी से अनुरोध है कि विधायक निधि अगर इस समय नहीं बढ़ायेंगे तो फिर आगे बढ़ाने से क्या होगा। डेढ़ साल रह गया है जरूरी नहीं कि सदन के अन्दर ही घोषणा करें आप किसी पुण्य तिथि पर सदन के बाहर भी घोषणा कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका उपयोग हम नहीं कर सकेंगे। विनम्र आग्रह है। हैण्डपम्प के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद मिटाकर सभी को हैण्डपम्प दें। सड़क के बारे में श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी रमजान के मुकद्दस महीने में निराश नहीं करेंगे इनकी बातचीत से लग रहा है कि यह देंगे। मान्यवर, जहां तक सत्र का सवाल है। पहले जहां पांच दिन का टेस्ट मैच होता था फिर 50 ओवर का मैच हुआ और अब 20-20 ओवर का जमाना है। यह सत्र 6 दिन का हुआ मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्रिकेट में जिस तरह से आउट आफ प्रैक्टिस होने के कारण जो स्थिति इंडियन क्रिकेट टीम की है वही स्थिति सत्र न होने कारण हमारी न हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि नवम्बर-दिसम्बर में विन्टर सेशन जरूर बुला लें। अगर आप पांच-छः दिन के लिए भी बुलायेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन बुला अवश्य लें उस समय प्रशासन मुस्तैद हो जाता है और हमें अपनी बातें कहने का मौका मिल जाता है।

अध्यक्ष जी एक चीज मैंने आपसे सीखी कि नजरें कहां रखनी चाहिए यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इसका सही इस्तेमाल कोई कर पाता है तो आप ही कर पाते हैं। वर्मा जी चाहे जितना इशारा करें आप फिर इधर देखने लगते हैं जब नजर ही नहीं मिलती तो क्या होगा और जब आपको इनकी सुननी होती है तो हम लोग चाहे जितना चिल्लाते रहें, आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ते रहें लेकिन आप इधर फिर नहीं देखते। भगवान करें यह नजरें लम्बी दूर तक देखें। मेरा निवेदन है कि नजरें विपक्ष की तरफ ज्यादा रहें और हमें संरक्षण मिलता रहे तो अच्छा रहेगा। श्री ओम प्रकाश सिंह जी चार-पांच दिन के सत्र से ही संतुष्ट हो गए। मैं तो नहीं हुआ संतुष्ट, आपके बारे में यह रिपोर्ट है कि आप बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं छोटी-मोटी बातों में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बात है मान्यवर, 10-5 दिन सत्र चलता तो ज्यादा अच्छा रहता। यह सांस्कृतिक संसदीय परम्परा का यदि कोई ज्ञाता है तो वह भाई ओम प्रकाश जी हैं। यह आपके व्यवहार से संतुष्ट हो गये मान्यवर, चलिये यह मान लिया और कोई बात नहीं। मेरा एक अनुरोध, अनुग्रह विनम्रतापूर्वक निवेदन है इसमें कोई दो राय नहीं है आपको मैं चुनौती देता हूं कि पिछले 30 साल का तो मैं जानता हूं। जीरो आवर में ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के सदस्यों को बुलवाने का आपने जिस तरीके से किया है मान्यवर, किसी दूसरे अध्यक्ष ने नहीं किया है। इसको मान्यवर, मैं कार्यवाही से दिखा सकता हूं और आपने किया है मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह काम आपको करना पड़ता है। मान्यवर, अगर यह सत्र थोड़ा लम्बा हो जाय तो हम लोग भी 4-5 दिन

तक चले जायं। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहकर मैं आपसे विदा लूंगा कि यहां हो सकता है पहली बार मैं बधाई देना चाहता हूं विदा लेना चाहता हूं पर यह बात मैं जरूर आपसे कह देना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि मान्यवर, अबकी कोई संघर्ष नहीं हुआ। यह अच्छी बात है कि संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष इसलिये नहीं हुआ कि यह सावन का महीना था तो संघर्ष हो ही नहीं सकता था। जहां दोनों तरफ से थोड़ी उष्णता बढ़ी सूखे की चर्चा हो रही थी नसीमुद्दीन जी ने कहा चलो दिखाते हैं बाहर बारिश हो रही है तो मान्यवर, मौसम का भी कुछ असर रहा। यहां पर रोमांटिक तकरार तो बहुत हुई लेकिन संघर्षपूर्ण तकरार नहीं हुई इसके लिये मैं सदन के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में भी मैं चाहता हूं मान्यवर, कि किसी महीने में सदन बुलाया जाय न बुलाया जाय, सावन के महीने में जरूर बुलाया जाय। इस महीने में सदन बहुत शांतिपूर्वक चलता है। अंत में मान्यवर, एक चीज आ गई, सफाई कर्मियों के बारे में तो आपने कह दिया। मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं। मान्यवर, कि हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा, मैं आभारी हूं ओम प्रकाश जी का जिन्होंने मुझे सचेत किया कहने के लिये, मान्यवर, हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा सबसे बड़ी विधान सभा है। लोक सभा से किसी मामले में मान्यवर, यह कम नहीं, थोड़ा बहुत वहां 540 सदस्य हैं और यहां हम 403 सदस्य हैं। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक मेरे आग्रह को और सभी दल के नेताओं के आग्रह पर माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उस पर सहमति दी है और यह कहा है कि इस सचिवालय के कर्मचारी जो विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी हैं इनको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो लोक सभा के कर्मचारियों को मिल रही है। छठे वेतन आयोग से आपने केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर यदि प्रदेश के कर्मचारियों को दिया है तो मैं वर्मा जी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, 108 बार कहने को तैयार हूं कि आपसे अच्छा कोई दूसरा नहीं है। अभी तक जितना कहा था मैं सब वापस लेने को तैयार हूं। आप कृपापूर्वक इन कर्मचारियों को वो लाभ दे दीजिये जो हमारे प्रमुख सचिव साहब ने प्रस्ताव भेजा है जो हमारे स्पीकर साहब ने प्रस्ताव भेजा है। देखिये एक चीज मैं आपसे कह दूं आप हमसे ज्यादा योग्य हैं हम सब कोई प्रस्ताव करें तो उस पर कोई मीन-मेख निकाला जा सकता है लेकिन अगर अध्यक्ष पीठ से कोई प्रस्ताव आए, अध्यक्ष कार्यालय से कोई प्रस्ताव आ जाय तो यह परम्परा रही है कि सरकार हमेशा उसका पालन करती है और एक यह आ गया है कि लोक सभा के कर्मचारियों के बराबर इनको दिया जाय तो इसमें कोई विलम्ब न किया जाय। इसे जरूर स्वीकार कर लें यह मैं कहना चाहता हूं। सामान्यतया आप घोषणा करते हैं कि सदन बहुत लम्बा चला उसमें आप अनुदान देते हैं। आज शायद आप भूल गये होंगे मेरे बाद आप बता दें कि कितना स्पेशल बोनस आप आज कर्मचारियों का दे रहे हैं, वह दे दें। अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार को चलाना संसदीय कार्य मंत्री की वाकपटुता और ज्ञान पर निर्भर करता है। हम सब कभी आलोचना तो कर लेते हैं, लेकिन 10 बजे तक सूचना देते हैं और 12.20 पर एक मशीन की तरह, श्री लाल जी वर्मा जी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग हर विषय पर उन्होंने बहुत ही उचित ढंग से मान्यवर, संसदीय परम्परा का निर्वाह करते हुए परिचय दिया है, इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में अपने कर्तव्य का पालन किया। पत्रकार बन्धुओं का भी मान्यवर, इस बात के लिये आभार व्यक्त करता हूं कि जो कुछ यहां बोला गया उसे जनता तक पहुंचाने का काम किया। मान्यवर, इन शब्दों के साथ आखिर में एक बात कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि आप मुझे यह बता दें कि आप कब से अच्छे हुए ? बचपन से थे या बाद में हुए। पता नहीं क्यों आपकी तरफ देखता हूं तो लोक

सभा के अध्यक्ष की तस्वीर नजर आने लगती है। मान्यवर, आप बहुत ही विनम्र बहुत ही शालीन बहुत ही अच्छे हैं आप। आपकी अच्छाई इतनी ज्यादा है कि आप ना तो करते ही नहीं कभी-कभी 'ना' करना चाहिए। सही मौके पर तो 'ना' कर दीजिएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ सभी सम्मानित सदस्यों से विदा लेते हुए अगर मेरे व्यवहार से खन्ना साहब को या अन्य किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं और समझ सकता हूं कि सावन में क्या बीत रही होगी लेकिन फिर भी जो आपके हाथ में है वह आप कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है वह हम कर सकते हैं, जो नहीं है उसको कैसे कर सकते हैं बाकी तो इन्हीं को करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, सबसे विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हुए मैं सचिव की और सचिव के पूरे स्टाफ की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। दुबे जी ने बहुत वाक पटुता के साथ आपको सहयोग दिया है हमको सहयोग दिया है और इनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी मार्शल, अबकी मान्यवर, जो लिखने वाले हैं इन्होंने भी बहुत ज्यादा त्रुटियां नहीं की हैं सही लिख दिया है और मार्शल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जरूरत आपको नहीं पड़ी। इसलिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं अपनी तरफ से भी और अपने दल के सदस्यों की तरफ से भी कि आपने जिस कुशलता के साथ जितने विनम्र भाव से इस छोटे सत्र को चलाने का काम किया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि 1993 से मैं प्रयास कर रहा था इस विधान सभा में आने का और 1993 से ही मैं इस विधान सभा को देखने का भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि 1993 से लेकर आज 15वीं विधान सभा में मुझे आने का मौका मिला और सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूं कि आप जैसा अध्यक्ष हम लोगों को मिला। (मेजें थपथपाई गई) मैंने पहले की विधान सभाओं की कार्यवाही दर्शक दीर्घा में बैठकर देखी है कार्यवाहियां पढ़ी हैं। अखबारों में भी पढ़ता था। राजनीति में हूं तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रथम बार में ही मुझे आप जैसा अध्यक्ष मिला और कई बार जिक्र आपस में विपक्ष के लोग भी करते हैं कि आप किस तरीके से संतुलित करके सदन को चलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ मैं नेता सदन का और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का और तमाम मंत्रि-परिषद् के जो सदस्य हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष का नेता भा0ज0पा0 का, नेता कांग्रेस और नेता स्वाभिमान पार्टी, सत्ता और विपक्ष के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। खासतौर से सत्ता पक्ष के जो सब साथी हैं क्योंकि विपक्ष के तमाम साथी जिस तरह से कई बार आरोप लगाने का काम भी करते हैं लेकिन एक चीज में महसूस करता हूं कि इस विधान सभा में 15वीं विधान सभा में जैसा तिवारी जी कह रहे थे बड़ी शान्तिपूर्ण ढंग से यह सदन चला और कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि मार्शल को बुलाना पड़े। मैं देखता हूं कि सत्तापक्ष के साथी कई बार कड़े से कड़ा आरोप लगाने पर भी शान्तिपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने का काम करते हैं यह बहुत बड़ी बात है इसके लिए मैं सभी सत्ता पक्ष के लोगों को बधाई देना चाहता हूं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ-साथ मैं अध्यक्ष जी, जो मीडिया के लोग हैं, प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सारी कार्यवाही को विधान सभा की कार्यवाही को जन-जन

तक पहुंचाने का काम करते हैं और विधान सभा के जितने कर्मचारी हैं जो हमारे प्रश्न आवर से लेकर बहुत बड़ी कार्यवाही है नियमित रूप से उसमें सहयोग करने का काम करते हैं। उनको भी बधाई देना चाहता हूं जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं हम सदन को कितना गन्दा करके चले जाते हैं कागज के टुकड़े हमारी बेंचों के आस-पास होते हैं और कई बार तो हम रात को देर तक भी बैठते हैं। लेकिन सुबह जब हम जल्दी सदन में आते हैं, 10.00 बजे तो देखते हैं कि पूरा सदन पूरी विधान सभा साफ-सुथरी मिलती है, कहीं कोई कागज का टुकड़ा नहीं मिलता तो उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और एक निवेदन मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे करना चाहता हूं जो प्रमोद तिवारी जी ने भी किया है जो विधान सभा के कर्मचारी हैं, उनका जो प्रस्ताव आपके द्वारा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का पूरे देश में विशेष स्थान है तो उस नाते उत्तर प्रदेश विधान सभा के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी वही सारी सुविधाएं, वेतन, भत्ते, लोकसभा के कर्मचारियों की भांति, उनके बराबर करने का काम करें, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए आपकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, 6 दिन के अल्प समय के इस सत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं। इस सम्मानित सदन में मैं वर्ष 1994 से हूं, तमाम स्पीकर इस पीठ पर बैठे लेकिन जिस कदर, जिस सहजता के साथ मान्यवर, आपने सदन का संचालन किया निश्चित रूप से ऐसा संचालन, चाहे सत्तापक्ष हो, चाहे विपक्ष हो और चाहे व्यक्तिगत तौर पर कोई माननीय सदस्य हो, यदि कोई असहज स्थिति पैदा कर दी, लेकिन आपने हंसते हुए और कभी-कभी तो नियमावली की गहराई में न जाकर अपने व्यवहार से सदन का सफल संचालन किया जिससे असहज स्थिति सहज हो गयी। मान्यवर, मैं बधाई देता हूं, आभारी हूं, नेता सदन का जिन्होंने जितना भी हो सका, अपना समय सदन में दिया और अपने मंत्रियों को निर्देश दिया जिससे पिछले सत्र के मुकाबले इस बार चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे नियम के अनुसार और प्रश्न आए हों, मंत्रियों ने जवाब देने में और समय की अपेक्षा अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और उनके दल ने जिस तरह से सहयोग किया है कभी-कभी असहज स्थिति पैदा हुई है, लेकिन उसे संभालने की कोशिश की है। नेता भाजपा, मा0 ओम प्रकाश सिंह इस सदन के काफी पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं, अपने अनुभव से जिस तरह से अपनी बात रखी और असहज स्थिति पैदा होने पर उसे संभालने की कोशिश की, मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, नेता कांग्रेस, मा0 प्रमोद तिवारी जी वाकई में यदि सदन में न रहें, किसी दिन अनुपस्थित हो जायें, किसी एक दिन के लिए भी तो सूना-सूना लगता है। कितनी ही परिस्थिति असहज हो, यह हर बात को समझते हैं और बिगड़े हुए माहौल को ऐसा बना देते हैं जिससे निश्चित तौर से सामान्य होकर सदन की कार्यवाही चलाने में सहायता मिली है। मान्यवर, माननीय कौकब हमीद जी, यह सही है जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा कि वह कम बोलते हैं लेकिन जो बात कहते हैं सटीक कहते हैं, टेक्निकल बोलते हैं उससे हम सबको सबक लेना चाहिए। मान्यवर, इस सदन के संचालन में प्रमुख सचिव, अन्य कर्मचारी, मार्शल, सफाई कर्मी सबका योगदान रहा है, निश्चित तौर से उससे सदन बहुत सहज होकर चलता रहा है। इसमें सबका योगदान रहा है और खासतौर से

वह कर्मचारी जो राइटर हैं, लिखते हैं। हमारे बीच पूरा समय पत्रकार भाई भी देते हैं, उनके जरिए इस सत्र के दौरान, वह चाहे एक-एक सदस्य ने अपनी बात कही हो या माननीय मंत्रियों ने अपनी बात कही हो, पूरे प्रदेश की जनता को समझने का, सुनने का मौका मिला है, मैं उनका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातें मान्यवर, न कहकर क्योंकि मा0 तिवारी जी ने इतनी ढेर सारी बातें कह डाली हैं, उसके बाद बोलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बार मैं भी कह दूंगा, समान कार्य, समान वेतन, मान्यवर, हमारे विधान सभा के जो कर्मचारी हैं और खासतौर से सुरक्षाकर्मी। मान्यवर, लोक सभा में जिस तरह से उन्हें वेतनमान दिया जाता है निश्चित तौर पर उनके बराबर यहां वेतनमान दिया जाना चाहिए। मैं इसकी संस्तुति करता हूं। मान्यवर, कुछ बातें हैं माननीय मंत्रीगण यहां बैठे हैं। हमें भी थोड़ी तकलीफ है और वही तकलीफ चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, उनको भी होगी कि जैसे पहले हम लोगों को सड़कों के निर्माण के बारे में या अपने क्षेत्र में हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में कुछ अधिकार मिले थे, इस सत्र के खत्म होने के बाद हमारा सीधा ध्यान विधान सभा क्षेत्र को तैयार करने में लग जाएगा। यह हर बार होता है कि 5 साल बाद जब भी चुनाव होता है तो हमसे क्षेत्र की जनता पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक सुविधा थी कि सड़क निर्माण करने के लिए अलग से कोटा होता था, हैण्डपम्प का अलग से कोटा होता था। पूरे प्रदेश में पेयजल समस्या है, माननीया मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमण्डल के हमारे साथी अगर फिर से इस पर विचार कर लेते और माननीय सदस्यों को पुरानी परम्परा फिर से लागू कर देने अगर प्रत्येक सदस्य को पहले की तरह हैण्डपम्प मिलने लगते तो निश्चित रूप से पेयजल की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान होने का मौका मिलता। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपकी अध्यक्षता में, आपके कुशल निर्देशन में यह सदन सुचारु रूप से चला है और इससे प्रदेश में एक अच्छा संदेश गया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

आज इस सत्र का आखिरी दिन है। जिन-जिन माननीय नेताओं ने अपनी बात कही है उन सभी बातों से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि मान्यवर, आपने इस सत्र में और पहले भी जिस ढंग से सत्र चलाया है हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उसकी प्रशंसा कर सकें। माननीय नेता सदन, माननीया मुख्य मंत्री जी ने जहां-जहां जरूरत पड़ी बीच-बीच में आकर के हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और विपक्ष की भी बातें उन्होंने बैठकर सुनीं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। माननीय नेता विपक्ष, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय लोक दल के साथीगण, स्वाभिमान पार्टी के माननीय चौधरी साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मान्यवर, जो स्टाफ है उसके लिए जितनी तारीफ की जाये कम है, प्रमुख सचिव साहब हैं, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, बाकी स्टाफ है, जो माननीय नेताओं ने बात कही है मैं उसको रिपीट करके समय नहीं लेना चाहता। हमारे जो लिखने वाले स्टाफ के लोग हैं, प्रिन्ट मीडिया के लोग प्रेस के लोग, सफाई कर्मी मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं सपा के बारे में कुछ कह दूं कि अच्छा माहौल है और अच्छे माहौल में हमें जाना भी चाहिए, मिलते रहना है, ऊपर वाले ने

चाहा तो यहां भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे। मुझे सिर्फ यही कहना है कि कई ऐसे क्षण आये जब लोग बहिर्गमन कर गये, फिर आ गये, सपा के साथियों ने भी किया, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, इस पर मुझे एक शेर याद आ गया।

''रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे, दोस्तों के करम याद आने लगे,

एक लम्हें में वो रूठ कर चल दिये, और मनाने में हमको जमाने लगे।''

और मान्यवर, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इस पर कहूंगा कि :--

''जमुना भी वही, कृष्ण भी, गोकुल भी वही है,

अफसोस की हममें कोई रसखान नहीं है।''

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुये हैं, हमारा बड़ा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत योग्य हैं और मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। हमेशा उन्होंने मुझे, मेरे जैसे लोगों का, इधर भी, उधर भी, सत्तापक्ष की तरफ भी और विपक्ष की तरफ भी, हमारे सत्तापक्ष के सदस्यों को और हमारे विपक्ष के सदस्यों को भी, जहां जरूरत पड़ी, अपनी योग्यता के बल पर हमें सीखने का मौका दिया। लेकिन फिर भी मा0 नेता जी के साथ-साथ और भी कुछ लोग बैठे हैं, नेता जी के लिये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अन्य लोगों के लिये कह रहा हूं कि :--

''आओ तुम भी पास आओ, रोशनी से नहला दूं,

जिसको छू लिया हमने, आईना बना डाला।''

उसे दर्पण बना डाला जिसको हमने छू लिया, अगर अच्छा लगता है तो आओ तुम भी पास आओ, समझ गये होंगे आप मेरी बात और दूसरे शब्दों में कह दूं कि :--

''जनाजा रोक के मेरा, वो इस अन्दाज में बोले,

गली मैंने कही थी, तुम तो दुनियां छोड़े जाते हो।''

मान्यवर, इसके साथ-साथ हमारे एक कांग्रेस के नेता हैं, प्रमोद जी। उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में सिर्फ इतना कहना है कि :--

''दामन तुम्हारा कैसे सितारों से हम भरें, हम आदमी हैं, घर है हमारा ज़मीन पर,

इक जान है वो भी अमानत उसी की है, कुछ भी नहीं है, हमारा तुम्हारा ज़मीन पर।''

मान्यवर, अक्सर ये होता है कि चाहे विपक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, दोनों पर ये बात लागू होती है। जिस पेड़ पर फल आते हैं, उस पर पत्थर आते हैं, इस चीज़ को हम भी महसूस करते हैं और हम तो इस बात को मानने वाले हैं कि :--

''फलदार के नसीब में हैं, पत्थरों की चोट,

ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो,

किरदार से बुलन्द हुआ करता है नसीब,

अच्छा सुलूक कीजिये हर आदमी के साथ।''

इस एक बात को लेकर के हम यहां से जाना चाहते हैं। जहां तक आर0एल0डी0 का सवाल है, अब कौकब साहब तो चले गये, भाई साहब बैठे हुये हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा और उनके साथ-साथ सभी से कहूंगा और चौधरी साहब से भी कहूंगा और ये बिल्कुल सही पंक्ति है आपके विचार से, ये सब के लिये है सत्तापक्ष और विपक्ष सब के लिये है कि :--

''ये कौन जा रहा है, मेरा गांव छोड़के,

आंखों ने रख दिये हैं, समन्दर निचोड़ के।''

मान्यवर, इस उम्मीद के साथ कि जब भी हम मिलते हैं, जहां भी हम मिलते हैं तो अच्छे सौहार्द्र के साथ और एक अच्छी भावना के साथ हम लोग मिलेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने कहा, रोज़े रमज़ान की ख़ैर जुमे के दिन।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रमज़ान शरीफ़ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बाकी आप समझ गये।

(सदन में जोर की हंसी)

श्री अध्यक्ष-

इस 6 दिन के उपवेशन में मैं, जो सहयोग पाया हूं, या समय-समय पर सदन के संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग और सुझाव मिले हैं, तो उसके लिए मैं नेता सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से सत्ता पक्ष को जिस तार्किक और अपने अनुभव और जिम्मेदारी के तहत सदन में रखकर के, मेरा भी समय-समय पर इस सदन के संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग किये हैं, इस हेतु मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कुशलता के साथ, इस पद की गरिमा को रखते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है।

मैं नेता प्रतिपक्ष के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब-जब भी सदन किन्हीं परिस्थितियों में अव्यवस्थित हुआ है, और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि चाहे अपने कक्ष में किया हो या सदन में तो उन्होंने उसे स्वीकार किया है और हमेशा कहा है कि सदन चलाने में मैं पूरी मदद् करूंगा। पूरे विपक्ष के नेता के रूप में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और आरोप-प्रत्यारोप के वातावरण में भी उन्होंने संसदीय परम्परा का पालन करते हुए पूरे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ अपने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का पालन करते रहे और समय-समय पर वे सदस्यों के हितों और सम्मान की बात सदन मे रखते रहे, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, जिनका एक लम्बा अनुभव हैं, और जब भी इस पीठ से बैठकर मैंने देखा है, जिस भी विषय पर वे बोले हैं उन्होंने संसदीय परम्परा

का ह्रास जो किन्हीं परिस्थितियों में हुआ है, उन्होंने उसके एक वैचारिक स्वरूप को हमेशा रखने की कोशिश की है। उस विषय की ग्रेविटी को इस संसदीय परम्परा के आधार पर वैचारिक रूप देकर के सदन में कहीं-न-कहीं आपने इस बात का उल्लेख किया है कि परम्परा क्या है, इस आचरण, सदाचार, विचार और इस परम्परा को हम लोग मजबूत कैसे करें, वे किसी भी विषय पर खड़े हो तो कहीं-न-कहीं उस पूरे समय में से 2-1 मिनट इस तरफ जरूर इंगित किया करते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस चिंतन के लिए और इस सदन में अपने चिंतन को समय-समय पर रखने की कोशिश किया और हमारे सभी नये सदस्यों का कहीं-न-कहीं अपने विचारों से उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए मैं मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज इस लोकतंत्र में इस तरह के चिंतन और विचारों की हमेशा आवश्यकता है, चाहे जो भी फोरम हो, जो हमको मिले उसे हमें वहां पर रखना चाहिए। मैं, मा0 नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी को बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनका नाम ही प्रमोद है तो दूसरी कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हमेशा इन्होंने आमोद-प्रमोद का माहौल बनाये रखा है और हमेशा इन्होंने जो भी कहा, कुछ भी हुआ यह कभी भी तनाव में नहीं हुए। ये बड़ी दक्षता के साथ अपनी बात मेरे सामने रखते हैं और उसका तार्किक विश्लेषण कर देते हैं कि पहले तो हम यह विचार बनाते हैं कि यह ग्राहिता नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे उनके कौशल के आधार पर, अनुभव के आधार पर हम भी यह स्वीकार कर लेते थे, कि तिवारी जी की बात सही है, मैं उसे सुनुगां, इससे एक अच्छे पार्लियामेन्टरी का जो गुण होना चाहिए, वह इनको कुदरत ने आपको दिया है, और आपने सदन के संचालन में हमको बहुत सहयोग किया। जब भी कोई तनावपूर्ण वातावरण हुआ, आपने किसी-न-किसी परिस्थिति में किन्हीं शब्दों का सम्बोधित करके उसे संयमित करने का, संतुलित करने का और हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन करने का समय-समय पर माहौल बनाया है। मैं, कौकब साहब का भी आभारी हूं कि आपने इतनी शालीनता के साथ, अपने विषय को रखा है। मैं उनके दल के सभी सदस्यों को चाहे वह, मा0 सोलंकी जो हो या डा0 अजय तोमर जी हैं, यह जो हमारे सदस्य हैं मैं इनकी बधाई देता हूं कि इस तरह से अपने पक्ष को रखते हैं कि कभी-कभी हम चर्चा करते हैं कि हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। ये लोग अच्छे विचार रखते हैं, अपनी जन समस्या और क्षेत्र की समस्या रखते हैं। मैं इन सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं चौधरी साहब के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, आपने बहुत सुक्ष्म सूचनायें देना और समय से जब अवसर आया तभी अपनी बात को रखा जिस संयम, परम्परा और मर्यादा का पालन कर के आप चले उसके प्रति मै। आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने हमारा सहयोग किया है।

मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वह समय-समय पर हमारा पूरा सहयोग करते रहे। मैं अपने सचिवालय के सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि हमारा पूरा सहयोग हुआ। समय से हर माननीय सदस्य के घर एजेण्डा पहुंचाना या पिजन होल में जो भी हमें सामग्री देना था, समय से पहुंचाना, पटल से लेकर सभी हमारे सचिवालय के कर्मचारी एक अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सुरक्षाकर्मियों का बहुत आभार प्रकट करता

हूं ये एक भाई की तरह खड़े होते हैं आपका छोटा भाई बन कर के कि हम लोग आपसे कोई मल्लयुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि एक व्यवस्था के आधार पर आपसे निवेदन करने के लिए हैं, हमारे चाहे रिपोर्टर हों, चाहे अधिकारी हों, कहीं आप सब में कोई इस तरह का नोंक-झोंक का माहौल न बनें इस आधार पर हमारे सुरक्षाकर्मी आपके साथ आचरण-व्यवहार किये और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं ध्वनि प्रसारण के साथी के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं इस बार हमको कहीं ध्वनि में व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ पूरे सदन में मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने प्रेस के भाइयों के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने सदन की पूरी कार्यवाही को अक्षरशः प्रदेश की जनता को बताने की कोशिश किया है, चाहे जो हों चाहे हमारे इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, चाहे प्रिन्ट मीडिया के हों, सभी साथियों हमारा सहयोग किया है, सभी दल के नेताओं ने पूरा सहयोग किया है, हमारे में कोई क्षमता नहीं है, न कोई कला है, न हम उसके पात्र हैं, यह सब आपके द्वारा जो शक्ति हमकों मिली है, जो सुझाव मिले हैं, वहीं हमारी क्षमता है, वही हमारा गुण है, यही हमारे दल के नेता के और सब के हमारे यही क्षमता है। इस पर हमें खुशी होती है, इस विश्वास से मैं सदन को चलता हूं, सबसे ज्यादा हमको जो खुशी होती है सदन में कि हमारे नये सदस्य, जो रूचि बढ़ी है सूचना देने की, प्रश्न लगाने की और अपने ऊपर उसको हम दबाव नहीं मानते हैं बल्कि इतनी रूचि बढ गई है कि अपने नये सदस्यों को मैं जान-बूझकर बुलवाता हूं कि हमारे नये सदस्य एक अच्छी संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता बने और उनकी सूचनाएं ज्यादा लेता हूं, जो भी मैंने नियम-56 में सूचनाओं की संख्या बढ़ाई है सत्य है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री समय-समय पर सही सुझाव देते है मैं उनको शिरोधार्य करता हूं, लेकिन नये सदस्यों की रूचि और इच्छा को देखते हुए मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं कि मैं इनकी कुछ समस्याओं को जरूर सुनूं और इनकी बातों को सुनूं ताकि यह अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के समक्ष रख लें दो मिनट में ताकि कहीं न कहीं अपने दायित्वों के निर्वहन करने की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में बतायें। मैं मंत्रिपरिषद् के सभी माननीय सदस्यों को, मैं तो माननीय सिद्दकी साहब के प्रति आभार प्रकट करता हूं, आप अपनी शेयरो-शायरी के आधार पर कभी-कभी बिगड़े माहौल को भी आपने सुधारने का उसको संयमित करने का प्रयत्न किया है, वरिष्ठ मंत्री हमारे मंत्रिपरिषद् के हैं, सभी माननीय मंत्रिपरिषद् के हमारे मंत्री समय-समय पर आप बैठ कर के और उधर के सभी सदस्यों का कि आपने शालीनता के साथ अपनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन किया उसी तरह से विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी का पूर निर्वहन किया है। आज कहीं न कहीं इस प्रदेश में देश में चर्चा हो रही है। अभी हम लोगों का अधिवेशन था, सभी विधान सभा अध्यक्षों का, पीठासीन अधिकारी का, पूरी चिन्ता व्यक्त हो रही थी कि प्रश्नकाल को कैसे हम लोग बचा लें, ये सस्पेण्ड न होने पाये, पूरे देश के स्पीकरों ने चिन्ता व्यक्त किया लेकिन आज मैं आप सबका आर्शीवाद और सहयोग से उस सम्मेलन में एक दृढ़ता के साथ बोला कि हमारे प्रदेश में हमारे विपक्ष के साथियों के सहयोग से जो उनका प्रश्नकाल का एक तरह से माना जाय उनका समय है, पूरा प्रश्नकाल चलता है, सत्ता के हमारे मंत्रिपरिषद् के लोग जवाब देते हैं और प्रदेश हित में, वहां पर

मैंने कहा कि प्रश्नकाल एक संस्था है और प्रश्नकाल एक इन्स्टीट्यूशन के रूप में स्वीकार किया गया है और प्रश्नकाल एक तरह से नब्ज है पूरे सरकार की यहीं से कमियों का और अच्छाइयों का पता चलता है। आप लोगों की बदौलत उस कांफ्रेंस में इस तरह की कुछ बातें रख दिया था। उसमें आपके आर्शीवाद और सहयोग से रखा था। इसलिए पूरे सभी सदस्यों का सत्ता पक्ष और विपक्ष का और सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं। उप नेता दल के हैं माननीय अम्बिका चौधरी जी वास्तव में अपनी पूरी जानकारी के आधार पर बिन्दुओं को यहां पर रखते हैं नेता प्रतिपक्ष जी की अनुपस्थिति में। मा0 वकार साहब माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी इस पीठ पर रहकर सम्मान दिये हैं। आज भी हमको बराबर सम्मान देते हैं।

मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है। ऊर्जा मंत्री जी, राय साहब, सरोज जी, वन मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी आप सभी बैठे हैं, सभी मा0 मंत्रियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और समय-समय पर सबका सहयोग मिला है। तहेदिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देता हूं और अन्त में, इतना जरूर चाहूंगा कि हमको व्यवस्था देने में संचालन करने में या किसी साथी की बात सुनने में मेरे द्वारा कोई असंतुलन हुआ हो कुछ कमियां हो गयी हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा। वह हमको क्षमा करें उसके लिये कि अगर कहीं हो अपने परिवार में अपने भाई में इस तरह की क्षमा याचना की जा सकती है। किसी को ठेस पहुंची है यह परिवार है भाई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कोई क्षमा की बात ही नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के भी अनेक सदस्यों ने कहा कि क्षमा की कोई बात नहीं है।)

श्री अध्यक्ष-

और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आज हमारे इस सत्र में जो मुलाकात हुई है अब आप लोग अपने-अपने गांव घर क्षेत्र में जा रहे हैं। मेरी शुभकामना है। यह हमारा रमजान का महीना है। उसमें जो भाई है उनको अभी से एडवांस में मुबारकवाद दे रहा हूं। कल हमारे यहां पूर्वांचल में नागपंचमी कहते हैं इसके प्रति भी शुभकामना है। वहां पर भी मल्लयुद्ध होता है और उनके विचार के आधार पर गाना बजाना होता है। उस नागपंचमी त्योहार के प्रति और रमजान के प्रति भी हमारी शुभकामना है। आप लोग सब अपने परिवार में खुशी से जायें और इसी तरह से हमारी उम्मीद है कि आप सदन में आते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' होगा।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। अनिश्चितकाल के लिये।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 03 बजकर 09 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 13 अगस्त, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्रसं0-21 का उत्तर पीछे पृष्ठ-47 पर)

जनपद/विकास खण्ड (ब्लाक)	वर्ष 2008-09 में ब्लाकवार संचालित योजना का नाम	2009-10 में ब्लाकवार संचालित योजना का नाम
जनपद बांदा		
(1) ब्लाक बड़ोखर खुर्द	1-टसर रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 3-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।	1-टसर रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 3-मनरेगा के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपण 4-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।
(2) ब्लाक जसपुरा	1-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।	1-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।
(3) ब्लाक तिन्दुवारी	1-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।	1-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।
जनपद महोबा		
(1) ब्लाक जैतपुर	1-टसर रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-मनरेगा योजना के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपण	1-टसर रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-मनरेगा योजना के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपण 3-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत टसर सेक्टर की योजना।

जनपद/विकास खण्ड (ब्लाक)	वर्ष 2008-09 में ब्लाकवार संचालित योजना का नाम	2009-10 में ब्लाकवार संचालित योजना का नाम
जनपद हमीरपुर		
(1) ब्लाक कुरारा	1-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।	1-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।
जनपद चित्रकूट		
(1) ब्लाक कर्वी	1-टसर रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 3-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।	1-टसर रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 2-एरी रेशम विकास योजना (जि0यो0)। 3-केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत एरी सेक्टर की योजना।

संलग्नक-2

जनपद/विकास खण्ड (ब्लाक)	वर्ष 2008-09 में ब्लाकवार व्यय धनराशि (लाख में)	2009-10 में ब्लाकवार व्यय धनराशि (लाख में)
जनपद बांदा		
(1) ब्लाक बड़ोखर खुर्द	5.396	2.813
(2) ब्लाक जसपुरा	1.578	10.897
(3) ब्लाक तेंदुवारी	0.378	4.4189
जनपद महोबा		
(1) ब्लाक जैतपुर	3.755	3.35
जनपद हमीरपुर		
(1) ब्लाक कुरारा	5.474	17.007
जनपद चित्रकूट		
(1) ब्लाक कर्वी	8.898	17.848

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्रसं0-78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70-71 पर)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल हे0 में	वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं से वन क्षेत्र के अन्दर कराया गया वृक्षारोपण (हे0 में)									योग
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
1	वाराणसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	गाजीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जौनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	चन्दौली	74009.49	150.00	275.00	256.20	245.00	704.21	734.00	562.50	969.00	3253.27	7149.18
योग :-वाराणसी मण्डल		**74009.46**	**150.00**	**275.00**	**256.20**	**245.00**	**704.21**	**734.00**	**562.50**	**969.00**	**3253.27**	**7149.18**
5	मिर्जापुर	185522.42	431.00	364.08	500.00	858.21	369.27	1557.06	4707.00	1727.41	3956.54	14470.57
6	सोनभद्र	308531.94	1447.50	2242.00	632.50	898.00	1889.30	2177.00	3081.75	3315.50	10026.95	25710.50
7	भदोही	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :-मिर्जापुर मण्डल		**494054.36**	**1878.50**	**2606.08**	**1132.50**	**1756.21**	**2258.57**	**3734.06**	**7788.75**	**5042.91**	**13983.49**	**40181.07**
8	इलाहाबाद	21543.48	238.50	387.17	120.00	459.00	450.00	790.00	482.25	610.54	1834.00	5371.46
9	कौशाम्बी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	फतेहपुर	7112.48	53.00	15.00	392.20	431.70	39.50	100.00	141.70	517.50	421.00	2111.60

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल हे0 में	वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं से वन क्षेत्र के अन्दर कराया गया वृक्षारोपण (हे0 में)									योग
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
11	प्रतापगढ़	402.50	17.00	9.00	6.00	4.00	121.00	4.00	13.50	26.00	5.00	205.50
योग :-इलाहाबाद मण्डल		**29058.46**	**308.50**	**411.17**	**518.20**	**894.70**	**610.50**	**894.00**	**637.45**	**1154.04**	**2260.00**	**7688.56**
12	गोरखपुर	5713.10	124.00	109.75	30.00	59.00	171.00	53.00	172.00	279.50	610.00	1608.25
13	महराजगंज	50293.60	176.00	0.00	30.00	109.00	419.00	156.00	666.00	533.50	868.50	2958.00
14	देवरिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	पडरौना	382.40	21.10	14.00	4.50	28.50	21.00	22.00	31.00	26.00	26.36	194.46
योग :-गोरखपुर मण्डल		**56389.10**	**321.10**	**123.75**	**64.50**	**196.50**	**611.00**	**231.00**	**869.00**	**839.00**	**1504.86**	**4760.71**
16	बस्ती	1979.77	227.00	53.75	50.00	97.00	223.00	141.50	98.32	290.00	304.80	1485.37
17	संतकबीर नगर	1384.57	223.00	73.50	77.00	52.00	143.00	90.00	6.73	80.00	224.50	969.73
18	सिद्धार्थनगर	2396.92	55.45	92.25	3.00	59.00	90.65	113.16	32.00	235.00	74.00	754.51
योग :-बस्ती मण्डल		**5761.26**	**505.45**	**219.50**	**130.00**	**208.00**	**456.65**	**344.66**	**137.05**	**605.00**	**603.30**	**3209.61**
19	आजमगढ़	110.40	0.00	4.00	0.00	14.00	3.00	17.00	0.00	0.00	7.00	45.00
20	मऊ	519.04	0.00	2.00	0.00	12.00	15.00	1.50	14.00	68.00	10.00	122.50
21	बलिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :-आजमगढ़ मण्डल		**629.43**	**0.00**	**6.00**	**0.00**	**26.00**	**18.00**	**18.50**	**14.00**	**68.00**	**17.00**	**167.50**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल हे0 में	वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं से वन क्षेत्र के अन्दर कराया गया वृक्षारोपण (हे0 में)									योग
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
22	मेरठ	86063.00	10.00	211.00	166.14	138.00	197.00	377.46	18.00	326.00	188.11	1631.71
23	बागपत	1532.46	101.50	50.00	2.00	67.00	109.00	329.00	43.00	241.00	58.20	1000.70
24	गाजियाबाद	2469.00	60.00	115.00	0.00	26.00	30.00	149.00	107.00	228.50	113.54	829.04
25	गौतमबुद्ध नगर	2007.18	76.30	142.00	37.00	129.00	12.00	154.73	74.50	101.00	97.00	823.53
26	बुलन्दशहर	7726.57	29.00	142.00	72.00	145.00	1032.00	186.00	262.50	290.00	305.00	2463.50
योग :-मेरठ मण्डल		**99798.21**	**276.80**	**660.00**	**277.14**	**505.00**	**1380.00**	**1196.19**	**505.00**	**1186.50**	**761.85**	**6748.58**
27	मुरादाबाद	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	15.00
28	ज्योतिबाफूले नगर	11500.00	51.00	30.00	155.00	443.00	371.00	226.00	443.00	1490.00	674.00	3883.00
29	रामपुर	4382.00	34.50	130.00	10.00	200.00	60.00	26.00	0.00	155.05	115.00	730.55
30	बिजनौर	43524.20	290.00	427.00	398.70	373.00	215.00	454.25	248.84	1047.00	2749.50	6203.29
योग :-मुरादाबाद मण्डल		**59470.35**	**375.50**	**587.00**	**563.70**	**1016.00**	**646.00**	**706.25**	**696.84**	**2702.05**	**3538.50**	**10831.84**
31	सहारनपुर	32312.96	50.00	200.00	110.00	0.00	113.00	521.00	43.00	443.00	233.00	1713.00
32	मुजफ्फरनगर	317.62	91.50	204.00	15.03	188.00	219.00	259.00	27.00	662.00	638.20	2303.73
योग :-सहारनपुर मण्डल		**32630.58**	**141.50**	**404.00**	**125.03**	**188.00**	**332.00**	**780.00**	**70.00**	**1105.00**	**871.20**	**4016.73**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल हे0 में	वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं से वन क्षेत्र के अन्दर कराया गया वृक्षारोपण (हे0 में)									योग
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
33	बरेली	225.97	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.50
34	बदायूं	6902.46	118.00	1.50	434.60	401.00	262.00	1012.00	465.89	1053.40	449.29	4197.68
35	शाहजहांपुर	9888.10	40.00	160.00	812.00	1209.00	193.00	605.50	662.00	477.50	396.00	4555.00
36	पीलीभीत	72229.72	197.00	196.50	22.00	393.00	580.00	80.50	871.00	500.00	1895.00	4735.00
योग :-बरेली मण्डल		**89246.25**	**355.00**	**358.00**	**1268.60**	**2006.50**	**1035.00**	**1698.00**	**2001.89**	**2030.90**	**2740.29**	**13494.18**
37	आगरा	46386.09	584.00	409.00	533.00	301.00	388.00	2128.00	1957.00	1146.00	1837.00	9283.00
38	फिरोजाबाद	8473.05	70.00	328.00	125.00	320.00	220.00	1077.00	0.00	260.00	277.00	2677.00
39	मथुरा	1378.98	78.50	25.00	19.00	18.00	196.00	286.00	145.00	123.00	20.00	910.50
40	मैनपुरी	1419.54	65.00	50.00	7.50	22.50	307.50	295.00	22.75	198.50	300.00	1268.75
योग :-आगरा मण्डल		**57657.66**	**797.50**	**812.00**	**684.50**	**661.50**	**1111.50**	**3786.00**	**2124.75**	**1727.50**	**2434.00**	**14139.25**
	वन संरक्षक, अलीगढ़											
41	अलीगढ़	2269.39	0.00	65.00	66.50	25.50	0.00	96.00	35.00	183.50	35.00	506.50
42	महामायानगर (हाथरस)	1615.61	17.00	30.40	0.00	0.00	0.00	161.50	70.00	60.50	90.00	429.40
43	एटा व कांशीराम नगर	233.45	0.00	0.00	0.00	23.00	10.00	25.00	0.00	22.00	30.00	110.00
योग :-अलीगढ़ मण्डल		**4118.45**	**17.00**	**95.40**	**66.50**	**48.50**	**10.00**	**282.50**	**105.00**	**266.00**	**155.00**	**1045.90**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल हे0 में	वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं से वन क्षेत्र के अन्दर कराया गया वृक्षारोपण (हे0 में)									योग
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
44	रायबरेली	4487.46	105.50	248.50	499.00	353.25	429.00	301.75	77.00	819.00	1027.00	3860.01
45	सीतापुर	1407.66	35.00	15.00	86.50	110.00	118.00	220.00	185.00	348.16	290.00	1407.66
46	हरदोई	11454.00	257.53	223.50	1490.00	82.78	194.00	549.00	222.00	427.00	504.00	3949.81
47	खीरी	140086.52	1422.00	589.00	2337.00	2699.00	3030.55	1863.00	2558.10	2448.00	2775.50	19822.15
48	उन्नाव	16653.84	20.00	294.20	640.00	179.00	550.00	171.00	121.00	489.00	407.60	2871.80
49	लखनऊ	11563.06	83.00	418.00	1176.00	892.00	387.50	289.00	366.84	508.75	880.25	5001.34
योग :-लखनऊ मण्डल		**185652.54**	**1923.03**	**1788.20**	**6228.50**	**4316.03**	**4709.05**	**3493.76**	**3529.94**	**5039.91**	**5884.35**	**36912.77**
50	फैजाबाद	3646.20	420.00	36.00	48.00	84.00	103.00	166.00	66.00	171.00	209.00	1303.00
51	अम्बेदकर नगर	269.78	0.00	5.00	6.00	0.00	30.00	0.00	23.73	60.75	51.00	176.48
52	सुल्तानपुर	2056.68	5.00	2.00	0.00	17.00	42.00	102.00	43.25	147.20	176.28	534.73
53	बाराबंकी	5545.00	55.00	141.00	837.00	357.00	520.00	209.00	661.00	393.00	460.00	3633.00
योग :-फैजाबाद मण्डल		**11517.66**	**480.00**	**184.00**	**891.00**	**458.00**	**695.00**	**477.00**	**793.98**	**771.95**	**896.28**	**5647.21**
54	गोण्डा	19786.37	172.00	257.00	22.00	328.00	358.00	341.00	331.95	443.69	239.00	2492.64
55	बहराइच	12065.00	135.00	245.00	97.00	34.00	711.00	567.00	648.00	355.00	798.00	3590.00
56	श्रावस्ती	17187.00	210.00	339.00	1000.00	748.00	65.00	682.00	850.00	1110.00	1033.00	6037.00
57	बलरामपुर	968989.72	89.00	40.00	16.00	115.00	138.00	159.00	8.00	163.00	825.00	1553.00
योग :-देवीपाटन मण्डल		**1018028.09**	**606.00**	**881.00**	**1135.00**	**1225.00**	**1272.00**	**1749.00**	**1837.95**	**2071.69**	**2895.00**	**13672.64**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल हे0 में	वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक विभिन्न योजनाओं से वन क्षेत्र के अन्दर कराया गया वृक्षारोपण (हे0 में)									योग
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
58	उरई	25639.35	328.00	301.00	595.00	628.50	630.00	1190.00	1177.98	8546.00	2394.00	15790.48
59	झांसी	33420.39	1231.44	417.00	2094.00	165.54	68.00	1747.00	1517.00	6714.00	3237.00	17190.98
60	ललितपुर	74415.00	575.00	331.00	714.00	1145.00	1693.00	2316.83	2069.00	11475.00	4930.00	25248.83
योग :-झांसी मण्डल		**133474.74**	**2134.44**	**1049.00**	**3403.00**	**1939.04**	**2391.00**	**5253.83**	**4763.98**	**26735.00**	**10561.00**	**58230.29**
61	हमीरपुर	16641.00	465.00	363.00	1030.00	200.00	400.00	2528.00	1873.00	8922.00	860.00	16641.00
62	महोबा	15193.87	919.40	350.00	1818.00	265.00	1965.00	1933.47	2372.00	3290.00	2281.00	15193.87
63	बांदा	4149.10	286.00	290.00	65.00	597.00	503.00	945.50	395.60	551.00	516.00	4149.10
64	चित्रकूट	14814.00	281.00	388.00	1165.00	130.00	335.00	1663.00	1552.00	7000.00	2300.00	14814.00
योग :-चित्रकूटधाम मण्डल		**50797.97**	**1951.40**	**1391.00**	**4078.00**	**1192.00**	**3203.00**	**7069.97**	**6192.60**	**19763.00**	**5957.00**	**50797.97**
65	कानपुर नगर	5433.83	88.00	163.00	23.00	272.00	50.00	396.00	86.00	260.00	300.00	1638.00
66	कानपुर देहात	6605.78	0.00	0.00	20.00	107.00	179.00	601.00	164.67	109.56	65.00	1246.23
67	इटावा	3874.25	240.00	290.00	45.50	202.00	783.00	865.00	316.00	600.75	532.00	3874.25
68	औरैया	2862.25	239.57	165.00	124.00	182.68	529.00	884.00	126.00	320.00	292.00	2862.25
69	फर्रुखाबाद	403.64	44.32	10.00	0.00	0.00	5.00	25.00	30.00	50.00	95.00	259.32
70	कन्नौज	4265.32	45.00	85.00	0.00	294.00	356.50	234.00	143.00	247.50	200.00	1605.00
योग :-कानपुर मण्डल		**23445.07**	**656.89**	**713.00**	**212.50**	**1057.68**	**1902.50**	**3005.00**	**865.67**	**1587.81**	**1484.00**	**11485.05**
कुल योग :		**2425739.63**	**12878.61**	**12564.10**	**21034.87**	**17939.66**	**23345.98**	**35453.72**	**33496.35**	**73665.26**	**59800.39**	**290178.94**

पी0एस0यू0पी0-एल0 139 विधान सभा (270)-30-11-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।